Friday, 31st July, 1987

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 29, आठवां सत्र—दूसरा भाग, 1987/1909 (शक)

अंक 55, शुक्रवार, 31 जुलाई, 1987/9 श्रावण, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 82 और 84 से 87	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—141
तारांकित प्रश्न संख्या : 81, 83 और 88, से 100	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 892 से 904, 906 से 929, 931 से 941, 943 से 996; 998 से 1058 और 1060 से 1066	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	141—145
सभा का कार्य	145—151
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक	151—164
पुरःस्थापित करने के लिये प्रस्ताव	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	152—155
श्री हन्नान मोल्लाह	155
श्री बसुदेव आचार्य	155—156

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री सैफुद्दीन चौधरी	156—157
श्रीमती गीता मुखर्जी	157—158
श्री दिनेश गोस्वामी	158—159
श्री पी० चिदम्बरम्	160—163
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण	164
उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक	164
(राज्य सभा द्वारा पारित रूप में)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा० गौरी शंकर राजहंस	164—167
श्री अजय विश्वास	167—169
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	169—171
श्री इन्द्रजीत गुप्त	171—174
डा० फूलरेणु गुहा	174—176
श्री सैयद शहाबुद्दीन	176—177
श्री के० एन० प्रधान	177—179
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	179
सैंतीसवां प्रतिवेदन	
विधेयक—पुरःस्थापित	179
(एक) कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी तथा कल्याण) विधेयक	
श्रीमती बसवराजेश्वरी	179—180
(दो) पर्यावरण (संरक्षण संशोधन) विधेयक	.
(धारा 2 में संशोधन, आदि)	
श्री भट्टम श्रीराममूर्ति	180

विषय	पृष्ठ
(तीन) लोक नियोजन (चयन का क्षेत्र, अधिवासिक अपेक्षा और स्थानांतरणीयता) विधेयक	
श्री सैयद शहाबुद्दीन	180—181
(चार) निराश्रित तथा निर्धन (भरण-पोषण तथा पुनर्वास) विधेयक	
श्री अजय विश्वास	181
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक	
(अनुच्छेद 263 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)	
श्री सैयद शहाबुद्दीन	181
(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक	
(सातवीं अनुसूची में संशोधन)	
डा० सी० एस० वर्मा	182
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक	
(नये अनुच्छेद 333क का अंतःस्थापन)	
चौधरी लच्छीराम	182
श्री शान्ता राम नायक का	
गोवा, दमण और दीव राज्य विधेयक	182
(वापिस लिया गया)	
श्री जी० एम० बनातवाला का	
बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक	183—199
(वापिस लिया गया)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री हरीश रावत	183—184
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	185—186
श्री शान्ताराम नायक	186—187
श्री टी० बशीर	188—189

विषय	पृष्ठ
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	189 -191
श्री पी० ए० संगमा	191—195
श्री जी० एम० बनातवाला	195—199
राजनीतिक दलों के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, प्रादेशिक और क्षेत्रीय नामों के प्रयोग पर प्रतिबंध और धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग का निवारण विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती बसवराजेश्वरी	199—204
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	204—206
श्री बाला साहिब विखे पाटिल	206—208
श्री एस० बी० सिदनाल	208

लोक सभा

शुक्रवार, 31 जुलाई, 1987/9 श्रावण, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म॰ पू॰ समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

दिल्ली में बहु-मंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपाय

*82. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद†
श्री परसराम भारद्वाज } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में 200 से अधिक ऐसी बहु-मंजिला इमारतें है जो अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन न किये जाने के कारण असुरक्षित हैं, जैसा कि 1 जुलाई, 1987 के इंडियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है;

(ग) इन इमारतों के ऐसे स्वामियों के विरुद्ध जो अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन न करने के दोषी पाये जाते हैं क्या कार्यवाही करने की व्यवस्था है;

(घ) अंसल भवन, नई दिल्ली में 29 जून, 1987 को लगी आग में कितने लोग हताहत हुए और अनुमानतः कितने मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ;

(ङ) अंसल भवन में लगी आग की जांच करने के लिए उप-राज्यपाल द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार जांच के निर्देश पद क्या हैं; और

(च) भविष्य में आग लगने की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का कौन से दीर्घकालिक उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

194 ऊंची इमारतों का पता लगाया गया है जिनमें पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी है। इन इमारतों का निर्माण एकीकृत भवन उप नियम, 1983 अधिसूचित करने से पहले किया गया था। इन उपनियमों के अन्तर्गत किसी भवन के लिए "कम्पलीशन" प्रमाणपत्र दिए जाने से पहले मुख्य अग्नि शमन अधिकारी से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" हासिल करना आवश्यक है। जून, 1983 से पहले बने भवनों

में अग्नि सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम बनाया गया और यह इस वर्ष मार्च में लागू हुआ। इसमें मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के निदेशों का पालन न किये जाने पर कैद तथा जुर्माने की सजा की व्यवस्था है। इन भवनों के मालिकों/दखलदारों को 30 सितम्बर, 1987 तक, अन्त:निर्मित अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए कानूनी नोटिस जारी किये गये हैं।

2. 29 जून, 1987 को अंसल भवन में आग लगने की घटना में 3 व्यक्ति मारे गये और 52 व्यक्ति घायल हुए। सम्पत्ति की क्षति का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

उप-राज्यपाल के आदेशानुसार अग्नि कांड की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

1. अग्नि कांड के कारणों का पता लगाना,
2. भवन में अग्निशमन उपकरणों और अन्य उपायों की पर्याप्तता,
3. दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा अग्निशमन के लिए किये गये अग्निशमन तथा अन्य प्रबन्धों की पर्याप्तता,
4. इस आपातकाल से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तथा अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा अदा की गई भूमिका,
5. जिम्मेवारी निर्धारित करना, यदि कोई हो,
6. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना,
7. इस घटना से सम्बद्ध अन्य मामले।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आग की दुर्घटनाएं बहुत आम हैं, क्योंकि सभी सरकारी एजेंसियां भवन निर्माताओं और अधिभोगियों के प्रति ढील बरतती हैं। कानूनी नोटिस जारी करना ही काफी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कानून के अन्तर्गत दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए क्या निवारक कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : महोदय, सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया जा चुका है कि 194 इमारतें ऐसी हैं जहां पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी है। इन इमारतों का निर्माण 1983 से पूर्व हुआ था। संसद में एक अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम को 30 मार्च, 1987 को लागू किया गया था और यह लागू है। इस अधिनियम में ये सभी कड़े उपाय शामिल किये गये हैं। हम उन्हें नोटिस भी दे रहे हैं कि अगर नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी और कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार मालिकों/अधिभोगियों को ये निदेश दिए गये हैं कि सितम्बर, 1987 से पहले अग्नि सुरक्षा उपायों संबंधी विनियमों का अनुपालन किया जाए। महोदय, सितम्बर, 1987 के बाद अगर सरकारी निदेश का उल्लंघन किया गया तो क्या दोषीलोगों के खिलाफ दन्डनीय अपराध के तहत कार्यवाही की जाएगी ?

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : महोदय, जैसा कि मैंने अभी-अभी सदन को बताया है कि हमने उन्हें नोटिस दिए हैं, नियम बनाए गये हैं तथा कानून को मार्च 1987 में लागू कर दिया गया है। हमने उन्हें नोटिस दिया है। और इस नोटिस की अवधि बढ़ाकर 30 सितम्बर, 1987 कर दी गई है। इस दौरान हम

प्रत्येक बहुमंजिली इमारत की जांचकर रहे हैं। हमारे स्टाफ के कुछ लोग वहां जा रहे हैं। हम उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें 30 सितम्बर से पूर्व सभी अग्नि सुरक्षा उपाय पूरे कर लेने होंगे। जहां कहीं हम इस दिशा में कमी देख रहे हैं वहां हम उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं। 30 सितम्बर को नोटिस अवधि पूरी हो जाएगी। उसके बाद नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करने वालों तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हाईराइज बिल्डिंग दो दिन, चार दिन या दो महीने में नहीं बनती हैं, इनको बनाने में तकरीबन पांच साल का समय लगता है और आज कहा जा रहा है कि उन बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जो आफिसर इसके लिए जिम्मेदार थे, जिनकी नाक के नीचे पांच साल तक वे बिल्डिंग बनती रहीं, फायर ब्रिगेड और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के आदमी आंख बन्द कर के देखते रहे, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन आफिसर्स के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाले हैं, जिन्होंने उनको छुट्टी दी। इस प्रकार की बिल्डिंग बनने से जान-माल दोनों का नुकसान होता है।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आशा है हमारे माननीय मित्र श्री अग्रवाल को इस बात की जानकारी होगी कि सिद्धार्थ होटल जैसी इमारतों की भवन योजनाओं को मंजूरी देने वाले दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है। हमने पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। भवन उप-नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के खिलाफ हम कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : हाल ही में जब कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित इमारत में आग लगी तो हमने टेलीविजन पर देखा कि अग्निशमन सेवा के कार्मिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाया। क्या मंत्रालय ने उन लोगों को पर्याप्त धनराशि देकर पुरस्कृत किया है?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जी हां, बचाव कार्य के दौरान जिन मजदूरों और ठेकेदारों ने सहायता की हमने उन्हें भी पुरस्कृत किया है।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : अन्तर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण के लोगों ने भी सहायता की थी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जी हां, उन्होंने सहायता की थी।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : यह सर्वविदित है कि पानी के हौज इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें बहुमंजिली इमारतों की ऊपरी मंजिलों तक पहुंचाया जा सके। पर्यावरण की दृष्टि से भी इन इमारतों का पास-पास होना गलत है। भूमि क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र तथा हरित क्षेत्र के लिए कुछ जगह छोड़ी जानी चाहिए। दिल्ली शहर में इन बातों का जरा भी ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए आग बुझाने वाली गाड़ियां उस क्षेत्र में पहुंचने पर इमारत पर सीढ़ियां लगाने के लिए उसके पास तक नहीं पहुंच पातीं और पानी तक नहीं फेंक पातीं। भविष्य में क्या सरकार यह देखेगी कि इन इमारतों के निर्माण से पूर्व कुछ क्षेत्र को पार्किंग, कुछ को हरित क्षेत्र तथा कुछ को भूमि क्षेत्र के लिए छोड़ा जाये। आग से बचने से निकलने वाले रास्तों में काफी कूड़ा करकट और तारें होती हैं जिससे इमारत के अन्दर होने पर, आग

लगने पर बचने के लिए कोई नीचे नहीं आ सकता है। यह सर्वविदित है कि आग से बचाव के रास्ते इमारत के बाहर होने चाहिए। क्या इस बात के प्रयास किए जायेंगे कि दिल्ली की सभी बहुमंजिली इमारतों में इस महत्वपूर्ण पहलू का ध्यान रखा जाएगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वस्तुत: हमने उन सभी कमियों पर विचार किया है जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने अभी किया है। कुल मिलाकर 12 मदों का पता लगाया गया है और अगर वह चाहते हैं तो मैं उन्हें पढ़ सकता हूं। हमारे अधिकारी बहुमंजिली इमारतों का दौरा करके यह जांच कर रहे हैं कि इन बातों का पालन किया जा रहा है या नहीं। अगर नहीं किया जा रहा है तो क्या नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि हाल ही में हमने इन बहुमंजिली इमारतों के निकट इन कमियों के बारे में साइन बोर्ड लगाए हैं। हम इन इमारतों का निरीक्षण कर रहे हैं और इस दृष्टि से पर्याप्त एहतियाती कार्यवाही कर रहे हैं कि इन कमियों को तीन महीने में दूर कर दिया जाए।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं इस बात की सराहना तथा स्वागत करता हूं कि सरकार ने घटना घट जाने के बाद सबक सीखा है और अधिकारी हर इमारत का दौरा कर रहे हैं लेकिन महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि जो लोग इन बहुमंजिली इमारतों का निर्माण करते है और हर महीने विशाल धनराशि लगाते हैं, उनमें से कितने लोग कई सालों तक सरकार द्वारा बनाये गये उपबंधों का उल्लंघन करते रहेंगे? वे कानून के शिकंजे से बाहर कैसे है तथा उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई है? क्या आप ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें, निलंबित किए गये इन पांच अधिकारियों के अलावा, बहुमंजिली इमारत के मालिकों को कुछ सजा दी गई हो?

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : श्री आजाद द्वारा व्यक्त की गई चिंता से मैं सहमत हूं। वह अच्छी तरह जानते होंगे कि भवन उप नियमों में कुछ कमियां होने के कारण संसद ने अग्नि सुरक्षा उपाय अधिनियम पारित किया है। अभी बनाए गये ये नियम बहुत कड़े है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है इन इमारतों का दौरा करने के दौरान हम दोषी भवन मालिकों तथा इन बहुमंजिली इमारतों के प्राधिकृत ठेकेदारों के खिलाफ मामले पंजीकृत करने का प्रयास करते है। उनमें से कुछ यहां नहीं है और बचने के प्रयास कर रहे हैं। मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हम यथासंभव कड़े उपाय कर रहे हैं और तीन महीने अर्थात् 30 सितम्बर के भीतर इन कमियों को दूर कर दिया जाएगा तथा ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृति नहीं होगी।

प्रो० मधु दंडवते : केवल लागू नहीं किया जाएगा। बस इतना ही कहना है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, इस अन्सल भवन मे राष्ट्रीय भारतीय महिला संघ का कार्यालय था। हमारे एक मित्र वहां फंस गए। इसलिए मैं आपसे दो बातें जानना चाहती हूं। पहली बात यह है कि क्या यह सच है कि बचाव कार्य के लिए भेजे गए हेलिकाप्टर के कारण इतनी हवा थी कि आग और बढ़ गई। इसकी सूचना प्रेस में दी गई थी। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह सही है या नहीं? यदि हां, तो आग लगने के बाद क्या हुआ? अब यह इमारत बन्द है। हम सबको यहां वहां फेंक दिया गया है। इस आग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे के बारे में क्या स्थिति है?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इसकी कुल हानि का अब हिसाब लगाया जा रहा है। हानि के आंकड़े तथा हर बात का ब्योरा इस समय उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सारी स्थिति का हिसाब लगाया जा रहा है।

जहां तक घायलों का सम्बन्ध है, उन्हें मुआवजा दिया जा चुका है। अंसल भवन में लगी आग में घायल हुए 52 व्यक्तियों और 3 मृतकों को सहायता दी गई है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हेलिकाप्टर का क्या उपयोग था ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हेलिकाप्टर राहत कार्यों के लिए आया था। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : कुछ लोग अंसल भवन में फंसे लोगों को बचा रहे थे। क्या आप उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं या नहीं ? इसे नोट किया जाना चाहिए।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, वहां निर्माण स्थल पर काम करने वाले कुछ लोगों ने असाधारण वीरता का परिचय दिया था। हमने इस बात को नोट किया है और हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : धन्यवाद।

साम्प्रदायिक दंगे

*84. श्री हरूभाई मेहता†
श्री मोहम्मद महफूज अली खां } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन महीनों के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा की राज्यवार कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन घटनाओं में कितने लोग हताहत हुए और लगभग कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में 1 अप्रैल, 1987 से 30 जून 1987 तक हुए मुख्य साम्प्रदायिक दंगों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

तारीख और स्थान	व्यक्तियों की संख्या		सम्पत्ति की क्षति
	मारे गए	घायल हुए	(रुपये लाखों में)
1	2	3	4
गुजरात			
वीरपुर (अप्रैल, 9—12)	4	12	102.00
भड़ोच (मई, 17—18)	5	22	उ० न०
बड़ोदा (जून, 26 से जुलाई, 2 तक)	7	10	उ० न०
उत्तर प्रदेश			
मेरठ (अप्रैल, 14—18)	10	23	4.35
मेरठ (मई, 18—24)	105	143*	222.60

*(8 पुलिस कार्मिकों सहित)

1	2	3	4
दिल्ली			
(मई, 18—24)	11	75	उ० न०
महाराष्ट्र			
कसोवा जलगांव (जून, 8)	5	17	3.00
जोड़ :	147	302	341.95

(ग) हालांकि शान्ति को बनाए रखने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है, फिर भी केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को शान्ति और साम्प्रदायिक सद्‌भाव बहाल करने में अर्द्धसैनिक बल तथा उपकरण के रूप में सहायता देने के मामले में कभी कोई कसर बाकी नहीं रखी है। केन्द्र सरकार, साम्प्रदायिक कट्टरपन्थी तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों को सतर्क तथा सावधान भी करती रही है।

2. जब मेरठ में दंगे भड़के श्री चिदम्बरम और श्रीमती मोहसिना किदवई स्थिति का जायजा लेने घटनास्थल गए। इसके बाद गृह मंत्री ने मेरठ का दौरा किया जिन्होंने मुख्य मंत्री तथा मेरठ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों से लगातार सम्पर्क बनाये रखा। गृह मंत्री ने विपक्ष के नेताओं को भी उनकी सलाह का लाभ उठाने के लिए आमन्त्रित किया और बैठक में उपस्थित सभी व्यक्ति ईद मनाये जाने के दौरान साम्प्रदायिक सद्‌भाव बनाए रखने के लिए सर्वसम्मत अपील जारी करने के लिए सहमत हुए। यह संतोषजनक बात है कि ईद बिना किसी अप्रिय घटना के मनाई गई। प्रधान मंत्री ने 30 मई को मेरठ का दौरा किया और त्वरित राहत और पुनर्वास उपायों के लिए निर्देश दिए।

3. मलियाना की घटनाओं की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। भारत के भूतपूर्व महानियन्त्रक और लेखा परीक्षक श्री प्रकाश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक अन्य समिति प्रशासनिक जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट जुलाई, 1987 के अन्त तक प्राप्त होने की सम्भावना है। राज्य सरकार ने भी सशस्त्र पुलिस कांस्टेबलरी में भर्ती, प्रशिक्षण और अभिप्रेरणा का अध्ययन करने के लिए समिति गठित की है। मेरठ में विशेष राहत कार्य शुरू किए गए और अब तक प्रभावित व्यक्तियों को धन राहत के रूप में 1 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किया जा चुका है।

4. मेरठ और दिल्ली में स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की नियुक्ति और सेना की तैनाती के अलावा दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य स्थिति लाने के साथ-साथ दंगा ग्रस्त पीड़ितों को राहत प्रदान करने और दोनों समुदायों में फिर से सौहार्द उत्पन्न करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए।

5. राहत कार्यों को तेज करने के लिए मेरठ में एक विशेष आयुक्त (राहत) जिसकी एक उपायुक्त (राहत) द्वारा सहायता की जा रही थी, तैनात किया गया। उपायुक्त (राहत) अपना कार्य करते रहे हैं। जिला परिषद कार्यालय मेरठ के कार्यालय में एक राहत नियन्त्रण कक्ष खोला गया है जहां अलग-अलग काउन्टरों पर राहत तथा पुनर्वास इत्यादि के लिए आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मौके पर जाकर राहत वितरित करने और पुनर्वास के लिए आवेदन लेने के लिए 12 टीमों का गठन किया गया है।

इसी प्रकार, दिल्ली और गुजरात में भी शीघ्र राहत उपाय किए गए हैं।

6. गुजरात की साम्प्रदायिक स्थिति की राज्य सरकार से परामर्श करके लगातार समीक्षा की जा रही है। बड़ोदा और गुजरात के कुछ अन्य भागों में साम्प्रदायिक हिंसा हुई। गृह राज्य मंत्री श्री पी० चिदम्बरम ने गुजरात का दौरा किया और राज्य प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किया जिसके परिणामस्वरूप एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई और इसे अहमदाबाद, नाडियाड और बड़ोदा में कार्य रूप दिया गया। केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण और लोगों के सहयोग से 28 जून, 1987 को अहमदाबाद में रथ यात्रा उत्सव शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुआ। वास्तव में इस अवसर पर खासकर साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में साम्प्रदायिक सौहार्द का दृश्य देखा गया।

7. पुरानी दिल्ली में भी मई के महीने में आंशिक रूप से, मेरठ में हुए दंगों के परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक हिंसा हुई। यद्यपि स्थिति पर तुरन्त नियन्त्रण कर लिया गया, फिर भी पुरानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में अब भी तनाव बना हुआ है। मेरठ में भी अभी तनाव बना हुआ है यद्यपि स्थिति नियन्त्रण में है। राज्य सरकार को विशेष रूप से हाल की कुछ घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है।

श्री हरूभाई मेहता : महोदय, सभा के समक्ष रखे गये विवरण में बहुत दुःखद स्थिति का चित्रण किया गया है क्योंकि तीन महीनों में 147 लोगों की जानें गई, 300 लोग घायल हुए और 3,41,000 रुपये मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई।

महोदय, उस परिप्रेक्ष्य में मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने विभिन्न प्रतिवेदनों को पढ़ा होगा, जैसे — जमशेदपुर में हुए दंगों पर जितेन्द्र नारायण आयोग का प्रतिवेदन, महाराष्ट्र में भिवंडी तथा अन्य स्थानों पर हुए दंगों के बारे में मदन आयोग का प्रतिवेदन गुजरात में अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों पर हुए दंगों के बारे में जगमोहन रेड्डी आयोग का प्रतिवेदन। इन सभी आयोगों ने कहा है कि इन दंगों के पीछे कोई निश्चित षड्यंत्र है।

क्या मंत्री महोदय इस पहलू पर प्रकाश डालेंगे कि क्या वह समझते हैं कि इन दंगों में हुई साम्प्रदायिक घटनाओं के पीछे कोई निश्चित षड्यन्त्र है और क्या इन दंगों के पीछे किसी साम्प्रदायिक संगठन का हाथ है?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, यह सर्वविदित है कि जब कभी देश के किसी भाग में दंगे होते हैं कुछ तत्व इन्हें उकसाते हैं और इन घटनाओं के पीछे उनका हाथ होता है। वे अधिकतर साम्प्रदायिक केन्द्रों प्रायः धार्मिक केन्द्रों से यह कार्य करते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी संस्थाओं का नाम बताना कठिन है।

पिछले सत्र में भी, अध्यक्ष महोदय ने धर्म पर आधारित इन साम्प्रदायिक तत्वों के बारे में बहुत चिन्ता व्यक्त की थी जिन्होंने विभिन्न साम्प्रदायिक और राजनैतिक संस्थाओं के नाम पर देश के विभिन्न भागों में हमारे लोगों की हत्या की है। हम इसके बहुत इच्छुक हैं और पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों की सहमति से ऐसा कर रहे हैं कि इस सत्र में हम विपक्षी सदस्यों के परामर्श से कुछ ऐसा दृष्टिकोण अपनाने का प्रयत्न करेंगे जो धर्म पर आधारित साम्प्रदायिक संगठनों को देश की राजनीतिक व्यवस्था से अलग करने में सहायक होगा।

श्री हरूभाई मेहता : महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ आयोगों ने कहा है कि इन दंगों के पीछे आर० एस० एस० जैसी कुछ साम्प्रदायिक संगठनों का हाथ है। उस परिप्रेक्ष्य में और राष्ट्रीय

एकता परिषद की सिफारिशों तथा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा संशोधित श्रीमती इंदिरा गांधी के 15 सूत्री कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। वास्तव में माननीय गृह राज्य मंत्री जी रथ यात्रा से एक दिन पहले अहमदाबाद में थे और उन्होंने स्वयं सारे प्रबन्ध का निरीक्षण किया जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं, क्योंकि ऐसा न होने पर यह सब इतना शान्तिपूर्वक नहीं होता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 15 सूत्री कार्यक्रम को जिनका प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने संशोधन किया है, तथा राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की देखरेख के लिए तथा विशेष रूप से साम्प्रदायिक प्रचार को रोकने तथा मदान आयोग द्वारा बताए गए 27 सूत्रीय साम्प्रदायिक प्रचार से बचने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई तंत्र स्थापित किया है? मदान आयोग ने बताया था कि देश के विभिन्न भागों में कुछ साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा 27 तरह से साम्प्रदायिक प्रचार किया जा रहा है। उसे रोका जाना चाहिए। अत: यह पता लगाने के लिए कि क्या राज्य सरकारें ऐसे प्रभावी कदम उठाती हैं जिससे दंगे पुन: न भड़कें, केन्द्र सरकार ने कौन सा निगरानी तंत्र स्थापित किया है?

सरदार बूटा सिंह : जहां तक देश के विभिन्न भागों में हुई इन घटनाओं पर निगरानी रखने का संबंध है, हम मुख्य मंत्री से निरंतर सम्पर्क बनाए रखते हैं। मैं स्वयं ऐसा करता हूं और विभिन्न राज्यों में ऐसी सभी घटनाओं पर निगरानी रखने और समन्वय कार्य करने के लिए हमने वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए हैं।

जहां तक इन दंगों के लिए जिम्मेदार तत्वों और संगठनों को पता लगाने का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने मदान आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया है। जैसा कि मैंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का उप दल इस संबंध में कार्य कर रहा है कि राज्यों और विभिन्न समुदायों में इन साम्प्रदायिक दंगों के पीछे ऐसे दलों और तत्वों का पता कैसे लगाया जाए और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाए। माननीय सदस्य ने जिस पहलू पर प्रकाश डाला है, निश्चय ही हम उस पर ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री महफूज अली खां बोलेंगे।

हुकमाई मेहता : महोदय, एक मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप पहले से अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं। नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे मुल्क के सामने सबसे बड़ा मसला फिरकेवाराना फसादात का है। आज आए दिन फिरकेवाराना फसादात हो रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर साहब किसी नतीजे पर पहुंचे हैं। क्या आपने कोई रिसर्च कराई है कि आखिर ये फसादात क्यों होते हैं; किन हालात के तहत होते हैं, कौन से एलीमेंट्स हैं जो इनके पीछे हैं। आपने मेरठ रायट्स के बारे में बताया था कि वहां पर पाकिस्तान से कुछ लोग आए हुए हैं जिनका वीजा और पासपोर्ट समाप्त हो चुका है, तो क्या आपकी मशीनरी फेल हो चुकी है, जिसने यह नहीं देखा कि उनका वीजा खत्म हो गया है और फिर भी ये लोग हिन्दुस्तान के अन्दर रह रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इसका कोई हल है आपके पास? आए दिन मेरठ के अन्दर जो वाकयात हो रहे हैं, आज पब्लिक परेशान है, क्या-क्या लोग इस हुकूमत के बारे में कहते हैं, रोज हम अखबारात में पढ़ते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई हल है कि ये फिरके-

वाराना फसादात खत्म हों, मुझे आप जवाब फरमाएं।

सरदार बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने बहुत ही बुनियादी प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह सही है कि कुछ वारदातें, खासकर मेरठ में फसादात में कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे देश के नहीं थे, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, वे लोग भी उसमें थे। इसी तरह से जैसा हरूभाई मेहता जी ने कहा कि बहुत से ऐसे संगठन हैं जो इन वारदातों के पीछे हैं, जो फाइनांस करते हैं, आर्गेनाइज करने में मदद करते हैं, रिलीजस प्लेसेस होते हैं और जो आपने कहा है कि बुनियादी तौर पर, मोटे तौर पर कौन-सी चीजें हैं तो मोटे तौर पर दो चीजें सामने आ रही हैं। एक रिलीजस फंडामेंटलिजम और दूसरा रिलीजस रिवाइवलिजम, ये दो ऐसी खतरनाक टेंडेंसीज हैं जो खुलकर सामने आई हैं, जिनसे बहुत से फसादात हुए हैं चाहे वे गुजरात के हों, उत्तर प्रदेश के हों या दिल्ली के हों, इन सबके पीछे ये दो भावनाएं जो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही खतरनाक परिणाम रखती हैं, सामने आ रही हैं।

इन समस्याओं को किस ढंग से हल किया जाए, कंसल्टेशन के साथ और खासकर के जो एलीमेंट्स इनको हवा दे रहे हैं, रिवाइवलिजम, फंडामेंटलिजम, उन एलीमेंट्स को कर्ब करने से, उनको खत्म करने से ही यह हो सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं है। फिर भी जो आम लोग हैं, हरेक कम्युनिटी के जो साधारण व्यक्ति हैं और जो मासूम लोग इसमें मारे जाते हैं, उनको इनसे दूर रखने में और राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ने में काम करना चाहिए। इसमें सभी पार्टियों को मिलकर काम करना होगा। सिर्फ लॉ एण्ड आर्डर एजेंसी ही नहीं कर पाएगी क्योंकि इसमें सहयोग की जरूरत है। जितनी भी हमारी कम्युनिटीज हैं, जितनी पोलिटिकल आरगेनाइजेशन्स हैं, जितनी सोशल आरगेनाइजेशन्स हैं।

[अनुवाद]

उन्हें उन सभी सम्प्रदायों या राजनैतिक दलों, जिनकी विचारधारा ही साम्प्रदायिक है, की इस तरह की प्रवृत्ति की निन्दा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह असाध्य रोग हो गया है, कैंसर है और हमारे मंत्री जी इसकी दवा कर रहे हैं, लेकिन कोई दवा कारगर नहीं है। मैं जानता हूं कि आज तक जितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं शासन की तरफ से, उसकी जांच हुई होगी। तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि जांच कमीशन की जो रिपोर्ट होती है, उसमें पहले किस को गुनाहगार बताया है और अगर गुनाहगार बताया है तो उसको कौन-सी सजा दी गई और भविष्य में ऐसे कौन-से प्रबन्ध किए गए हैं जिससे ये दंगे न हो सकें। मैं खुद जानता हूं, सारा सदन जानता है और मंत्री जी भी जानते हैं कि देश में ऐसे लोग हैं जो खुलेआम बगावत की बात करते हैं और साम्प्रदायिक दंगे भड़काते हैं। हमने देखा है कि मुरव्वत करके उनके साथ लिहाज किया जा रहा है। दंगे भड़काये जा रहे हैं और दंगे होते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसे प्रबन्ध करेंगे जिससे ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही हो सके, चाहे वह कोई भी हो और किसी भी वर्ग का हो। भविष्य में दंगे न हों क्या ऐसा प्रबन्ध करेंगे।

सरदार बूटा सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट यह होती है कि जितने ज्युडिशियल कमीशन बनते हैं, उनकी रिपोर्ट बहुत देर के बाद आती है, चाहे हम समय निर्धारित कर दें तो भी उसमें बहुत टाइम लग जाता है। अक्सर, तीन-तीन, चार-चार साल के बाद रिपोर्ट मिलती है। यू० पी० में आपने देखा होगा कि एक स्पेशल मजिस्ट्रेट और एक ज्युडिशियल आफिसर की ड्यूटी लगाकर इमीजिएटली ऑन दी स्पाट एक्सपीडाइट किया जाता है ताकि

इनकी प्रोसीडिंग्स के परिणाम जल्दी से उपलब्ध हो सकें। जैसा कि मैंने पहले कहा, जिन तत्वों के बारे में जानकारी हासिल हो सकती है, उन तत्वों की वजह से किसी जगह पर या किसी प्रान्त में रायट्स हुए हैं; उन तत्वों के बारे में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही होती है क्योंकि जितनी भी लॉ एण्ड ऑर्डर एनफोर्सिंग एजेंसी हैं उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि एकदम से इंक्वायरी नहीं हो पाती है। पहले तो हालत नार्मल करने में लगते हैं, जितने साधन होते हैं, जितनी फोर्स होती है, उनको जुटाना पड़ता है ताकि हालात नार्मल हों। काफी देर तक कर्फ्यू चलता है इसलिए इंक्वायरी नहीं हो पाती है। इन कठिनाइयों को सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूं कि अब तक जो इंक्वायरी हुई हैं, उसमें जरूर फायदा हुआ है। मेरठ और अहमदाबाद के मामले में हमने मुख्य मंत्रियों के साथ फैसला किया है कि तुरन्त स्पेशल मजिस्ट्रेट और स्पेशल ज्युडिशियल आफिसर डेजीगनेट करके इसको एक्सपीडाइट किया जाए ताकि जल्दी से जल्दी सजा मिले और आइन्दा के लिए जो परिणाम हैं, जहां पर रायट्स होते हैं वहां के लोगों के लिए डेटेरेंट्स साबित हो सके।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : यह सुझाव कार्यवाही करने के लिए दिया गया है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। क्या आप मेरठ तथा अन्य जगहों पर हुए साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा किये जाने की अनुमति देंगे ? सभी माननीय सदस्यगण यही चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करेंगे।

सरदार बूटा सिंह : हम इस विषय पर पूरी चर्चा करना चाहते हैं। हम इस विषय में एक तथ्यात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है हम साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा शुरू करेंगे।

डा० सुधीर राय : साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में असफल कितने अधिकारियों को अभी तक दंडित किया गया है ? साम्प्रदायिक दंगों के बारे में छापने पर कितने समाचारपत्र एवं पत्रिकाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का पूर्वानुमान लगाने तथा इन्हें रोकने के लिए कार्यवाही करने में अधिकारियों की असफलता का सम्बन्ध है, हम पहले लोक सभा तथा राज्य सभा में बता चुके हैं, राज्य सरकारों को हमने सलाह दी है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। ये अधिकारीगण राज्य सरकारों में राज्य संवर्ग में कार्यरत हैं।

हाल ही में, उदाहरण के लिए, मेरठ में राज्य सरकार ने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। सभी अधिकारियों, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, का स्थानान्तरण कर दिया गया था। श्री ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय समिति इन अधिकारियों की भूमिका के बारे में जांच-पड़ताल कर रही है और इनकी रिपोर्ट इस महीने के अन्त तक आ जाने की सम्भावना है। इस रिपोर्ट के आने के बाद राज्य सरकार जिम्मेदार अधिकारीगण के विरुद्ध कार्यवाही करेगी, यदि वे मेरठ में हुई किसी भी घटना के लिए जिम्मेवार पाये गये हों।

जहां तक गुजरात का संबंध है, राज्य सरकार ने किसी भी तरह की असफलता के लिए जिम्मेवार अधिकारीगण को स्थानान्तरित करने के लिए कार्यवाही की है और वह उनके आचरण के बारे में जांच कर रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : स्थानान्तरण करना कोई सजा नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं मानता हूं कि स्थानान्तरण करना कोई सजा नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : वे लोग दूसरों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, उन्हें समाप्त करने दें, फिर यदि आप चाहते हैं···

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम राज्य सरकारों से कह रहे हैं कि स्थानान्तरण दण्ड नहीं है तथा स्थानान्तरण इसके लिए पर्याप्त उपचार नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, राज्य सरकार को अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि वे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और हम राज्य सरकारों पर उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दबाव डालेंगे। हम स्वयं कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह क्या कह रहे हैं ?

श्री पी० चिदम्बरम : हम नहीं कर सकते हैं। आप सब कानून जानते हैं। हम सीधे कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। हम राज्य सरकारों से केवल कार्यवाही करने के लिए कह सकते हैं। हम, अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए, राज्य सरकारों पर दबाव डालने हेतु अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और हम इसका पालन करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : यदि मंत्री वहां हैं तो आप कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं। ऐसा न कहें।

श्री पी० चिदम्बरम : जहां तक पत्रिकाओं का संबंध है पुनः यह वह मसला है जिस पर राज्य सरकारों को कार्यवाही करनी है और अन्ततः इस मामले में जो मैंने सुना है वह यह है कि राज्य सरकारें उन कतिपय लेखों की छानबीन कर रही हैं जो मेरठ में छपे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे अगले सप्ताह लेंगे। हम इस पर एक चर्चा करेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमने दण्ड के बारे में पूछा है। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : सैफुद्दीन साहब, जैसे कि मेरे साथी ने बताया है कि राज्य के अधिकारी राज्य सरकार के अधीन हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि आप हमें दिल्ली से सीधे कार्यवाही करने की अनुमति दें। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : हम निश्चित रूप से सीधे कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के बारे में क्या किया है, जो कि उस समय मेरठ में उपस्थित थे जब दंगे हो रहे थे ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप प्रधान मन्त्री से बात कर सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठ जाएं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला : मुख्य मंत्रियों को निकाल देना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, हम इस मामले पर अलग से चर्चा करेंगे और हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न। श्री रघुमा रेड्डी। वह अनुपस्थित हैं। श्री धर्मपाल सिंह मलिक। आप सभी बैठ जाइये।

सरदार बूटा सिंह : यदि आप अनुमति दें तो मैं निश्चित रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने को इच्छुक हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए। अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं इस तरह अनुमति नहीं दूंगा। अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : आपको अधिकार है। (व्यवधान)

अमरीका सरकार द्वारा पाकिस्तान को "अवाक्स" विमानों की सप्लाई

*85. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**†
श्री एम० रघुमा रेड्डी
: क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अमरीका सरकार इस बीच पाकिस्तान को "अवाक्स" विमानों की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उप-महाद्वीप पर इस कदम का क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) यद्यपि यह ज्ञात है कि अमरीकी प्रशासन पाकिस्तान को एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के अन्तरण का समर्थन करता है परन्तु सरकार को इस सम्बन्ध में किसी अंतिम निर्णय की जानकारी नहीं है कि यह सिस्टम किस प्रकार का होगा और इसका अंतरण कैसे किया जाएगा।

(ख) एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के पाकिस्तान द्वारा प्राप्त करने से भारत की सुरक्षा के लिए गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इस संबंध में भारत सरकार और संसद की गहरी चिन्ता से अमरीकी प्रशासन और कांग्रेस के सदस्यों को उपयुक्त रूप से अवगत करा दिया गया है।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ग) पाकिस्तान को एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के अन्तरण से उप-महाद्वीप में हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी और संसाधन विकास की बजाए रक्षा कार्यों में लगाए जाएंगे। यह भारतीय उप-महाद्वीप में राजनैतिक वातावरण को सुधारने में सहायक नहीं होगा।

श्री धर्म पाल सिंह मलिक : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये इस उत्तर के संदर्भ में कि सरकार को सप्लाई की जाने वाली एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम की किस्म और इसके अन्तरण के संबंध में किसी अंतिम निर्णय की जानकारी नहीं है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सिस्टम की किस्म और इसके अंतरण के संबंध में अंतिम निर्णय का पता लगाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है ? इसके अतिरिक्त महोदय, क्या हम पाकिस्तान को 'एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम' अर्जित किये जाने से रोक सकते हैं।

श्री के० नटवर सिंह : महोदय, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है हमें अंतिम निर्णय के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कि जो सिस्टम दिया जाना है उसके अंतरण के तरीके, समय और किस्म के बारे में अंतिम निर्णय अमरीकी सरकार द्वारा नहीं लिया गया है मुझे माननीय सदस्य के प्रश्न का भाग-दो समझ में नहीं आया है। क्या वह इसे दोहरा सकते हैं ?

श्री धर्म पाल सिंह मलिक : क्या हम पाकिस्तान को एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम अर्जित किये जाने से रोक सकते हैं ? क्या हम सिस्टम के अन्तरण को रोकने की स्थिति में हैं ?

श्री के० नटवर सिंह : हमने उच्च स्तर पर अमरीकी सरकार को अपने विचार बता दिये हैं। मैं स्वयं अप्रैल माह मे वाशिंगटन में था। मैंने संयुक्त राज्य अमरीका के नेताओं से बात की थी...

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम इस प्रकार के सिस्टम के अन्तरण को रोक सकते हैं। वह यह जानना चाहते हैं।

श्री के० नटवर सिंह : यही तो मैं उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। हमने अमरीकी सरकार, अमरीकी कांग्रेस को अपने विचारों से अवगत करा दिया है। हमने उच्च स्तर पर, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी नेताओं को अपने इन विचारों से अवगत करा दिया है कि यदि यह विशेष सिस्टम संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो इसके विश्व के इस भाग में और पाकिस्तान में भी गम्भीर परिणाम होंगे।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : मुझे इसमें यह जोड़ने दें कि ऐसी किसी स्थिति को आने नहीं दिया जायेगा जहां हमारी सुरक्षा किसी भी प्रकार से संकट में पड़े।

श्री धर्म पाल सिंह मलिक : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या हम यह सुनिश्चित करने के लिए इस उप-महाद्वीप में पूर्ण शान्ति हो ऐसी भी सावधानियां बरत रहे हैं, जो कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम के कारण काफी खतरे मे है ? यदि हां, तो कृपया इसका ब्योरा दें और महोदय, आगे, मैं जानकारी के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम का ब्योरा चाहता हूं।

श्री के० नटवर सिंह : प्रधान मंत्री ने अभी सभा को आश्वस्त किया है कि किसी भी स्थिति में देश की सुरक्षा को खतरे मे नहीं डाला जाएगा। जहां तक सिस्टम की जानकारी का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को सुझाव दूंगा कि वह रक्षा मन्त्री से यह प्रश्न करें।

श्री जी० जी० स्वेल : राज्य मन्त्री ने अभी बताया है कि अमरीकी सरकार ने इस बात पर अंतिम रूप से अपनी राय नहीं बनाई है कि पाकिस्तान को अवाक्स विमानों की सप्लाई भाड़े पर की जाए या बिक्री पर, क्या वह इस बात को पुष्टि करने या इन्कार करने की स्थिति में हैं कि ये अवाक्स सिस्टम पाकिस्तान को सप्लाई करना संयुक्त राज्य अमरीका के हित में होगा जैसा कि इसने सऊदी अरब के साथ किया है ?

क्या कहीं भी विश्व में ऐसा सिस्टम है जिसे हम अपनाकर इस सिस्टम की बराबरी कर सकें। या यदि ये विमान पाकिस्तान को मिल जाएं तो क्या हमारे पास इस सिस्टम को प्रभावहीन करने के लिए, कोई अन्य साधन है ?

श्री के० नटवर सिंह : जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका की नीतियों की बात है मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वे स्पष्ट रूप से क्या करने जा रहे हैं, क्या वह सऊदी अरब वाली बात को दोहराना चाहते हैं। मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि हम इस मामले में पूरी तरह से जागरूक हैं। हमने उन्हें बता दिया है कि चाहे यह पूर्णतया बिक्री, उपहार या पट्टे का मामला हो, इस बात का कोई मतलब नहीं है। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। भारत और उप महाद्वीप की सुरक्षा पर इसके वही परिणाम होंगे, गंभीर परिणाम होंगे। हमने इन विचारों से अवगत करा दिया है। जहां तक इस प्रश्न की बात है कि हम इसके जवाब में क्या कर सकते हैं यह उत्तर रक्षा मंत्री देंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : यदि यह कार्यवाही जारी रहती है और पाकिस्तान द्वारा अमरीका से ये विमान प्राप्त किये जाते हैं तो उनका मुकाबला करने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री के० नटवर सिंह : प्रधान मंत्री उत्तर दे चुके हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं अधिक जानकारी चाहता हूं।

श्री अजय मुशरान : क्या सरकार को पाकिस्तान की अवाक्स विमानों को चुपके से प्राप्त करने की क्षमता की जानकारी है जैसा कि इसने परमाणु बम के निर्माण के लिए इस्पात चुपके से प्राप्त किया था ?

श्री के० नटवर सिंह : पाकिस्तान के राजदूत के रूप में कार्य करने के नाते मुझे उनकी क्षमताओं की पूर्ण जानकारी है।

गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेता के साथ बातचीत

*86. **प्रो० के० बी० थामस**
श्री ओ० एस० बसवराजू } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ हाल ही में दिल्ली में हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ख) बातचीत के दौरान उठाये गये विभिन्न मामलों पर सरकार का क्या रुख है; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भी इस संबंध में बातचीत की गई है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने आन्दोलन का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेताओं से बातचीत शुरू की है। बातचीत जारी है। सरकार अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि पश्चिमी बंगाल राज्य का विभाजन नहीं होगा। उनकी मांगों का हल खोजने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान।

प्रो० के० बी० थामस : श्री घीसिंग ने वर्ष 1980 में इस आन्दोलन को आरम्भ किया था। उस समय उन्हें अधिक समर्थन नहीं मिला था 1982 यह बात बिलकुल स्पष्ट हो गई थी जब उन्होंने चुनावों

का बहिष्कार करने के लिए कहा था और लोगों ने उन्हें कोई समर्थन नहीं दिया था। परन्तु बाद में उन्हें यह मिला। राजनैतिक कारणों के अलावा इसका एक कारण यह भी है कि दार्जिलिंग आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। गोरखा लोगों में यह भावना है कि वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं। उन्हें रोजगार के समान अवसर प्राप्त नहीं है। उन्हें शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है सरकार से मेरा प्रश्न यह है कि गोरखा लोगों में इस भावना को समाप्त करने के लिए और दार्जिलिंग क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सरदार बूटा सिंह : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह तुरन्त उत्तर देने के लिए दबाव न डालें क्योंकि इन मुद्दों पर हम पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार को दार्जिलिंग क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में पहल करनी होगी। हम उनके साथ पूर्ण सहयोग से कार्य कर रहे हैं और चर्चा किए जा रहे मुद्दों को बताना बहुत जल्दी होगा।

प्रो० के० वी० थामस : भारतीय साम्यवादी दल ने वर्ष 1947 में गोरखा लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। परन्तु जब गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे ने अपना आन्दोलन आरम्भ किया और कहा कि यह जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी है। क्या राज्य सरकार ने अपना रवैया बदला है और क्या इस मसले को निपटाने में सहायता कर रही है।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं फिर भी यही कहूंगा कि हमें 1947 से पहले के मुद्दों को फिर से ताजा नहीं करना चाहिए। बहुत सी बातें इतिहास की वास्तविकताएं हैं। परन्तु इस समय मैं इस सम्मानित सदन को यह बता रहा हूं कि हम पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री 21 तारीख को यहां आए थे। हमने कुछ बातों पर उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा की। कुछ बातों पर अभी विस्तार से चर्चा करनी है। मैं माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित बातों पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मैं इसे छोड़ देता हूं और कहता हूं कि हम पहले··· (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वे तथ्य नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने इन बातों का उल्लेख किया है। हमें वास्तव में उन बातों को पुन: नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये समस्या का समाधान ढूंढने में सहायक नहीं होंगी।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह एक तथ्य नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा है कि 1980 से दार्जिलिंग क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने यही कहा है। दार्जिलिंग के लिए प्रतिव्यक्ति धन का आबंटन अधिक हैं ··(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य महोदय, आप प्रश्न पूछिए आप उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, उनका पहला प्रश्न साम्यवादी दल से था। उन्हें उत्तर देना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : भारतीय साम्यवादी दल ने गोरखा लोगों के लिए एक भिन्न राज्य की मांग के लिए कभी भी कोई संकल्प स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कभी ऐसी मांग नहीं की बल्कि हम अब भी दार्जिलिंग जिले के उचित विकास के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हमने मांग की थी और अब भी मांग कर रहे हैं ··(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : भारत सरकार ने गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे से एक ज्ञापन प्राप्त किया है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि उस ज्ञापन पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? श्री घीसिंग द्वारा प्रस्तुत किये गए ज्ञापन पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया भी उन्हें प्राप्त हो चुकी है। और यह समाचार-पत्रों में भी छप चुकी है कि दार्जिलिंग जिले, पहाड़ी क्षेत्रों की स्वायत्तता की बात पर विचार

किया जा रहा है। ··(व्यवधान) क्या मैं यह जान सकता हूं कि उस ज्ञापन में क्या है और इस बारे में भारत सरकार और पश्चिमी बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हां, वह एक सदस्य की हैसियत से यह जानना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, प्रधान मंत्री के 42 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से पहले प्रधान मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के मध्य लगभग एक घण्टे तक चर्चा हुई थी। अतः मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रधान मंत्री और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के मध्य जो बातचीत हुई उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है तो मैं इस बारे में कह चुका हूं कि हम पश्चिमी बंगाल सरकार के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। जहां तक गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेता द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन का सम्बन्ध है, उसे प्रकाशित किया जा चुका है ? प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है। यहां उपस्थित माननीय सदस्य जानते हैं। प्रधान मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से स्पष्ट रूप से यह कहा था कि गोरखालैंड के मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती, पश्चिम बंगाल का विभाजन नहीं किया जा सकता, हिंसा को त्यागना होगा और दार्जिलिंग क्षेत्र की समस्याओं का समाधान बातचीत द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पहल करके किया जा सकता है।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रेस को स्पष्ट रूप से यह वक्तव्य दिया है कि यदि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल किया जाए और एक स्वायत्तता प्राप्त जिले का निर्माण किया जाए जिसमें दार्जिलिंग भी शामिल है तो समस्या का हल किया जा सकता है। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि भाषा समस्या के बारे में और स्वायत्तता प्राप्त जिले के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है जैसाकि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है।···

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : स्वायत्तता प्राप्त जिला नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता।

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने नेपाली भाषा से सम्बन्धित एक मुद्दे का उल्लेख किया है। जैसाकि मैंने कहा है ये सभी मसले हमारे सामने हैं और हम पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत कर रहे है। मुख्य मंत्री हमारे साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

मैं क्षेत्रीय स्वायत्तता के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारे लिए यह क्षेत्रीय स्वायत्तता पृथकतावाद की ओर एक पहला कदम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए क्षेत्रीय स्वायत्तता के प्रश्न पर भी चर्चा नहीं की जा सकती। भारत के संविधान के ढांचे के अन्तर्गत हम दार्जिलिंग क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं।

श्री अमर राय प्रधान : 22 जुलाई को गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के नेताओं और प्रधान मंत्री के बीच बातचीत हुई थी। वहां से वापस आने के बाद श्री सुभाष घीसिंग ने 25 जुलाई को एक वक्तव्य दिया था कि बातचीत चाहे कुछ भी रही हो भारत सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य के पक्ष में है। क्या यह एक सही है अथवा नही ? इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सरदार बूटा सिंह : मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री प्रेस की बातों में नहीं अपितु यहां कही जा रही बातों में विश्वास करें।

दिल्ली में आतंकवाद की घटनाएं

*87. श्री कमला प्रसाद सिंह† } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह }

(क) पिछले दो महीनों के दौरान दिल्ली में हिंसा और आतंकवाद की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) विभिन्न घटनाओं में कितने लोग मारे गये और कितने लोग घायल हुए;

(ग) इन मामलों के जांच कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और क्या कोई गिरफ्तारी की गई है;

(घ) इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या भारत सरकार को इन घटनाओं के बारे में सामान्य रूप से या किसी घटना विशेष के बारे में पूर्व चेतावनी मिली थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चेतावनी पर क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पिछले दो महीनों में उग्रवादियों द्वारा हिंसा की दो घटनाएं की गई हैं। एक घटना में आतंकवादियों ने 13 जून, 1987 को ग्रेटर कैलाश और दक्षिणी दिल्ली के अन्य स्थानों में अंधाधुंध गोलियां चलाई। 14 व्यक्ति मारे गए और अन्य 18 व्यक्तियों को चोटें आई। इसमें अन्तर्ग्रस्त अपराधियों का पता लगा लिया गया है और उनमें से एक को पंजाब पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 जुलाई, 1987 को प्रात: दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में हुई दूसरी घटना में आतंकवादियों के दो दलों ने दो व्यक्तियों को गोली मारी जिनकी बाद में जख्मों के कारण मृत्यु हो गई। एक अपराधी का पता लगा लिया गया है।

2. कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग से 12 जून, 1987 को विदेश मंत्रालय, दिल्ली में एक गुप्त संदेश प्राप्त हुआ। संदेश में कोई विशिष्ट सूचना नहीं थी लेकिन इसमें इस आशय की सामान्य सूचना थी कि कनाडा के एक गुरुद्वारे में कुछ अफवाहें सुनी गई हैं कि सिख उग्रवादी चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान अनेक बमों का विस्फोट करके हरियाणा और दिल्ली में गड़बड़ उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे।

3. हालांकि, इसकी पहले ही संभावना थी कि उग्रवादी दिल्ली में गड़बड़ी कर सकते हैं इसलिए जून, 1987 के आरम्भ से ही सतर्कता बरती जा रही थी।

4. आतंकवाद को रोकने के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहनों की संख्या बढ़ाकर चौबीस घंटों के लिए 165 कर दी गई है। सामरिक महत्व के स्थानों पर स्वचालित हथियारों और वायरलैस सैटों से सज्जित 100 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। कड़ी सतर्कता बरती जा रही है।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता

हूं कि क्या यह सही है कि कनाडा स्थित भारतीय [उच्चायोग से 12 जून, 1987 को पहले ही दुर्घटना होने की सूचना मिल गई थी ? यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन ने इस दुर्घटना को रोकने की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? आखिर इसका क्या कारण है ?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : 12 जून, 1987 को दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कनाडा में भारतीय उच्चायोग से एक कोड में दिया गया सन्देश प्राप्त किया था। उस सन्देश में कोई विशेष सूचना नहीं दी गई थी परन्तु केवल यह उल्लेख किया गया था कि कनाडा के एक गुरुद्वारे में कुछ अफवाहें सुनी गई हैं कि कुछ उग्रवादी बम विस्फोट द्वारा हरियाणा और दिल्ली में गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे। जून, 1987 से ही दिल्ली में सतर्कता बरती जा रही थी क्योंकि यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि हरियाणा चुनावों के समय उग्रवादी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में गड़बड़ी कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह : मान्यवर यह बताया गया है कि वाहनों की संख्या और वायरलैस सैटों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। क्या गाड़ियों की संख्या और वायरलैस सैटों को बढ़ा देने से दिन प्रति-दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है ? अभी कल ही कालकाजी में ऐसी दुर्घटना हुई है। मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन सब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : केवल वायरलैस सैटों की संख्या को बढ़ाने से आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। वायरलैस सैटों की संख्या इसलिए बढ़ाई जा रही है, ताकि पुलिस बल के लोग एक दूसरे से सम्पर्क बनाए रखें और अति शीघ्र घटना स्थल पर पहुंच सकें। हमने गश्त गाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी है। हमने आरक्षी टुकड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी है। इसका उद्देश्य यह है कि एक बार घटना अथवा अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस शीघ्र सक्रिय हो सके, सड़कों पर घेरा डाल सके और आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर सके। उदाहरणतया ग्रेटर कैलाश में हुई पहली घटना में पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई थी और उस स्थान पर भी पहुंच गई थी जहां एक कार को छोड़ दिया गया था। इसी के कारण पुलिस एक आतंकवादी को पहचान पाई और उसे गिरफ्तार भी कर पाई। दूसरे आतंकवादी की भी पहचान हो गई है और हम उसे भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। वायरलैस सैटों की संख्या बढ़ाने का विचार भी पुलिस को और अधिक सक्रिय बनाने, एक दूसरे के साथ और अधिक कारगर ढंग से सम्पर्क बनाये रखने तथा और अधिक प्रभावशाली बनाये रखने की प्रणाली का ही एक अंग है। वास्तव में, स्वयं में इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता है।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कल के हत्याकांड में जो अपराधी शामिल थे, उनमें से एक अपराधी का पता चल गया था। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या अभी तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ? समाचार पत्रों में यह भी समाचार प्रकाशित हुआ था कि रेल के डिब्बे में एक सूटकेस पाया गया था जिसमें एक टाइम-बम था। क्या उस घटना और कालका जी की घटना का आपस में कोई संबंध है अथवा नहीं ?

श्री पी० चिदम्बरम : मेरे पहले उत्तर का संबंध कुछ समय पूर्व ग्रेटर कैलाश में हुई घटना से था किंतु मेरे विचार से माननीय सदस्य कल हुई घटना के बारे में जानना चाहते हैं। कल की घटना में, हम

अपराध करने वाले एक व्यक्ति की पहचान कर पाये हैं। एक और व्यक्ति संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हमें उससे पूछताछ करनी है यह सुनिश्चित करना है कि जिस व्यक्ति की पहचान हो गई है और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, उनमें आपस में कोई संबंध है, अथवा नहीं। अभी तक मुझे यह पता नहीं चल पाया है कि किसी अन्य स्थान पर बेकार किये गये बम का किसी प्रकार का कोई संबंध, कल आतंकवादियों द्वारा किये गये हमले से है अथवा नहीं। किन्तु इस समय यह निर्णय देना उचित नहीं होगा कि इसका उससे कोई संबंध है अथवा नहीं। हमें पूछ-ताछ करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, आतंकवाद और हिंसा की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वास्तव में आपने चलते-फिरते नियंत्रण वाहनों की संख्या बढ़ा दी है किन्तु पुलिस की क्या कार्यकुशलता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कार्यकुशलता में कोई सुधार हुआ है अथवा नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : जहां तक श्री ललित माकन के कथित हत्यारों अथवा संदिग्ध हत्यारों का संबंध है, सभा को पता है कि अमरीका में उन्हें खोज निकाला गया है और उन्हें अमरीका में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी स्वदेश वापसी की कार्यवाही अमरीका के समक्ष निर्णयाधीन है और उन्हें कब वापस किया जायगा और न्यायालय में उनके विरुद्ध कब मुकदमा चलाया जाएगा···

श्री पी० कुलनदईवेलू : लगभग ढाई वर्ष पहले ही बीत चुके हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : उन्हें लगभग 2 महीने पहले ही गिरफ्तार किया गया है। मुझे सही तारीख नहीं मालूम है। वे अमरीका में पकड़े गये थे। भारतीय अधिकारियों और अमरीकी अधिकारियों के बीच सहयोग होने के कारण ही हम उन्हें गिरफ्तार कर सके हैं। स्वदेश वापसी की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है। मुझे विश्वास है कि अगस्त के महीने में इस पर मुकदमा आरम्भ हो जायगा। हमारे अधिकारी अमरीका गये हैं और अमरीकी सरकार हमारे साथ सहयोग कर रही है। स्वदेश वापसी की प्रक्रिया कोई बहुत सरल प्रक्रिया नहीं है : इसमें कुछ समय लगेगा। मुकदमे के दौरान हमें यह सिद्ध करना होगा कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है अथवा नहीं।

महोदय, जहां तक चलते-फिरते नियंत्रण वाहनों का संबंध है, हमने उनकी संख्या बढ़ा दी है। संख्या बढ़ने से ही कार्य कुशलता बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें एक पहले से कम क्षेत्र की गश्त और देखभाल करनी होती है। मेरा विचार है कि यदि अपने पुलिस बल को और बेहतर प्रशिक्षण दिया जाये और उसे, बेहतर उपस्कर दिये जायें तो वह अन्य पुलिस बलों के समान हमेशा ही और अधिक बेहतर कार्य कर सकता है। किन्तु मेरे विचार से यह कहना उचित नहीं है कि वे कुछ नहीं करते हैं। दिल्ली में बम फटने के मामले की जांच पड़ताल की गई थी और इस मामले को सुलझाया गया और हमने मुकदमा चलाया है। ग्रेटर कैलाश घटना में 14 दिन के अन्दर ही उनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक और व्यक्ति का पता लगा लिया गया है और तलाश जारी है। जहां तक कल की हत्या का संबंध है, एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जा चुका है और 24 घंटे के अन्दर दूसरे व्यक्ति की पहचान कर ली गई है। तथापि, महोदय, मैं यह नहीं कहूंगा कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा यही विनम्र निवेदन है कि हमें यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिये कि सब कुछ बुरा है और कोई भी व्यक्ति अपना दायित्व नहीं निभा रहा है। मेरे विचार से हम किसी भी और बल के मुकाबले और बेहतर प्रशिक्षण और उपस्कर प्रदान कर सके हैं और हम निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : उपाध्यक्ष जी, हम लोग इस बात से अवगत हैं कि सरकार पूरी तरह से प्रयास

कर रही है, लेकिन टैररिज्म पर कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है। इस समय पंजाब के बाहर जो घटनायें हो रही हैं, उसको देखते हुए अगल-बगल के जो राज्य हैं, क्या वहां पर इस प्रकार की सावधानी पहले से ले लिए जाने का सरकार का कोई इरादा है, जिससे टैररिज्म वहां जाने के पहले ही भीतर कन्टेन हो जाए ? यदि इस तरह का कोई स्टेप है और पब्लिक इन्टरैस्ट में आप यहां नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जनता यह विश्वास जरूर चाहती है कि बगल के जो प्रदेश हैं—उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-काश्मीर—इन प्रदेशों के भीतर आने वाले और जाने वाले लोगों पर आप निगाह रखेंगे। इस तरह का इक्वीपमेंट बसों में या गाड़ियों में ले जाने की बात होगी, तो बीच में गुजरने से यह मालूम हो जाए कि इनके पास किसी प्रकार का भयानक अस्त्र है या नहीं—यह आश्वासन हम चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, इस प्रश्न को उठाने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। महोदय, मैं आपसे तथा इस सभा से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस बात पर विचार किया जाय कि अब ये दुर्घटनायें पंजाब से बाहर क्यों हो रही हैं ? इसका कारण है कि आतंकवादियों पर पंजाब प्रशासन और पंजाब पुलिस का भारी दबाव डाला जाना। और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने और आतंकवादियों ग्रुपों के ऊपर अधिक दबाव डाले जाने के बाद, हमें यह अनुमान था कि इसका प्रभाव अन्य राज्यों पर पड़ेगा। लगभग तीन सप्ताह पूर्व ही हमने पड़ोसी राज्यों के मुख्य-सचिवों, पुलिस के महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की एक बैठक बुलायी थी और उनके (आसूचना) राज्यों के सामने आने वाले खतरों पर विस्तार से चर्चा की थी और हमने बहुत ही विस्तृत योजनायें तैयार की हैं, जिनमें से कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई हैं। महोदय, आपने निश्चय ही ध्यान दिया होगा कि कुछ राज्यों ने विशेष आतंकवादी कक्ष स्थापित किये हैं। हमने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसके द्वारा सीमाओं पर चौकसी रखी जाएगी, सीमा से लगे गांवों में, जहां अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जायेगा, जनता को भी उत्तरदायी बनाया जाएगा। किंतु मैं यह बात कहना चाहूंगा कि पंजाब में जैसे-जैसे दबाव बढ़ता जायगा, पंजाब के आस पास के राज्यों को और अधिक खतरों का सामना करना पड़ेगा और इन राज्यों के पुलिस प्रशासन को और अधिक सतर्कता बरतनी होगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि किन्तु यह सच है कि दिल्ली को गंभीर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां के पुलिस बल पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। वे स्थिति का मुकाबला कर रहे हैं, किंतु जैसा कि मैं पहले भी अति विनम्रतापूर्वक कह चुका हूं, यहां कमियां तो हैं ही। हमें कमियों के बारे में पता है। महोदय, हम वायदा करते हैं कि हम भरसक प्रयत्न करेंगे और हम अपना कार्य कर रहे हैं तथा हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं 13 जुलाई को की गई आतंकवादियों की कार्यवाही के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे पहले वह कुछ स्पष्टीकरण दे चुके हैं किन्तु मैं और अधिक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसा कि दिल्ली में समाचारपत्रों के एक स्तम्भ में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि 13 जुलाई की घटना से पहले, अर्थात् आतंकवादियों द्वारा अत्याचार और हिंसा किये जाने से पहले, एक सिख महाशय ने यह महसूस करने पर कि भारत और दिल्ली में हिंसा करने का कोई षडयन्त्र ओटावा में रचा जा रहा है, उसने पास के टेलीफोन से ओटावा स्थित दूतावास को टेलीफोन किया और उन्हें इस बात की सूचना दी कि क्या योजना बनाई जा रही है। उसने इसका उल्लेख किया। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सम्पर्क न होने के कारण मंत्रालय को सूचना वास्तव में उस समय मिल पाई जब 13 जुलाई को हत्याएं की जा चुकी थीं और यदि यह सच है तो सम्पर्क न होने के लिए कौन उत्तरदायी है। क्या आपने ओटावा स्थित दूतावास से इस बात का पता लगाया है कि

उन्होंने वास्तव में किस समय संदेश भेजा था और आपको वह संदेश वास्तव में किस समय मिला था ? क्या आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि सम्पर्क न होने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, सूचना स्त्रोत के बारे में स्पष्ट करने के लिए मैं आधा मिनट लेना चाहता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है, हम शून्य काल बाद में आरम्भ करेंगे ।

श्री पी० चिदम्बरम : जी नहीं, मैं स्पष्ट करूंगा । हमें बहुत सारी सूचना प्राप्त होती हैं । बहुत सारे संदेश प्राप्त होते हैं, अनेक सूचनाएं मिलती हैं । वास्तव में यह गुप्तचर एजेन्सियों का काम है कि वे सरकार को सूचना की गुणवत्ता के बारे में तथा किस प्रकार के कदम उठाने हैं, इसके बारे में सलाह दें । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि भारतीय उच्चायुक्त से 12 जून को विदेश मंत्रालय में एक 'कोड' संदेश प्राप्त हुआ था । मैंने अधिकांशत: केवल से उद्धृत ही किया था । इसमें यह कहा गया था कि कनाडा में गुरुद्वारा में कुछ अफवाहें सुनने में आई थीं कि कुछ उग्रवादी अनेक बम विस्फोट करके कुछ गड़बड़ी करने की चेष्टा करेंगे । यह एक ऐसी सामान्य सूचना है जिससे सिवाय इसके कि पुलिस सचेत हो जाए, पुलिस को विशेष कार्यवाही करने में कोई सहायता नहीं मिलती है । वास्तव में जून के आरम्भ में ही हरियाणा और दिल्ली को सतर्क कर दिया गया था ।

प्रो० मधु दण्डवते : दूतावास के पत्र में यह नहीं है ।

श्री पी० चिदम्बरम : श्री दण्डवते, मेरे इस कथन पर विश्वास कीजिए, कि दूतावास हमारे उच्चायुक्त को यही सूचित किया गया और केबल द्वारा यही संदेश हमारे विदेश मंत्रालय को भेजा गया था । मैं इसमें कोई जोड़-तोड़ नहीं कर रहा हूं ।

श्री दिनेश गोस्वामी : घटनाओं के घटित होने तक वे गृह मंत्रालय तक क्यों नहीं पहुंच पाईं ।

श्री पी० चिदम्बरम : यह 'कोड' संदेश 12 जून को एम०ई०ए० को प्राप्त हुआ था । दिल्ली और हरियाणा को पहले से ही सतर्क कर दिया गया था । यह सच है कि गृह मंत्रालय को केवल 15 को ही केवल प्राप्त हुआ था । अब हमने एम०ई०ए० से यह पूछा है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि वहां क्या प्रक्रियाएं हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

दिल्ली में अपराध की घटनायें

*81. **श्री सरफराज अहमद :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले एक वर्ष के दौरान लूट, डकैती और हत्या की कितनी घटनाएं हुई तथा इसके परिणामस्वरूप जान-माल का कितना नुकसान हुआ;

(ख) इन घटनाओं के सम्बन्ध में कितने लोग गिरफ्तार किये गये;

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिनकी जांच की गई और उन्हें निराधार पाया गया और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली में 1986 और 15 जुलाई, 1987 तक लूट, डकैती और हत्या की घटनाओं की संख्या, इन घटनाओं के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, जान और माल की हानि नीचे दी गई है :

वर्ष	सूचित किए गए मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जन हानि	माल-हानि (लगभग) रुपए
		डकैती		
1986	21	75	1	41 लाख
1987 (15-7-1987 तक)	13	37	शून्य	4 लाख
		हत्या		
1986	278	467	304	15 लाख
1987 (15-7-1987 तक)	159	167	176	3 लाख
		लूट-पाट		
1986	348	453	शून्य	20 लाख
1987 (15-7-1987 तक)	191	226	शून्य	25 लाख

2. अपराध और आतंकवाद के खतरे को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों, वाहनों की संख्या बढ़ाने, संचार पद्धति में सुधार, आसूचना तंत्र को तेज करने जैसे कदम उठाए गए हैं। होटलों और अतिथि गृहों की कड़ी जांच की जाती है। अपराधियों के छिपने के स्थानों पर बार-बार छापे मारे जाते हैं, ज्ञात अपराधियों के विरुद्ध निष्कासन कार्रवाई भी की जाती है। डकैतों, स्वापक तस्करों के अनेक गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया है और अनेक कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं।

3. 1 जनवरी, 1986 से 15 जुलाई, 1987 तक की अवधि के दौरान 20 मामलों में दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टें झूठी अथवा साक्ष्यविहीन पाई गई और इसलिए रद्द कर दी गई। झूठी शिकायतें दर्ज कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 के तहत कारंवाई की जाती है।

[अनुवाद]

जनगणना आंकड़ों का मातृभाषावार प्रकाशन

*83. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में की गई जनगणना के अनुसार विभिन्न मातृभाषा बोलने वालों के सम्बन्ध में आंकड़ों के प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) इन आंकड़ों के कब तक उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के बारे में कोई ध्यान दिया गया है अथवा दिया जाएगा कि विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों द्वारा रिकार्ड की गई मातृभाषा को अधिकारियों की इच्छानुसार बड़े समूहों में सम्मिलित अथवा वर्गीकृत न किया जाये बल्कि वास्तव में जैसा लिखा गया है, वैसा ही प्रस्तुत किया जाए ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) परिवार में मुख्यत: बोली जाने वाली भाषा के सम्बन्ध में 1981 की जनगणना के भाषा सम्बन्धी आंकड़े इस समय प्रकाशन के लिए मुद्रणाधीन हैं तथा इस बीच ये पांडुलिपि के रूप में परामर्श के लिए उपलब्ध हैं। कार्य की बृहद मात्रा को देखते हुए कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ग) 1981 की जनगणना आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए भी वही सिद्धान्त अपनाये गये हैं जो कि 1971 की जनगणना के भाषा सम्बन्धी आंकड़ों के लिए अपनाए गए थे।

बंगलादेश से आये शरणार्थियों का वापस भेजा जाना

*88. श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात को दोहराया है कि बंगलादेश उन सभी 50,000 आदिवासी शरणार्थियों को वापस ले, जो अप्रैल, 1987 से त्रिपुरा में शरण लिये हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर बंगलादेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पिछले चार महीनों के दौरान इस सम्बन्ध में की गई बातचीत का ब्योरा क्या है और शेष शरणार्थियों को कब तक बंगलादेश में भेज दिया जाएगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। अप्रैल, 1986 में जब से कबायली शरणार्थियों के यहां आने का सिलसिला शुरू हुआ था तभी से सरकार इनकी शीघ्र वापसी के सिलसिले में बंगलादेश की सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

बंगलादेश की सरकार ने अपने राष्ट्रिकों को वापस लेने का वचन दे रखा है। लेकिन ये शरणार्थी भारत से जाने को तैयार नहीं हैं क्योंकि वे इस ओर से आश्वस्त नहीं कि अपने देश लौटकर वे सुरक्षित और हिफाजत से रह सकेंगे। इसकी वजह से इन शरणार्थियों की वापसी का कोई समय मुकर्रर कर पाना संभव नहीं हो सका है।

अन्तर्राज्यीय परिषद

*89. श्री बसुदेव आचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संविधान के अनुच्छेद 263 में किए गए प्रावधान के अनुसार अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ताकि न केवल केन्द्र और राज्यों के बीच बल्कि सभी राज्यों के बीच भी सभी महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में परस्पर विचार किये जाने के लिए एक मंच प्रदान

किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस मामले पर सरकारिया आयोग विचार कर रहा है।

हथकरघा क्षेत्र को आरक्षण से लाभ

*90. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई मूल्यांकन किया है कि हथकरघा क्षेत्र के लिए कुछ मदों के आरक्षण हेतु कानून लागू किए जाने के पश्चात् हथकरघा क्षेत्र को कितना लाभ हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा मूल्यांकन करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) चूंकि आरक्षण अधिसूचना 4 नवम्बर, 1986 को ही प्रचालन में आई, इसलिए अभी इन आदेशों के परिणामस्वरूप हथकरघा क्षेत्र को प्राप्त होने वाले लाभों को कूतना बहुत जल्दी होगा।

बड़ी संख्या में शक्तिचालित करघा संगठनों तथा मिलों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में आरक्षण आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाएं दायर की हैं तथा केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय को ये मामले अपने यहां अन्तरित कराने के लिए लिखा है ताकि इन मामलों को एक स्थान पर तथा शीघ्रता से निपटाया जा सके। न्यायालय में इन मामलों के निपटाये जाने तथा आरक्षण आदेशों को पूरी तौर से लागू किये जाने के बाद ही हथकरघा उद्योग पर उनके प्रभाव को वास्तविक तौर पर आंका जा सकता है।

[हिन्दी]

भारत पाकिस्तान सीमा पर घटनाएं

*91. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी
श्री एच० एम० नन्जे गौडा
: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के बीच सीमा पर सीमा के अतिक्रमण तथा गोलाबारी की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) इस प्रकार की घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं और इनके परिणामस्वरूप कितने भारतीय सैनिक और नागरिक मारे गए;

(ग) क्या भारत सरकार ने इन घटनाओं के संबंध में पाकिस्तान सरकार को विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) पिछले छः महीनों में पाकिस्तानी मिलिटरी कार्मिकों द्वारा जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण करने का एक मामला और गलती से सीमा पार करने के तीन मामले हुए हैं।

इसी अवधि में नियंत्रण रेखा के दोनों ओर से भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोली चलाने की भी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप दोनों ओर कुछ हताहत हुए हैं। ये घटनाएं पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अकारण गोलाबारी की वजह से हुई हैं। इस सम्बन्ध में ब्यौरे देना वांछनीय नहीं होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय पुलिस सेवा के लिए पृथक परीक्षा

*92. श्री सलीम आई० शेरवानी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के लिए पृथक परीक्षा आयोजित करने के बारे में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारतीय पुलिस सेवा में सीधी भर्ती के लिए पृथक परीक्षा आयोजित करने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रुई का निर्यात

*93. डा० दत्ता सामंत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जून, 1987 के अन्तिम सप्ताह से रुई का निर्यात बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1986-87 में और इस वर्ष अब तक कितनी रुई का निर्यात किया गया?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) रुई संबंधी दीर्घकालिक निर्यात नीति के अन्तर्गत तीन वर्ष की अवधि के लिए लम्बे और अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई की 5 लाख गांठें तथा बंगाल देशी और दिग्विजय प्रत्येक किस्म की 50,000 गांठें प्रतिवर्ष नियमित आधार पर निर्यात की जाएंगी। सितम्बर, 1986 से शुरू होने वाले चालू रुई वर्ष के दौरान 1986-87 में रिलीज किए गए कोटे के आधार पर निर्यात निम्नोक्त अनुसार है :—

किस्म	रिलीज	पंजीकरण	लदान
(1) लम्बे और अत्यधिक लम्बे रेशे वाली रुई	4,57,357	3,91,664	2,95,898
(2) बंगाल देशी	50,000	46,052	37,203

निर्यात के लिए रुई की आगे रिलीजें अस्थायी रूप से बन्द कर दी गई हैं और ये घरेलू उपलब्धता, खपत और कीमत पर निर्भर होंगी।

ऊनी कालीन उद्योग

*94. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक आयात शुल्क, ऊन उत्पादन में कमी और भारी मात्रा में भेड़ का मांस निर्यात किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश तथा अन्य स्थानों पर ऊनी कालीन उद्योग संकट ग्रस्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटसन उत्पादों का निर्यात

*95. श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश के साथ मिलकर पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने और पटसन उत्पादों के अन्तिम उपयोग में विविधता लाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पटसन उत्पादों के निर्यात में किस सीमा तक वृद्धि होगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति

*96. श्री राम प्यारे पनिका
श्री कृष्ण सिंह } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होने के समय से अब तक आतंकवादियों द्वारा राज्य में कितने लोगों की हत्या की गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य में कितने आतंकवादी मारे गए/गिरफ्तार किए गए और उनसे कितनी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया है;

(ग) इस अवधि के दौरान आतंकवादियों द्वारा कितने सुरक्षा कर्मी मारे गए/गम्भीर रूप से घायल किये गये; और

(घ) राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) 12 मई, 1987 से 25 जुलाई, 1987 तक की अवधि के दौरान पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के कारण 22 पुलिस कर्मियों सहित 233 व्यक्ति मारे गए। पुलिस द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कारंवाई के दौरान उक्त अवधि में राज्य में 107 आतंकवादी मारे गए, 951 गिरफ्तार किए गए तथा 447 हथियार, 15 हथगोले/बम और 3181 कारतूस बरामद किए गए। उपलब्ध सूचना के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 14 सुरक्षा कर्मचारी घायल हुए।

(ख) पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में आतंकवादियों के छिपने के स्थानों, उनके आश्रयदाताओं और सहयोगियों पर छापे मारना, अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती, पुलिस गश्त को तेज करना और सीमा पर सुरक्षा प्रबन्ध सुदृढ़ करना शामिल हैं।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) निधि

*97. श्री वी० भूपति : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) निधि में कौन-कौन से देशों ने अंशदान किया है और प्रत्येक देश ने कितनी धनराशि का अंशदान किया है;

(ख) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के सदस्य देशों को इसके कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए पर्याप्त अंशदान देने हेतु राजी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) इस निधि में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के कौन-कौन से मुख्य कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) यदि सार्क कोष नाम का कोई कोष नहीं है, फिर भी सार्क के कार्यक्रमों के संचालन के लिए अंशदान करने के वचनों के संबंध में वर्तमान स्थिति नीचे दिये अनुसार है :—

बंगलादेश	बंगलादेश टका 75 लाख (1987-88)	(=लगभग 33.60 लाख भारतीय रुपया)
भूटान	भूटानी नू 20 लाख (1987-88)	(20 लाख भारतीय रुपया)
भारत	1 करोड़ 50 लाख भारतीय रुपया (1987-88)	
मालदीव	मालदीव रुपया 252,000 (1987)	(=लगभग 420,000 भारतीय रुपया)
नेपाल	70 लाख नेपाली रुपये (1987-88)	(=लगभग 41.20 लाख भारतीय रुपये)
पाकिस्तान	1.25 करोड़ पाकिस्तानी रुपये + 500,000 रुपये स्कालरशिप (1987-88)	(=93.30 लाख भारतीय रुपये + लगभग 373,000 भारतीय रुपये)
श्रीलंका	50 लाख श्रीलंका रुपये (1987)	(=लगभग 22.20 लाख भारतीय रुपये)

(ख) सदस्य देशों ने अभी तक जो अंशदान दिया है वह सार्क की गतिविधियों को चलाने के लिए फिलहाल काफी है।

(ग) सदस्य देशों द्वारा दिए गए अंशदान का उपयोग सार्क के वार्षिक कार्यक्रमों में शामिल कार्य-क्रमों की वित्तीय सहायता करने पर और उन अन्य कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाता है जिनके सम्बन्ध में सदस्य देशों में सहमति हो जाए और जो क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए हों।

रिवाल्वरों के आयात पर प्रतिबन्ध

*98. श्री एस० जी० घोलप : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवाल्वरों के आयात पर हाल ही में प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या लाइसेंसधारी व्यक्ति इसका आयात कर सकते हैं अथवा नहीं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। विदेश स्थित भारतीय मिशनों से भारतीय पर्यटकों द्वारा आयातित सामान में आग्नेयास्त्रों की अभूतपूर्व वृद्धि, जो विद्यमान परिस्थितियों में वांछनीय नहीं है, के बारे में सूचनाएं मिलने पर लोकहित में दिनांक 13-11-1985 से रोक लगा दी गई है। रोक के अन्तर्गत लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्रों का आयात नहीं कर सकते हैं।

पंजाब समझौते पर हरियाणा का रुख

*99. श्री टी० बशीर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वह किये गये पंजाब समझौते से सहमत नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) सरकार को हरियाणा सरकार से ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें पंजाब समझौते के प्रति उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रयोग

*100. श्री कुंवर राम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सभी विभाग राष्ट्रीय कैलेंडर के बजाय अंग्रेजी कैलेण्डर प्रयोग करते हैं; और

(ख) क्या इस प्रथा को अनिश्चित काल तक जारी रखने का विचार है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान। शक संवत जिसको राष्ट्रीय कैलेण्डर के लिए अपनाया गया है, को ग्रेगरी कैलेण्डर के साथ विशेष शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है।

(ख) जब तक कोई नया कैलेण्डर सामान्यत: स्वीकार और लागू नहीं किया जाता तब तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अन्य देशों में प्रचलित ग्रेगरी कैलेण्डर का प्रयोग जारी रखना आवश्यक है ताकि भ्रांति उत्पन्न न हो।

[अनुवाद]

खन्ना आयोग की सिफारिशें और दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नियम

892. डा० ए० के० पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति डी० आर० खन्ना, जांच आयोग की सिफारिशें 29 जून, 1987 से पहले, जब अंसल भवन, दिल्ली में आग लगी थी, पूरी तरह कार्यान्वित कर दी गई थी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अधीन अपेक्षित नियम बना लिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन नियमों को कब तक बनाने तथा संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) न्यायमूर्ति डी० आर० खन्ना जांच आयोग की अधिकांश सिफारिशें 29 जून, 1987 से पूर्व कार्यान्वित की जा चुकी हैं। तथापि, अंसल भवन सहित 194 गगन चुम्बी इमारतों में अग्नि सुरक्षा उपायों में पर्याप्त कमी पाई गई हैं।

(ख) और (ग) अधिनियम के तहत बनाए गए दिल्ली अग्नि निवारण तथा अग्नि सुरक्षा नियम, 1987, 31-3-1987 को अधिसूचित किए गए हैं तथा उन्हें पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है।

दार्जिलिंग में चाय का उत्पादन

893. श्री पीयूष तिरकी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के आन्दोलन के कारण कितनी चाय के उत्पादन की हानि हुई;

(ख) प्रभावित चाय बागानों की पहले जैसी स्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) उक्त आन्दोलन के कारण अब तक कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) 20 जून, 1987 से 29 जून, 1987 तक की अवधि के दौरान जबकि दार्जिलिंग में पूरा बन्द था, चाय बागानों में कार्य के रुकने के कारण लगभग 600 टन उत्पादन की हानि होने की सूचना मिली है।

(ख) बन्द के समाप्त होने के तुरन्त बाद चाय बागानों में उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ग) अभी तक दार्जिलिंग चाय के निर्यात में कोई व्यवधान नहीं आया है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर

894. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या में वृद्धि की दर में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राज्यवार कितनी जनसंख्या दर्ज की गई; और

(घ) कौन से शीर्षस्थ पांच राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिकतम थी ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि दर में जिसका अनुमान राष्ट्रीय स्तर पर जन्म तथा मृत्यु दर के अंतर से लगाया जाता है 1983--85 के तीन वर्ष की अवधि के दौरान थोड़ी कमी आई है जिसके लिए नवीनतम अनुमान उपलब्ध हैं। गत तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक वृद्धि दर का अनुमान नीचे दिया गया है :—

1983– 21.8 प्रति हजार जन संख्या

1984—21.3 ,, ,, ,,

1935—21.0 ,, ,, ,,

(अस्थायी)

(ग) जनसंख्या के अपेक्षित आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 1983—85 के लिए राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर के आधार पर जिन पांच प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं; हरियाणा, राजस्थान, मेघालय, बिहार तथा मध्य प्रदेश।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार भारत/राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की जनसंख्या

क्र० सं०	भारत/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981 की जनगणना में जनसंख्या
1	2	3
भारत		66,52,87,849
राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	5,35,49,673
2.	बिहार	6,99,14,734
3.	गुजरात	3,40,85,799
4.	हरियाणा	1,29,22,618
5.	हिमाचल प्रदेश	42,80,818

1	2	3
6.	जम्मू और कश्मीर	59,87,389
7.	कर्नाटक	3,71,35,714
8.	केरल	2,54,53,680
9.	मध्य प्रदेश	5,21,78,844
10.	महाराष्ट्र	6,27,84,171
11.	मणिपुर	14,20,953
12.	मेघालय	13,35,819
13.	नागालैंड	7,74,930
14.	उड़ीसा	2,63,70,271
15.	पंजाब	1,67,88,915
16.	राजस्थान	3,42,61,862
17.	सिक्किम	3,16,385
18.	तमिलनाडु	4,84,08,077
19.	त्रिपुरा	20,53,058
20.	उत्तर प्रदेश	11,08,62,013
21.	पश्चिमी बंगाल	54,580,647
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,88,741
2.	अरुणाचल प्रदेश	6,31,839
3.	चंडीगढ़	4,51,610
4.	दादर नागर हवेली	1,03,676
5.	दिल्ली	62,20,406
6.	गोआ, दमन एवं दिव	10,86,730
7.	लक्षद्वीप	40,249
8.	मिजोरम	4,93,757
9.	पांडिचेरी	6,04,471

*असम शामिल नहीं है क्योंकि 1981 की जनगणना के समय वहां विक्षुब्ध स्थितियां होने के कारण जनगणना नहीं की जा सकी।

**पाकिस्तान तथा चीन के गैर-कानूनी कब्जे के अधीन वाले क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल नहीं है। वहां पर जनगणना नहीं की जा सकी।

दिल्ली में अफ्रीकी सांस्कृतिक समारोह का आयोजन

895. **श्री उत्तम राठोड़** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अफ्रीकी सांस्कृतिक समारोह आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समारोह में भाग लेने वाले अफ्रीकी देशों और प्रदर्शित किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी ऐसे समारोह आयोजित करने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी हां, 25 से 28 मई, 1987 तक।

(ख) समारोह में छह अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया था, जिनके नाम हैं :— सेनेगल, घाना, इथोपिया, मारीशस, नाइजीरिया और बुर्किना फासो। प्रदर्शित कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

1. सेनेगल के 15 सदस्यीय सीरा ब्रिदाल राष्ट्रीय बैले ने विशिष्ट धार्मिक और परम्परागत कार्यक्रम पेश किए।
2. 10 सदस्यीय घाना नृत्य दल ने अफ्रीकी उत्सवों पर आधारित कार्यक्रम पेश किया।
3. इथोपिया के 9 सदस्यों के एक सांस्कृतिक दल ने अपने परम्परागत वाद्य यंत्रों के साथ लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया।
4. मारीशस के 10 सदस्यीय मो-माम-स्वा दल ने परम्परागत सेगा, आधुनिक व्याख्या तथा अफ्रीकी संगीत प्रस्तुत किया।
5. बुर्किना फासो के 6 सदस्यीय सांस्कृतिक दल ने नृत्य एवं संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
6. सुश्री ओनेक्या ओनवेन्यू के नेतृत्व में नाइजीरिया के 4 सदस्यीय दल ने अंग्रेजी तथा ईबो भाषा में गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
7. गुजरात से आए अफ्रीकी मूल के सिद्धियों के 16 सदस्यीय दल ने भी समारोह में कार्यक्रम पेश किए।

(ग) इस तरह के समारोह देश के अन्य भागों में भी आयोजित किए गए हैं। अफ्रीका समारोह, कलकत्ता में 29 से 31 मई तक, बंगलोर मे 2 व 3 जून को तथा बम्बई में 5 से 7 जून, 1987 तक मनाया गया।

कोवालम में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सभागार का निर्माण

896. **श्री जी० एम० बनातवाला**
श्री टी० बशीर } : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोवालम तट पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक सभागार के निर्माण का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केरल में राज्य पर्यटन विभाग ने भी इस बारे में कोई विशेष प्रस्ताव किया है और यदि

हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है और इस सभागार का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय को कोवलम में भारत पर्यटन विकास निगम के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में एक सभागार का निर्माण करने के लिए केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किए गए व्यवहार्यता अध्ययन से पता चला है कि सभागार का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं होगा। अतः इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है।

दिल्ली से बाहर स्थायी व्यापार मेला केन्द्र

897. श्री मतिलाल हंसदा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में व्यापार मेलों के लिए स्थायी केन्द्रों की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये केन्द्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू तथा कश्मीर आदि जैसे कुछ राज्यों ने अपनी राजधानियों में प्रदर्शनी कम्प्लैक्स स्थापित करने में रुचि दर्शाई है। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण इन राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

'सुलभ' कपड़े के निर्माण के लिए रियायतें

898. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सुलभ' कपड़ा तैयार करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों को रियायतें देने की सरकार की कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार के पास इस समय 'सुलभ' फैब्रिक्स के उत्पादन की योजना को गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों पर लागू का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली से बाहर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित करना

899. श्री सैयद मसूदल हुसैन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मेले आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण का जनवरी-फरवरी 1988 के दौरान मद्रास में एक अन्तर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला आयोजित करने का कार्यक्रम है। फिलहाल अन्य स्थानों पर अन्तर्राष्ट्रीय मेले आयोजित करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आए हैं।

सातवीं योजना में समुद्री उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य

900. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक समुद्री उत्पादों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं; और

(ग) गहरे समुद्र से अधिक मछलियां पकड़ने के लिए कौन से कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) 1984-85 कीमतों पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 446 करोड़ रु० के समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात की व्यवस्था की गई है।

(स्रोत : सातवीं योजना 1985—90)

(ख) कल्चर्ड श्रिम्प के उत्पादन को बढ़ाकर, आई०क्यू०एफ० जैसी मूल्यवर्धित मदों के उत्पादन को प्रोत्साहित करके, प्रान हैचरियों तथा प्रान सीड बैंक स्थापित करके समुद्री निर्यात बढ़ाकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गये हैं।

(ग) गहरे समुद्र से अधिक मछली पकड़ने के लिये किये जाने वाले उपाय हैं :

(1) संयुक्त उद्यमों के लिए भारतीय पार्टियों के साथ करार करने के लिए भावी विदेशी पार्टियों को अभिज्ञात करना।

(2) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की मार्फत सीमित इक्विटी भागीदारी के रूप में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में लगी हुई कम्पनियों को सहायता।

(3) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के साथ मामले उठाकर वित्त का प्रबन्ध करने में उद्यमियों की सहायता करना।

राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु लम्बित राज्यों के विधेयक

901. श्री अमल दत्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यों की विधान सभाओं द्वारा पारित विधेयकों के राज्य-वार नाम क्या-क्या हैं;

(ख) ये विधेयक किन-किन तारीखों को प्राप्त हुए थे; और

(ग) इन विधेयकों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/विधान सभाओं द्वारा पारित तथा 28-7-87 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित विधेयकों का ब्यौरा

क्र० सं०	प्राप्ति की तारीख	विधेयक का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
		आन्ध्र प्रदेश (7)	
1.	26-8-86	आन्ध्र प्रदेश दुकानें और प्रतिष्ठान विधेयक, 1986	28-7-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
2.	17-9-86	आन्ध्र प्रदेश श्रमिक कल्याण निधि विधेयक, 1986	23-6-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
3.	12-2-87	आन्ध्र प्रदेश कृषि ऋण ग्रस्तता (राहत) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
4.	24-2-87	आन्ध्र प्रदेश वीडियो कैसेट रिकार्ड्स के माध्यम से दूरदर्शन पर फिल्मों का प्रदर्शन (विनियमन) विधेयक, 1987	28-7-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
5.	25-2-87	नगर निगम अधिनियम (आन्ध्र प्रदेश) (संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
6.	1-5-87	आन्ध्र प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4
7.	8-5-87	आन्ध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण निषेध) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
		असम (8)	
8.	16-5-84	असम सिंचाई विधेयक, 1984	10-7-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
9.	8-10-85	गुवाहाटी माहनगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1985	6-2-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
10.	26-2-87	असम वन संरक्षण बल विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
11.	26-2-87	असम ग्रामीण रोजगार और वृक्षारोपण श्रमिक कल्याण विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
12.	18-5-87	असम शहरी क्षेत्र किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
13.	9-6-87	असम अधिकतम भूमि सीमा का निर्धारण (संशोधन) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
14.	15-6-87	असम शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति (फैक्ट्रियों में रोजगार) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
15.	15-6-87	असम शहरी क्षेत्र किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4
		बिहार (4)	
16.	16-8-82	दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
17.	12-8-83	बिहार विनिर्दिष्ट आचरण निवारण विधेयक, 1983	20-10-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित
18.	16-8-83	बिहार शस्त्र पुलिस विधेयक, 1983	12-7-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
19.	20-4-87	बिहार राज्य जल और मल बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
		गुजरात (2)	
20.	5-5-84	गुजरात विश्वविद्यालय सेवा न्यायाधिकरण विधेयक, 1983	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
21.	27-7-87	बम्बई भूमि अधिग्रहण (गुजरात संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
		हरियाणा (1)	
22.	22-4-87	भारतीय बिजली (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4
		हिमाचल प्रदेश (2)	
23.	11-2-87	आवश्यक वस्तुएं हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
24.	26-5-87	हिमाचल प्रदेश कास्तकारी और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
		कर्नाटक (6)	
25.	1-9-82	कर्नाटक ठेला ढुलाई (अधिग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 1982	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
26.	10-7-84	कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
27.	20-6-86	कर्नाटक फिशिंगहार्बर टर्मिनल अथोरिटी विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
28.	9-7-86	मोटर वाहन (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1986	30-6-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
29.	28-4-87	पंजीकरण (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
30.	30-6-87	कर्नाटक उपभोग, प्रयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

1	2		4
		केरल (1)	
31.	11-10-77	केरल नैमैत्तिक, अस्थायी और बदली कामगार (मजदूरी) विधेयक, 1977	12-4-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
		मध्य प्रदेश (4)	
32.	21-5-87	मध्य प्रदेश लोक धन सहोदया (रस्सियों की वसूली) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
33.	8-7-87	मध्य प्रदेश तेन्दू पत्ता व्यापार विनियमन, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
34.	8-7-87	मध्य प्रदेश वन उपज के कारणों की पुनरीक्षा विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
35.	27-7-87	मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
		महाराष्ट्र (5)	
36.	9-5-79	बम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक,1979	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
37.	14-5-84	महाराष्ट्र कामगार न्यूनतम मकान किराया भत्ता; विधेयक, 1983	6-3-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।

1	2	3	4
38.	17-12-84	महाराष्ट्र बागवानी विकास निगम विधेयक, 1984	13-2-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
39.	30-8-85	बम्बई होम्योपैथिक तथा बायोकैमिक प्रेक्टिसनर्स (संशोधन) विधेयक, 1985	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
40.	14-7-87	प्रेजीडेंसी लघु कार्य न्यायालय (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
		मणिपुर (2)	
41.	1-6-85	मणिपुर राइफल पुलिस बल विधेयक, 1984	19-9-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
42.	2 -9-86	विधान सभा (मणिपुर) के सदस्यों के वेतन और भत्ते (दसवां संशोधन) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
		मेघालय (2)	
43.	25-7-80	मेघालय रोजगार विनियमन, विधेयक, 1980	26-6-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
44.	4-2-87	मेघालय शहर नियोजन और विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986	16-6-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
		नागालैंड (1)	
45.	14-6-87	नागालैंड कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) विधेयक,1985	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4
		उड़ीसा (1)	
46.	15-6-87	उड़ीसा अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
		राजस्थान (1)	
47.	23-4-84	जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 1984	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
		तमिलनाडु (13)	
48.	16-6-61	औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1981	9-1-86 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
49.	29-9-81	तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक तथा चेरिटेबल दान (संशोधन) विधेयक, 1981	15-4-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
50.	16-2-83	तमिलनाडु रिकगनाइजेशन आफस्टेट रजिस्टर आफ प्रैक्टिसनर्स ऑफ इंडियन मेडीसन विधेयक, 1983	9-6-83 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
51.	17-5-83	तमिलनाडु समान के प्रवेश पर कर विधेयक, 1983	23-6-83 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
52.	12-1[illegible]-83	स्टेम्प ड्यूटी की अदायगी (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1983	29-5-84 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
53.	2-8-85	तमिलनाडु शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन विधेयक, 1985	21-10-86 से राज्य सरकार के पास लम्बित।

1	2	3	4
54.	26-2-86	तमिलनाडु औषध तथा अन्य स्टोर्स (अवैध कब्जा) विधेयक, 1986	10-7-86 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
55.	29-5-86	मद्रास रेस क्लब (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) संशोधन विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
56.	29-4-87	तमिलनाडु कृषि उत्पादन विपणन विनियमन विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
57.	23-6-87	तमिलनाडु प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देना (विनियमन संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
58.	30-6-87	तमिलनाडु मोटर वाहन (कर संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
59.	30-6-87	तमिलनाडु मोटर वाहन (हड़ताल/प्रदर्शन/विरोध के दौरान यातायात में जानबूझकर बाधा डालने के लिए ड्राईविंग लाइसेंसों को रद्द करना) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
60.	30-6-87	तमिलनाडु मैडिकल यूनिवर्सिटी विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
		त्रिपुरा (2)	
61.	20-9-83	औद्योगिक विवाद (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक, 1982	14-2-85 से राज्य सरकार के पास लम्बित।

1	2	3	4
62.	9-9-85	त्रिपुरा आंख (चिकित्सा प्रयोजनों के लिए, प्रयोग का प्राधिकार) विधेयक, 1985	19-1-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
		उत्तर प्रदेश (2)	
63.	4-11-86	भूमि अधिग्रहण (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधता) विधेयक, 1986	3-2-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
64.	10-7-87	इन्टरमिडियेट एजुकेशन (संशोधन) विधेयक, 1987	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
		पश्चिम बंगाल (10)	
65.	24-12-81	पश्चिम बंगाल मजदूर, टिडल, लोडर, गोडाउनमेंन तथा अन्य कामगार (रोजगार का नियमन तथा कल्याण) विधेयक, 1981	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
66.	22-11-83	मजदूर संघ (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1983	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।
67.	2-4-84	पश्चिम बंगाल दुकान तथा प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1984	5-6-87 से राज्य सरकार के पास लम्बित।
68.	21-5-84	कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

1	2	3	4
69.	22-7-86	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल द्वितीय संशोधन) विधेयक	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।
70.	22-7-86	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके जांच की जा रही है।
71.	4-11-86	भूमि अधिग्रहण (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1986	राज्य सरकार के पास 6-2-87 से लंबित।
72.	13-11-86	लिमिटेशन (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1986	राज्य सरकार के पास 29-12-86 से लंबित।
73.	13-11-86	दी आलोक उद्योग वनस्पति और प्लाइवुड लि० (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।
74.	30-12-86	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1986	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

"दक्षेस" सम्मेलन की उपलब्धियां

902. डा० बी० एल० शैलेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की मंत्री परिषद की तीसरी बैठक जून, 1987 में नई दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी उपलब्धियां क्या हैं और "दक्षेस देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए भारत के प्रधान मंत्री द्वारा किये गये आह्वान के क्या परिणाम निकले; और

(ग) द्विपक्षीय आधार पर प्रबन्ध करके नशीली औषधों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए "दक्षेस" द्वारा क्या कदम उठाने के सुझाव दिये गये और इस संबंध में नशीली औषधों के इस खतरे से निपटने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस बैठक मे कई निर्णय लिये गये जिनसे क्षेत्रीय सहयोग विस्तृत और सुदृढ़ करने पर प्रभाव पड़ेगा। ये निर्णय सामान्यतः प्रधान मंत्री के उन सुझावों के अनुरूप ही है जो उन्होंने अपने उद्‌घाटन भाषण में दिये थे।

(ग) औषधि के अवैध व्यापार और औषधि के दुरुपयोग की रोकथाम संबंधी "सार्क" तकनीकी समिति ने यह सिफारिश की है कि संदेहास्पद व्यक्तियों और अवैध व्यापारियों के बारे में प्रचालन आसूचना तथा विस्तृत सूचना का आदान-प्रदान किया जाए, संचार तथा दूर-संचार संपर्कों को संवर्धित किया जाए और संबद्ध एजेंसियों की जल्दी-जल्दी बैठकें आयोजित की जाएं ताकि औषधि के अवैध व्यापार को रोकने के उपाय और तरीके विकसित किये जा सकें। इन सिफारिशों के अनुरूप अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

हथकरघा फैक्टरियों को धागा सप्लाई करने वाली एजेंसियां

903. श्री अमर सिंह राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हथकरघा फैक्टरियों को किन एजेंसियों द्वारा धागा सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) धागे का मूल्य, जिस पर धागा सप्लाई किया जा रहा है निर्धारित करने के लिए क्या मान-दण्ड निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) हथकरघा उद्योग को धागे की नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) हथकरघा क्षेत्र को अपनी यार्न की सप्लाई के लिए संगठित मिल क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। इसकी सप्लाई मुख्यतः निजी व्यापारियों की मार्फत की जाती है, हालांकि कुछ सहकारी समितियों तथा राज्य हथकरघा विकास निगमों ने अपने अन्तर्गत आने वाले बुनकरों को यार्न की सप्लाई के लिए प्रबन्ध किए हैं। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम भी राज्य हथकरघा अभिकरणों को यार्न की सप्लाई के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) यार्न की कीमत निर्धारित करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ग) भारत सरकार ने सभी मिलों पर कानूनी दायित्व लगाया है कि वे अपने विपणन योग्य यार्न

का कम-से-कम 50 प्रतिशत भाग विक्रेय हैंक के रूप में पैक करें, जिसमें से 85 प्रतिशत 40 तथा उससे कम के काउंटों में हो।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नियंत्रित मूल्य के कपड़े का वितरण

904. प्रो० मधु दंडवते : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और ग्रामीणों को नियंत्रित मूल्य पर कपड़े के वितरण की योजना 1972 से महाराष्ट्र सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा संचालित की जा रही है;

(ख) क्या कार्ड धारियों को प्रत्येक तिमाही में सीमित मात्रा में धोती, साड़ी और लम्बे अर्ज का कपड़ा मिला करता था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने फरवरी, 1982 से इन पाबन्दियों को समाप्त कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे गरीब लोगों के लिए तैयार किये जाने वाले नियंत्रित मूल्य के कपड़े का दुरुपयोग किया जाने लगा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का पूर्ववर्ती पाबंदियों को फिर से लागू करने का प्रस्ताव है ताकि गरीब लोगों को नियंत्रित मूल्य का कपड़ा कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सके ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 21-1-1982 से प्रतिबंधों में ढील दी गयी।

(घ) यह नहीं कहा जा सकता कि इस ढील के कारण कंट्रोल के कपड़े को अनधिकृत रूप से दूसरे काम में लाया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद में कम्प्यूटर लगाना

906. श्री एस० पलाकोंड्रायुडु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में 1987-88 में कम्प्यूटर लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मन्त्रालय ने अपने 16 पासपोर्ट कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से कम्प्यूटर लगाने की योजना बनाई है। हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में 1987-88 में कम्प्यूटर लगा दिया जाएगा। इसके लिए आदेश पहले ही दिया जा चुका है तथा हैदराबाद में लगाई जाने वाली इस कम्प्यूटर व्यवस्था की कुल लागत 4,15,000 रुपये होगी (इसमें कर शामिल नहीं है)।

पश्चिम बंगाल में पर्यटक स्थल

907. डा० सुधीर राय : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उन पर्यटक स्थलों के नाम क्या हैं; जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में शामिल किया गया है;

(ख) क्या वर्तमान योजनावधि के दौरान इन स्थलों के विकास के लिए कुछ प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) पर्यटक अभिरुचि के ऐसे स्थानों का, जहां पर्याप्त मात्रा में आधार-संरचना उपलब्ध हो, पर्यटन विभाग विदेशों में प्रचार तथा संवर्धन करता है। पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित कुछ स्थान विदेशी पर्यटकों में लोकप्रिय हैं, यथा कलकत्ता; दार्जिलिंग कलिम्पोंग-कुर्सेयाग; दीघा; शान्तिनिकेतन; जलदापारा (वन्य जीव अभ्यारण्य) और सुन्दरबन; आदि।

विभाग के वर्ष 1986-87 के मुद्रण प्रकाशन कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल पर निम्नलिखित विशेष फोल्डरों और निर्देशिकाओं को शामिल किया गया है जिनका हमारे विदेश स्थित कार्यालयों के जरिये वितरण किया जाता है :—

1. कलकत्ता फोल्डर
2. कलकत्ता निर्देशिका
3. शान्तिनिकेतन, विष्णुपुर, दुर्गापुर फोल्डर
4. शान्तिनिकेतन, विष्णुपुर, दुर्गापुर निर्देशिका

सातवीं योजनावधि में केन्द्रीय सरकार ने दीघा में एक पर्यटक लॉज और 5 कुटीरों का निर्माण करने के लिए 40.17 लाख रुपये मंजूर किये हैं। 40.17 लाख रुपये में से 20.00 लाख रुपये पश्चिम बंगाल सरकार को रिलीज किए जा चुके हैं।

पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आय

908. श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पर्यटकों की संख्या में तथा उनसे होने वाली आय में वर्ष 1980-81 से वर्ष 1986-87 की अवधि में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान पर्यटन से होने वाली आय में हुई वृद्धि पर्यटकों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुपात में है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 से 1986-87 की अवधि के दौरान विदेशी पर्यटक आगमनों में, पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर, लगभग 35.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, इसी अवधि के दौरान पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में लगभग 52.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में उत्तरी सीमा पर सड़कों का विकास

909. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों, पुलों और पुलियों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए हाल ही में बिहार की उत्तरी सीमा का सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में किन्हीं वर्तमान सीमा सड़कों का सुधार अथवा नवीकरण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कितनी लम्बी सड़क का सुधार अथवा नवीकरण किया गया है और उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में कोई नई सीमा सड़क निर्माणाधीन/विचाराधीन है और उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और उन्हें किस तारीख तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

केरल में सहकारी कपड़ा मिलों के लिये धनराशि

910. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल में सहकारी कपड़ा मिलों को पूरा करने के लिये धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता प्रदान की जायेगी ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) केन्द्रीय सरकार सहकारी वस्त्र मिलों की स्थापना के लिए धन प्रदान नहीं करती है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

वस्तुओं की कीमतों में गिरावट का विकासशील देशों की आय पर प्रभाव

911. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों में वस्तुओं की कीमतें गिरती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी आय कम हो गई है;

(ख) क्या ऐसा विकासशील देशों की कूट योजना के परिणामस्वरूप हुआ है अथवा वस्तुओं की अधिक सप्लाई के कारण हुआ है; और

(ग) विकासशील देशों का उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए एक साथ मिलकर क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) विकासशील देशों की रुचि की प्रमुख प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों का संयुक्त सूचकांक 1980 से लगभग 5 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से गिर रहा है। ऐसा अनुमान है कि 1981 और 1986 के बीच विकासशील देशों की वस्तु निर्यात आय में परिणामिक औसत वार्षिक हानि 1980 की आय से तुलना करने पर 12 बिलियन डालर बैठी।

विकसित देशों की संरक्षणात्मक नीतियों सहित चक्रीय और संरचनात्मक दोनों प्रकार के अनेक कारण वस्तुओं की कीमतों की गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं।

बहुपक्षीय सहयोग से मुद्दों का समाधान करने की दृष्टि से विकासशील देश अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर वस्तु क्षेत्र की समस्याओं को विशेष रूप से उठाते रहे हैं। ऐसे प्रमुख कदमों में से एक कदम अंकटाड के भीतर वस्तु एकीकृत कार्यक्रम (आई० पी० सी०) शुरू करना था।

अन्य बातों के साथ-साथ आई० पी० सी० के मुख्य उद्देश्य हैं उत्पादकों को लाभकारी तथा उचित तथा उपभोक्ताओं के लिए न्यायसंगत सभी स्तरों पर वस्तु व्यापार में स्थायी परिस्थितियां हासिल करना तथा निर्यात आय में वृद्धि करके विकासशील देशों की आय को बढ़ाना तथा उसे बनाए रखना।

पश्चिम बंगाल में केशव राम काटन मिल का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव

912. श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री प्रकाश चन्द्र
श्री मानिक रेड्डी
: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल में केशव राम काटन मिल के बन्द होने की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मिल में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार श्रमिकों के हित में इसका अधिग्रहण करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) श्रमिक अशान्ति की वजह से तालाबन्दी के कारण मिल बन्द कर दी गई है।

(ग) मिल में कर्मचारियों की संख्या 8262 है।

(घ) जी नहीं। जून, 1985 की वस्त्र नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रुग्ण एककों का सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने अथवा उनका राष्ट्रीयकरण किए जाने से रुग्णता की समस्या का समाधान नहीं निकलता और सरकार सामान्यतया ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

निर्यात के लिए कपास का उत्पादन करने का प्रस्ताव

913. श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र और अमरीका में केवल निर्यात हेतु कपास का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है;

(ख) इसी व्यवस्था को भारत में कार्यान्वित करना और इसका कपास निर्यात को बढ़ाना संभव क्यों नहीं है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) विगत में भारत मिस्र तथा सूडान जैसे देशों से काफी मात्रा में लम्बे तथा अधिक लम्बे स्टेपल वाली किस्मों की रुई का आयात करता था। जोरदार प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत ने निर्यातों के लिए स्वीकार्य क्वालिटी की लम्बे तथा अधिक लम्बे स्टेपल किस्म की रुई के देशी उत्पादन में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है।

प्रधान मंत्री द्वारा अमरीकी पत्रकार को दिया गया इन्टरव्यू

914. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सुविख्यात अमरीकी पत्रकार, श्री रसेल वारेन को इन्टरव्यू दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इन्टरव्यू "पेंट हाउस" पत्रिका में प्रकाशित हुआ है;

(ग) क्या यह समस्त शर्तों के अनुसार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री ने यह साक्षात्कार श्री रसल होव को एक पुस्तक में शामिल किए जाने के लिए दिया था जो श्री होव के अनुसार वे "बीसवीं शताब्दी के राजनेता" (स्टेट्समैनशिप इन द ट्वेंटियथ सेंचुरी) पर लिख रहे थे। लेकिन इस पत्रकार ने इस साक्षात्कार का अप्राधिकृत प्रयोग किया और इसे पेंटहाउस पत्रिका में प्रकाशन के लिए दे दिया। वाशिंगटन स्थित भारत का राजदूतावास ने पेंटहाउस पत्रिका के सम्पादक और प्रकाशक तथा श्री रसल वारन होव को पत्र लिखा है जिसमें यह बताया गया है कि पेंटहाउस पत्रिका में प्रकाशन के लिए साक्षात्कार का प्रयोग करने में पत्रकारिता के सिद्धान्तों और मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। राजदूतावास ने यह भी कहा कि इस पत्रिका को अपने आगामी अंक में राजदूतावास का पत्र प्रकाशित करना चाहिए ताकि इस संबंध में पत्रकारिता के सिद्धान्तों और मानदंडों का जो उल्लंघन हुआ है वह उजागर हो सके। इस पत्रिका के कार्यकारी सम्पादक ने राजदूतावास से कहा कि वह अपनी पत्रिका के नवम्बर, 1987 के अंक में इस विषय पर राजदूतावास के इस पत्र को प्रकाशित करेंगे।

चीन के साथ सीमा विवाद सम्बन्धी समझौते में प्रगति

915. प्रो० नारायण चन्द पराशर
श्री जी० एस० बसवराजू
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही
श्री टी० बशीर
श्री कृष्ण सिंह
श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिंता मणि जेना
श्रीमती बसव राजेश्वरी
श्री महेन्द्र सिंह
श्री गौरी शंकर राजहंस
श्री जगदीश अवस्थी
श्री नारायण चौबे
चौधरी राम प्रकाश
डा० बी० एल० शैलेश

: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनकी हाल ही की बीजिंग यात्रा के दौरान उनके द्वारा की गई अन्तिम दौर की बातचीत के परिणामों की संक्षिप्त रूपरेखा सहित चीन के साथ सीमा सम्बन्धी समझौते पर हुई बातचीत में क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या जल्द ही सीमा विवाद को हल करने के लिए कोई नये प्रयास किए जायेंगे और बातचीत का एक और दौर होगा; और

(ग) यदि हां, तो यह किस तारीख को किए जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) इस संबंध में चीन सरकार के साथ अधिकारी स्तर की बातचीत के अब तक सात दौर हो चुके हैं। हाल ही में 14 जून से 16 जून, 1987 तक तत्कालीन विदेश मंत्री के बीजिंग प्रवास के दौरान दोनों पक्षों ने यह महसूस किया था कि सीमा के सवाल को सुलझाने में कुछ वक्त लग सकता है तथापि यह काम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों के अनुसार शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करके तय किया जाना चाहिए और भारत-चीन सीमा पर सभी जगह शान्ति और स्थायित्व कायम रहना चाहिए।

(ख) और (ग) मौजूदा पहलकदमियां और सतत तथा नई पहलकदमियां उनके परिणाम पर निर्भर करती हैं। भारत और चीन के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत का आठवां दौर किसी परस्पर सुविधाजनक तारीख को नई दिल्ली में होगा।

धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विदेशों से प्राप्त किया गया धन

916. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या गृह मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के माध्यम से विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों से धन के आने को रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान देश में कुल कितना विदेशी धन आया ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) धार्मिक तथा सामाजिक संगठनों समेत विभिन्न संगठनों द्वारा पर्याप्त विदेशी अभिदाय प्राप्त किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976, कुछ व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने और इसके उपयोग को विनियमित करने के लिए पारित किया गया था। जब भी किसी संगठन के सम्बन्ध में त्रुटियां ध्यान में आती हैं, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है। इस समय चौदह संगठनों के लिए विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से पहले केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है और 9 संगठनों पर विदेशी अभिदाय स्वीकार करने पर रोक लगा दी गई है। चार मामलों में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो में मुकदमें दर्ज किए गए हैं। एक अन्य मामला मुकदमें के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है।

(घ) संगठनों द्वारा प्राप्त की जाने वाली विदेशी अभिदाय की कुल राशि इस प्रकार है :—

1984—253.98 करोड़ रुपये

1985 और 1986 } संगणकीकरण किया जा रहा है।

असम राइफल्स की बाहरी चौकी पर हमला

917. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मणिपुर के सेनापति पहाड़ी जिले में असम राइफल्स की एक बाहरी चौकी पर विद्रोही तत्वों द्वारा हमला किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 9 जुलाई, 1987 को लगभग 12 बजे, नागा भूमिगत तत्वों के एक बड़े समूह, जिन्हें तथाकथित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन० एस० सी० एन०) के सदस्य बताया जाता है, ने ताडुबी जिले सेनापटी के पास आईनाम में असम राइफल्स की एक चौकी पर छापा मारा जिसमें चौकी कमान्डर सहित असम राइफल्स के 9 कार्मिक मारे गए और 3 अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए। भूमिगत तत्वों ने असम राइफल्स चौकी पर आक्रमण करने से पहले चौकी के सिगनल केन्द्र को बेकार किया विद्रोही बड़ी मात्रा में शस्त्र तथा गोला बारूद ले गए। मणिपुर और नागालैण्ड दोनों में सुरक्षाबलों तथा पुलिस ने विद्रोहियों को पकड़ने के लिए खोज बीन की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों ने अपनी खोजबीन कार्रवाई के दौरान आईनाम में असम राइफल्स की चौकी से भूमिगत व्यक्तियों द्वारा लूटे गए शस्त्रों/गोलाबारूद में से कुछ शस्त्र तथा गोला बारूद बरामद किए हैं। ये शस्त्र/गोलाबारूद जंगल क्षेत्र में दबे हुए पाए गए।

दक्षिण-अफ्रीका में आपातकालीन कानून पुनः लागू किया जाना

918. श्री कृष्ण सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद सरकार द्वारा हाल ही में आपातकालीन कानून लागू किए जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार ने वहां आपातकाल नियम पुनः लागू कर दिए हैं।

(ख) सरकार दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार की ऐसी सभी दमनकारी कार्रवाइयों की भर्त्सना करती है जिनसे लोगों के राजनैतिक और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन होता है।

चाय कम्पनियों के प्रधान कार्यालय को गुवाहाटी ले जाना

919. प्रो० पराग चालिहा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उन चाय कम्पनियों के, जिनके चाय बागान असम में हैं, प्रधान कार्यालयों को कलकत्ता से गुवाहाटी ले जाने के बारे में असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) चाय भारत से निर्यात की जाने वाली एक प्रमुख परम्परागत वस्तु है। भारत का एक मुख्य पत्तन होने के नाते कलकत्ता लम्बे समय से निर्यात गतिविधियों का केन्द्र रहा है। कलकत्ता में कई निर्यातक फर्में हैं। इसके अलावा, विदेशी बाजारों के लिए चाय की अधिकांश खरीद कलकत्ता नीलामी में की जाती है। इस प्रकार कम्पनियों को यह कहना व्यावहारिक नहीं होगा कि वे अपने कार्यालय गुवाहाटी ले जाए। इस प्रकार के स्थानान्तरण से ये कम्पनियां उपर्युक्त अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित हो जाएगी।

उत्तरी क्षेत्र में कपड़ा मिलों का बन्द होना

920. श्री विष्णु मोदी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्याप्त मात्रा में रुई उपलब्ध न होने और रुई के मूल्य में वृद्धि न होने के कारण उत्तरी क्षेत्र में कपड़ा मिलें बन्द हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन मिलों में काम करने वाले लाखों कामगारों के व्यापक हित में उन्हें बन्द होने से बचाने के लिए इन मिलों को रुई को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०कृष्ण कुमार) : (क) जिन कारणों से मिलें बन्द हुई, वे अनेक हैं तथा उनके लिए आवश्यकता से अधिक क्षमता, वेशी श्रमिक, मंद मांग, पुरानी तथा अप्रचलित मशीनरी, उत्पादन की ऊंची लागत आदि को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों को पुन: खोलना

921. श्री चित्त महाता
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में पटसन मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1987 को पश्चिम बंगाल में कितनी पटसन मिलें बन्द थीं तथा इसके परिणामस्वरूप कितने कामगार बेरोजगार हुए हैं;

(ग) क्या इन मिलों को पुन: खोलने के लिए सरकार का कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) : जुलाई, 1987 की स्थिति के अनुसार, पश्चिमी बंगाल में 18 पटसन मिलें बन्द पड़ी थी और इससे लगभग 68,900 कामगार प्रभावित हुए हैं।

(ग) और (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत राज्य सरकार औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए समुचित कार्यवाही उन्हीं को करनी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक सहायता केन्द्र सरकार द्वारा हमेशा दी जाती है।

'दक्षेस' सम्मेलन

922. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल में हुए "दक्षेस" शिखर सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय किए गये;

(ख) क्या इस अवसर पर श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की गई थी; और

(ग) क्या दिल्ली में हुए "दक्षेस" सम्मेलन के बाद श्रीलंका की जातीय समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कोई नये प्रयास शुरू किये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) दिल्ली में हाल में कोई "सार्क" सम्मेलन नहीं हुआ था। "सार्क" देशों की मंत्री परिषद का तीसरा अधिवेशन 18 और 19 जून 1987 को नई दिल्ली में हुआ था जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गए थे :—

(i) "सार्क" सदस्य देशों के लोगों के बीच पारस्परिक सम्पर्क को विकसित करने के लिए पांच नई योजनाओं पर कार्यान्वयन;

(ii) आतंकवाद सम्बन्धी "सार्क" विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए शीघ्र उपाय करना और स्थायी समिति के नौवें अधिवेशन में विचार के लिए आतंकवाद सम्बन्धी क्षेत्रीय अभिसमय का मसौदा तैयार करने के लिए एक विधि विशेषज्ञ दल का गठन;

(iii) दक्षिण एशियाई खाद्य सुरक्षा भंडार की स्थापना;

(iv) क्षेत्रीय संस्थाओं की लागत के बटवारे के बारे में स्थायी समिति और कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार क्षेत्रीय संस्थाएं स्थापित करने और इस प्रकार की संस्थाओं की संस्थागत

लागत में हिस्सा बांटने की कार्रवाई;

(v) यह सिफारिश करना कि "सार्क" शिखिर सम्मेलन काठमांडू में 2 से 4 नवम्बर, 1987 तक आयोजित किया जाए; और

(vi) "सार्क" से बाहर की विभिन्न एजेंसियों के साथ व्यवहार रखने के प्रश्न पर "सार्क" सचिवालय के महासचिव के लिए अंतरिम मार्गनिर्देश निर्धारित करना और "सार्क" सचिवालय से संबद्ध मामलों पर, जिनमें स्टाफ नियम, वित्तीय विनियम और महासचिव तथा सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य हकदारियों से संबद्ध मसौदा प्रावधान शामिल है, स्थायी समिति के निर्णयों का समर्थन करना।

(ख) और (ग) जी, हां।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा राजसहायता की मंजूरी

923. **श्री आर० एस० माने : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1985, 19 6 और 1987 में अब तक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को कितनी राजसहायता दी गई;

(ख) किन फर्मों को यह वित्तीय सहायता प्राप्त हुई;

(ग) क्या यह राजसहायता सामान्यतः उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो व्यापार द्वारा प्राधिकरण पर नियंत्रण रखते हैं;

(घ) उन्हीं व्यक्तियों को बार-बार वित्तीय सहायता न दी जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि महाराष्ट्र को भी समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से यह सहायता प्राप्त हो?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी नहीं। विभिन्न उत्पाद योजनाओं के तहत उन लाभग्राहियों को, जिन्हें उनकी अपनी-अपनी योजनाओं के अन्तर्गत पात्र पाया जाता है, केवल एक बार ही सहायता दी जाती है।

(ङ) महाराष्ट्र में पात्र लाभग्राहियों ने एमपीडा की योजनाओं के अन्तर्गत उपदान प्राप्त किया है।

विवरण

जिन फर्मों ने, 1985, 1986 तथा 1987 (वित्तीय वर्षवार) में एमपीडी द्वारा दिए गए उत्पादन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त की है उनकी संख्या निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(लाख रु० में)

क्र० सं०	योजना का नाम	1984-85		1985-86		1986-87		1987-88	
		लाभग्राहियों की संख्या	राशि	लाभग्राहियों की संख्या	राशि	लाभग्राहियों की संख्या	राशि	लाभग्राहियों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पीलिंग शेड उपदान योजना	303	23.26	96	6.97	1	0.10	शून्य	शून्य
2.	रजि० पालिंग शेडों के लिए रखरखाव अनुदान	210	1.67	262	1.86	269	1.39	57	0.20
3.	इंसुलेटिड फिश बक्सों की योजनाएं	500	3.14	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	आउट बोर्ड मीटर सम्बन्धी योजना	166	5.00	442	13.26	1165	34.97	शून्य	शून्य
5.	जनरेटर सेट सम्बन्धी योजना	51	15.59	11	3.56	6	1.75	6	2.05
6.	प्लेट क्रीसर सम्बन्धी योजना	शून्य	शून्य	10	6.29	21	16.43	6	4.76
7.	चार्ट क्यू एक मशीनरी सम्बन्धी योजना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	17.46	2	18.85
8.	छोटी प्रयोगशाला स्थापित करने सम्बन्धी योजना	8	2.36	5	2.27	18	7.8	5	2.5
9.	एम० आई० पी० क्यू सी० एककों के प्रौद्योगिकीविदों के लिए वेतन भुगतान योजना	शून्य	शून्य	32	3.74	24	2.58	31	2.69
10.	यू० एस० एफ० डी० ए० प्रयोगशाला न्यूयार्क में प्रौद्योगिकीविदों का प्रशिक्षण	11	1.24	11	1.19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	नए प्राउन फार्मों के विकास के लिए उपदान	शून्य	शून्य	84	11.39	105	10.57	—	—
12.	बीज बैंकों की स्थापना के लिए उपदान	—	—	2	0.40	2	0.40	1	0.20
13.	प्राउन अंडजशाला की स्थापना के लिए उत्पादन	—	—	—	—	2	10	—	—

[हिन्दी]

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों के लिए अधिक आवास सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना

924. **श्री मदन पांडे** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रति वर्ष आने वाले पर्यटकों के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम के पास उपलब्ध वर्तमान आवास सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिक आवास सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य पर कितना खर्च आने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों सैक्टर विदेशी पर्यटकों के लिए उपयुक्त होटल आवास उपलब्ध कराते हैं, बड़ा हिस्सा गैर-सरकारी सैक्टर का है। तथापि, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि देश में पर्यटक महत्व के कुछ प्रमुख केन्द्रों पर अच्छे होटल आवास की सामान्य कमी है।

(ख) से (घ) भारत पर्यटन विकास निगम सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अपने होटलों का और राज्य सरकारों/निगमों के सहयोग से निगम द्वारा शुरू की गई संयुक्त उद्यम होटल परियोजनाओं का निर्माण/विस्तार करके 221 अतिरिक्त कमरे उपलब्ध करा सकेगा। इन परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

गैर-सरकारी सैक्टर को देश भर के पर्यटक स्थानों पर होटल निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए; सरकार ने होटल उद्योग को अनेक प्रोत्साहन/रियायतें दी हैं। इनमें शामिल हैं—नई परियोजनाओं तथा मौजूदा होटलों के विस्तार दोनों ही मामलों में एम० आर० टी० पी० एक्ट से छूट; नये होटलों को आय कर से छूट, उच्चतर मूल्यह्रास भत्ता; विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में नये होटलों का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय इमदाद; भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए गए होटल ऋणों पर ब्याज इमदाद; विदेशों में विज्ञापन/प्रचार, संवर्धनात्मक दौरों, वाहनों (एक वर्ष में दो) सहित, सामान, उपकरणों का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटा; होटलों द्वारा वास्तविक प्रयोग के लिए आयात की जाने वाली अनेक मदों पर रियायती सीमा शुल्क; टेलीफोन/टैलेक्स कनेक्शंस का प्राथमिकता से आबंटन, आदि। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने होटलों/पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा भी प्रदान किया है जिससे होटल उन रियायतों/प्रोत्साहनों के हकदार हो गये हैं जो संबंधित राज्यों में अन्य उद्योगों को उपलब्ध हैं।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कार्यान्वयनाधीन प्लान प्रोजेक्ट्स के ब्यौरे

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	कमरे/बैड
1	2	3	4
1.	गुलमर्ग में होटल	153.00	30/60

1	2	3	4
2.	बोधगया में यात्री गृह का विस्तार और इसका एक होटल में परिवर्तन	48.00	20/40
3.	उदयपुर में एल० वी० पी० होटल का विस्तार	32.00	19/38
4.	रांची में होटल (संयुक्त उद्यम)	130.00	30/60
5.	पुरी में होटल (संयुक्त उद्यम)	190.00	44/88
6.	भोपाल में होटल (संयुक्त उद्यम)	190.00	38/76
7.	ईटानगर में होटल (संयुक्त उद्यम)	80.00	20/40
8.	पांडिचेरी में होटल (संयुक्त उद्यम)	81.00	20/40
			221/442

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में आयुध कारखाने की स्थापना

925. श्रीमती एम० पी० झांसी लक्ष्मी
डा० टी० कल्पना देवी } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश के कड्डापेह जिले के भाकरापेट में सैन्य वाहन फैक्ट्री अथवा आयुध कारखाना स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पनडुब्बी के सौदे में कमीशन दिये जाने के आरोप की जांच

926. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की फर्म द्वारा पनडुब्बी के सौदे में कमीशन दिए जाने के आरोप की जांच करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित भटनागर जांच समिति के कार्य में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) रक्षा सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति, किसी रक्षा सौदे में अदा की गई कमीशन के

आरोपों की जांच नहीं कर रही है। इस समिति के गठन के लिए सरकारी आदेश सदन के पटल पर रखा गया है (विवरण)। इस समिति ने 15-4-1987 से कार्य आरम्भ किया और अब तक इसकी पांच बैठकें हो चुकी हैं। इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार को पेश किये जाने की सम्भावना है।

विवरण

रक्षा मंत्रालय

सरकार ने निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया है।

(i) रक्षा सचिव — अध्यक्ष

(ii) सचिव (रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति) —सदस्य

(iii) अपर सचिव (बी) —सदस्य सचिव

2. यह समिति ये कार्य करेगी :—

(क) रक्षा सौदों में विदेशी एवं भारतीय एजेंटों की कार्य प्रणाली की सूचना देगी। यह समिति आवश्यकता पड़ने पर सहायता के लिए विभिन्न सरकारी सतर्कता एजेंसियों से सम्पर्क करेगी।

(ख) रक्षा सौदों से ऐसे एजेंटों को हटाने के लिए आवश्यक कदमों का सुझाव देगी;

(ग) वर्तमान पद्धतियों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में समीक्षा करना और सिफारिशें करना;

(घ) दण्डात्मक एवं निवारक कार्रवाई की सिफारिश करना; और

(ङ) उस खतरे का मूल्यांकन करना जो इन एजेंटों द्वारा रक्षा ढांचे में गुप्त ठेकों के होने, संवेदनशील सूचना को प्राप्त करने और ब्लैकमेल करने की क्षमता होने के कारण हो सकता है।

3. समिति की पहली बैठक बुधवार, 15 अप्रैल, 1987 को सुबह 9.15 बजे रक्षा सचिव के कमरे में आयोजित की जायेगी।

ह०/-
(एन० एन० बोहरा)
अपर सचिव (बी)
14-4-1987

सरकारिया आयोग

927. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त सरकारिया आयोग ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वह कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह आशा की जाती है कि समिति अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1987 तक प्रस्तुत कर देगी।

कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

928. श्री उत्तम राव पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कई कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो बन्द मिलों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कपड़ा मिलों के बन्द होने के परिणामस्वरूप कितने कामगार बेरोजगार हो गए हैं; और

(ग) बेरोजगार कामगारों की परेशानियों को दूर करने के लिए बन्द मिलों को पुन: चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जो सूती वस्त्र मिलें सम्पूर्ण देश में तथा महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान 31 मई, 1987 तक बन्द हो गई हैं उनकी संख्या क्रमश: 66 और 6 थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह पता लगाने के लिए कि ये रुग्ण मिलें सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम हैं अथवा नहीं, एक नोडीय अभिकरण गठित किया गया है। नोडीय अभिकरण उन मिलों के सम्बन्ध में, जिन्हें वह सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम पाता है, पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करता है तथी उनके कार्यान्वियन की देखरेख करता है। जो मिलें 6 जून, 1985 को अथवा उसके बाद स्थायी रूप से बन्द हो गईं, उनके कामगार वस्त्र कामगार पुनर्स्थापना निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के हकदार होंगे।

विवरण

उन सूती कपड़ा मिलों का ब्यौरा जो कि 1 जून, 1984 से 31 मई, 1987 तक बन्द रहे

क्रमांक	राज्य/मिल का नाम	बन्द होने की तारीख	तकुए	करघे	रजिस्टर दर्ज कर्मचारी
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश स्पिनिंग मिल्स					
1.	श्री रामचन्द्र स्पिनिंग मिल्स	10-8-84	7044	—	93
आन्ध्र प्रदेश मिश्रित मिलें					
2.	दीवान भादर रामगोपाल मिल्स लि० सिकंदराबाद	29-3-87	34096	520	2658

1	2	3	4	5	6
असम स्पिनिंग मिल्स					
3.	असम काटन मिल्स लि०, चारीदुवार	13-3-87	34944	—	1079
गुजरात स्पिनिंग मिल्स					
4.	गांधीग्राम स्पिनिंग एंड मैन्यू० कं०, आदिपुर, कच्छ	25-7-86	15964	—	611
5.	धारक लि०, हालोल	1-6-86	1600	—	बंद कर दी गई
अहमदाबाद मिश्रित काटन मिल्स					
6.	अहमदाबाद काटन मैन्यू० कं० लि०, नं०-1, बगीचा मिल्स, अहमदाबाद	1-6-84	31764	545	1408
7.	आर्योदया स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद	18-11-86	50048	980	1500
8.	प्रसाद मिल्स लि०, अहमदाबाद	26-11-86	25104	461	1384
9.	सरी बंसीधर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०, अहमदाबाद	16-9-85	40712	416	1001
10.	कमर्शियल अहमदाबाद मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद	26-10-85	39160	744	2154
11.	न्यू गुजरात सिंथेटिक्स लि०, नं०-1, अहमदाबाद	10-8-86	42592	644	2686
12.	न्यू गुजरात सिंथेटिक्स लि०, नं०-2, अहमदाबाद	1-9-86	39400	561	2099
13.	ओमैक्स इन्वेस्टर लि०, अहमदाबाद	1-8-86	51800	1139	2758
14.	भारत सर्वाेत्र मिल्स लि०, अहमदाबाद	28-10-86	26568	540	3758
15.	अहमदाबाद मन्यु० एण्ड कालिको प्रि० कं० लि०, (गुविन्दी मिल्स), अहमदाबाद	10-3-87	58788	900	7460
16.	अहमदाबाद श्री रामकृष्ण मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद	19-3-87	31160	574	1754

1	2	3	4	5	6
17.	श्री विवेकानन्द मिल्स लि०, अहमदाबाद	13-4-87	31768	574	1387
शेष गुजरात मिश्रित मिलें					
18.	गायकवाड़ मिल्स लि०, बिल्लीमोरा	11-6-86	38787	876	2031
19.	नवजीवन मिल्स लि०, कलोल	15-12-86	27660	570	800
20.	पी० जी० टैक्सटाइल मिल्स लि०, बड़ोदा	24-2-87	34352	648	930
कर्नाटक मिश्रित मिलें					
21.	श्री कृष्ण राजेन्द्र मिल्स, मैसूर	5-6-84	44976	476	3304
कर्नाटक स्पिनिंग मिल्स					
22.	श्री शंकरा टैक्सटाइल मिल्स	9-10-84	23760	—	524
23.	बिलारी स्पि० एण्ड वी० मिल्स कं० लि०, बिलारी	25-12-86	13200	—	298
24.	मोरुका टैक्सटाइल्स (टी० सी० आई० लि० की यूनिट) धारवाड़	28-1-87	17024	—	1163
25.	चन्द्रा स्पि० एण्ड वी० मिल्स प्रा० लि०, बंगलौर	8-5-86	12100	—	237
26.	चिगाश्री मिल्स, देवनगीर	18-4-87	11988	—	344
केरल स्पी० मिल्स					
27.	तिरुपति मिल्स प्रा० लि०, कन्नानोर	18-3-87	17760	—	537
केरल कम्पोजिट मिल्स					
28.	वैस्टर्न इंडिया काटन लि०, पाप्पीनसेरी	21-5-87	20180	388	816
मध्य प्रदेश कम्पोजिट मिल्स					
29.	श्री सज्जन मिल्स, रतलाम	फर० 86	30092	382	3177
30.	होप टैक्सटाइल यूनिट नं०-1 (नन्दलाल भंडारी मिल लि०, इन्दौर)	6-6-86	28936	748	2358

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश स्पी० मिल्स					
31.	होप टैक्सटाइल्स यूनिट नं०-2 (राय बहादुर कन्हैयालाल भंडारी मिलें, इन्दौर)	6-6-86	10120	—	268
बम्बई सिटी कम्पोजिट मिल्स					
32.	न्यू ग्रेट इस्टर्न स्पी० एण्ड वीवि० कं० लि०, बम्बई	13-3-87	59164	1042	2140
33.	माडर्न मिल्स लि०, नं०-2	16-3-87	59208	780	1800
रेस्ट आफ महाराष्ट्र कम्पोजिट मिल्स					
34.	खानदेश स्पी० एण्ड वीवि० मिल प्रा० लि०, खानदेश, जलगांव	9-3-84	26572	462	2754
35.	राजन (टेक्सटाइल्स) मिल्स लि०	17-6-84	20108	—	226
रेस्ट आफ महाराष्ट्र स्पी० मिल्स					
36.	यशवंत सहकारी सूत गिरनी नियमित, भोर	6-3-85	13160	—	385
37.	अमरावती ग्रोवर्स को-ओ० स्पी० मिल्स लि०, अमरावती	23-3-87	25336	—	793
राजस्थान स्पी० मिल्स					
38.	सिद्ध साइनटेक्स लि०, उदयपुर	3-3-86	14300	—	670
39.	सुदर्शन टेक्सटाइल्स, कोटा	6-3-85	33496	—	1675
40.	पोदार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर	3-8-85	25056	—	620
कोयमबटूर कम्पोजिट मिल्स					
41.	बसन्ता मिल्स लि०, सिंगलूर, कोयमबटूर	13-11-84	44696	266	1283
42.	राधा कृष्णा मिल्स लि०, कोयमबटूर	10-8-86	65264	300	1187
43	धनलक्ष्मी मिल्स लि०, त्रिरूपर	16-5-87	53336	470	1879
रेस्ट आफ तमिलनाडु कम्पोजिट मिल्स					
44.	मैतुर टेक्सटाइल, मैतुर ग्राम (तमिलनाडु) मैतुर	16-8-85	29696	654	2514

1	2	3	4	5	6
45.	लक्ष्मी समुंगा मिल्स लि०, पुडुकोट्ई	7-8-86	12540	—	354
46.	पुलिकार मिल्स लि०, त्रिरूपंगोड	19-4-87	29516	250	584
कोयमबटूर स्पिनिंग मिल्स					
47.	वेंकटश स्पिनिंग प्रा० लि०	29-5-87	12240	—	120
48.	श्री लक्ष्मी दुर्गा मिल्स, सुलुर	21-2-87	2400	—	201
49.	अकक्षया टेक्सटाइल, कोयमबटूर	8-4-86	25328	—	561
50.	के० जी० एस० स्पिनिंग्स, कोयमबटूर	अप्रेल, 85	2560	—	168
51.	कोयमबटूर पापुलर स्पि० मिल्स (प्रा०) लि०, कोयमबटूर	17-3-87	11136	—	231
52.	दि वासिंगमणि स्पीनर्स, लिजज मै० श्री चेनिनवावर कोयमबटूर	23-8-87	1152	—	19
53.	जी० टी० बी० स्पिनिर, कोयमबटूर	24-4-87	13000	—	271
रैस्ट आफ तमिलनाडु मिल्स					
54.	नागमल मिल्स, नगरथल	23-10-86	20520	—	378
55.	त्रिरूचलू स्पिनिंग मिल्स, करूर	18-11-86	2240	—	55
56.	कचीनाथ्रम मिल्स, पोलाची	14.6-86	960	—	55
57.	कमलम वाइंग कोटन मिल्स	19-12-86	5468	—	31
58.	श्री ऊषा परमेश्वरी मिल्स, थिरुचिपल्ली	8-2-87	21600	—	699
59.	महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स लि०, मदुराई	25-11-86	38736	—	1237
उत्तर प्रदेश कताई मिल्स					
60.	मवन इंडस्ट्रीज लि०, हस्तिनापुर	3-8-84	25240	—	1017
61.	विशाल सिन्टैक्स लि०, (मोदी सिन्टैक्स लि०, पहली वाली मोदी यार्न मिल्स सी यूनिट आफ मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०)	3-10-84	25288	—	1059

1	2	3	4	5	6
62.	उत्तर प्रदेश एस्टेट स्पिनिंग मिल्स लि०, बाराबंकी	25-3-87	50168	—	3074
63.	संत कबीर सहकारी मिल लि०, मबर	12-5-87	25080	—	उपलब्ध नहीं
64.	स्वदेशी कोटन मिल कं० लि०, नैनी	15-5-87	.64620	—	3163
पश्चिम बंगाल बुनता मिल्स					
65.	श्री हनुमान कोटन मिल्स फुलेश्वर, हावड़ा	2-7-84	21764	—	1245
पश्चिम बंगाल मिश्रित मिल्स					
66.	केसोराम इंडस्ट्रीज एण्ड कोटन मिल्स लि०, कलकत्ता	15-2-87	76424	1937	8262

जम्मू से पाकिस्तानी जासूसों के गिरोहों का पता लगाना

929. श्री बालासाहेब विखे पाटिल
श्री कृष्ण सिंह
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुप्तचर विभाग तथा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने जम्मू में 28 जून, 1987 को पाकिस्तानी जासूसों के गत कई वर्षों से सक्रिय दो और गिरोहों का पता लगाया है, जैसा कि 29 जून, 1987 के स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार को तारीख 29-6-1987 के स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार की जानकारी है। जम्मू और कश्मीर सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

नीदरलैंड के साथ वापस-खरीद (बाई बैक) व्यवस्था करना

931. श्री विजय एन० पाटिल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्यमियों का विचार नीदरलैंड में अपने सहयोगी उद्यमियों के साथ वापस खरीद (बाई बैक) की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत किन-किन विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों में भारत-नीदरलैंड सहयोग की जांच करने का विचार है जिनमें प्रौद्योगिकी अन्तरण से भारत को तुरन्त लाभ हो; और

(घ) यदि हां, तो नीदरलैंड से प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए सरकार द्वारा किस विशिष्ट क्षेत्र को चुना गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) हेग में पिछले महीने हुई भारत-नीदरलैंड संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक में भारतीय तथा डच उद्यमियों के बीच वापस-खरीद (बाई-बैक) व्यवस्थाओं की सम्भावना पर व्यापक रूप में विचार विमर्श हुआ। किसी विशिष्ट व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दिया गया। भारतीय पक्ष द्वारा ऐसी व्यवस्था के लिए जिन कुछ क्षेत्रों का सुझाव दिया गया है उनमें शामिल हैं, अल्कोहल, फिनाल, संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक पदार्थ, तरल पदार्थों के लिए टर्बो पम्प, दूर संचार उपस्कर तथा सहायक उपकरण, रोगानुनाशक पदार्थ, कीटनाशक पदार्थ, फफूंदी नाशक पदार्थ तथा घास-पात नाशक पदार्थ आदि।

(ग) और (घ) प्रौद्योगिकियों का चयन मुख्यत: भारतीय उद्यमियों पर छोड़ दिया जाता है, जो प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिकीय आर्थिक विश्लेषण के वैकल्पिक स्रोत का पता लगाकर उसका चयन करते हैं, जो उन्हें सबसे अधिक उपयुक्त साबित होता है और उसके बाद वे सरकार से अनुमोदन लेते हैं। पिछले महीने हुई भारत-नीदरलैंड संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक में द्विपक्षीय औद्योगिक सहयोग हेतु जिन कुछ क्षेत्रों के बारे में विचार किया गया उनमें शामिल हैं नायलान टायर कार्ड, मेटेलिक तथा सेमी-मेटेलिक और कट-गासकेट्स, तरल नत्रजन प्लान्ट, इस्पात डाक टग्स, अल्ट्रासाउंड डायगोनिस्टिक डिस्प्ले यंत्र, कोनिकल मिक्सिंग कैसल, औद्योगिक कूलिंग प्रणाली, इलक्ट्रोलिटिक कैपसीटर्स आदि।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में टेलीग्राफ उद्यान को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करना

932. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में टेलीग्राफ उद्यान, वनस्पति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है;

(ख) क्या सरकार का इस स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) पर्यटन मन्त्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से राज्य में चरणबद्ध तरीके से पर्यटन आधारिक-संरचना का विकास करने के लिए 17 पर्यटक केन्द्रों का अभिनिर्धारण किया है। इस सूची में गढ़चिरौली जिला स्थित टेलीग्राफ उद्यान/पार्क नहीं है। विकासपरक स्कीमों को, राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों, प्रस्ताव के गुणों, निधियों की उपलब्धता एवं परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर प्रारम्भ किया जाता है। अभी तक राज्य सरकार से इस स्थान का विकास करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) टेलीग्राफ उद्यान/पार्क का विकास करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार का कहना है कि उनकी यह नीति है कि पहले से अभिनिर्धारित केन्द्रों का पहले विकास किए बिना नए स्थलों का विकास नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

नारियल जटा का निर्यात

933. श्री तम्पन थामस : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में नारियल जटा का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) क्या नारियल जटा निर्यातकों को कोई प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ग) क्या नारियल जटा के निर्माण की प्रक्रिया में शारीरिक श्रम करने हेतु श्रमिकों की सहायता करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) क्या नारियल जटा उत्पादों पर कोई कर लगाया जाता है; और

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि नारियल जटा उद्योग पर अनेक प्रकार के करों का बुरा प्रभाव पड़ा है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) कयर बोर्ड के अनुसार, 1985-86 के दौरान कयर तथा उसके उत्पादों का निर्यात 24672 मे० टन हुआ।

(ख) नकद मुआवजा सहायता तथा आयात प्रतिपूर्ति कतिपय कयर उत्पादों के निर्यात पर उपलब्ध है। जो विभिन्न अन्तर्निविष्ट साधन कतिपय कयर निर्यात उत्पादों के बनाने के काम में आते हैं उनके लिए शुल्क वापसी की अनुमति भी दी जाती है। इसके अलावा, कयर बोर्ड कयर के निर्यात संवर्धन के लिए अनेक उपाय करता रहा है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है : व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना, बाजार अध्ययन तथा बाजार अनुसंधान आयोजित करना; विदेश व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना प्रचार-सामग्री का वितरण करना और प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना।

(ग) कामगारों की शारीरिक थकान को कम करने तथा उत्पादकता और क्वालिटी में सुधार लाने के उद्देश्य से कयर बोर्ड ने रेशा निकालने, यार्न की कताई तथा कयर उत्पादों के विनिर्माण के क्षेत्रों में अध्ययन किये हैं।

(घ) और (ङ) कुछ राज्य सरकारें कयर उत्पादों पर बिक्री कर लगाती हैं। ऐसे अभ्यावेदन हैं कि इस बिक्री कर का भार कयर उत्पादों की बिक्री कीमतों को बढ़ा देता है जिससे विक्रेता पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है।

भारतीय पुलिस सेवा में महिला अधिकारी

934. डा० फूलरेणु गुहा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस समय राज्य-वार संघ राज्य क्षेत्र-वार भारतीय पुलिस सेवा में महिला अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुन्नार और थेक्कडी का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास

935. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इडुक्की जिले में मुन्नार और थेक्कडी पर्यटक आकर्षण के प्रमुख स्थान हैं;

(ख) क्या इन स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने केरल सरकार के परामर्श से मुन्नार और थेक्केडी को केंद्र, राज्य तथा प्राइवेट सेक्टर के मिश्रित संसाधनों द्वारा पर्यटन आधार-संरचना का एकीकृत विकास करने के लिए अभिनिर्धारित किया है।

(ख) और (ग) पर्यटन मन्त्रालय राज्य सरकारों से मिलने वाले प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता देता है। पर्यटन मन्त्रालय ने थेक्केडी के लिए 1.74 लाख रु० की अनुमानित लागत पर दो आउटबोर्ड इंजन बोट्स स्वीकृत की हैं। मन्त्रालय को मुन्नार के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा विदेशों को एक शिष्ट मण्डल का भेजा जाना

939. श्री डी० पी० जदेजा }
चौधरी राम प्रकाश } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मत्स्य पोत खरीदने के लिए संयुक्त उद्यमों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए शीघ्र ही विदेशों को एक शिष्टमण्डल भेज रहा है;

(ख) इस शिष्टमण्डल के सदस्य कौन-कौन होंगे;

(ग) क्या झींगा मछली पालन में रुचि रखने वाले छोटे किसानों में से किसी व्यक्ति का चयन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो शिष्टमण्डल में सदस्यों को शामिल करने सम्बन्धी, मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तथा थाइलैंड भेजा है। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल है, अध्यक्ष, एम० पी० डी०, श्री एन०एस०एच० प्रसाद, उपाध्यक्ष, एम०पी०डी०, अध्यक्ष, भारत मछली उद्योग संघ तथा श्रीनिवास सी फूड्स लि०, विजाग के प्रबन्ध निदेशक-सदस्य, श्री वी० बसंत कुमार, कार्यकारी निदेशक, स्टार मैरीन प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, विजाग, सदस्य तथा श्री जाहिर शेख, निदेशक, गुजरात मत्स्यकी विकास निगम लि०, वेरावल-सदस्य।

(ग) और (घ) प्रतिनिधिमण्डल को भारतीय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कम्पनियों तथा दौरा किये जाने वाले देशों की प्रत्याशित कम्पनियों के बीच गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संयुक्त उद्यमों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए प्रायोजित किया गया है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के सम्बन्ध में श्रिम्पों के अलावा अन्य प्रकार की मछली पकड़ने पर बल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

पंजाबी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को धमकी भरे पत्र

937. श्री राज कुमार राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के कितने प्राध्यापकों को गत एक वर्ष के दौरान आतंकवादियों से धमकी भरे पत्र मिले; और

(ख) इन प्राध्यापकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय स्तर पर ऊन विकास बोर्ड

938. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर ऊन विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस बोर्ड के कृत्य और क्षेत्राधिकार क्या हैं और इसमें कितनी पूंजी निवेश करने का विचार है;

(घ) क्या इस बोर्ड के कार्यालय को स्थापित करने के लिए जोधपुर को अत्यधिक उपयुक्त स्थान माना जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) ऊन विकास बोर्ड का गठन 7 जुलाई, 1987 को किया गया था।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ इसके कार्यों में शामिल हैं :—

(1) बाजार आसूचना;

(2) मानीटरिंग तथा मूल्यांकन;

(3) कीमत स्थिरीकरण;

(4) नीति सम्बन्धी मामलों पर सरकार को सलाह;

(5) क्वालिटी नियन्त्रण तथा विनियम;

(6) समन्वय।

प्रारम्भ में, इसके व्यय की पूर्ति के लिए 1987-88 के लिए योजना बजट में 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(घ) और (ङ) बोर्ड का मुख्यालय राजस्थान में जोधपुर में होगा।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र के उत्पादन

939. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : *क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या प्राचीन हथकरघा उद्योग के वास्तविक सौन्दर्य एवं विशिष्टता को संरक्षण प्रदान करने के लिए साड़ी, चादर, लुंगी और ओढ़नी जैसे उत्पादनों को विशेष आरक्षण देने हेतु हथकरघा उद्योग ने हथकरघा आरक्षण संरक्षण समिति से कोई मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। आरक्षण आदेशों का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कुछ हथकरघा संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अधीन स्थापित सलाहकार समिति ने 9 जून, 1987 को हुई अपनी बैठक में हथकरघा संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया। समिति का विचार था कि आरक्षण आदेशों में कोई संशोधन करने के लिए आरक्षण आदेशों के खिलाफ लम्बित अपीलों पर सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय होने और हथकरघों की गणना के परिणाम मिलने तक प्रतीक्षा की जा सकती है। सलाहकार समिति की सिफारिशों पर सरकार को अभी निर्णय लेना है।

आस्ट्रिया से गोलाबारूद की खरीद

940. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आस्ट्रिया से भारी मात्रा में 81 एम०एम० का गोलाबारूद खरीदा है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा खरीदी गई है और उसका मूल्य कितना है;

(ग) क्या देश में 81 एम०एम० के गोलाबारूद के निर्माण की क्षमता विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो इसका आयात करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) यद्यपि 81 एम०एम० प्रकाशमय गोलाबारूद के उत्पादन के लिए क्षमता देश में ही स्थापित कर ली गई थी लेकिन यह अभी भी विकसित की जाने वाली मद होने के कारण इसका केवल अल्प मात्रा में उत्पादन 1985 में शुरू किया गया। दूसरी ओर इसकी भारी कमी थी और इसका स्टाक भी बहुत कम था।

फलत: कई फर्मों के साथ की गई तकनीकी और वाणिज्यिक बातचीत का परीक्षण मूल्यांकन करने के बाद आस्ट्रिया की मैसर्स हिरटेनबर्जर के साथ न्यूनतम स्वीकार्य प्रस्ताव के आधार पर 14 मार्च, 1986 को संविदा कर दी गई।

पाक वायुसेना द्वारा भारतीय हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण

941. श्री बी० तुलसीराम
श्री शांति धारीवाल } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान पाक वायुसेना के विमान भारतीय हवाई क्षेत्र का बार-बार अतिक्रमण करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में ऐसे कितने अतिक्रमण किये गये हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या एहतियाती कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) राजस्थान क्षेत्र में हमारी वायु-सीमा का उल्लंघन करने का केवल एक मामला हुआ है।

(ग) हमारी वायुसीमा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किये गये हैं।

बम्बई में कपड़ा मिलों का बन्द होना

943. श्री विजय कुमार यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में बन्द कपड़ा मिलों की संख्या में हाल ही में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1986 के अन्त में और 1 जुलाई, 1987 को बन्द मिलों की संख्या कितनी थी; और

(ग) इन मिलों के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1986 तथा 30 जून, 1987 को बन्द हुई सूती कपड़ा मिलों की संख्या क्रमशः 3 तथा 5 थी।

(ग) यह पता लगाने के लिए कि रुग्ण मिलें सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम हैं अथवा नहीं सरकार ने एक नोडीय अभिकरण की स्थापना की है। जिन मिलों को नोडीय अभिकरण द्वारा सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम पाया जायेगा उनके बारे में वह पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करेगी तथा उसका प्रबन्ध करेगी। जो मिलें अर्थक्षम नहीं पाई जाएंगी उन्हें स्थायी रूप से बन्द करना पड़ सकता है। जिन मिलों को 6 जून, 1985 को या उसके बाद स्थायी रूप से बन्द कर दिया जायेगा उनके कामगार वस्त्र कामगार पुनर्स्थापना निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय राहत के हकदार होंगे।

आपराधिक मामलों की जांच-पड़ताल

944. श्री पी० एम० सईद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान अनेक आपराधिक मामलों में न्यायालयों द्वारा की गई उन टिप्पणियों की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें कहा गया है कि जांच-पड़ताल संतोषजनक ढंग से नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप जघन्य अपराध के मामलों में भी अपराधी रिहा हो जाते हैं अथवा दोषमुक्त होल जाते हैं;

(ख) क्या अपराध के स्वरूप एवं इसकी गंभीरता के अनुसार अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल किये जाने हेतु कोई नियम अथवा मार्गनिर्देश निर्धारित किये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कुछ ऐसे मापदंड निर्धारित करने का है जिसके अनुसार, किये गये अपराधों के स्वरूप को देखते हुए उपयुक्त पद के पुलिस अधिकारियों द्वारा, संगीन अपराधों की जांच पड़ताल की जा सके; और

(घ) क्या इस संबंध में विधि-विशेषज्ञों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है इसलिए भिन्न-भिन्न अपराधों की जांच पड़ताल के सम्बन्ध में नियम और विनियमन निर्धारित करना और अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेवारी है। सभी राज्यों की पुलिस नियमावलियों में दिशा-निदेश निहित हैं। राज्यों के पुलिस मुख्यालयों द्वारा क्षेत्र विशेष में हुए अपराध की स्थिति के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए विशेष निदेश भी जारी किए जाते हैं। घृणित अपराध के कुछ मामलों में जांच पड़ताल का काम अपराध शाखा अथवा राज्य के अपराध जांच विभाग को सौंपा जाता है। विशेष मामलों की जांच पड़ताल के लिए विशेष जांच पड़ताल एकक भी स्थापित किये जाते हैं।

(घ) सरकार को कानून विशेषज्ञों से अपराध प्रक्रिया संहिता के, उपबंधों जिनके कारण असंतोषजनक जांच-पड़ताल हुई, का संकेत देते हुए कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा उर्वरकों का आयात

945. डा० डी० कल्पना देवी
श्री टी० बाल गौड़ } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1985-86 और 1986-87 में यूरिया, डी० ए० पी० एम० ओ० पी० सल्फर राक फास्फेट और अन्य प्रकार के उर्वरकों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उनका मूल्य कितना था;

(ख) वर्ष 1987 में, जोर्डन, सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात (यू० ए० ई०) मोरक्को और सेनेगाल से कितनी मात्रा में उर्वरक आयात किए जाएंगे और उनका मूल्य कितना होगा;

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 सेनेगाल में संयुक्त उद्यम से कितनी मात्रा में तथा कौन से उर्वरक खरीदे गये तथा वर्ष 1986-87 में कितने खरीदे जाएंगे; और

(घ) विदेशों में ऐसे संयुक्त उद्यमों से उर्वरक खरीदने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं और क्या सरकार ने उर्वरक खरीदने के लिए ऐसे प्रबन्धों की मंजूरी दे दी है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) एम०एम० टी०सी० द्वारा 1985-86 तथा 1986-87 में आयात किये गये यूरिया, डी० ए० पी०, एम० ओ० पी०, सल्फर, राक फास्फेट तथा अन्य प्रकार के उर्वरकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये जाते हैं।

(ख) उर्वरकों के आयात की मात्रा और स्रोतों का निर्णय घरेलू मांग तथा उत्पादन के बीच अन्तर, विश्व बाजार में उपलब्धि और अन्य वाणिज्यिक बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ग) और (घ) 1985-86 तथा 1986-87 में कोई उर्वरक नहीं खरीदा गया, न 1987-88 में सेनेगल में संयुक्त उद्यम, से खरीदा जाना है। तथापि, फास्फोटिक एसिड जो एक उर्वरक कच्चा माल

है, सेनेगल में संयुक्त उद्यम से खरीदा जा रहा है।

विवरण

1985-86 तथा 1986-87 में आयात किये गये उर्वरक तथा उर्वरक कच्चे माल

मूल्य करोड़ रुपये
मात्रा लाख मे०टन

	1985-86		1986-87	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
यूरिया	28.29	514.11	21.66	268.31
डी० ए० पी०	17.50	364.36	6.07	137.94
एम० ओ० पी०	14.98	151.11	14.69	131.59
सल्फर	10.86	198.57	11.36	184.63
राक फास्फेट	17.61	74.44	19.87	91.57
अन्य	—	0.08	0.16	3.33
	89.16	1302.67	73.81	817.37

ग्वाटेमाला के साथ इलायची के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना

946. श्री पी० कुलनदईवेलु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलायची के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की दृष्टि से ग्वाटेमाला सरकार से कोई समझौता करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय रुई निगम को हुआ घाटा

947. श्री वाई० एस० महाजन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई निगम को अमरीका, हांगकांग, स्विटजरलैण्ड और इंग्लैण्ड के विदेशी खरीददारों को की गई रुई बिक्री में घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि इन सौदों की कोई जांच की गई, तो उसके परिणाम क्या हैं और दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठायें गये हैं, अथवा उठाये जाने हैं कि निगम और देश को भविष्य में इस प्रकार का घाटा न हो ?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) रुई के सम्बन्ध में दीर्घावधि निर्यात नीति के अन्तर्गत भारतीय रुई निगम को वर्ष 1986-87 के दौरान निर्यात के लिए लम्बे तथा अधिक लम्बे स्टेपल रुई की 1,82,357 गांठें तथा बांगाल देशी की 10,000 गांठें आबंटित की गई। निगम ने इस आबंटन के आधार पर किये गये निर्यात से समग्र लाभ कमाया है। तथापि, कुछ शिकायतों के आधार पर जिनमें कुछ सौदों में अपेक्षाकृत कम मूल्य प्राप्ति के आरोप थे, सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इन आरोपों की व्यापक जांच का आदेश दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्यात सौदों के सम्बन्ध में व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित कर दिये जाएं ताकि ऐसी शिकायतें भविष्य में उत्पन्न न हों, सरकार द्वारा पहले ही आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

रबड़ का आयात

948. श्री एम० डेनिस : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1987 के दौरान रबड़ के आयात की मात्रा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने किस आधार पर आयात की जाने वाली मात्रा निर्धारित की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) रबड़ बोर्ड ने उपज-कर्ताओं और प्रयोक्ताओं के साथ परामर्श करने के बाद फरवरी, 1987 में 1987-88 में आयातित किये जाने वाले अपेक्षित प्राकृतिक रबड़ की मात्रा 35,000 मे० टन आंकी थी। यह आकलन प्रत्याशित उत्पादन तथा अनुमानित खपत पर आधारित था। अभी तक सरकार ने एस०टी०सी० को वर्ष 1987-88 में 35,000 मे० टन रबड़ का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है।

[हिन्दी]

बिजली करघों पर कपड़ा उत्पादन

949. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान बिजली करघों पर कितने वर्गमीटर कपड़े का उत्पादन किया गया;

(ख) सरकार ने बिजली करघों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ग) यदि कोई उपाय नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1985-86 के दौरान विकेन्द्रित क्षेत्र में विद्युतचालित करघों का उत्पादन 5886 मिलियन मीटर रहा।

(ख) विद्युत करघों के पंजीकरण का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। नए विद्युत करघे लगाने की अनुमति स्थान सम्बन्धी परिस्थितियों के अध्यधीन दी जाती है। सूती तथा कृत्रिम रेशम करघों के लिए पूरी रेशा लोचशीलता की अनुमति दी गई है। नेबार्ड विद्युत करघा सहकारी समितियों के लिए आवधिक ऋणों तथा कार्यशील पूंजी दोनों के लिए पुनर्वित्तपोषण की व्यवस्था करता है। आई० डी० बी० आई० भी

पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। सरकार ने, ऋण के वर्तमान प्रवाह का अध्ययन करने तथा आधुनिकीकरण के लिए कार्यशील पूंजी तथा आवधिक ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। राज्य सरकारों से विद्युत करघा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुरोध किया गया है। जिससे कि ऋण की व्यवस्था एवं विपणन सुविधाओं को सुकर बनाया जा सके। विद्युत करघों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तथा प्रौद्योगीकीय अपग्रेडेशन एवं उत्पाद सुधार में मदद करने के लिए विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित करने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पंजाब समझौते का कार्यान्वयन

950. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब समझौते को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिए जाने के संदर्भ में पंजाब समझौते के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सरकार को हरियाणा सरकार से पंजाब समझौते को अस्वीकार करने के बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। समझौता ज्ञापन की 11 मदों में से 8 मदों (मारे गये निर्दोष लोगों को क्षतिपूर्ति (मद सं० 1), सेना में भर्ती (मद सं० 2), नवम्बर के दंगों की जांच (मद सं० 3) सेना से बर्खास्त लोगों का पुनर्वास (मद सं० 4), लम्बित मामलों का निपटान (मद सं० 6) केन्द्र राज्य सम्बन्ध (मद सं० 8) तथा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व (मद सं० 10) तथा पंजाबी भाषा की प्रोन्नति (मद सं० 11) को कार्यान्वित कर दिया गया है। शेष तीन मदों (अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम (मद सं० 5), क्षेत्रीय दावे (मद सं० 7) नदी जल का बंटवारा (मद सं० 9) को भी कार्यान्वित करने के लिए कारंवाई शुरू की गई है।

क्षेत्रीय दावे (मद सं० 7) : वेंकट रमैया आयोग की 10-6-1986 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, चण्डीगढ़ के बदले पंजाब से हरियाणा को हस्तांतरित किये जाने वाले गांवों को विनिर्दिष्ट करने जिनमें लगभग 70,000 एकड़ भूमि है के कार्य को भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश तथा भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति डी० ए० देसाई को दिनांक 20-6-1986 को सौंपा गया है।

नदी जल का बंटवारा (मद सं० 9) : दो अप्रैल, 1986 को एक 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण गठित किया गया जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वी० बालाकृष्णा इरादी अध्यक्ष तथा दो सदस्य गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति ए० एम० अहमदी तथा केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति सी० बालाकृष्णा मेनन शामिल हैं। न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 30-1-1987 को प्रस्तुत कर दी और इसे जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 20 मई, 1987 को सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दिया गया।

अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम (मद सं० 5) : सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को इस मामले में अपने विचार भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

सरकार ने पंजाब समझौते को कार्यान्वित करने का हार्दिक प्रयास किया है और इस दिशा में आगे प्रयास जारी है।

आंध्र प्रदेश में गोलाबारूद बनाने की फैक्टरी की स्थापना

951. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में एक नई गोलाबारूद फैक्टरी की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यह कितने समय में चालू हो जाएगी; और

(ग) इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और उनमें स्थानीय लोगों की प्रतिशतता कितनी होगी ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नई प्रणोदक निर्माणी कहां स्थापित की जाये इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उपयुक्त जगह के चयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों से उपयुक्त जगह देने का अनुरोध किया गया था। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जिन जगहों की पेशकश की है उनमें वारंगल भी एक है। राज्य सरकारों ने जिन जगहों की पेशकश की है उनका निर्धारित पद्धति के अनुसार मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि निर्माणी की स्थापना कब तक होगी और इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा।

भारतीयों को ब्रिटेन विमानपत्तन पर कथित रूप से रोके रखना

952. श्री सोमनाथ रथ : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से ब्रिटेन जाने वाले यात्रियों पर वीसा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाए जाने से लेकर अब तक ब्रिटेन विमानपत्तनों पर कितने अप्रवासी भारतीयों को रोका गया;

(ख) रोके गये कितने भारतीयों को पुलिस कक्षों में रखा गया; और

(ग) क्या एअर इंडिया पर बिना वैध वीसा के यात्रियों को ले जाने के लिए कोई दण्ड लगाया गया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पर्यटक केन्द्र

953. श्री कम्मोदीलाल जाटव : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने पर्यटक केन्द्र स्थापित किए गए और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) उन पर कुल कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) क्या सरकार का चम्बल डिवीजन में एक पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का विचार है और कब तक ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को निम्नलिखित पर्यटक केन्द्रों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

(लाख रुपयों में)

	स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	किया गया व्यय
1.	सांची में कैफेटेरिया	8.32	2.00
2.	केसकल में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	4.90	2.00
3.	विओरि में आवास सहित मार्गस्थ सुविधाएं	13.71	2.00
4	जगदलपुर में पर्यटक कम्पलेक्स	31.86	5.00
5.	चन्देला सांस्कृतिक केन्द्र, खजुराहो	22.00	5.00
6.	ग्वालियर स्थित मन मन्दिर में एस०ई०एल० शो	28.83	25.00

(ग) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने चम्बल डिवीजन के अन्तर्गत विओरि में मार्गस्थ सुविधाएं स्थापित करने हेतु 13.71 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

[अनुवाद]

हड़ताल को रोकने के लिए बन्द तथा तालाबन्दी वाली पटसन मिलों को पुन: खोलना

954. श्री नारायण चौबे : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पटसन उद्योग में सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने बन्द तथा तालाबंदी वाली मिलों को तत्काल पुन: खोलने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके राष्ट्रीयकरण पर जोर देने के लिए 23 जुलाई, 1987 को हड़ताल करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस हड़ताल को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत, राज्य सरकार औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए समुचित प्राधिकारी है और इस प्रकार, इस मामले में समुचित कार्यवाही उन्हीं को करनी है।

जहां तक पटसन मिलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न का सम्बन्ध है इससे पटसन उद्योग की समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। इसके बजाए, सरकार पटसन उद्योग में समस्याओं के विभिन्न पहलुओं में से प्रत्येक पर विचार करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती रही है।

केरल के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

955. श्री बाई० रामा राय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अन्तर्गत केरल के कितने स्वतन्त्रता सेनानियों ने पेंशन के लिए आवेदन किया था;

(ख) कितने मामले मंजूर किये गये तथा कितने नामंजूर किये गये; और

(ग) स्वतन्त्रता सेनानियों की कितनी विधवाओं को पेंशन मंजूर की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31-3-1982 निश्चित की गई थी। उस तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को देर से प्राप्त हुए आवेदन पत्र माना जाता है और उनके ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब को तभी माफ किया जाता है जब आवेदन पत्र के साथ यातना दावे के समर्थन के बारे में सरकारी अभिलेखों के पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण संलग्न हों और विलम्ब से आवेदन करने के विश्वसनीय कारण दिये हों। 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान केरल से ऐसे 70 मामलों में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन मंजूर की गई।

(ग) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान केरल राज्य के स्वतंत्रता सैनिकों/स्वतंत्रता सैनिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं की 372 विधवाओं को पेंशन मंजूर/हस्तांतरित की गई।

विशाखापत्तनम और अंडमान में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करना

956. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाई है;

(ग) क्या अंडमान में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) देश में इस समय कितने मुक्त व्यापार क्षेत्र कार्य कर रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) सरकार विशाखापत्तनम में सम्भावित अतिरिक्त निर्यात प्रोसेसिंग जोन के स्थान के सम्बन्ध में सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अंडमान में मुक्त पत्तन स्थापित करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) देश में जो निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र, गांधीधाम, गुजरात।

(2) सांताक्रुज इलेक्ट्रानिक्स निर्यात प्रोसेसिंग जोन, बम्बई, महाराष्ट्र।

(3) फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फाल्टा (कलकत्ता), पश्चिम बंगाल।

(4) मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन, मद्रास, तमिलनाडु।

(5) कोचीन निर्यात प्रोसेसिंग जोन, कोचीन, केरल।

(6) नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन, नोएडा, उत्तर प्रदेश।

विस्कोस स्टेपल रेशे की कमी

957. **श्री रामभगत पासवान** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विस्कोस स्टेपल रेशे की कमी को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, ताकि छोटे उद्योगों को अपने बन्द उद्योगों को पुनः खोलने की सुविधा प्रदान की जा सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) स्वदेशी उत्पादन के जरिए विस्कोस स्टेपल रेशे की उपलब्धता ओ०जी०एल० के तहत आयातों द्वारा पूरी की जाती है। सरकार ने नई क्षमता हेतु आशय पत्र जारी किये हैं और उन पर लगातार नजर रख रही है।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय

958. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश को पर्यटन से कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार के पास राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(घ) सरकार ने विदेशी मुद्रा की आय के मामले में यदि कोई मूल्यांकन किया है, तो क्या है ?

नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय के अनुमान इस प्रकार हैं :—

	(रुपये करोड़ों में)
1984-85	1300
1985-86	1460 (अ)
1986-87	1780 (अ)

(अ) अनन्तिम

(ख) और (ग) पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान पर्यटन से लगभग 1970 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

केरल में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास के लिए सहायता

959. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास के लिए सहायता योजना के अन्तर्गत केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दी गई सहायता राशि के उपभाग का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायता संबंधित राज्य से प्राप्त प्रस्तावों, धन-राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए दी जाती है।

केरल सरकार को "अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन विकास के लिए सहायता" स्कीम के अन्तर्गत कोई धन-राशि रिलीज नहीं की गई है। गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार केरल में पर्यटन का संवर्धन करने के संबंध में शुरू की गई स्कीमों और रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(लाख रु० में)

क्र०सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1984-85	शून्य		
1985-86			
1.	पालघाट में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण	10.28	4.00
2.	कन्नानोर में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण	10.28	4.00
3.	कोट्टार्करा में मार्गस्थ सुविधाएं	10.28	4.00
4.	एल्लेपी में मार्गस्थ सुविधाएं	10.28	4.00
5.	वाईनाद में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	10.28	4.00
6.	कोचीन, कुमारकोम, कोवलान और थेक्कडी के लिए नौकाओं की व्यवस्था	50.76	25.00
7.	मेले और त्योहारों का संवर्धन	2.81	2.56
		104.99	47.56
1986-87			
1.	परम्बिकुलम में वन गृह	12.42	6.00
2.	कोवलान में यात्री निवास	35.35	8.00
3.	त्रिवेन्द्रम में यात्री निवास	26.43	8.00
4.	केरल के लिए ट्रैकिंग उपकरण	3.24	2.92
5.	केरल के लिए जल क्रीड़ा उपकरण	17.31	15.00
6.	मेले और त्योहारों के लिए सहायता		0.25
7.	कोट्टार्करा में मार्गस्थ सुविधाएं		5.00
8.	एल्लेपी में मार्गस्थ सुविधाएं		5.00
9.	कन्नानोर में मार्गस्थ सुविधाएं		5.00
10.	कपाड में समुद्रतट विहार-स्थल	55.00	8.00
		149.75	63.17

प्लास्टिक उद्योग पर जूट पैकिंग का प्रभाव

960. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वस्तुओं के लिए अनिवार्य रूप से जूट की पैकिंग का प्रयोग करने के फलस्वरूप प्लास्टिक के बुने हुए थैलों के उद्योग की अधिकांश क्षमता बेकार की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उक्त उद्योग रुग्ण हो जाएगा और उसे छंटनी का सामना करना पड़ेगा; और

(ग) सरकार को इस उद्योग की सहायता के लिए कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) चूंकि पटसन उद्योग हाल के वर्षों में मुख्यत: संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से गम्भीर संकट से गुजर रहा है, इसलिए पटसन क्षेत्र के हितों की सुरक्षा के लिए, जिस पर लगभग 4 मिलियन पटसन किसानों तथा लगभग 2.5 लाख औद्योगिक कामगारों की जीविका निर्भर है, पटसन पैकेजिंग पर कानून बनाना आवश्यक समझा गया है, हालांकि पटसन क्षेत्र के हितों की सुरक्षा की जानी है परन्तु सरकार संश्लिष्ट बोरों के विनिर्माण क्षेत्र की समस्याओं से समान रूप से चिन्तित है और इसलिए एक स्थाई सलाहकार समिति का गठन अधिनियम में ही दिया गया है जो सरकार को पटसन की पैकेजिंग के प्रतिशत स्तरों की सिफारिश करने से पूर्व अनेक बातों को ध्यान में रखेगा। इस प्रावधान के पीछे उद्देश्य यह है कि देश के भीतर ही पटसन तथा संश्लिष्ट पैकेजिंग दोनों क्षेत्रों के लिए एक संतुलित विकास प्राप्त किया जाए। क्षेत्र तथा प्रतिशत स्तर जो पटसन के अन्तर्गत नहीं आते हैं वे संश्लिष्ट पैकेजिंग क्षेत्र के लिए उपलब्ध हैं।

आयात और निर्यात नीति

961. श्री हुसैन दलवाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी पंचवर्षीय योजना पद्धति के अनुरूप पंचवर्षीय आयात और निर्यात नीति की नई प्रणाली तैयार करने और उसे अपनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) आयात तथा निर्यात नीति को पंचवर्षीय योजनाओं के साथ को-टर्मिनस बनाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। अगली आयात और निर्यात नीति तैयार की जा रही है और इस अवस्था में कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

मिजोरम सम्बन्धी समझौते का कार्यान्वयन

962. श्री शरद दिघे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम सम्बन्धी समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) कौन-कौन सी शर्तें अभी लागू की जानी हैं और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) जहां तक केन्द्र

सरकार का सम्बन्ध है मिजोरम समझौते के ज्ञापन के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही की जा चुकी है। एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार मिजो नेशनल फ्रंट के कार्मिक बाहर आ गए और उन्होंने हथियार और गोला-बारूद जमा कर दिया जिससे मिजोरम में सामान्य स्थिति बहाल हुई। मिजो नेशनल फ्रंट के कार्मिकों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा ज्ञापन के पैरा-4 में परिकल्पित विधायी उपाय किये जा चुके हैं। 40 सदस्यीय राज्य विधान सभा के चुनाव कराये गये थे और निर्वाचित सरकार ने कार्यभार सम्भाल लिया है। 20 फरवरी, 1987 से मिजोरम राज्य बन गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को ब्याज अवकाश (इंट्रेस्ट हालीडे) देना

963. **श्री यशवंतराव गड़ाख पाटिल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कपड़ा निगम को पांच वर्ष की और अवधि के लिए ब्याज अवकाश (इंट्रेस्ट हालीडे) प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ 1-4-1986 से पांच वर्ष की और अवधि के लिए ब्याज में राहत प्राप्त करना है। समयावृद्धि इसलिए मांगी गई है क्योंकि ब्याज अवकाश के बावजूद मिलों को भारी हानियां हुई हैं तथा वापस करने की क्षमता के अभाव में वे इस भार को सहन करने की स्थिति में नहीं हैं।

रक्षा भण्डारों में हानि

964. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा भंडारों में चोरी, धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि को माफ किए जाने में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है और भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार यह हानि वर्ष 1985-86 के दौरान 10 करोड़ रुपये की राशि से अधिक हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान भंडारों में चोरी, धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुई हानि की वजह से बट्टे खाते में डाली गई राशि में वृद्धि हुई है लेकिन यह मुख्यतः विमानन भंडारों की हानि में वृद्धि के कारण हुआ है। यदि विमानन भंडारों में हुई हानियों की राशि हटा दी जाए तो 1985-86 के दौरान चोरी, धोखाधड़ी अथवा लापरवाही के कारण हुई भंडारों की हानि की राशि में कोई वृद्धि नहीं दिखती बल्कि 1984-85 की तुलना में इसमें कमी हुई है, जैसा कि अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है :—

(रुपये हजार में)

	चोरी, धोखाधड़ी और लापरवाही के कारण भंडार में हुई हानि की कुल राशि	विमानन भंडारों के कारण हानि	हानि की अन्य मदें
1983-84	5,12,75	4,64,05	48,70
1984-85	7,17,70	6,09,66	1,08,04
1985-86	10,19,24	9,78,95	40,29

वायुसेना में हानि में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं :

संक्रियाओं की अधिकता, विमान का पुराना हो जाना, विमान/उसके फालतू पुर्जों आदि की कीमत में वृद्धि होना,

सुधारात्मक उपायों के तौर पर, वायु सेना प्राधिकारियों ने "कार्य के दौरान प्रशिक्षण" देने (ऑन-दी-जाब ट्रेनिंग) सप्ताह में एक दिन का प्रशिक्षण देने, वायु कर्मियों को प्राकृतिक खतरों पर हिदायत देने, अनुभवी पर्यवेक्षकों की तैनाती करने और वायुसेना कार्मिकों द्वारा सही तकनीकी अभ्यास लागू करने की व्यवस्था की है। अनुभवहीन पायलटों की व्यावसायिकता पर निकट से निगरानी रखने और उनकी दोहरी कठोर जांच-पड़ताल करने के अनुदेश भी जारी किए गये हैं। संबंधित सेना/सिविलियन कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कारंवाई भी की गई है।

कर्नाटक में पर्यटक केन्द्रों का विकास

965. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कर्नाटक में पर्यटक केन्द्रों के विकास में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए क्या विशिष्ट योजना बनाई है ?

नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार के परामर्श से कर्नाटक में निम्नलिखित केन्द्रों को केन्द्र, राज्य तथा प्राइवेट सेक्टर के मिश्रित संसाधनों द्वारा पर्यटन आधार-संरचना का एकीकृत विकास करने के लिए अभिनिर्धारित किया है :

बेलगांव, बीजापुर, बदामी, पट्टाडकल, अईहोल, होसपेट, हम्पी, बंगलौर, मैसूर, बांदीपुर, नागरहोल, हसन, बेलूर हालेबिड, श्रवणबेलगोल, मर्कारा, मंगलौर और पश्चिमी समुद्रतट।

सातवीं योजना के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक के संबंध में निम्नलिखित स्कीमें स्वीकृत की हैं :—

स्कीम का नाम	(लाख रुपये में) स्वीकृत राशि
1. उल्सूर झील के लिए नौकाएं	1.23
2. थालकाडु में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1.37
3. जोगफाल्स में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	4.25
4. श्रृंगेरी में रेस्तरां और टायलेट ब्लाक	6.00
5. श्रीकंटेश्वरा मंदिर, ननजनगुद में प्रकाशपुंज व्यवस्था	3.09
6. होयसला सांस्कृतिक केन्द्र, हालेबिड	33.00
7. आईहोल, बदामी, पट्टादकल, हम्पी और बीजापुर में टायलेट और पीने के पानी की सुविधाएं	7.50
8. मुलबगल में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	14 00
9. बेलगांव में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	17.51

उत्पादकता बढ़ाने के लिए विद्युतचालित करघा क्षेत्र का विकास

966. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विद्युत करघा क्षेत्र का विकास करने और उसके स्वदेशी और निर्यात विपणन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ;

(ख) विद्युत चालित करघों की अनुमानित संख्या कितनी है और विद्युतकरघों द्वारा मुख्यत: कपड़े की कौन-कौन सी मदें तैयार की जाती हैं; और

(ग) विद्युत करघा क्षेत्र में उत्पादकता, कार्यकुशलता बढ़ाने और कामगारों के कल्याण के लिए क्या योजनायें हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) विद्युत करघों के पंजीकरण का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। नये विद्युत करघे लगाने की अनुमति स्थान सम्बन्धी परिस्थितियों के अध्यधीन दी जाती है। सूती तथा कृत्रिम रेशम करघों के लिए पूरी रेशा लोचशीलता की अनुमति दी गई है। नेबार्ड विद्युत करघा सहकारी समितियों के लिए आवधिक ऋणों तथा कार्यशील पूंजी दोनों के लिए पुनर्वित्तपोषण की व्यवस्था करता है। आई०डी०बी०आई० भी पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। सरकार ने, ऋण के वर्तमान प्रवाह का अध्ययन करने तथा आधुनिकीकरण के लिए कार्यशील पूंजी तथा आवधिक ऋणों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है। राज्य सरकारों से विद्युत करघा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुरोध किया गया है जिससे कि ऋण की व्यवस्था एवं विपणन सुविधाओं को सुकर बनाया जा सके। विद्युतकरघा वस्त्रों के संबंध में कपड़े के

निर्यात के लिए प्रोत्साहन भी उपलब्ध है।

(ख) 31-3-1986 को देश में 6.38 लाख विद्युतचालित करघे थे। ऐसा अनुमान है कि अप्राधिकृत विद्युत करघों के पंजीकरण की अनुमति दिये जाने से ये आंकड़े बाद में बढ़ जाएंगे। विद्युत करघों के मुख्य क्षेत्र हैं : महाराष्ट्र में भिवण्डी, मालेगांव, इच्छलकरंजी, धूले, शोलापुर, बम्बई तथा थाणे, गुजरात में अहमदाबाद तथा सूरत, राजस्थान में किशनगढ़, पंजाब में अमृतसर, उत्तर प्रदेश में मेरठ, टण्डा तथा मऊनाथभंजन, बिहार में गया तथा भागलपुर, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, कर्नाटक में बेलगांव, बंगलौर तथा डोड्डा-बालापुर तथा तमिलनाडु में इरोड, मद्रास, मदुराई, कोमारापल्लयम, राजापल्लयम, सलेम तथा विरुधुनगर।

(ग) विद्युत करघों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तथा उनके प्रौद्योगीकीय अपग्रेडेशन एवं उत्पाद सुधार में मदद करने के लिए विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित करने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। असंगठित क्षेत्र के हथकरघा तथा विद्युतकरघा क्षेत्रों में नियोजित कामगारों की कार्य दशाएं सुधारने के लिए, सरकार ने एक त्रिपक्षीय अध्ययन दल स्थापित किया है। राज्य सरकारों से विद्युत करघा क्षेत्र में नियोजित कामगारों के कल्याण के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

राजस्थान में हथकरघा बुनकरों/कामगारों की स्थितियों का अध्ययन

967. श्री शांति धारीवाल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में हथकरघा बुनकरों/कामगारों की खराब स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन कामगारों से कुछ ऐसे ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने अपनी कठिनाइयां बताई हैं;

(घ) राजस्थान के बुनकरों की प्राचीन समय से चली आ रही विश्व-प्रसिद्ध कारीगरी को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार का इस प्रयोजन के लिये राजस्थान सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां, संघ सरकार को हथकरघा बुनकरों की एसोसिएशनों से उनकी शिकायतों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इन ज्ञापनों को आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार के पास हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिये प्राथमिक समितियों, शीर्ष समितियों एवं राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता, कल्याण योजनाएं, प्रोसेस सदनों की स्थापना के लिये सहायता तथा करघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता जैसी कई योजनाएं हैं। ये योजनाएं राजस्थान में भी चल रही हैं। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर समान आकार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पंजाब में आतंकवादियों द्वारा हत्यायें

968. श्री मानिक रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में "आपरेशन ब्लू स्टार" के बाद से आज तक आतंकवादियों द्वारा कितने पुरुष, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से इस्पात का निर्यात

969. श्री राधाकांत डिगाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उपभोक्ताओं की केन्द्रीय सम्पर्क समिति की बंगलौर में हुई चौथी बैठक में सर्वसम्मति से इस्पात का निर्यात खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से जारी रखने का निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या समिनि ने खनिज और धातु व्यापार निगम को इस्पात के आयात सम्बन्धी अपने कार्य संचालन के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का सुझाव भी दिया है ताकि उपभोक्ता सेवाओं में और सुधार किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो खनिज और धातु व्यापार निगम ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) आयात तथा निर्यात नीति 1985—88 के परिशिष्ट-5 क में सूचीबद्ध लोहा तथा इस्पात मदों के आयात के लिए भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम एक सरणीकरण अभिकरण है । बंगलौर में हुई इस्पात उपभोक्ताओं की केन्द्रीय सम्पर्क समिति की चौथी बैठक में उपभोक्ताओं, उनकी एसोसिएशनों एवं परिसंघों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश भागीदारों ने आयात से पूरी की जाने वाली लोह तथा इस्पात मदों की उद्योग की आवश्यकता की सर्विसिंग में भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की भूमिका की सराहना की । बड़ी संख्या में भागीदारों ने भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम की मार्फत इस्पात के आयातों को जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया ।

(ख) जी हां ।

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने हाल में पर्याप्त क्षमता वाली एक नई कम्प्यूटर प्रणाली शामिल की है । आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से लदान होने तक लोहा तथा इस्पात की मांग की सर्विसिंग के लिए साफ्टवेयर विकसित कर लिया गया है । हस्त डाटा को यंत्रीकृत डाटा प्रोसैसिंग में सुगमतापूर्वक बदलने के लिए स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

टायर निर्माताओं का अभ्यावेदन

970. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टायर निर्माताओं से रबड़ की कीमतें कम करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने, मांग-पूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए रबड़ का आयात करने जैसे कई कदम उठा रही है तथा उचित कीमतों पर रबड़ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माताओं एवं उत्पादकों के साथ बराबर सम्पर्क रखती है।

केरल में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों से जारी किये गये पासपोर्ट

971. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 में केरल में स्थित प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किये गये; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल में कोई अन्य पासपोर्ट कार्यालय अथवा पासपोर्ट जारी करने वाले केन्द्र खोलने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) केरल में दो पासपोर्ट कार्यालय हैं एक कोचीन (एर्नाकुलम) में और दूसरा कोजीकोड में अप्रैल, 1986 से मार्च, 1987 के बीच की अवधि में इन दोनों पासपोर्ट कार्यालयों से जारी किये गये पासपोर्टों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है :

(1)	कोचीन	68,644
(2)	कोजीकोड	61,130

त्रिवेन्द्रम में भी एक पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय है जो भारतीय पासपोर्ट पर विविध प्रकार की सेवाएं ही प्रदान करता है।

(ख) जी नहीं।

खनिज व धातु निगम द्वारा झींगा संवर्धन क्षेत्र की स्थापना

972. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम झींगा निर्यात करने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या एक कृत्रिम-झींगा संवर्धन क्षेत्र बनाने के लिए खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने किसी विदेशी कंपनी से कोई समझौता किया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) झींगा संवर्धन क्षेत्र को किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हज तीर्थ यात्री

973. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान भारत से राज्यवार कितने व्यक्ति हज तीर्थ यात्रा पर गए; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो इस वर्ष तीर्थ यात्रा पर नहीं आ सके ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1986 के दौरान भारत से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों की राज्यवार संख्या दी गई है। 1987 के दौरान भारत से गये हज यात्रियों के संबंध में यह सूचना सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) अपेक्षित ब्यौरा तभी दिया जा सकेगा जबकि भारत से सभी यात्री रवाना हो जाएं।

विवरण

1986 के दौरान भारत से गए हज यात्रियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य का नाम	1986 के दौरान गये हज यात्रियों की संख्या	
		वायुयान से	समुद्र के रास्ते
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	805	261
2.	असम/मणिपुर/नागालैंड/मेघालय/अरुणाचल प्रदेश/सिक्कम	290	276
3.	बिहार	367	548
4.	गुजरात/दादरा/नगर हवेली	1,721	180
5.	दिल्ली	384	30
6.	जम्मू और कश्मीर	1,422	222
7.	कर्नाटक	995	232
8.	केरल	2,205	304
9.	मध्य प्रदेश	459	143
10.	महाराष्ट्र/गोवा/दमन व दीव	4,027	363
11.	उड़ीसा	41	16
12.	राजस्थान	691	156
13.	तमिलनाडु	950	148
14.	उत्तर प्रदेश	3,218	1,089
15.	पश्चिम बंगाल	503	652
16.	हरियाणा	123	27
17.	लक्षद्वीप	37	20
18.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10	4
19.	हिमाचल प्रदेश	—	4

1	2	3	4
20.	पांडिचेरी	13	—
21.	पंजाब	45	10
22.	त्रिपुरा	9	—
	योग :	18,315	4,685
	कुल योग :	23,000	

सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्तियों के लिये आय स्तर में एकरूपता

974. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन अभिभावकों के आय स्तर में एकरूपता सुनिश्चित की है जिनके बच्चे देश के विभिन्न भागों में स्थित सैनिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां पाने के योग्य हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितना आय स्तर निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में एक समान पद्धति आरम्भ करने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे और ये कदम कब तक उठाए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों ने सैनिक स्कूलों के छात्रों के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति योजनाएं बनाई हैं। रक्षा मंत्रालय, रक्षा कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को कुछ छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। आय स्लैबों पर आधारित आय के मानदण्ड जो केवल भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए लागू हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(i)	1000/- रुपये तक मासिक आय	—	पूरी छात्रवृत्ति
(ii)	1001 रुपये से 1600 रुपये तक मासिक आय।	—	आधी छात्रवृत्ति
(iii)	1600 रुपये से अधिक मासिक आय।	—	कोई छात्रवृत्ति नहीं।

ये सारे देश में समान रूप से लागू हैं।

लेकिन अधिकतर छात्रवृत्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा अपनी योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत जिन अभिभावकों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा सकती है उनकी आय के स्लैबों में कोई एकरूपता नहीं होती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की शर्तें निर्धारित करना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के स्वविवेकाधिकार में आता है।

हिमालय-क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा

975. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय राज्यों/क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने तीर्थ स्थानों में यात्रा, आवास तथा मनोरंजन की सुविधाएं तथा इन क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करने के किसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं तथा इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या राज्य सरकारों तथा उन क्षेत्रों में कार्य कर रही अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे ट्रेक एजेंसियों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में शामिल किया जाएगा; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सरकार ने हिमालय के पर्यटन का संवर्धन करने के क्षेत्र में राज्य पर्यटन एवं अन्य अभिकरणों की कार्य प्रणाली को दिशा प्रदान करने तथा उनके समन्वय स्थापित करने हेतु हिमालय पर्यटन परिषद नामक एक शीर्षस्थ निकाय की स्थापना की है। यह परिषद हिमालय क्षेत्र में पर्वतारोहण, पैदल भ्रमण, जल क्रीड़ाओं, वन्य-जीवन एवं सावकाश पर्यटन जैसी शाखाओं को समाहित करेगी। यह परिषद हिमालय पर्यटन की सूचना का प्रचार-प्रसार, उसका संवर्धन, मार्केटिंग तथा अन्य सम्बद्ध मामलों से संबंधित मामलों में समन्वय भी स्थापित करेगी।

हिमालय में पर्यटन का विकास करने के बारे में परिषद की कारंवाई में तेजी लाने एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में एक कृतिक बल की नियुक्ति की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) परिषद के निर्णय लेने की प्रक्रिया से हिमालय पर्यटन के क्षेत्र में सक्रिय हिमालय खेल संगठन एवं यात्रा अभिकरण घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं।

एमीमाला, केरल में नौसैनिक अकादमी

976. श्री टी० बशीर
श्री पी० ए० एन्टनी } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कन्नानूर जिले में एमीमाला में जवाहर लाल नेहरू नौसैनिक अकादमी के निर्माण कार्य में, 17 जनवरी, 1987 को प्रधान मंत्री द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद से अब तक क्या कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(I) इस अकादमी की योजना/डिजाइन के लिए एक अखिल भारतीय वास्तुकला (आर्की-

टेक्चरल) प्रतियोगिता आयोजित करने की व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(II) निर्माण कार्य समय पर आरम्भ किया जा सके इसके लिए उपयुक्त अग्रिम कारंवाई शुरू कर दी गई है।

हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों में सैनिक छावनियां

977. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों में सैनिक छावनियां स्थापित करने के संबंध में 30 जून, 1987 तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) ये छावनियां कब तक तैयार हो जाएंगी; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) थलसेना के प्राधिकारी, सरकार की मंजूरी के लिए भूमि की मात्रा और इसकी जगह के बारे में आवश्यक ब्यौरे तैयार कर रहे हैं। इस स्तर पर यह बताना सम्भव नहीं है कि भूमि अन्तिम रूप से कब तक अधिग्रहीत कर ली जाएगी और सैन्य केन्द्र कब तक स्थापित किया जाएगा।

पालिएस्टर स्टेपल फाइबर आयात नीति की पुनरीक्षा

978. श्री मोहन भाई पटेल
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1987-88 के दौरान पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पालिएस्टर स्टेपल फाइबर की कितनी मात्रा का आयात किये जाने की सम्भावना है और इस पर कितना व्यय होगा;

(ग) क्या यह सुझाव दिया गया है कि देश में ही पालिएस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन करने की बढ़ी हुई क्षमता को ध्यान में रखते हुए नीति की पुनरीक्षा की जानी चाहिए; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के आयात की पुनरीक्षा करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के आयात की नीति की पहले ही समीक्षा कर ली गई है तथा 6-5-1987 से एस० टी० सी० के जरिए इसके आयात को सरणीबद्ध कर दिया गया है।

पंजाब से प्रव्रजन

979. श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के परिवार पंजाब से प्रव्रजन कर रहे हैं और देश के अन्य भागों में आकर बस रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने परिवारों ने पंजाब से प्रव्रजन किया है;

(ग) उनका प्रव्रजन रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इन प्रव्रजक परिवारों को फिर से बसाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 21 जून, 1987 तक पंजाब से लगभग 3200 परिवार विभिन्न राज्यों में चले गए हैं।

(ग) और (घ) पंजाब से प्रव्रजन को रोकने और इस प्रकार के व्यक्तियों की जान और माल की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में, पुलिस प्रबन्ध को सुदृढ़ करना और ग्रामीण और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों को तैनात करना, ग्रामीण रक्षा योजना प्रारम्भ करना जिसमें लोगों द्वारा जो अधिकांशत: भूतपूर्व सैनिक हैं, गांवों में गश्त करना और निगरानी करना, आतंकवादियों के छिपने के स्थानों, शरणगाहों और उनके साथियों पर छापे मारना, घोर आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करना सम्मिलित है। पंजाब सरकार के अनुसार आप्रवासियों को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें वापस अपने मूल स्थानों पर लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

एर्णाकुलम पासपोर्ट कार्यालय, केरल से पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होना

980. **श्री टी० बशीर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एर्णाकुलम पासपोर्ट कार्यालय, केरल में कर्मचारियों की संख्या कम है और उस कार्यालय से पासपोर्ट जारी करने में बहुत अधिक विलम्ब होता है;

(ख) क्या उक्त कार्यालय में अधिक कर्मचारी नियुक्त करने और इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए पिछले तीन वर्षों में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) पासपोर्ट कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या वित्त मंत्रालय के कार्मिक निरीक्षण एकक द्वारा स्थापित मानदण्ड के अनुसार है। इस पासपोर्ट कार्यालय में नये पासपोर्ट जारी करने में जो देरी होती है उसका मुख्य कारण यह है कि राज्य पुलिस प्राधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब हो जाता है या फिर पासपोर्ट के आवेदन में सूचना ही अधूरी होती है।

जैसा कि नीचे के आंकड़े देखने से पता चलता है एर्णाकुलम स्थित पासपोर्ट कार्यालय में विगत तीन वर्षों में काम काफी कम हो गया है :—

वर्ष	प्राप्त नये आवेदनों की संख्या	प्राप्त विविध आवेदनों की संख्या
1984	1,19,573	96,347
1985	92,316	54,553
1986	73,835	68,653

इसलिए पासपोर्ट कार्यालय, एर्णाकुलम में और कर्मचारियों की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं है।

गैर-पारम्परिक वस्तुओं का निर्यात

981. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 में गैर-पारम्परिक वस्तुओं का बहुत ही कम मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, नहीं। 1986-87 के दौरान सिले-सिलाये परिधानों, चमड़ा और चमड़ा उत्पादों (फुट वियर शामिल), रत्न तथा आभूषणों, रसायनों एवं सम्बद्ध उत्पादों, मशीनरी, परिवहन उपस्करों और धातु उत्पादों जैसे गैर-परम्परागत निर्यातों से आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में राज्य व्यापार निगम की उप-शाखा खोलना

982. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में राज्य व्यापार निगम की एक शाखा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो यह शाखा कब तक खोल दी जाएगी; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक उप-शाखा खोलने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्थान किराये पर लेने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। आशा है कि यह उप-शाखा दिसम्बर, 1987 के अन्त तक कार्य करना आरम्भ कर देगी।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाना

983. डा० बी० एल० शैलेश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कुछ समय से इस काम को रोक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस काम को कब तक फिर से शुरू किये जाने और पूरा किये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) भारत-बंगलादेश सीमा के साथ असम और मेघालय क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के सर्वेक्षण कार्य के साथ-साथ कांटेदार तारों की बाड़

लगाने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। असम क्षेत्र में फील्ड सर्वेक्षण कार्य लगभग पूरा हो गया है। कांटेदार तारों की बाड़ लगाने का कार्य सड़कों के निर्माण के बाद क्षेत्रवार शुरू किया जाएगा।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण का कार्य जिसे प्रारम्भ में असम के धुबरी जिले में मार्च, 1984 में रम्भ किया गया था, बंगलादेश राइफल्स द्वारा अकारण गोली-बारी किए जाने के कारण रोक दिया गया था। कार्य गत वर्ष दुबारा शुरू किया गया।

भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ सड़कों के निर्माण/बाड़ लगाने की परियोजना दो चरणों में शुरू की जाएगी और प्रत्येक चरण में लगभग 5 वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

पश्चिम बंगाल में "बक्सा फोर्ड" का विकास

984. श्री पीयूष तिरकी : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में "बक्सा फोर्ड" नामक स्थान को भारत के पर्यटन मानचित्र में शामिल करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस ऐतिहासिक स्थान को विकसित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई सर्वेक्षण किया गया है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन केन्द्रों का विकास करता है। पर्यटन मन्त्रालय को बक्सा फोर्ड का विकास करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मन्त्रालय ने बक्सा फोर्ड का विकास करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

कपास उत्पादकों के लिए लाभप्रद मूल्य

985. डा० दत्ता सामंत : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985, 1986 और 30 जून, 1987 तक मिलों में कपास की कितनी खपत हुई;

(ख) भारतीय कपास निगम और महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादक परिसंघ के पास 30-6-1987 की स्थिति के अनुसार कितना कपास भंडार मौजूद था; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कपास उत्पादकों को कपास का लाभप्रद मूल्य मिले, सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) रुई की मिल खपत निम्नोक्त प्रकार है :—

	(लाख गांठों में)
1984-85	86.50
1985-86	86.57
1986-87 (30-6-87 तक)	78.50 (अनुमानित)

(ख) भारतीय कपास निगम और महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्ता विपणन परिसंघ के पास जून के अन्त तक की स्थिति के अनुसार बिना बिका हुआ स्टाक क्रमश: 3253 गांठों तथा 1.19 लाख गांठों का था।

(ग) चालू रुई मौसम के दौरान कीमतें काफी प्रतियोगी हैं। तथापि, रुई उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने काफी पहले न्यूनतम समर्थन कीमतें घोषित कर दी हैं। इसके अलावा सरकार ने दीर्घकालीन निर्यात नीति भी प्रतिपादित कर दी है ताकि रुई उपजकर्ता अपनी उपज पर लाभकारी कीमतें प्राप्त कर सकें।

भारत-ईरान परस्पर व्यापार समझौता

986. **श्री बी० एम० बनातवाला** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-ईरान परस्पर व्यापार समझौते को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या समझौते को अन्तिम रूप देने में कठिनाइयां आ गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) तेल का पर्याप्त आयात सुनिश्चित करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री-(श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) फरवरी, 1987 में हस्ताक्षरित भारत तथा ईरान के बीच प्रति व्यापार करार को अन्तिम रूप देने में कठिनाइयां पैदा हो गई हैं, जिसके अनुसार ईरान को भारत से तेल संविदा की अवधि के दौरान संविदाकृत तेल के मूल के 50% के बराबर मूल्य की मदों के आयात करने थे।

(ग) फरवरी, 1987 में हुए करार की व्याख्या में भिन्नता है। ईरानी करार की व्याख्या इस रूप में कर रहे हैं कि हमारे कुल व्यापार में 2:1 अनुपात होगा। यह करार के प्रतिकूल है जिसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि उसका संबंध केवल तेल संविदाओं से होगा, कुल द्विपक्षीय व्यापार से नहीं।

निर्यातों का संवर्धन तेल संविदाओं से अलग स्वतंत्र रूप से करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) तेल की आवश्यकताओं को या तो हाजिर बाजार में खरीद करके अथवा अन्य सावधिक करारों द्वारा पूरा करने का प्रस्ताव है।

मानव निर्मित फाइबर और धागे का उत्पादन

987. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984, 1985 और 1986 में मानव निर्मित फाइबर और धागे के कितने उत्पादकों ने उत्पादन की लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन किया;

(ख) क्या उनमें से किसी उत्पादक ने लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन किया;

(ग) यदि हां, तो ऐसे उत्पादकों की संख्या कितनी है और क्या अतिरिक्त मशीनें लगाने के बारे में कोई व्यापक जांच की गई है; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) उक्त अवधि के दौरान सेल्यूलोसिक मानव निर्मित फाइबर/यार्न के छः उत्पादकों ने अपनी लाइसेंस क्षमता का अतिक्रमण किया। इनमें विस्कोस स्टेपल फाइबर का एक उत्पादक एवं विस्कोस फिलामेंट यार्न के पांच उत्पादक शामिल हैं। विस्कोस स्टेपल फाइबर के उत्पादक के सम्बन्ध में अतिरिक्त/अनधिकृत क्षमता के मामले पर पहले विचार किया गया था। तथापि, 1984, 1985 तथा 1986 के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

988. डा० दत्ता सामंत
श्री डी० बी० पाटिल
श्री बालासाहिब विखे पाटिल
श्री बिमल कांति घोष
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त महाराष्ट्र सीमा समिति के प्रतिनिधि मण्डल ने 18 जून, 1987 को पुणे में प्रधान मंत्री से भेंट के दौरान क्या मामले उठाए; और

(ख) महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) संयुक्त महाराष्ट्र सीमा समिति के एक प्रतिनिधि मण्डल ने 16 जून, 1987 को प्रधान मंत्री से भेंट की और महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य लम्बे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया।

(ख) भारत सरकार का मत है कि यह सीमा विवाद संबंधित राज्यों के स्वैच्छिक सहयोग से ही हल किया जा सकता है और इसके लिए केन्द्र सरकार उन्हें सभी संभव सहायता देगी। फिर भी, सरकार अपनी ओर से उन तरीकों पर विचार कर रही है जिनसे समस्या के समाधान को सुसाध्य बनाने के लिए पहल की जा सकती हो।

कर्नाटक राज्य शिक्षा विधेयक

989. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य शिक्षा विधेयक केन्द्रीय सरकार को राष्ट्रपति की सहमति के लिए कब प्राप्त हुआ था; और

(ख) इस विधेयक पर कब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) कर्नाटक शिक्षा विधेयक 1983, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10-7-84 को इस मन्त्रालय में प्राप्त हुआ।

(ख) विधेयक पर भारत सरकार विचार कर रही है। यह बताना सम्भव नहीं है कि कब तक

इसको स्वीकृति प्राप्त होगी ।

[हिन्दी]

पुलिस के लिए कम्प्यूटर

990. श्री सरफराज अहमद
श्रीमती मनोरमा सिंह
श्री विलास मुत्तेमवार
: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जहां पुलिस ने कंप्यूटरों का इस्तेमाल आरम्भ कर दिया है; उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है;

(ख) किन कार्यों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल लाभप्रद सिद्ध हुआ है और किन कार्यों के लिए वे उपयोगी सिद्ध नहीं हुए हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार खरीदे गए कंप्यूटर दोषपूर्ण पाए गए और यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र जहां पुलिस विभाग ने कंप्यूटरों का इस्तेमाल आरम्भ कर दिया है, इस प्रकार हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. मध्य प्रदेश
4. महाराष्ट्र
5. कर्नाटक
6. केरल
7. राजस्थान
8. पंजाब
9. तमिलनाडु
10. उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम बंगाल
12. उड़ीसा
13. दिल्ली

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत दी गई केन्द्रीय सहायता में से 8 करोड़ रुपए की लागत से 12 राज्यों में कंप्यूटर लगाये गये। भवनों, वातानुकूल, संचार लाइनों और उपकरणों, कर्मचारियों और चुम्बकीय माध्यम पर होने वाला व्यय राज्य सरकारों ने वहन किया। संघ शासित

प्रदेश दिल्ली में महा-निदेशालय समन्वय पुलिस कंप्यूटर में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) कंप्यूटरों को अनिवार्यता: अपराध-अपराधी और अंगुली-छाप सूचना प्रणाली के लिए लगाया गया। इसका काम अपराधों की जांच-पड़ताल और उनका पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल करने वाले अधिकारियों को सूचना प्रदान करना था। ये पद्धतियां जहां भी कार्यान्वित की गयीं, उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

(ग) खरीदा गया कोई कंप्यूटर किसी राज्य में खराब नहीं पाया गया। जब भी रुकावट अथवा खराबी पाई गई, इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० के इंजीनियरों ने ठीक कर दिया।

[अनुवाद]

चीनी हथियारों का पकड़ा जाना

991. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री मानिक रेड्डी
श्री सुभाष यादव
श्री प्रकाश चन्द्र
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीन में निर्मित हथियार पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में अनुमानतः चीन में निर्मित कितने हथियार पकड़े गए हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच-पड़ताल की गई है; और

(घ) देश में चीनी हथियारों की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार चीन में बने 26 हथियार पंजाब में उग्रवादियों से और तीन हथियार उत्तर पूर्वी राज्यों नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में विद्रोहियों से बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त मिजोरम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद मिजोरम राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा जमा किए गए हथियारों में से 3 चीन में बने पाए गए। बताया जाता है कि इनमें से अधिकांश हथियार सीमा पार से तस्करी करके लाए गए थे। किए गए निवारात्मक उपायों में तस्करी के संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखना और सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त कड़ी करना शामिल हैं।

चीन द्वारा पाकिस्तान को लड़ाकू विमान सप्लाई किए जाने के समाचार

992. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री मानिक रेड्डी
श्री सुभाष यादव
श्री प्रकाश चन्द्र
: क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि चीन पाकिस्तान को टैंकों और भारी तोपखाने के साथ-साथ नवीनतम लड़ाकू विमान की सप्लाई करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार पत्रों की ये रिपोर्टें देखी हैं और उसे इस बात की जानकारी है कि चीन पाकिस्तान को लड़ाकू विमान, टैंक और तोपखाने सप्लाई कर रहा है।

(ग) हमारी रक्षा योजना के अभ्यासों में इन गतिविधियों को, ध्यान में रखा जाता है और इससे निपटने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

खाड़ी देशों में कार्य कर रहे भारतीयों की शिकायतें

993. श्री के० बी० थामस : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मिशनों को खाड़ी देशों में कार्य कर रहे भारतीयों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नियोजकों द्वारा उन्हें सताया और परेशान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार ने खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों की समस्याओं को हल करने में उनकी सहायता करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना मांगी गई है और उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भारतीय नौसेना के लिए तैरती शुष्क गोदी (फ्लोटिंग ड्राई डाक)

994. प्रो० के० वी० थामस
श्री वी० तुलसीराम
श्री तम्पन थामस
श्री शांति धारीवाल
: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय नौसेना में एक तैरती शुष्क गोदी चालू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी लागत क्षमता तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) तैरती शुष्क गोदी (फ्लोटिंग ड्राई डाक) का निर्माण जापान में एक फर्म ने किया। यह 11,500 टन भार उठा सकती है और इसे मैसर्स एस्कार्ट्स लिमिटेड इंडिया से 10.9 करोड़ रुपये में खरीदा गया।

दिल्ली बन्द

995. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राजनीतिक दलों द्वारा 9 जुलाई, 1987 को दिल्ली बन्द का आह्वान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस दिन हिंसा और लूटमार की कितनी घटनाएं होने के समाचार मिले हैं; और

(ग) उनमें जान और माल की कितनी हानि होने का अनुमान है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 6 मामले दर्ज किए गए ।

(ग) जान की कोई क्षति सूचित नहीं की गई है । सम्पत्ति का नुकसान लगभग एक लाख रुपये का बताया गया है ।

कपड़ा उद्योग में छंटनी

996. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कपड़ा उद्योगों में युक्तियुक्तकरण और आधुनिकीकरण के नाम पर पैकेज व्यवस्था के रूप में कामगारों की छंटनी के रूप में की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(ग) छंटनी को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

हथकरघा निर्मित कपड़े के निर्यात के लिए सुविधाएं

998. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा निर्मित कपड़े के निर्यात के लिए क्या सुविधायें दी गई हैं और किन-किन एजेंसियों को हथकरघा उत्पादकों का निर्यात करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं तथा पिछले दो वर्षों में कितने मूल्य के हथकरघा उत्पादों का निर्यात किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र के हथकरघा उत्पादों का निर्यात करने के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) हथकरघा निर्यातों को बढ़ाने हेतु सरकार ने हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एच० ई० पी० सी०) को एक शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित किया है । परिषद के साथ पंजीकृत निर्यातक हथकरघा उत्पादों को मुक्त रूप में निर्यात कर सकते हैं क्योंकि हथकरघा फैब्रिक/तैयार कपड़े कोटा के अन्तर्गत नहीं हैं । हथकरघा निर्यातों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, सरकार ने नकद मुआवजा सहायता तथा आयात-प्रतिपूर्ति जैसे कई निर्यात प्रोत्साहन दिए हैं । इसके अलावा, एच० ई० पी० सी० विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी, बी० एस० एम०/प्रतिनिधिमंडलों/अध्ययन दलों को प्रायोजित करना तथा बाजार सर्वेक्षण करना जैसे नियमित निर्यात संवर्धन उपायों को करता रहा है ।

एच० ई० पी० सी० के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान सूती हथकरघा कपड़ों तथा तैयार

कपड़ों के निर्यात का मूल्य निम्न प्रकार रहा है :—

	(करोड़ रु० में)	
	1985-86	1986-1987
फैब्रिक	86.97	83.51
तैयार कपड़े	73.36	82.15
	161.33	165.66

(ख) मणिपुर हथकरघा उत्पाद अन्य हथकरघा उत्पादों की तरह लाभ के पात्र हैं। एच० ई० पी० सी० अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में इन मदों का प्रदर्शन करके इन निर्यातों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लापता पाकिस्तानी नागरिक

999. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में आए कुछ लोगों का पिछले कई वर्षों से पता नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन लोगों का पता लगाने के लिए अब तक कोई प्रयास किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रयासों के क्या परिणाम निकले हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डर्बन से भारतीयों का निष्कासन

1000. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका में डर्बन में रहने वाले भारतीयों को उस देश से निष्कासित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में आग लगने की घटनायें

1001. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी
श्री कमला प्रसाद सिंह
श्री उत्तम राठौड़
श्री कमल नाथ
श्री बृजमोहन महन्ती
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में आग लगने की कितनी बड़ी घटनायें हुई हैं;

(ख) इन घटनाओं के कारण जान और माल की कितनी हानि हुई है।

(ग) यदि इन घटनाओं के बारे में कोई जांच कराई गई है, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) आग से सुरक्षा के नियमों का पालन न करने के दोषी पाये जाने वाले लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या जिन भवनों में आग लगने की ये घटनायें हुई; उनके नक्शों को सम्बन्धित प्राधिकारियों ने उन नक्शों में बताये गये आग से सुरक्षा के प्रावधानों से संतुष्ट होने के पश्चात मंजूरी प्रदान की थी और यदि नहीं, तो सम्बन्धित प्राधिकारियों अथवा इन नक्शों को मंजूरी प्रदान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 23 जनवरी, 1986 को होटल सिद्धार्थ इन्टरकान्टीनेन्टल में आग लगने की एक बड़ी घटना हुई। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान अन्सल भवन की घटना सहित आग लगने की 7 गम्भीर घटनाएं हुई हैं।

(ख) होटल सिद्धार्थ इन्टर-कान्टीनेन्टल की बड़ी घटना में 37 व्यक्तियों की जानें गयी। सम्पत्ति की हानि का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) होटल सिद्धार्थ इन्टर-कान्टीनेन्टल की इस घटना की जांच कर रहे खन्ना जांच आयोग की रिपोर्ट, इस पर की गयी कारंवाई के ज्ञापन के साथ 18 नवम्बर, 1986 को लोक सभा पटल पर रख दी गयी थी।

(घ) होटल के प्रबन्ध के विरुद्ध 2 मार्च, 1987 को न्यायालय में एक आपराधिक मामला दायर किया गया है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के 5 सम्बन्धित अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है। भूतपूर्व मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कारंवाई भी शुरू की गयी है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में कपड़ा मिलों द्वारा भूमि की बिक्री

1002. डा० दत्ता सामन्त : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को बम्बई के मिल मालिकों को अपनी मिलों की भूमि बेचने की अनुमति देने के बारे में अनुदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो ये अनुदेश क्या हैं; और

(ग) इन अनुदेशों पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वेशी मिल भूमि को बेचने की अनुमति देने का काम निर्धारित शहरी भूमि अधिकतम सीमा प्राधिकरण और/या सम्बन्धित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यापार घाटा

1003. डा० दत्ता सामन्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के लिए आयात और निर्यात के आंकड़े क्या हैं और व्यापार असन्तुलन कितना है; और

(ख) वर्ष 1987-88 में व्यापार असन्तुलन को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 1985-86 की तुलना में 1986-87 के दौरान निर्यातों, आयातों एवं व्यापार शेष के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

(मूल्य : करोड़ रुपये)

	1985-86 (स्रोत)	1986-87 अः	प्रतिशत परिवर्तन
निर्यात	10420.37	12550.06	+ 20.4
आयात	18371.28	20062.57	+ 9.2
व्यापार शेष	--7950.91	--7512.51	— 5.5

अः अनन्तिम

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता।

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। इनका उद्देश्य निर्यातों के लिए अधिशेष सृजित करना है ताकि प्रौद्योगिकी में समकालीन तथा कीमतों में प्रतियोगी माल के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके एवं निर्यात लाभकारी बन सकें। साथ ही सरकार ने विशेष रूप से बल्क आयातों के क्षेत्र में कार्यक्षम आयात के लिए भी कई कदम उठाए हैं।

भारतीय चाय व्यापार निगम

1004. श्री अमल दत्त : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम के विरुद्ध इसके द्वारा निर्यात प्रोत्साहन के रूप में समय-समय पर प्राप्त किये गये प्रतिपूर्ति आयात लाइसेंसों की अनियमित बिक्री किए जाने के कारण कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त जांच के पश्चात भारतीय चाय व्यापार निगम को प्रतिपूर्ति

आयात लाइसेंसों की हकदारी के मामले में "प्रसुप्त सूची" में रखा गया था लेकिन हाल ही में इसको 'प्रसुप्त सूची" से निकाल दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती हैं और यदि हां, तो इन उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) जी हां। जांच चल रही है।

(ग) और (घ) टी० टी० सी० आई० को 9 नवम्बर, 1983 को स्थगन सूची के अन्तर्गत रखा गया। तत्पश्चात 9-11-1983 से 31-3-1985 तक विवर्जन आदेश जारी किये गये। प्रक्रिया के अनुसार जब कभी विवर्जन आदेश जारी किया जाता है, तब स्थगन आदेश वापस लेना होता है। इस प्रकार दिनांक 9-11-1983 का स्थगन आदेश वापस ले लिया गया था।

(ङ) टी० टी० सी० आई० के खिलाफ सरकार द्वारा की गई सख्त कार्यवाही ऐसे अनियमित कार्यों की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए पर्याप्त उपाय साबित होंगी।

अवैध रूप से हथियार बनाने वाले कारखाने

1005. श्री ललितेश्वर प्रसाद साही
श्री मुकुल वासनिक
: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों में देश के विभिन्न भागों में अवैध रूप से हथियार बनाने वाले अनेक कारखानों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) सरकार का अवैध रूप से हथियार बनाने के काम में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संगठित क्षेत्र कपड़ा एककों में संकट

1006. श्री जी० भूपति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग के संगठित क्षेत्र को संकट का सामना करना पड़ रहा है और 6 जून, 1985 को दिये गये नई कपड़ा नीति सम्बन्धी वक्तव्य के बाद से अब तक बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें बंद हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कपड़ा उद्योग में आए इस संकट के कारणों के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा कपड़ा उद्योग के संगठित क्षेत्र में एककों का

बन्द होना रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वस्त्र उद्योग का संगठित मिल क्षेत्र इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहा है और जब से जून, 1985 की वस्त्र नीति लागू हुई तब से (31 मई, 1987 की स्थिति के अनुसार) 53 सूती वस्त्र एकक बंद पड़े हैं।

(ख) सरकार ने वस्त्र उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के कारणों का पता लगा लिया है।

(ग) सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम वस्त्र एककों के सम्बन्ध में पुनर्स्थापना पैकेजों को तैयार करने और उनके कार्यान्वियन के लिए एक नोडीय एजेंसी स्थापित की गई है। बन्दी को रोकने के लिए अर्थक्षम वस्त्र एककों की आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं के वित्त पोषण के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि स्थापित की गई है।

असम के निवासियों को पहचान पत्र जारी करना

1007. श्री जी० भूपति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार असम के निवासियों को पहचान पत्र जारी करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) राजस्थान की 4 चुनी हुई सीमावर्ती तहसीलों में पहचान पत्र जारी करने की एक प्रायोगिक योजना इस समय कार्यान्वित की जा रही है। असम सहित अन्य क्षेत्रों में इस योजना को लागू करने के बारे में निर्णय लेना अभी जल्दबाजी होगी।

अफ्रीका कोष

1008. श्री जी० भूपति }
श्री जगदीश अवस्थी } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अफ्रीका कोष में अंशदान दिया है और उन्होंने अब तक कितनी राशि का अंशदान दिया है; और

(ख) अन्य देशों को अफ्रीका कोष में उदारतापूर्वक अंशदान देने के लिए राजी करने हेतु कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) अफ्रीका कोष में अब तक किसने कितना अंशदान देने का वचन दिया है, इसकी एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) प्रधान मंत्री ने अफ्रीका कोष समिति के अध्यक्ष की हैसियत से गुटनिरपेक्ष देशों तथा अन्य देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों को, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और राष्ट्रमण्डल महासचिव को तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अध्यक्ष को पत्र लिखे हैं और उनके साथ अपील तथा कार्यवाही योजना भेजते हुए उनसे समर्थन देने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार विदेश मंत्री ने भी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्षों को लिखा है। इस मामले को अनेक देशों की द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान भी

उठाया गया।

अफ्रीका कोष के लिए सहायता जुटाने के उद्देश्य से अफ्रीका के लिए प्रधान मंत्री के विशेष दूत ने भी अनेक सरकारों से तथा संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशिष्ट एजेंसियों एवं राष्ट्रमण्डल सचिवालय के साथ बातचीत की है। अफ्रीका कोष समिति के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक 4 अगस्त से 7 अगस्त, 1987 तक नई दिल्ली में होने वाली है जिसमें आगे की कारंवाई पर चर्चा की जाएगी।

विवरण

अफ्रीका कोष के लिए अब तक प्राप्त अंशदान के वचन

भारत	50 करोड़ भारतीय रुपये	(सामान के रूप में)
नाइजीरिया	1.5 करोड़ अमरीकी डालर	(—वही—)
पेरू	1 करोड़ अमरीकी डालर	(—वही—)
अल्जीरिया	1 करोड़ अमरीकी डालर	(—वही—)
यूगोस्लाविया	1.2 करोड़ अमरीकी डालर	(—वही—)
अर्जेन्टीना	1987 के लिए 30 लाख अमरीकी डालर	(—वही—)
कोंगो	सी० एफ० ए० 10 करोड़	(—वही—)
फ्रांस	2 करोड़ फ्रेंच फ्रैंक	
बारबाडोस	1 लाख बारबाडोस डालर	
जिबूती	10,000 अमरीकी डालर	(नकद)
इटली	4 अरब लीरा	(खाद्य सहायता के रूप में)
लीबिया	1 करोड़ अमरीकी डालर	50 प्रतिशत नकद 50 प्रतिशत सामान
गयाना	5,000 अमरीकी डालर	नकद
सोवियत संघ	6.5 करोड़ रूबल	सामग्री
अफगानिस्तान	5,000 अमरीकी डालर	नकद
निकारागुआ	50,000 अमरीकी डालर	नकद
नौरू	10,000 आस्ट्रेलियाई डालर	नकद
मालदीव	1000 अमरीकी डालर	नकद
मारीशस	500,000 रुपये (मारीशस)	नकद
बंगला देश	10,000 अमरीकी डालर	नकद
नार्वे	1 करोड़ क्रोनर	

युगान्डा	100,000 अमरीकी डालर	नकद
पाकिस्तान	5 करोड़ रुपये (पाकिस्तानी)	सामान के रूप में
फिलीपीन्स	500 अमरीकी डालर	
स्वीडन	परियोजना सहायता	

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को आधुनिकतम हथियारों की सप्लाई

1009. श्री लक्ष्मण मलिक
श्री कृष्ण सिंह
श्री मोहम्मद महफूज अली खां
श्री एच० बी० पाटिल
: क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के समाचारों की जानकारी है कि अभी हाल ही में अमरीकी प्रशासन ने पाकिस्तान को दस करोड़ डालर मूल्य के आधुनिकतम हथियार सप्लाई करने का निर्णय किया है, जिनमें लम्बी दूर तक मार करने वाली हैवी ड्यूटी तोपें और प्रतिरोधी इलैक्ट्रानिक हथियार भी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सौदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी प्रशासन ने पाकिस्तान को 7 करोड़ 80 लाख अमरीकी डालर मूल्य के 2386 टी० ओ० डब्ल्यू०—2 मिसाइल और 4 करोड़ 40 लाख अमरीकी डालर मूल्य के 60 एम० 198 155 एम० एम० टोड होविजर्स तथा सहायक सामग्री देने की प्रस्तावित बिक्री की सूचना कांग्रेस को दी थी।

(ग) पाकिस्तान को लगातार अत्याधुनिक हथियार दिए जाने के संदर्भ में देश की सुरक्षा के प्रति सरकार सजग है। इस प्रकार हथियार दिए जाने से इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ती है और संसाधनों का उपयोग विकास कार्यों की बजाय प्रतिरक्षा के कार्यों में होता है।

असम में मूगा रेशम उद्योग

1010. प्रो० पराग चालिहा : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कपड़े की बुनाई, हथकरघा और रेशम कीटपालन, तथा 'मूगा' पालन में प्रवीणता, जो केवल असम में उपलब्ध है और जिससे एक निराली किस्म का रेशम तैयार किया जाता है, की प्राचीन परम्परा की जानकारी है;

(ख) इस परम्परागत उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा उसमें धीरे-धीरे कम होते जा रहे लाभ में वृद्धि करने के सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या "मूगा" पालन के लिए सहायता देने और इस व्यवसाय को प्रोत्साहन देने की ओर कोई विशेष ध्यान दिया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मूगा रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एवं विस्तार सहायता प्रदान करने हेतु बोराहीबारी स्थित अनुसंधान विस्तार केन्द्र के साथ क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है। बोर्ड ने क्षेत्र में उत्पादित मूगा कोमों के लिए उचित कीमत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ढकुआखाना स्थित अपने सब-डिपों के साथ सिसागर में मूगा कच्चा माल बैंक की स्थापना भी की है। इसके अलावा, बोर्ड ने 3.5 करोड़ रुपये की कुल लागत से असम, अरुणांचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड को कवर करते हुए एक मूगा बीज विकास परियोजना आरम्भ की है। परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में मूगा रेशम उद्योग के विकास हेतु रीलिंग सहित वाणिज्यिक मूगा बीज का उत्पादन करना तथा अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का सृजन करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार असम सहित, राज्य सरकारों के विकास के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य है राज्य शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों तथा हथकरघा विकास निगमों के जरिए अन्तर्निविष्ट साधनों की आपूर्ति, डिजाइन विकास, विपणन, ऋण आदि के क्षेत्रों में आवश्यक सहायता प्रदान करना है।

सीमा सुरक्षा बल के जवानों और त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के छापामारों के बीच संघर्ष

1011. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1987 में त्रिपुरा में एक घात लगाकर किये गये हमले में त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के छापामारों ने सीमा सुरक्षा बल के कुछ जवान मार दिये थे और अनेक जवानों को घायल कर दिया; और

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के छापामारों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान मारे गये और सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के साथ संघर्ष में त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स के कितने छापामार मारे गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) गत वर्ष के दौरान आज तक टी० एन० वी० ने सी० सु०ब० के 3 जवानों को मारा है। इस अवधि के दौरान मुठभेड़ में कोई भी टी०एन०वी० उग्रवादी नहीं मारा गया। चालू वर्ष में टी०एन०वी० के 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

रुई की कीमतों में वृद्धि

1012. **श्री विष्णु मोदी :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान रुई की कीमतों में 70 प्रतिशत से भी अधिक की असामान्य वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। फरवरी, 1987 से जुलाई, 1987 तक रुई की मुख्य किस्मों पर मूल्य वृद्धि लगभग 2 % से 43% तक है।

(ख) सरकार स्थिति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रख रही है। जब भी आवश्यकता होती है उचित उपाय किए जाते हैं।

रुग्ण कपड़ा मिलें

1013. श्री विष्णु मोदी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है तथा उनका राज्यवार, पूरा ब्योरा क्या है;

(ख) इन मिलों को फिर से चालू करने के लिए केंन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या इन रुग्ण मिलों के कामगारों को मुआवजों का भुगतान किया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) रुग्ण वस्त्र मिलों की जांच करने के लिए एक नोडीय अभिकरण की स्थापना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम हैं या नहीं। नोडीय अभिकरण सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम एककों के सम्बन्ध में पुनर्स्थापना पैकेज बनाता तथा उनका प्रबन्ध करता है। गैर-अर्थक्षम पायी जाने वाली मिलों को स्थायी तौर पर बन्द किया जा सकता है। जो मिलें 6 जून, 1985 को या उसके बाद स्थायी तौर पर बन्द हो चुकी हैं, उन्हीं के कामगार वस्त्र कामगार पुनर्स्थापना निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता पाने के हकदार होंगे।

(ग) वस्त्र कामगार निधि योजना के तहत अब तक कामगारों को वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी मिल को 30 जून, 1987 तक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के धारा 25 (ओ) के तहत स्थायी तौर पर बन्द करने के लिए अनुमति नहीं मिली है।

विवरण

31 मई, 1987 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार बंद रुग्ण सूती वस्त्र मिलों की सूची

क्रम सं०	राज्य	मिलों की कुल संख्या	कुल कर्मचारियों की की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2751
2.	असम	1	1079
3.	बिहार	1	500
4.	गुजरात	28	46658
	क. अहमदाबाद शहर	19	38968
	ख. शेष गुजरात	9	7690
5.	हरियाणा	2	5292
6.	कर्नाटक	6	5970

1	2	3	4
7.	केरल	2	1353
8.	मध्य प्रदेश	3	5813
9.	महाराष्ट्र	11	21605
	क. बम्बई शहर	5	14011
	ख. शेष महाराष्ट्र	6	7594
10.	राजस्थान	5	5177
11.	तमिलनाडु	27	13284
	क. कोयम्बतूर	14	6996
	ख. शेष तमिलनाडु	13	6288
12.	उत्तर प्रदेश	7	12737
13.	पश्चिम बंगाल	4	11480
	योग	99	133699

कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण देने की शर्तों को उदार बनाना

1014. श्री विष्णु मोदी
श्री बक्कम पुरुषोत्तमन } : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई धनराशि आबंटित की गई है; और यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या कपड़ा मिल आधुनिकीकरण निधि से जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संचालित की जा रही है, धन लेने की सुविधा की शर्तें अनुकूल न होने के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र की अधिकांश कपड़ा मिलें अपनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए आगे नहीं आ रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलों को आधुनिकीकरण करने हेतु आकर्षित करने के लिए इन शर्तों को उदार बनाने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अंतर्गत पांच वर्षों में प्रयुक्त किये जाने के लिए 750 करोड़ रु० की राशि अलग से निर्धारित की गई है ।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

ईरान और इराक के बीच युद्ध समाप्त करने के लिये नए प्रयास

1015. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ ने ईरान और इराक के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने का उपाय किया है; और

(ख) क्या भारत और गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देश उपर्युक्त दोनों बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर ईरान और इराक के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए कोई नये प्रयास कर रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा द्वारा हाल ही में एक मत से पारित एक ऐसे प्रस्ताव का समर्थन किया है जो इराक और ईरान के बीच लड़ाई समाप्त करने के सम्बन्ध में है। सुरक्षा परिषद के गुट निरपेक्ष सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य प्रस्ताव स्वीकार किए जाने से पूर्व के विचार-विमर्श की प्रक्रिया में अनौपचारिक रूप से संबद्ध थे और वे युद्ध समाप्त करने की दिशा में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं।

कम्पूचिया के मसले को हल करने के लिए भारत की मदद

1016. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम सरकार ने कम्पूचिया के मसले को हल करने के लिए भारत से मध्यस्थता करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) वियतनाम की मंत्री-स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान के दौरान वियतनाम की सरकार ने यह सुझाव दिया था कि कम्पूचिया के मसले को तय कराने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संदर्भ में हमने वियतनाम की सरकार को अपनी सराहना से अवगत करा दिया है।

शीतकालीन साहसिक खेल पर्यटन को बढ़ावा देना

1017. श्री भद्रेश्वर तांती
डा० वी० वेंकटेश
} : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में शीतकालीन साहसिक खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस साहसिक खेल में पर्यटन से सम्बन्धित गैर-सरकारी एजेंसियों को भी सम्मिलित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सरकार ने हिमालय के पर्यटन का संवर्धन करने के क्षेत्र में राज्य पर्यटन एवं अन्य अभिकरणों की कार्यप्रणाली को दिशा प्रदान करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने हेतु हिमालय पर्यटन परिषद् नामक एक शीर्षस्थ निकाय की स्थापना की है। यह परिषद् हिमालय क्षेत्र में पर्वतारोहण, पैदल भ्रमण एवं सावकाश पर्यटन जैसी शाखाओं को समाहित करेगी।

(ख) और (ग) इस परिषद् की संरचना इस प्रकार है :

पर्यटन मन्त्री	—	अध्यक्ष
सचिव पर्यटन	—	उपाध्यक्ष
महानिदेशक पर्यटन	—	अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति
अध्यक्ष, भारत पर्यटन-विकास निगम	—	कार्यकारी उपाध्यक्ष
अध्यक्ष, दिल्ली पर्वतारोहण संघ	—	संयोजक

परिषद् के अन्य सदस्य निम्नलिखित के प्रतिनिधि होंगे :—

(I) गृह, रक्षा, पर्यटन, नागर विमानन, मंत्रालय, भारतीय महा सर्वेक्षक, पुरातत्व महानिदेशालय तथा सेना मुख्यालय;

(II) हिमालयवर्ती राज्य—हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल;

(III) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम—एयर इण्डिया, इण्डियन एयर लाइन्स, वायुदूत तथा भारत पर्यटन विकास निगम;

IV) हिमालय खेल संगठन—इण्डियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, हिमालयन कार रैली, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग एण्ड यूथ होस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया;

(V) ट्रेवल एजेंसियां—मरक्यूरी ट्रेवल्स, शिखर ट्रेवल्स, एक्सप्लोर इंडिया, सीता वर्ल्ड ट्रेवल्स, इंड ट्रेवल्स, काक्स एण्ड किंग्स, ट्रेवल कार्पोरेशन आफ इंडिया तथा काई ट्रेवल्स।

नई कपड़ा नीति की उपलब्धि

1018. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कपड़ा नीति की उपलब्धियों के बारे में सरकार और कपड़ा उद्योग के बीच कोई मतभेद है जैसाकि 9 जून, 1987 के इंडियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रुई के निर्यात के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए नगर मुआवजा सहायता योजना

1019. श्री डी० बी० पाटिल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य से वर्ष 1985-86 में रुई के निर्यात के लिए नकद मुआवजा योजना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्ता विपणन परिसंघ को 1985-86 के दौरान उसके निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और उसे ऐसी सहायता न दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

नए भारतीय टैंक के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की प्रौद्योगिकी

1020. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री मानिक रेड्डी
श्री सुभाष यादव
श्री प्रकाश चन्द्र

: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के रक्षा विभाग ने हाल ही में भारत द्वारा बनाए जाने वाले प्रस्तावित नए टैंक में प्रयोग में लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की जानकारी दी गई है जैसाकि दिनांक 15 जून, 1987 के टाइम्स आफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या प्रौद्योगिकी टैंक टरिट की मजबूती से सम्बन्धित है और लक्ष्य पर मार करने में कार्य-कुशलता हेतु अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी का पहले पता कैसे चला; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की इस बीच कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

निर्यात और व्यापार घरानों के लिए निर्यात प्रस्ताव पैकेज

1021. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय ऐसे किसी प्रस्ताव (पैकेज) के बारे में हिसाब लगा रहा है जिसमें निर्यात और व्यापार घराने भारत को निर्यात होने वाली आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का कार्यान्वयन कब किया जाएगा; और

(ग) इससे निर्यात और व्यापारिक घरानों की किसी सीमा तक सहायता होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) नया पैकेज नई आयात एवं निर्यात नीति में समाविष्ट करने का प्रस्ताव है, जो 1 अप्रैल, 1988 से प्रभावी होगी।

(ग) ऐसा अभिप्राय है कि नये पैकेज से व्यापार सदनों तथा निर्यात सदनों को निर्यातों को बढ़ाने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में मदद मिलनी चाहिए।

कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशनों के कार्यकरण के निरीक्षण के लिए अध्ययन दल

1022. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार कपड़ा अनुसंधान एसोसिएशनों के कार्यकरण की जांच करने के लिए विशेष अध्ययन दल स्थापित करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो विशेष अध्ययन दल द्वारा किए गए अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और अध्ययन दल द्वारा दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) वस्त्र अनुसंधानों एसोसिएशनों के कार्यकरण की जांच करने तथा उनकी भावी वृद्धि और विकास के उपाय सुझाने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

पाकिस्तानियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल पर गोलाबारी

1023. श्रीमती बसवराजेश्वरी
श्री मुकुल वासनिक
डा० बी० एल० शैलेश
श्री परसराम भारद्वाज
} : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 6 जुलाई, 1987 को बाघा सीमा पर घुसपैठियों जिनका पाकिस्तानी रेंजर होने का संदेह है द्वारा सीमा सुरक्षा बल नाका पार्टी पर गोलियां चलाई गई थीं, जैसा कि 7 जुलाई, 1987 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सरकार के साथ कोई विरोध प्रकट किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) यह सच है कि भूतपूर्व सीमा बाह्य चौकी धारीवाल, अमृतसर क्षेत्र की सी० सु० ब० नाका पार्टी पर पाकिस्तानी रेंजरों की वर्दी पहने हुए घुसपैठियों द्वारा गोली चलाई गई। यह घटना 6 जुलाई, 1987 को लगभग 03.15 बजे हुई जब सी० सु० ब० की टुकड़ियां क्षेत्र की खोज करने के लिए आगे बढ़ रही थीं। पाकिस्तान के 5 घुसपैठियों के साथ एक मुठभेड़ होने के बाद 2 घुसपैठियों की मृत्यु हो गई जबकि शेष 3 बचकर भाग गए।

(ख) सी० सु० ब० की टुकड़ियों पर पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा गोली चलाने की उक्त घटना के बारे में सी० सु० ब० ने पाकिस्तानी रेंजरों के विंग कमांडर से कड़ा विरोध प्रकट किया है।

(ग) पाकिस्तानी रेंजरों ने इस घटना में उनके शामिल होने से इंकार करते हुए प्रतिरोध किया और सी० सु० ब० पर उनकी टुकड़ियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया और सी० सु० ब० ने इस बात से इंकार किया।

पश्चिम बंगाल में हथकरघा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

1024. डा० फूलरेणु गुहा : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हथकरघा श्रमिकों की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं। यद्यपि, पश्चिम बंगाल सहित समूचे देश में राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघों के संबंध में गणना की जा रही है। आशा है कि इस गणना से हथकरघा बुनकरों की आर्थिक परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़ों का पता चलेगा।

गुजरात में झींगा मछली पालन के लिए स्थानों का चयन

1025. श्री डी० पी० जडेजा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में झींगा मछली पालन के लिए कोई स्थान चुने गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झींगा मछली पालन के लिए गुजरात में तीन क्षेत्रों का सूक्ष्म स्तरीय सर्वेक्षण किया है तथा झींगा मछली पालन के लिए उपयुक्त निम्नोक्त स्थानों का पता लगाया है :—

ओंजल	—	304.44 हैक्टेयर
मटवाड	—	200 हैक्टेयर
महुसा	—	340 हैक्टेयर

प्रधान मन्त्री की सोवियत संघ की यात्रा

1026. डा० बी० एल० शैलेश
श्री शरद दिघे
श्री आर० एम० भोये
श्री बाला साहेब विखे पाटिल
: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री की हाल की सोवियत संघ यात्रा के दौरान सोवियत नेताओं के साथ किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया;

(ख) क्या भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं समझौतों पर

हस्ताक्षर किए गए; और

(ग) यदि हां, तो सहयोग के किन-किन क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इस यात्रा में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर बातचीत हुई।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में श्री एम० एस० गोर्बाचोव के साथ लम्बी अवधि के एक एकीकृत सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम के तीन मुख्य अंग हैं : (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख अग्रिम क्षेत्रों पर बल देना; (2) भौतिक विज्ञान के चुनिंदा क्षेत्र में मूल अनुसंधान और (3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भावी क्षेत्रों में सहयोग। सहयोग के क्षेत्रों में जीव-प्रौद्योगिकी और असंक्राम्यता, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लेसर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उत्प्रेरण, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समक्रमिक विकिरणीय स्रोत, जल पूर्वेक्षण तथा कम्प्यूटर और इलेक्ट्रानिकी शामिल हैं।

भारत द्वारा सोवियत संघ में होटलों की स्थापना

1027. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सोवियत संघ में होटल श्रृंखला स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आने की सम्भावना है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) सोवियत संघ में होटलों की एक श्रृंखला स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आतंकवाद से निपटने में "दक्षेस" की विशेष उपलब्धि

1028. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही में हुए सात राष्ट्रों के "दक्षेस" सम्मेलन ने एक व्यापक कानून पर सहमत होकर आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में एक विशेष उपलब्धि हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अनुसरण में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन की मंत्रि-परिषद की जून, 1987 में नई दिल्ली में हुई बैठक में "सार्क" विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ जिसमें ऐसे अपराध तय हुए जो स्वरूप से आतंकवादी हैं और जो प्रत्यर्पण के उद्देश्य से राजनीतिक नहीं माने जा सकते। मंत्रियों ने इन तयशुदा अपराधों की सूची पर अपनी सहमति व्यक्त की और इनके अनुसार कार्रवाई करने से सम्बद्ध विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को स्वीकार किया।

(ग) आतंकवाद संबंधी अभिसमय का मसौदा तैयार करने के लिए "सार्क" सदस्य देशों ने विधि विशेषज्ञों के एक दल की बैठक कोलम्बो में होनी है। इस मसौदे पर स्थायी समिति के नौवें अधिवेशन में विचार किया जाएगा।

हथकरघा क्षेत्र को छूट की अनुमति

1029. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को अपने उत्पादों का विपणन करने के लिए केरल सरकार द्वारा दी गई छूट में सहयोगी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में अपने अंश/छूट को भागीदारी के दिनों की संख्या में कमी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कमी करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार को छूट की भागीदारी के दिनों की संख्या बढ़ाने के लिए केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार की 20% विशेष छूट योजना एक अखिल भारतीय योजना है जिसे केन्द्र और भाग लेने वाले राज्यों की, जिसमें केरल शामिल है, समान सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह एक वर्ष में 30 दिन के लिए तथा हथकरघा सहकारी समितियों और हथकरघा निगमों द्वारा बेचे जाने वाले हथकरघा फैब्रिक्स की फुटकर बिक्रियों पर हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा अनुमोदित और आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों में दी जाती है।

(ग) जी नहीं। अप्रैल, 1986 से अब तक योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि छूट दिवसों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी जाए।

नागरिकों के लिए पहचान-पत्र

1030. श्री बी० तुलसी राम
श्री शान्ति धारीवाल } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घुसपैठ तथा अपराधों को रोकने के लिए भारत के नागरिकों को सभी राज्यों में राशन कार्डों की तरह पहचान-पत्र जारी करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) उक्त व्यक्तिगत पहचान-पत्र देश में किस सीमा तक अवांछनीय तत्वों का पता लगाने तथा

सभी प्रकार के अपराधों को कम करने में सहायक होंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) राजस्थान के चार सीमावर्ती जिलों की चार चुनी हुई तहसीलों में पहचान-पत्र जारी करने के लिए एक प्रायोगिक योजना को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है जो कि राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ तथा राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों को रोकना है। इस योजना के अन्तर्गत स्थायी निवासियों, अस्थायी निवासियों और यात्रियों को अलग-अलग पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव है। विधिवत प्राधिकृत सरकारी पहचान-पत्र रखने वाले सरकारी कर्मचारी और वैध पारपत्र/वीजा और/अथवा अन्य वैध यात्रा दस्तावेज रखने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को छूट दी जाएगी। योजना को केन्द्र द्वारा धन दिया जा रहा है। राजस्थान में प्रायोगिक योजना को चालू वर्ष के दौरान कार्यान्वित करने की सम्भावना है। गुजरात को भी सलाह दी गई है कि वह अपने संबंधित सीमावर्ती क्षेत्रों में इसी प्रकार की प्रायोगिक योजना तैयार करने पर विचार करे।

आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की वित्तीय दशाओं का अध्ययन करने हेतु समिति

1031. श्री वी० तुलसीराम : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल में ही आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकरों श्रमिकों की वित्तीय दशाओं का अध्ययन करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मजदूरों के संगठनों ने अपनी शिकायतों का ब्यौरा देते हुए कुछ ज्ञापन दिये हैं;

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक

1032. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राष्ट्रीय एकता परिषद् की कोई बैठक आयोजित की गई थी और यदि हां, तो कब;

(ख) बैठक में किन विषयों और मामलों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(ग) उक्त बैठक में क्या निर्णय किये गये अथवा निष्कर्ष निकले ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) राष्ट्रीय एकता परिषद का फरवरी, 1986 में पुनर्गठन होने के बाद से उसकी अब तक दो बैठक हुई हैं। पिछली बैठक 12.9.86 को हुई। इसमें स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में अल्पसंख्यकों के कल्याण उपायों की समीक्षा की गई।

खनिज और धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम को स्वायत्तता प्रदान करना

1033. श्री पी० एम० सईद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज और धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम को और अधिक कार्यचालन स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार व्यापार एजेंसियों के रूप में इन कम्पनियों को क्या फायदा होगा; और

(ग) क्या इन कम्पनियों को कुछ लक्ष्य सौंपे गये हैं जो इन्होंने अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने के पश्चात् पूरे करने हैं और यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० तथा भारतीय व्यापार निगम के सम्बन्धित कार्य निष्पादन लक्ष्यों की तुलना में उनके कार्यकरण की बराबर मानीटरिंग की जाती है तथा उनके दैनिक कार्यों में और अधिक लोचशीलता लाने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक परिवर्तनों को उनके साथ परामर्श करके लागू किया जाता है। इन उपायों का उद्देश्य इन निगमों के कार्यचालन में और अधिक दक्षता लाना तथा उनके कार्य निष्पादन लक्ष्यों को पूरा करने में उन्हें सहायता देना है ।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के खत्तों में कोयले का प्रयोग करना

1034. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड का आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू के खत्तों में कोयले के प्रयोग को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) कोयले के प्रयोग के सम्बन्ध में तम्बाकू बोर्ड की नीति क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) तम्बाकू बोर्ड तम्बाकू की क्योरिंग के लिए कोयले के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहा है क्योंकि इससे बार्न में समान रूप से ताप निकलता है जिसके फलस्वरूप हरी पत्ती ठीक तरह से सुखाई जाती है आन्ध्र प्रदेश में 1986-87 की फसल के मौसम में कोयले की लगभग 1,09,191 मै० टन मात्रा सप्लाई की गई । असुविधा दूर करने के लिए किसानों के बार्न स्थलों पर कोयला दिया गया। तम्बाकू बोर्ड मै० सिंगरेनी कोलरीज और आन्ध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके एफ० सी० वी० तम्बाकू के किसानों को कोयले की सप्लाई करने के प्रबन्ध करा रहा है यह निर्णय लिया गया है कि 1987-88 के फसल मौसम के दौरान भी सरकारी अभिकरण के जरिए उपजकर्त्ताओं को कोयले की सीधी सप्लाई बरकरार रखी जाए ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रबड़ का मूल्य

1035. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान प्राकृतिक रबड़ की कितनी मात्रा आयात करने का विचार है;

(ख) देश में उपलब्ध रबड़ की मात्रा तथा इसकी मांग में कितना अन्तर है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तथा देश में उपलब्ध प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में कितना अन्तर था ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) 1987-88 के प्रारम्भ में प्राकृतिक रबड़ की मांग-पूर्ति में अन्तर तथा अपेक्षित आयात 35,000 मे० टन आंका गया था। तथापि सूखे की वजह से अप्रैल व मई, 1987 के महीनों में रबड़ का उत्पादन अनुमानित लक्ष्य से कम रहा था तथा यह अन्तर बढ़कर 40,000 मे० टन तक हो सकता है।

(ग) 1986 तथा 1987 के दौरान कुआलालम्पुर बाजार तथा कोट्टायम बाजार में प्राकृतिक रबड़ की औसत कीमतें निम्न प्रकार रही हैं :—

(प्रति मे० टन रु० में)

वर्ष	कोट्टायम	कुआलालम्पुर
1986	16700	9930
1987 (जून--जून)	17540	11080

कपड़ा मिलों में छीजन को समाप्त करने के लिए नई प्रणाली

1036. श्री पी० कुलनदईवेलू : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कपड़ा मिलों में छीजन को समाप्त करने के लिए वहां अपनाई जा रही नई प्रणाली की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी मिलों में 'रोटोस्पिन' प्रणाली आरम्भ कर रही है; और

(ग) इस प्रणाली के कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है;

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार वस्त्र प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रवृत्तियों पर बराबर निगरानी रखती है।

(ख) और (ग) ओपन एण्ड स्पिनिंग के नाम से जानी जाने वाली रोटर-स्पिन प्रणाली प्रयोगात्मक आधार पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम की दो मिलों में आरम्भ की गई है।

तमिलनाडु में नौसैनिक अड्डा

1037. श्री एन० डेनिस : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु के पश्चिमी समुद्र तट पर एक नौसैनिक अड्डा और नौसैनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जून, 1987 में पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में तालाबन्दी

1038. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिल मालिकों द्वारा तालाबन्दी की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप 15 जून, 1987 को पश्चिम बंगाल में कितनी पटसन मिलें बन्द हो गई थी;

(ख) इन मिलों में कितने श्रमिक काम करते हैं;

(ग) क्या इनमें से 10 मिलों में तालाबन्दी की घोषणा तब की गई थी जब कि भारत सरकार ने आधुनिकीकरण के लिए धन राशि प्रदान करके मिल मालिकों को सहायता करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की थी;

(घ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि तालाबन्द मिलों के श्रमिकों को उनकी भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की बकाया राशि से गैर कानूनी रूप से वंचित किया गया है; और

(ङ) इन मिलों को पुन: चालू करने और श्रमिकों की वैध देय राशि का दुर्विनियोजन किए जाने के सम्बन्ध में मिल मालिकों पर मुकदमा चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) मिल प्रबन्धकों द्वारा घोषित तालाबन्दी/बन्दी के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में 15 जून, 1987 को विद्यमान स्थिति के अनुसार 17 पटसन मिलें बन्द पड़ी थी जिससे 64,400 कामगार प्रभावित हुए।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) पटसन मिलों की तालाबन्दी तथा बन्दी के परिणाम स्वरूप प्रभावित मिलों के कामगारों की भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी देय राशियों को रोके जाने के समाचार हैं। कुछ मामलों में भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा अभियोजन शुरू किये जा चुके हैं। जहां तक बन्द पटसन मिलों को पुन: खोलने का प्रश्न है, ऐसे मामलों पर कार्यवाही करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत समुचित प्राधिकारी सम्बन्धित राज्य सरकार है। अत: इस मामले में समुचित कार्यवाही करना राज्य सरकार का काम है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा सदैव आवश्यक सहायता दी जाती है।

हिन्द महासागर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन को स्थगित किया जाना

* 1039. श्री इन्द्रजीत गुप्त
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की हिन्द महासागर सम्बन्धी तदर्थ समिति ने हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये सम्बन्धी सम्मेलन को और दो वर्षों के लिये, अर्थात् 1990 तक स्थगित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं और कौन-कौन से देश स्थगन के पक्ष में थे और उन देशों के नाम क्या हैं, जो पूर्वनिर्धारित अन्तिम वर्ष, अर्थात्, 1988 में ही सम्मेलन का आयोजन चाहते थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) हाल ही में सम्पन्न

अपने ग्रीष्म अधिवेशन में हिन्द महासागर से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को इस आशय का प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया है कि कोलम्बो में आयोजित किया जाने वाला हिन्द महा सागर सम्मेलन शीघ्र लेकिन 1990 तक अवश्य बुलाया जाए। तदर्थ समिति ने कान्फ्रेंस के लिए पूरा किये जाने वाले तैयारी कार्य के लिए और अधिक समय दिये जाने के विचार से सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है।

(ग) भारत कान्फ्रेंस शीघ्र बुलाये जाने का समर्थन करता है जिसमें वे सभी शक्तिशाली देश भाग लें जिनकी सेनाएं हिन्द महासागर में मौजूद हैं।

कपड़ा मिलों को बन्द करने के लिए सरकार की अनुमति

1040. इन्द्रजीत गुप्त : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1987 तक राज्यवार कितनी सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी थीं;

(ख) उनमें से कितनी कपड़ा मिलों के प्रबन्धकों ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से बन्द की अनुमति मांगी तथा प्राप्त की थी।

(ग) क्या बहुत थोड़ी मिलों ने वस्त्र आधुनिकीकरण निधि से सहायता के लिए आवेदन किया था; और

(घ) क्या प्रभावित कामगारों को उनके पुनर्वास एवं मुआवजा लाभों से वंचित किया गया है?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी प्रबन्धक को 30 जून, 1987 तक किसी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा ओ के तहत बन्दी की अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए केवल उन्हीं मिलों के कामगार पात्र होंगे जो 6 जून, 1985 या उसके बाद स्थायी तौर पर बन्द हो गई हैं।

विवरण

31 मई, 1987 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार बन्द रूग्ण सूती वस्त्र मिलों की सूची।

क्रम संख्या	राज्य	मिलों की कुल संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	2751
2.	असम	1	1079
3.	बिहार	1	500

1	2	3	4
4.	गुजरात	28	46658
	क. अहमदाबाद सिटी	19	38968
	ख. बाकी गुजरात	9	7690
5.	हरियाणा	2	5292
6.	कर्नाटक	6	5970
7.	केरल	2	1353
8.	मध्य प्रदेश	3	5813
9.	महाराष्ट्र	11	21605
	क. बम्बई सिटी	5	14011
	ख. बाकी महाराष्ट्र	6	7594
10.	राजस्थान	5	5177
11.	तमिलनाडु	27	13284
	क. कोयमबटूर	14	6996
	ख. बाकी तमिलनाडु	13	6288
12.	उत्तर प्रदेश	7	12737
13.	पश्चिमी बंगाल	4	11480
	योग	99	133699

निर्यात के लिए सजावटी मछलियों की प्रजातियों का पता लगाना

1041. श्री सोमनाथ रथ : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एस०पी०ई०डी०ए०) निर्यात के लिए उपयुक्त सजावटी मछलियों की प्रजातियों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रजातियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या नीदरलैंड के विकासशील देशों से निर्यात को बढ़ावा देने सम्बन्धी केन्द्र ने अपने विशेषज्ञों को भारत के विशेषज्ञों के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) इससे भारत को कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) ऐसी विभिन्न सजावटी मछलियों का पता लगाया गया है जिनकी विदेशी बाजारों में मांग है। सजावटी मछलियों का निर्यात जो 1984-85 के दौरान 0.61 लाख रु० था, बढ़कर 1986-87 के दौरान 9.14 लाख रु० हो गया है।

विवरण

निर्यात के लिए अभिज्ञात की गई सजावटी मछलियों की सूची

लक्षद्वीप

अकैंथुराइडे	गोबीडे	एलोपिडे	होलोसेंट्रिडे
एन्थीडे	लेनीडे	एपोगोनिडे	ओगोसेफालिडे
अथरीनिडे	ओस्ट्रासीडे	बालिस्टिडे	पेमर्सेटिडे
ब्लेनीडे	पोमासेंटिडे	केलिपोडोटिडे	सीविडे
केन्थोगास्टराइडे	स्कोर्पेनिडे	चैंतोडोटिडे	सिगमेडे
क्रेमाइडे	सिग्नाटिडे	डिडोटिडे	थेरापोनिडे
इंफिप्पीडे	जोक्लिडे		

ताजे पानी की मछलियां

गोल्ड फिश	कनाडारंगा	कोलिसा लालिया	केट मछलियां स्ट्रिपड मेकोपोडस कपार्म्स

जनरल वैद्य के हत्यारों का प्रत्यर्पण

1042. श्री उत्तम राठौड़ : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल वैद्य के हत्यारों को हाल ही में अमरीका में पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें भारत में लाने के लिए कोई प्रत्यर्पण कार्यवाहियां शुरू की गई हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां। जनरल वैद्य की हत्या के मामले में जिन लोगों की तलाश है उनमें से दो व्यक्ति हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किए गए हैं।

(ख) 14 मई, 1987 को अमरीका के कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों ने सुखमिन्दर सिंह सन्धु और रणजीत सिंह गिल को इस मामले में गिरफ्तार किया था।

(ग) जी, हां।

सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल) का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करना

1043. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक**
डा० सुधीर राय } : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय ने सुन्दरवन में तैरते आवास के लिए बेअर बार्ज का निर्माण करने के वास्ते पश्चिम बंगाल सरकार को ¹.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है।

मसालों और काजू का निर्यात

1044. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान मसालों और काजू के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के इन मदों के वर्षवार निर्यात आंकड़े क्या हैं;

(ग) वर्ष 1987-88 के लिए निर्यात अनुमान कितना है; और

(घ) क्या सरकार ने इन मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई नए उपाय आरंभ किए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी, हां।

(ख)

मात्रा मे० टन में
(मूल्य करोड़ रु० में)

निर्यात		1984-85		1985-86		1986-87	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(I)	मसाले	89155	209.02	74500	282.52	83847	301.98
(II)	काजू	35488	182.00	37333	216.77	44500	335.14

(स्रोत : काजू निर्यात संवर्धन परिषद, मसाला बोर्ड)

(ग) 1987-88 के दौरान निर्यात आयातकर्ता देशों की मांग तथा भारत में उत्पादन पर निर्भर करेगा।

(घ) सरकार ने, पश्चिम एशिया तथा उत्तर अफ्रीका (वाना) क्षेत्र में, उस क्षेत्र में मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए हाल ही में बाजार संवर्धन के लिए एक योजना मंजूर की है।

मिल, विद्युतचालित करघा और हथकरघा क्षेत्रों द्वारा प्राप्त लक्ष्य

1045. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल, विद्युनकरघा और हथकरघा क्षेत्रों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के लिए अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं योजना की शेष अवधि के लिए इन क्षेत्रों के लक्ष्यों को संशोधित किया जा रहा है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लिए कपड़े के उत्पादन का कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है प्रत्येक क्षेत्र के लिए केवल कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य हैं जिन्हें 7वीं योजना अवधि के अन्त तक पूरा किया जाना है। जून, 1985 में नई वस्त्र नीति की घोषणा के बाद पिछले दो वर्षों में वस्त्र उद्योग का कुल कपड़ा उत्पादन बढ़ गया है तथापि मिल क्षेत्र का उत्पादन अधोगामी प्रवृत्ति दर्शाता रहा है जिसे कहीं ज्यादा हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले उत्पादन से पूरा किया जा रहा है।

कुछ अन्तर क्षेत्रीय समायोजनों को छोड़कर सातवीं योजना के समग्र कपड़ा उत्पादन लक्ष्यों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बन्द होने की स्थिति में कपड़ा मिलें

1046. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक मिलों के बन्द हो जाने के कारण कपड़ा उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या कई अन्य मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ग) यदि हां, तो कपड़ा मिलों के बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन मिलों को पुनः चलाने तथा इस संकट को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) वस्त्र उद्योग का संगठित मिल क्षेत्र इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहा है और जब से जून, 1985 की वस्त्र नीति लागू हुई तब से (31-5-87 की स्थिति के अनुसार) 53 सूती वस्त्र एकक बन्द पड़े हैं।

(ग) वस्त्र मिलों के बन्द होने के कारण हो सकते हैं क्षमता का आधिक्य, वेशी श्रमिक मन्द मांग, पुरानी और अप्रचलित मशीनरी, उत्पादन की उच्च लागत आदि।

(घ) अर्थक्षम पाई जाने वाली मिलों के संबंध में पुनर्स्थापना पैकेजों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने एक नोडीय एजेंसी स्थापित की है। इसके अतिरिक्त वस्त्र आधुनिकीकरण निधि स्थापित की गई है और सूती एवं मानव निर्मित रेशे के बीच पूर्ण रेशा लोचशीलता की अनुमति दी गई है।

उड़ीसा में चिलका झील का विकास

1047. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा में चिलका झील को सुन्दर बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या योजना तैयार की गई है;

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय का उड़ीसा में चिलका झील को सुन्दर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पर्यटन मन्त्रालय की अनुमोदित प्लान स्कीमों के अन्तर्गत सौन्दर्यकरण की स्कीमें नहीं आती। तथापि, छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान चिलका झील की निम्नलिखित स्कीमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई है :—

	(रुपये लाखों में)
छठी योजना	मंजूर राशि
(1) चिलका झील के लिए नौकाओं की खरीद	2.00
(2) चिलका झील की मास्टर प्लान	8.25
सातवीं योजना	
(1) चिलका झील के लिए 34 सीटों वाली याट	3.94
(2) चिलका झील में जल क्रीडाओं के लिए उपकरण	21.96

गैर-सरकारी क्षेत्र में टी-72 टैंक का निर्माण

1048. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोवियत टी-72 टैंक के बहुत से हिस्सों का देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा करना रक्षा मदों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकारी नीति से हटना है; और

(ग) क्या अन्य रक्षा उपकरणों और हथियारों का भी इसी प्रकार गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्माण किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) से (ग) आयुध निर्माणियों में टी-72 टैंकों के निर्माण के लिए अपेक्षित लगभग 50% प्रणालियां सिविल क्षेत्र उद्योग के लिए, जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों शामिल हैं, निर्धारित कर दी गई हैं ताकि वे उनका देश में ही विकास और उत्पादन कर सकें।

2. यह सरकारी नीति की अवमानना नहीं है। सरकार की यह नीति है कि रक्षा मदों (संवेदनशील एवं घातक मदों को छोड़कर) के निर्माण के लिए सिविल क्षेत्र में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं एवं

क्षमता का इस दृष्टि से यथासम्भव अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए ताकि उपलब्ध राष्ट्रीय स्रोतों का अधिकतम उपयोग करके नए निवेशों में कमी की जा सके।

3. इस नीति का पालन साथ ही अन्य असंवेदनशील एवं अघातक उपकरणों एवं हथियार प्रणालियों के लिए भी किया जा सकता है।

ऊनी वस्तुओं का निर्यात लक्ष्य

1049. श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के लिए ऊनी वस्तुओं के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष के पहले तीन महीनों में निर्यात की क्या स्थिति रही है;

(ग) क्या पहले तीन महीनों में निर्यात की स्थिति लक्ष्य के अनुसार थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1987-88 के लिए ऊनी मदों हेतु निर्यात लक्ष्य 90 करोड़ रुपये का है।

(ख) से (घ) अप्रैल-मई, 1987 के दौरान अनुमानित निर्यात निष्पादन लगभग 16 करोड़ रुपये का है जो 1987-88 की पहली तिमाही के लिए लक्ष्य के अनुसार यथानुपात आधार पर है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अलाभकारी शो रूम

1050. श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कितने शो-रूम चल रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने शो-रूम घाटे में चल रहे हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का अलाभकारी शो-रूमों को बन्द करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वस्त्र मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) इस समय देश भर में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के 422 शो-रूम हैं।

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान 195 शो-रूमों को घाटा हुआ। घाटों के मुख्य कारण निम्नोक्त अनुसार हैं :

(1) कम बिक्रियां

(2) अपेक्षाकृत उच्च खर्च

(ग) और (घ) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम की गैर-अर्थक्षम खुदरा दुकानों को बन्द करने का कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है। व्यक्तिगत खुदरा दुकानों को बन्द करने के मामलों की समय-समय पर जांच की जाती है।

नागार्जुन सागर का अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

1051. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागार्जुन सागर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले के देवराकोंडा स्थान पर यात्री निवास के निर्माण का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) नागार्जुन सागर का विकास करने की दृष्टि से, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ने आवास सहित एक अल्पाहार गृह का निर्माण करने के लिए 23.70 लाख रु० स्वीकृत किए हैं। नागार्जुनसागर में जल क्रीड़ा सुविधाएं मुहैया कराने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय राज्य सरकारों से मिलने वाले प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता देता है। इस मंत्रालय को देवराकोंडा में यात्री निवास का निर्माण करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

हस्तशिल्प कारीगरों का पुनर्वास

1052. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए पर्याप्त पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में क्या उपाय किये हैं; और

(ग) इसी अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने हस्तशिल्प कारीगरों का पुनर्वास किया गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लौह अयस्क चूर्ण और पिंडा का चीन द्वारा निर्यात

1053. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने लौह अयस्क चूर्ण और लौह अयस्क पिंडों के निर्यात करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में चीन से बातचीत की है और

(ग) खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने इस दिशा में क्या कदम उठाये है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशी पर्यटकों के लिए नये पर्यटक क्षेत्र

1054. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में यूरोप से भारी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है और पर्यटकों की रुचि के अनेक नये क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) यूरोप भारत के लिए पर्यटक भेजने वाली एक बड़ी मार्किट है। वर्ष 1986 के दौरान यूरोप से पर्यटक आगमनों की संख्या 465,925 थी जो भारत आने वाले कुल पर्यटक यातायात का लगभग 43.1 प्रतिशत है। चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान पाकिस्तान और बंगलादेश क राष्ट्रिकों को छोड़कर कुल आगमन 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। चालू वर्ष में साहसिक पर्यटन, समुद्र-तट पर्यटन और सावकाश पर्यटन आदि जैसे नये क्षेत्रों पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है।

ब्रिटेन में भारतीय चाय की मांग

1055. श्री राधाकांत डिगाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में भारतीय चाय की भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन को चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) भारत ब्रिटेन, चाय बाजार के लिए चाय के महत्वपूर्ण निर्यातकों में से एक रहा है, पिछले चार वर्षों के दौरान भारत से निर्यात 30 मिलियन कि०ग्रा० से 45 मिलियन कि०ग्रा० के बीच रहे हैं।

(ख) भारतीय चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए मूल्य वर्धित चाय पर अधिक नकद मुआवजा सहायता, बल्क चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क में 50 पैसे प्रति किलोग्राम की छूट, पैकेट चाय के निर्यातों पर उत्पादन शुल्क की पूरी छूट, ब्राण्ड संवर्धन योजना जैसे जो उपाय किए गये हैं उनके अतिरिक्त ब्रिटेन को भारतीय चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदमों में शामिल हैं ब्रिटेन में दार्जिलिंग लोगों के संवर्धन के लिए अभियान, पैकेट चाय की खेपों की बिक्री के लिए अनुमति तथा साथ ही ब्रिटेन में चाय व्यापार तथा उद्योग के साथ समय-समय पर सम्पर्क स्थापित करना।

विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों पर प्रतिबन्ध

1056. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐसे संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया है जो इसका उपयोग घोषित प्रयोजनों के लिये नहीं कर रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के कार्यकलापों की जांच करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम 1976 के उपबन्धों के लिए 9 एसोसिएशनों को विदेशी अभिदान प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसके

अतिरिक्त इस समय 14 संगठनों के लिए विदेशी अभिदान स्वीकार करने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय

1057. श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पाकिस्तान की जेलों में ऐसे भारतीय बन्दियों की संख्या कितनी है, जो भारत में पाकिस्तानी बन्दियों के बदले रिहा किये जाने की प्रतीक्षा में हैं; और

(ख) पाकिस्तान की जेलों से भारतीय बन्दियों की रिहाई में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पाकिस्तान की जेलों में 844 भारतीय राष्ट्रिक हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय 348 पाकिस्तानी राष्ट्रिक भारत की जेलों में हैं।

(ख) पाकिस्तान की सरकार शायद ही कभी किसी भारतीय बन्दी को उसकी सजा की मियाद पूरी हो जाने के फौरन बाद छोड़ती हो और न ही उनसे ऐसे मामलों के बारे में पूरे तथ्यों का पता लगाना संभव हो सका है। हमने बार-बार इस सवाल को उनके साथ उठाया है।

अपराधियों का प्रत्यर्पण

1058. श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तीन वर्षों के दौरान उन देशों ने, जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है, भारत को कितने अपराधियों का प्रत्यर्पण किया; और

(ख) इस अवधि के दौरान भारत ने उन देशों को कितने अपराधियों का प्रत्यर्पण किया ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जिन देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है उनमें से किसी भी देश ने पिछले तीन वर्ष में किसी भी अपराधी को भारत प्रत्यर्पित नहीं किया है।

(ख) इस अवधि में भारत से भी कोई अपराधी किसी भी ऐसे देश को प्रत्यर्पित नहीं किया गया है जिनके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है।

काफी उत्पादकों को अधिक मूल्य देना

1060. श्री पी० ए० एन्थनी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का काफी का निर्यात बढ़ाने और काफी उत्पादकों को अधिक मूल्य देना सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को काफी उत्पादकों की समस्याओं की जानकारी है; और

(ग) क्या केरल सरकार ने काफी उत्पादकों की समस्याओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) से (ग) यद्यपि विगत हाल में केरल राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु काफी उपजकर्ताओं को समय-

समय पर न्यूनतम रिलीज कीमत के निर्धारण तथा निर्यात शुल्क के संशोधन द्वारा लाभकारी कीमतें देना सुनिश्चित किया जाता है। काफी निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपायों में शामिल हैं : — विदेशों में मेलों तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी, इन्सटैंट काफी के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता शुल्क वापसी, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को भेजना आदि।

पंजाब में आतंकवादियों की हत्याएं

1061. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान पंजाब में कितने आतंकवादियों की हत्याएं की गयीं;

(ख) अप्रैल-जून, 1987 के दौरान पंजाब में मारे गये आतंकवादियों के नाम क्या हैं;

(ग) उपरोक्त भाग "ख" में उल्लिखित प्रत्येक आतंकवादी ने आतंकवाद के कौन-कौन से विशिष्ट कृत्य किये हैं; और

(घ) क्या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) पंजाब में जनवरी 1986 से 25 जुलाई, 1987 तक की अवधि के दौरान 235 आतंकवादी मारे गए।

(ख) इस समय इस सम्बन्ध में सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

(ग) और (घ) वे निर्दोष व्यक्तियों, पुलिस कर्मियों विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्याएं करने, नकदी/पैट्रोल पम्पों/दुकानों को लूटने, डकैतियों, स्कूटर/हथियारों इत्यादि को छीनने जैसे कार्यों में अन्तर्ग्रस्त थे। इनमें किसी को उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया था।

बन्द कर दी गई कपड़ा मिलों को फिर से चालू करना/नवीकरण करना

1062. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है जो वर्ष 1986-87 के दौरान बन्द कर दी गई और 31 मार्च, 1987 को ऐसी मिलों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) क्या इन मिलों को फिर से चालू करने अथवा उनके नवीकरण के कार्य में कोई प्रगति हुई है;

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान कपड़ा मिल क्षेत्र के उत्पादन में कितनी गिरावट आई है; और

(घ) वर्ष 1986-87 के दौरान इनकी प्रतिष्ठापित क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1-4-86 से 31-3-87 की अवधि के दौरान बंद पड़ी सूती वस्त्र मिलों की संख्या 38 थी। 31 मार्च, 1987 तक की स्थिति अनुसार कुल 90 मिलें बंद थीं।

(ख) सरकार ने रुग्ण वस्त्र मिलों की जांच करने तथा संभाव्य रूप से अर्थक्षम पाये गये एककों के सम्बन्ध में पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने तथा उसके क्रियान्वयन की देख रेख करने के लिए एक नोडीय अभिकरण की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त वस्त्र आधुनिकीकरण निधि भी स्थापित की गई है।

(ग) 1985 86 की तुलना में .986-87 के दौरान मिल क्षेत्र मे उत्पादन में 73 मिलियन मीटर की कमी हुई।

(घ) 1986-87 के दौरान क्षमता की उपयोगिता का प्रतिशत, तकुए : 72 प्रतिशत तथा करघे 62 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

गुजरात में मिलों का अधिग्रहण

1063. श्रीमती पटेल रामाबेन रामजी भाई मावणि
श्री यू० एच० पटेल } : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौराम गुजरात में सरकार द्वारा कितनी मिलों को अपने अधिकार में लिया गया;

(ख) इनमें से क्रमश: गुजरात सरकार केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय कपड़ा निगम और गुजरात कपड़ा निगम द्वारा कितनी मिलों को अधिकार में लिया गया;

(ग) इन मिलों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है तथा किस तारीख को सरकार द्वारा इन्हें अधिकार में लिया गया;

(घ) इन मिलों के नवीनीकरण, मरम्मत इत्यादि पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) इन मिलों का इस समय आर्थिक स्थिति क्या है, मुनाफे और घाटे में चल रही मिलों की, अलग-अलग संख्या कितनी है तथा उक्त अवधि के दौरान कितना मुनाफा कमाया गया अथवा कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(च) अब और कितनी मिलों को अधिकार में लेने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान गुजरात में संघ सरकार द्वारा मै० कान्ति काटन मिल्स, सुरेन्द्र नगर नामक केवल एक मिल के प्रबन्ध का अधिग्रहण किया गया था। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क क के अन्तर्गत केवल संघ सरकार ही वस्त्र एककों के प्रबंध का अधिग्रहण कर सकती है।

(ग) मै० कान्ति काटन मिल्स, सुरेन्द्र नगर का अधिग्रहण 12-10-82 को किया गया था। इसमें 17.604 तकुए तथा 326 करघे हैं। इसमें 1803 व्यक्ति रोजगार में लगे हैं।

(घ) गुजरात सरकार ने मिल का राष्ट्रीयकरण 15-9-86 को किया था। गुजरात सरकार ने इसकी मरम्मत कर तथा इसे पुन: चालू करने के व्यय के रूप में 23.30 लाख रु० खर्च किए थे।

(ङ) मिल में इस अवधि के दौरान 328.22 लाख रु० की हानियां हुई हैं।

(च) जून, 1985 के वस्त्र नीति विवरण में स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि रुग्ण एककों का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने या राष्ट्रीयकरण करने से रुग्णता की समस्याओं का समाधान नहीं निकलता और सरकार सम्भवत: ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

[अनुवाद]

समुद्री मछली का निर्यात

1064. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सातवीं योजना के अंत तक समुद्री मछली के निर्यात के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान समुद्री मछली का वर्ष-वार वास्तव में कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है;

(ग) क्या सरकार को झींगा मछली के उत्पादन में आई स्थिरता को ध्यान में रखते हुए निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या विशेष प्रयास किये गये हैं/योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) 1984-85 की कीमतों पर सातवीं योजना के अन्त तक 446 करोड़ रु० के समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात की व्यवस्था की गई है। (स्रोत : सातवीं योजना 1985-90)

(ख) गत दो वर्षों के लिए समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

मात्रा : मे० टन में

मूल्य : करोड़ रु० में

1985-86	मात्रा : 83651
	मूल्य : 398.00
1986-87	मात्रा : 85843
	मूल्य : 460.67

(ग) और (घ) कल्चर्ड श्रिम्प का उत्पादन बढ़ाकर मूल्य-वर्धित मदों जैसे आई० क्यू० एफ० के उत्पादन को प्रोत्साहन देकर प्रान हैचरी एवं प्रान बीज बैंकों की स्थापना करके तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के स्रोतों का लाभ उठाने के उपाय करके समुद्री निर्यातों में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये संयुक्त उद्यम

1065. श्री चौधरी राम प्रकाश
श्री टी० बाला गौड़ } : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हमारी समुद्री सीमा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये नौकाएं तट से पर्याप्त दूरी पर मछली पकड़ें, क्या कदम

उठाये गये हैं;

(ग) तट से कितनी दूरी पर मछली पकड़ने की अनुमति देने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह सच है कि तट से 100 मील की दूरी पर काफी समुद्री संसाधन विद्यमान है; और

(ङ) यदि हां, तो इन समुद्र संसाधनों का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जितनी दूरी तक जलयान कार्य कर सकते हैं वह तट से पूर्वी तट में 12 नाविक मील तक तथा पश्चिमी तट में 12 नाविक मील तक हैं। भारतीय तट गार्ड को इन प्रतिबन्धों को लागू करने का अधिकार है।

(घ) जी, हां।

(ङ) मत्स्य संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए किए जा रहे संवर्धनात्मक उपाय हैं :—

(i) संयुक्त उद्यमों के लिए भारतीय पार्टियों के साथ करार करने के लिए भावी विदेशी पार्टियों को अभिज्ञात करना।

(ii) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की मार्फत सीमित इक्विटी भागीदारी के रूप में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में लगी हुई कम्पनियों को सहायता।

(iii) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के साथ मामले उठाकर वित्त का प्रबन्ध करने में उद्यमियों को सहायता करना।

विमानों का निर्माण

1066. **श्री रेणुपद दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमानों का निर्माण करने के लिए उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश के लिए ऐसी कोई भावी योजना तैयार किए जाने के क्या कारण हैं;

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (हाल) नामक विमान निर्माण करने वाली एक घरेलू उद्योग कम्पनी पहले से ही मौजूद है। मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के विमानों, हैलीकाप्टरों और सम्बन्धित एयरो-इंजनों, एवोनिकों, उपस्करों तथा सह-कलपुर्जों का डिजाइन तैयार करना, निर्माण करना, मरम्मत करना तथा उनकी ओवरहालिंग करना है। इसके मिश्र उत्पादन की सीमा काफी विस्तृत है जिसमें रोटरी एवं फिक्स विंग वाले विमानों का देश में ही डिजाइन तैयार करने से लेकर लाइसेंस करार के अन्तर्गत उनका निर्माण करना, जेट और पिस्टन इंजनों को संचालन योग्य बनाना और उसी तरह के एवोनिकों और सह-कुलपुर्जों का निर्माण करना शामिल है।

निजी क्षेत्र में विमान/हैलीकाप्टरों के निर्माण के लिए लाइसेंस की मंजूरी के बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने विशेषाधिकार की सूचनाएं दी हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हमने विशेषाधिकार हनन की कई सूचनाएं दी हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : हमने ये विशेषाधिकार प्रस्ताव दिये हैं जिन्हें बोफोर्स और फेयर-फैक्स सौदे के मामले में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, जो आपने दिया है उसे, पहले ही तथ्यों का पता लगाने के लिए भेज दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसमें कितना समय लगेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम पता करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : संसद का सत्र शुरू होने से भी पहले हमने उसे दिया था। भूरे लाल का नोट प्रस्तुत किया गया है जिस पर श्री ब्रह्म दत्त की टिप्पणियां है जो उसके विपरीत हैं जो उन्होंने यहां संसद में कहा था··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि हम तथ्यों का पता करेंगे।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं हो रहा है। किसी की भी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों का पता लगाकर आपको बता दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : विशेषाधिकार के लिए यह ठीक मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : तथ्यों का पता लगाने के लिए इसे पहले ही भेज दिया गया है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : मैंने रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा तथा तथ्यों का पता लगाऊंगा ?

श्री बसुदेव आचार्य : आपको कितना समय लगेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों का पता लगायेंगे। हम कोई विलम्ब नहीं चाहते। हम कोई विलम्ब

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्यों करना चाहेंगे ?

श्री बसुदेव आचार्य : तीन दिन पहले, हमने इसे दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसे ही हमें सूचना मिलेगी, मैं आपको बता दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : संसद का सत्र शुरू होने से पहले हमने सूचनाएं दी थी। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, और जिनकी एक प्रतिलिपि यहां सचिवालय को दी गयी हैं, उनके आधार पर श्री ब्रह्म दत्त के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है···

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : मैंने भी एक सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक नोटिंग में, अपने ही हस्तलेख में, उन्होंने सदन में जो कहा था उसका खंडन किया है कि फेयरफैक्स कम्पनी के सेवाएं नहीं ली गयी थी। उन्होंने सभा में कहा था, फेयरफैक्स का दर्जा एक नौकर का भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पता करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बहुत गंभीर बात है। उन्होंने सभा में झूठ बोला है। (व्यवधान) इस मामले को पकड़े रहना चाहिए। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते।

श्री दिनेश गोस्वामी : हमने, श्री ब्रह्म दत्त के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की एक सूचना दी है। उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय से कतिपय टिप्पणी की है कि उन्होंने फेयरफैक्स की सेवा प्राप्त नहीं की थीं। इसे असत्य सिद्ध किया जा चुका है। अतः, मुझे नहीं पता कि और आगे किन टिप्पणियों की जरूरत है। मामले को अब विशेषाधिकार समिति के पास भेज देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने उस चर्चा की शुरुआत की थी और जवाब में उन्होंने कहा था···
(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : इससे बड़ा असत्य नहीं हो सकता···(व्यवधान) महोदय, क्या आपने भूरे लाल की नोटिंग को देखा है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इसे मंत्री महोदय के पास तथ्यों के लिए भेजा है। मैं पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आपने भूरे लाल की नोटिंग को देखा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसकी जांच केवल विशेषाधिकार समिति द्वारा ही की जा सकती है।

प्रो० मधु दंडवते : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने किसी विशेष बात का हवाला दिया है—भूरे लाल की

नोटिंग पर श्री ब्रह्म दत्त जल्दी-जल्दी लिखी गयी टिप्पणियां ? उन्होंने वास्तव में पुष्टि कर दी है फेयर-फैक्स की सेवा प्राप्त की गयी थी, जबकि यहां उन्होंने असत्य कहा था कि इसे काम में नहीं लगाया गया था। (व्यवधान)। यह विशेषाधिकार हनन का मामला है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप क्या पता लगा रहे है, कृपया हमें बतायें। हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं, अगर आप हमें कृपया बतायें कि आप क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यह जानने का हक है कि आप क्या पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : स्वीडिश आडिट ब्यूरो ने भी इतना समय नहीं लिया था। आप इतना अधिक समय ले रहे हैं। संसद का सत्र शुरू होने से बहुत पहले हमने श्री ब्रह्म दत्त तथा प्रधान मन्त्री के खिलाफ सूचना दी थी।

[हिन्दी]

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मेरठ में बस में लोगों को मारा गया। इसके ताल्लुक में आप जवाब दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने सांप्रदायिक झगड़ों के बारे में चर्चा करने की सिफारिश की है और हम सांप्रदायिक झगड़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस समय हम इस मामले को लेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आपने मेरा नाम पुकारा। लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम लिया था। लेकिन आप नहीं बोले। इसलिए मैंने दूसरे सदस्य का नाम बुलाया।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप कितना समय लेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही अनुस्मारक भेज दिये थे। हम एक और स्मरण पत्र भेज देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है। (व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : मेरठ तथा अन्य स्थानों पर हत्याएं हो रही हैं। सरकार चुप बैठी है। बाबरी मस्जिद का मामला भी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि पहले ही कल मैंने श्री बनातवाला को जब उन्होंने इसे उठाया था तो बताया था कि हम शीघ्र ही साम्प्रदायिक झगड़ों पर चर्चा करने वाले हैं

और उस समय इस मामले को उठाया जा सकता है। अतः अब इस पर जोर न दें।

(व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : मैंने कतिपय विपक्षी सदस्यों के खिलाफ जिन्होंने यहां सभा-कक्ष में धरना दिया था। आपको विपक्षी दलों के सदस्यों के खिलाफ, जो यहां धरना दे रहे थे, दी गयी विशेषाधिकार सूचना पर अपना विनिर्णय देना है। आपका क्या विनिर्णय है? (व्यवधान)

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : मैंने श्री राम जेठमलानी के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस में "प्रोग्राम फार दी करंट सैशन" पर लेख लिखने पर एक विशेषाधिकार की सूचना दी है। वह सदस्यों के अधिकारों का अतिलंघन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

श्री टी० बशीर : यह सदन के दर्जे को कम करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना को पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या आप हमें विशेषाधिकार प्रस्ताव को निपटाने की समय-सारिणी बतायेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : हमने दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको कितना समय लगेगा? क्या सोमवार तक आप अपना निर्णय दे देंगे? (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप हमारी बात सुनेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा सुनता रहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप मुझे आश्वासन देंगे कि सोमवार तक आप अपना विनिर्णय दे देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : तथ्यों का पता लगाये बिना मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता। अब, सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.08 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं, राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधि-

[सरदार बूटा सिंह]

नियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत (राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1987 जो 29 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 532(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—4523/87]

गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : मैं गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 71 की उपधारा (2) के अन्तर्गत गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन (कठिनाई निवारण) आदेश, संख्या 1, जो 12 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 578 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०—4524/87]

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—4525/87]

सीमा-शुल्क अधिनियम और उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 581 (अ), जो 17 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जो पालीयूरिथेन्स चमड़े को, जब उसका फुटबाल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 637 (अ), जो 2 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 17?/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि तीन रसायनों, अर्थात्, हैक्सामिथाइल डिक्लोरोसिलेन, बिसमिथाइल सिलिल्यूरिया, एन-मिथाइल पिपराजाइन को अधिसूचना के विषय क्षेत्र से हटाया जा सके जो विशिष्ट औषध-द्रव्य मध्यवर्तियों को प्रतिसंतुलनकारी सीमा-शुल्क से छूट देती है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 611 (अ) और 612 (अ), जो 3 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपकरणों, यन्त्रों और उपस्करों, जिसमें उनके पुर्जे और संघटक शामिल हैं, परन्तु इसमें मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० द्वारा अनुसंधान प्रयोजनों के लिए अपेक्षित उपभोज्य मदें शामिल नहीं हैं, को, उस पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क तथा सम्पूर्ण अतिरिक्त और उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 648 (अ), 7 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 124/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि शुष्कित छुहारों पर मूल्यानुसार शुल्क को विनिर्दिष्ट दरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 649 (अ), जो 7 जुलाई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 12 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या 206/87-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि शुष्कित छुहारों को, बीजरहित को छोड़कर, उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4526/87]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 573 (अ), जो 12 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 221/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि इनैमल फ्रिट को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 579 (अ) जो 17 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 38/87-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि "स्पैंट कैटालिस्ट" से प्राप्त प्लेटीनम शिलिका को रियायती उत्पाद-शुल्क (केवल जॉब चार्जेज पर प्रभार्य शुल्क) का लाभ प्रदान किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 580 (अ), जो 17 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 132/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि सेलुलोस ट्राई-एसिटेट और सेलुलोस ट्राईएसिटेट फिल्मों को प्रदान की गई पूर्ण छूट वापस ली जा सके और इसके स्थान पर शुल्क की मूल्यानुसार 10% दर निर्धारित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[श्री जनार्दन पुजारी]

(चार) सा० का० नि० 614 (अ), जो 30 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उन गैसों को, जिनका अपहरण पद्धति द्वारा अथवा अन्यथा वातावरण में निकास अनुज्ञात किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 655 (अ), जो 10 जुलाई को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ऐसे सभी माल को जो खानों की प्रसं माओं के भीतर स्थिति कर्मशालाओं में विनिर्मित किये गये हैं और जिनका उपयोग खानों में प्रयुक्त मशीनरी की मरम्मत या अनुरक्षण के लिए भी आशयित है, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० –4527/87]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 की धारा 18 के अन्तर्गत जारी किये गये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1987 जो 25 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० सा० नि० 289 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4528/87]

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं : —

(1) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 क की धारा 3 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) निर्यात (नियन्त्रण) आठवां संशोधन आदेश, 1987 जो 1 अप्रैल, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 275 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्यात (नियन्त्रण) नवां संशोधन आदेश, 1987 जो 1 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 454 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का० आ० 488 (अ), जो 15 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1987 को खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 11/87 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चार) का० आ० 489 (अ), जो 15 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1987 को खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 16/87 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(पांच) का० आ० 559 (अ), जो 4 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 1987 को खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 16/87 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(छः) का० आ० 626 (अ), जो 24 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 1987 को खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 1/87 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(सात) का० आ० 627 (अ), जो 24 जून, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 1987 की खुली सामान्य अनुज्ञप्ति संख्या 3/87 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4529/87]

जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वस्त्र मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा तीन की उपधारा (2) के अन्तर्गत आदेश, जो 29 मई, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 539 (अ) में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को 1 जून, 1987 से उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशतता में प्रदाय या वितरण के लिए जूट पैकेज सामग्री में पैक किया जायेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4530/87]

12.09 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि इस सदन में सोमवार, 3 अगस्त, 1987 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) बोफोर्स ठेके के बारे में स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो के प्रतिवेदन से उत्पन्न मुद्दों की जांच करने के लिए संयुक्त समिति की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे विचार करना।

(2) आज की कार्य सूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(3) निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

1. विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी कार्यकलाप निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1987

[श्रीमती शीला दीक्षित]

2. राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987

(4) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) संशोधन विधेयक, 1987 पर विचार तथा पारित करना।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कम से कम हमें आश्वासन दीजिए कि आप हमें सोमवार को बताएंगे कि श्री ब्रह्मदत्त तथा प्रधान मंत्री के विरुद्ध हमारे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ। आप हमें आश्वासन क्यों नहीं देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि सभी तथ्यों का पता लगाकर मैं आपको बता दूंगा। तथ्यों के बिना मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं सोमवार को विनिर्णय दे सकता हूं ?

प्रो० मधु दण्डवते : सूचनायें देने का क्या लाभ है जब उनको देखा भी नहीं जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही स्मरण पत्र भेज दिए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या हम आपसे अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय से सोमवार को किसी विनिर्णय की आशा करें ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इस बात का आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपत्ति क्या है ? क्या वह विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम के विरुद्ध हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह उचित नहीं है। हम आप पर आक्षेप नहीं करना चाहते। किन्तु आप हमें आश्वासन दीजिए कि विशेषाधिकार सूचनायें कब उठाई जायेंगी। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आपको श्री ब्रह्मदत्त से केवल यह पता लगाना है कि क्या उनका भेजा हुआ टिप्पण उन्होंने स्वयं लिखा है अथवा जालसाजी है। इसका आप पता लगाइए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हम जानना चाहते हैं कि क्या यह सी० आई० ए० एजेन्ट के हाथ का लिखा हुआ है अथवा···

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा कि मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा। मैं आपको कोई आश्वासन

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सोमनाथ रथ अपनी बात कहेंगे। श्री सोमनाथ रथ की बात के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं किसी बातचीत की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, श्रम-प्रधान उद्योग होने के कारण पर्यटन में कम पूंजी लगती है और देश को इस समय सबसे अधिक विदेशी मुद्रा इसी से प्राप्त होती है। सांस्कृतिक पर्यटन के अतिरिक्त वन्य-प्राणी पर्यटन तथा साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। यही एकमात्र क्षेत्र है जिसके द्वारा ग्रामीण तथा क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकतम स्थापित किया जा सकता है।

अति प्राचीन समय से उड़ीसा ने भारत के प्रत्येक कोने से यात्रियों तथा पर्यटकों को आकृष्ट किया है। उड़ीसा ने यात्रियों तथा पर्यटकों को अत्यन्त प्रभावित किया है। यात्री उड़ीसा न केवल तीर्थस्थलों की यात्रा के लिए आते हैं। अपितु आकर्षक कला और वास्तुकला भी देखने आते हैं। यह कहना उचित है कि उड़ीसा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए स्वर्ग समान है।

उड़ीसा के दक्षिणी भाग में जाउगाडा ऐतिहासिक रुचि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार को जौगाडा में पर्यटन विकास की सम्भावनाओं का व्यापक आधार पर पता लगाना चाहिए। शिलालेखों तथा ऐतिहासिक स्मृति चिह्नों से हमारे समृद्ध अतीत का पता चलेगा।

उड़ीसा में चूंकि अद्वितीय पर्यटन स्थल हैं, अतः भुवनेश्वर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए। मैंने भुवनेश्वर से पोर्ट ब्लेयर तक विमान सेवा आरम्भ करने की पहल की थी। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वायुदूत सेवा भुवनेश्वर और जैपोर के बीच आते-जाते समय दक्षिण उड़ीसा की जनता के लाभ के लिए रंगीलुंडा में रुके।

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में इस विषय को संलग्न किया जाए।

मध्य प्रदेश में पर्यटन की काफी गुंजाइश है। आज भी बहुत से दर्शनीय स्थानों का पर्यटन प्रेमियों को दर्शन लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि अधिकांश प्रदेश काफी आगे बढ़ गए हैं और प्रदेश की आय में सहयोग करते हुए विकास कार्यक्रम में उनकी भागीदारी जुड़ी हुई है। सड़क परिवहन का भी विकास इस प्रदेश में अभी पर्यटन स्थलों को नहीं जोड़ पा रहा है, अभी इस ओर और ध्यान दिया जाए तो मध्य प्रदेश की पर्यटन रफ्तार तेजी से आगे बढ़ सकती है।

अभी हाल में राज्य शासन ने इस पर्यटन व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देना तय किया है, उससे निश्चित रूप से पर्यटन का भावी विकास निश्चित हुआ है। खासकर छत्तीसगढ़ में इस पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। पर्यटन की दृष्टि से वायुदूत आरम्भ करने की घोषणा की गई थी पर अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि वायुदूत के आरम्भ करने के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाएं।

[श्री मानकूराम सोडी]

बस्तर को वायुदूत सेवा से जोड़ने से पर्यटन के साथ-साथ यहां की अपूर्व सम्पदा का दोहन तथा उद्योग का आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैं अनुरोध करता हूं कि 3-8-87 से आरम्भ होने वाले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाए।

हालांकि भारत सरकार खाद्य तेलों के आयात पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, ताकि गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल सकें और देशी खाद्य तेलों की कीमत पर, जो कि उच्च मूल्य के कारण आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो गए हैं, अंकुश रखा जा सके। फिर भी अप्रभावी और गलत सार्वजनिक प्रणाली व्यवस्था की वजह से यह अप्रभावी रहा है। पात्र कार्यक्रमों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पाम-आयल जैसे आयातित खाद्य तेल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार, राज्यों को आयातित खाद्य तेलों की आबंटित मात्रा को बढ़ाने की बजाय मार्च, 1987 से घटा रही हैं; जिसके फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से कमजोर राज्यों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों मे, जहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, आयातित खाद्य तेलों के आबंटन में वृद्धि की जानी चाहिये।

सेना के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए; जनवरी, 87 में विभिन्न रेलवे मंडलों में कुछ पैसेन्जर और एक्सप्रेस रेल सेवाओं को बन्द कर दिया गया था। रेल प्राधिकारियों ने कुछ कारणों से, दक्षिण-पूर्वी रेलवे की 37 और 38 हावड़ा–मद्रास जनता एक्सप्रेस, 397 और 398 आसनसोल—पुरी पैसेन्जर आदि रेल-सेवाओं को पुनः आरम्भ नहीं किया है; जिसके फलस्वरूप सभी प्रकार के रेल-यात्रियों को असुविधा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे की इस कार्यवाही से कई कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और 'रेल रोको आन्दोलन' आदि जैसे आन्दोलन चलाए जा रहे हैं; विशेषरूप से खड़गपुर—भद्रक रेल मार्ग पर, जहां पर 80% रेलवे स्टेशनों पर 9-10 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं आती है।

प्रतिदिन रेल यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों की वास्तविक मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए, इन रेल सेवाओं को यथाशीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिए।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए :—

जहां एक ओर देश का अधिकांश भाग सूखे की चपेट में है, वहीं उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र में बाढ़ ने पुनः तबाही मचाई हुई है। वहां हर वर्ष बाढ़ आती है और वहां के लोगों के दुःख-दर्द का बयान कर पाना मुश्किल है।

मिथिला क्षेत्र में बार-बार बाढ़ आने का मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर नदियों का उद्गम नेपाल से होता है, और वहां पर पानी को रोकने के लिए कोई जलाशय या बांध नहीं है, ताकि उत्तरी बिहार में पानी आने से रोका जाए।

बिहार में गंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं—गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और महानन्दा। राज्य में गंगा मुख्य नदी है। ज्यादातर मानसून में इसमें बाढ़ आ जाती है और इन सहायक नदियों द्वारा

की जाने वाली जल निकासी को रोकती है। क्योंकि गंगा और इसकी उत्तर बिहार की सहायक नदियों का 85 प्रतिशत आवाह-क्षेत्र राज्य से बाहर पड़ता है। अतः राज्य में किये गए बाढ़-नियन्त्रण उपायों से बिहार को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि नदियों का अन्तर्राज्यीय नियन्त्रण रखा जा सके और नेपाल से इन नदियों के बहाव पर इनके उद्गम स्थल पर ही नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में सहमति हो सके।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, देश के विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानूनों में भारी परिवर्तन की मांग है। केन्द्रीय सरकार को राज्यों को प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने-अपने भूमि सुधार कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन न करें। बड़े-बड़े जमींदारों के पास कानूनी खामियों के कारण आज भी सीलिंग से ज्यादा जमीन काश्त हेतु कब्जे में चल रही है तथा गरीबों को आबंटन, भूमि के लाखों मामलों में कब्जा व पट्टा नहीं दिया गया है। केन्द्रीय सरकार को पहल कर भूमि सुधार कानूनों में परिवर्तन हेतु योगदान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

(i) यह सर्वविदित तथ्य है कि सी०आई०ए० इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का भरसक प्रयास कर रही है। हाल ही के वर्षों में यह संस्था विकसित देशों में काफी सक्रिय रही है। हाल ही में बम्बई के एक साप्ताहिक द्वारा प्रकाशित दस्तावेजी प्रमाण से ऐसी एजेंसियों का रूप उजागर हो जाता है। इन तथा अन्य संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए, ताकि इस देश के अधिकांश लोगों को, जिन्हें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है, पूरे तथ्यों से अवगत कराया जा सके।

(ii) पिछले दिनों एक रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में चीनी गुब्बारे धरती पर उतरे और कथित रूप से उन्होंने चाकलेट, मिठाइयां, और कुछ चीनी साहित्य बांटा। बताया गया है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह एक गम्भीर मामला है और अगले सप्ताह इस पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : मानसून के अनिश्चित हो जाने से देश के कई भाग जिनमें मध्य प्रदेश का भी लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र शामिल है, सूखे की भयंकर चपेट में आ गये हैं। पीने के पानी की कमी और चारे के अभाव ने संकट की स्थिति पैदा कर दी है। यह पहला अवसर है जब श्रावण के महीने में सूखे का संकट उत्पन्न हुआ है।

पेयजल संकट लगभग पूरे राज्य में है। गर्मी के मौसम में कई स्थानों पर परिवहन द्वारा पेयजल पहुंचाया गया था। अब ऐसी स्थिति होने जा रही है, जहां ऐसे ग्रामों की संख्या कहीं अधिक हो जायेगी, जहां दूर-दूर से पानी पहुंचाना पड़ेगा। शहरों की हालत भी खराब हो जाने वाली है। राजधानी भोपाल में, जो तालों की नगरी कहलाती है, स्थिति गम्भीर हो चुकी है। इतिहास में बड़े तालाब का जल स्तर इतना कभी नहीं गिरा था। आधे से अधिक तालाब का क्षेत्र सूख चुका है। शीघ्र ही कोई व्यवस्था नहीं की गई तो भोपाल की आबादी के भी पलायन की नौबत आ जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन प्रारम्भ हो

[श्री के० एन० प्रधान]

चुका है। आरम्भ की वर्षा से राज्य में लगभग 60 प्रतिशत बुआई हो चुकी थी, परन्तु इसके भी बर्बाद हो जाने की आशंका है।

मध्य प्रदेश 1984-85-85-86, 86-87 में भी सूखा, बाढ़ और ओले के प्रकोपों से बुरी तरह पीड़ित रहा है। केन्द्रीय सहायता के बाद भी राज्यों को स्वयं भी बहुत काम करना पड़ा है। ऐसा अनुमान है कि केवल राहत कार्यों पर ही राज्यों में कम से कम 12 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च करना पड़ेगा। इसलिए केन्द्रीय सरकार तत्काल ही राज्य सरकार को आर्थिक सहायता दे और हर माह कम से कम एक लाख टन अनाज भी दिये जाने की व्यवस्था करे।

इसी प्रकार पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता के साथ-साथ बड़ी संख्या में रिग्स और ड्रिलिंग मशीनों का भी प्रबन्ध करे।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं अनुरोध करता हूं अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया जाए :—

14 जुलाई, 1987 से सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के बागवानी शाखा के 7,000 से अधिक जूनियर इंजीनियर और 200 सैक्शनल अधिकारी हड़ताल पर है। वे उचित वेतनमान और बेहतर पदोन्नति के अवसर दिये जाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। यह दुःख का विषय है कि कई जूनियर इंजीनियर पिछले 26 वर्षों से बिना पदोन्नत हुए कार्य कर रहे हैं, जबकि सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की नियमावली में प्रति आठ वर्ष पश्चात् एक पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है। सरकार ने आवश्यक सेवा अधिनियम को लागू कर दिया है। टकराव की नीति की बजाय समझौता वार्ता आरम्भ की जानी चाहिए, ताकि हड़ताली जूनियर इंजीनियरों के साथ न्यायसंगत सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता किया जा सके। इस मामले पर बिना देरी चर्चा की जानी चाहिए। 4 अगस्त, 1987 से सारे देश के करीब 2.2 लाख विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापक हड़ताल कर रहे हैं। वे वेतनमानों में विविधता, पदोन्नति के अवसरों की समाप्ति, अन्तर्राज्यीय वेतनमानों में असमानता आदि को समाप्त करने के बारे में आंदोलन कर रहे हैं। जो आम नीति अपनाई जा रही है उसमें भी वेतनमानों में विविधता को समाप्त किया गया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे देश में एक साथ वेतनमान लागू हों। यह खेद का विषय है कि कई राज्यों ने 1973 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों को भी लागू करने से इन्कार कर दिया था। केन्द्रीय सरकार को राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता देनी चाहिए। लाइब्रेरी-स्टाफ और शारीरिक शिक्षा के निदेशकों को भी संशोधित वेतनमान दिये जाने चाहिए। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अध्यापकों को अपनी न्यायसंगत मांगों के लिए हड़ताल पर जाना पड़ा है। सर्वमान्य हल के लिए शीघ्र ही वार्ता आरम्भ की जानी चाहिए। इस मामले पर शीघ्र चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत आगामी सप्ताह की कार्य-सूची का स्वागत करते हुए उसमें निम्न विषयों का समावेश करवाना चाहता हूं :

(1) कोलम्बो में प्रधान मंत्री पर हुए घातक हमले से एक बार फिर इस आशंका की पुष्टि हुई

है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत के नेतृत्व वर्ग को शारीरिक व अन्य रूप से समाप्त कर यहां अशान्ति व अस्थाइत्व पैदा कर भारत की एकता व अखण्डता को समाप्त करना चाहती हैं। अतः इस मुद्दे पर सदन में चर्चा आवश्यक है।

(2) दिल्ली प्रशासन, नगर पालिका के फार्मेसिस्ट्स काफी लम्बे समय से अपनी न्यायोचित मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल पर हैं। जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन न्यायोचित मांगों को नहीं मान रहा है। अतः इस विषय पर भी सदन में चर्चा आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला दीक्षित : श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने जिन लोक महत्व के विभिन्न विषयों की ओर ध्यानाकर्षित किया है, मैंने उन्हें ध्यान से सुना है।

हम अधिक से अधिक विषय शामिल करने की कोशिश करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आप जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल पर चर्चा की अनुमति देंगी ?

श्रीमती शीला दीक्षित : हम इस पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दिल्ली में कल दो पार्षदों की हुई हत्या के बारे में क्या गृह मन्त्री कोई वक्तव्य देंगे ?

एक माननीय सदस्य : उन्होंने कल वक्तव्य दिया था ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह उससे अधिक कुछ कह रहे हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : हम कल सभा में उपस्थित नहीं थे। अतः उन्हें दुबारा वक्तव्य देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस विषय में कोई प्रगति हुई है, कोई गिरफ्तार हुआ है, पहचान की गई है ? यह एक गम्भीर मामला है।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : अपने वक्तव्य में, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमने एक सम्भावित हत्यारे की पहचान कर ली है और एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

12.27 म० प०

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 में, जहां तक यह पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में लागू होता है, और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में, जहां तक यह पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ

*31-7-87 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II, खंड 2 में प्रकाशित।

राज्य क्षेत्र में लागू होता है, और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं। यह पूछा जा सकता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए प्रशासन को मजबूत बनाने वाले इस विधेयक का विरोध क्यों किया जा रहा है। श्रीमन्, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि यह सरकार कई विधायी उपाय कर रही है। इनमें से कई सुरक्षा नियंत्रण को कड़ा करने के लिए हैं और प्रत्येक दफा जब जयेब विधेयक सभा के सामने प्रस्तुत किये गए तो यही स्पष्टीकरण दिया गया कि जब तक ये शक्तियां पुलिस और प्रशासन को प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना सम्भव नहीं है, मैं तो कहूंगा कि यह एक विडम्बना है कि पंजाब या चंडीगढ़ में नहीं, बल्कि दिल्ली शहर में भी, जहां आतंकवादियों की गतिविधियां एक आम बात होती जा रही हैं, कुछ ही घंटों पूर्व इन आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के बाद, मंत्री महोदय इस विधेयक को पुरःस्थापित कर रहे हैं। कल ही दक्षिण दिल्ली में दिन-दहाड़े एक पार्षद की तथा एक अन्य पार्षद के भाई की हत्या कर दी गई।

हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ है। पिछले मामलों में भी ऐसा हुआ है। पुलिस न तो किसी को पकड़ पाती है और न ही यथासम्भव कम समय में घटना स्थल पर पहुंच पाती है। कल भी वहां लोगों ने शिकायत की थी—हमने समाचारपत्रों में देखा है कि एक माह पूर्व ग्रेटर कैलाश में किसी जन्म दिवस पार्टी में हुए नरसंहार के समय भी उन्होंने शिकायत की थी कि पुलिस एक, डेढ़ या दो घंटे बाद पहुंची।

इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आतंकवादियों के लगातार बढ़ते जा रहे अत्याचारों का कारण क्या यह है कि प्रशासन और पुलिस के पास उन्हें नियंत्रित करने की पर्याप्त कानूनी शक्ति नहीं है। क्या यह कारण है? विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आतंकवादी गतिविधियों का निवारण अधिनियम और बहुत से अधिनियम हैं जो मुझे याद नहीं हैं। पहले ही विधेयकों की भरमार है। लेकिन मेरा कहना है कि यह विधेयक तब तक निरर्थक है जब तक प्रशासन अकुशल है और आसूचना प्रणाली एकदम बेकार है। आसूचना प्रणाली पूरी तरह असफल रही है। संसद द्वारा ढेरों विधेयक पारित करने से स्थिति का समाधान नहीं होगा। इसके माध्यम से तो सरकार देश की जनता को केवल यह बताने का प्रयास कर रही है कि आतंकवाद से जूझने के लिए वह पूरी तरह गम्भीर है।

महोदय, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने एक बयान दिया है कि 12 मई, 1987 से 25 जुलाई, 1987 अर्थात ढाई महीने से कुछ अधिक की अवधि के दौरान पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण 22 पुलिसमैन सहित 233 व्यक्ति मारे गए। यह विधेयक पंजाब तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ पर लागू होगा। विवरण में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि आतंकवादियों की गतिविधियां कितनी अधिक हैं, आतंकवादी गतिविधियां किस तरह बढ़कर नए क्षेत्रों में फैल गई हैं। निस्संदेह इस विधेयक में इस बात पर विचार नहीं किया गया कि स्वयं दिल्ली पंजाब से आने वाले और हमले की कार्यवाही करने वाले आतंकवादियों का अखाड़ा बन गई है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उनका कहना है कि वहां बहुत अधिक दबाव के कारण ऐसा हो रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो मेरे विचार से यह विधेयक पूरी तरह से बेकार है। इससे केवल यही होगा कि कुछ विनियमों को और कड़ा कर दिया जाएगा जिन्हें करना सम्भव ही नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। सरदार बूटा सिंह जानते हैं कि स्वर्ण मंदिर के उग्रवादियों सहित पंजाब के उग्रवादियों द्वारा लगातार जो प्रचार किया जा रहा है कि पुलिस अनेक निर्दोष सिख युवकों को गिरफ्तार करके उन्हें यातनाएं दे रही है और उन्हें जान से मार देती है, वह पंजाब में सिख युवकों को आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने के लिए भड़काने के कारणों में से एक कारण है। ऐसा कहा जा रहा है। वैसे सरकार तथा पुलिस द्वारा भी बहुत बार इसका खंडन किया गया है। श्री रिबेरो ने दो दिन पूर्व कहा था कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सताया नहीं जा रहा है। फिर भी सिख बन्धुओं से और उनसे भी जो उग्रवादियों के समर्थक नहीं हैं, बातचीत करने के बाद मैं जान पाया हूं कि उन्हें भी इस बात पर कुछ-कुछ विश्वास हो गया है। यह प्रचार किया जा रहा है कि निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है तथा उनकी हत्या की जा रही है।

महोदय, आप जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा और पंजाब में बस यात्रियों की हत्या के बाद वहां इस आशय का एक टिप्पण (नोट) लिखकर छोड़ दिया गया जिसे पढ़कर पता लगा है कि निर्दोष सिख युवकों की हत्या अगर जारी रही तो हर निर्दोष सिख की हत्या का बदला वे 500 व्यक्तियों की हत्या करके लेंगे। यह प्रचार जारी है। उस समुदाय के अधिकांश लोगों के दिलों में यह बात घर कर गई है। इसलिए इन विधेयकों को लाते समय हमें कम से कम यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। मैं पुलिस की यह गारन्टी देने के लिए तैयार नहीं हूं कि 100 मामलों में से एक भी मामले में ऐसा नहीं हुआ होगा कि अनजाने में—गलत या निर्दोष व्यक्ति को आतंकवादी समझकर उसे गिरफ्तार किया गया हो और उसे यातनाएं दी गई हों।

महोदय, इस निवारक निरोध अधिनियम में केवल एक रक्षोपाय सलाहकार समिति द्वारा पुनर्विचार करने के लिए यह उपबन्ध है। इस उपबन्ध को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में शामिल किया गया है। यही एक ऐसा कानूनी उपबन्ध है जो निर्दोष व्यक्तियों को परेशान करने या गलत समझे गए व्यक्ति को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। परामर्शदात्री समिति का गठन सरकार द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। सरकार को स्वयं द्वारा गठित इस परामर्शदात्री समिति के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मंत्री जी द्वारा अब पुरःस्थापित किये जा रहे इस विधेयक में मैंने क्या पाया? इस विधेयक में परामर्शदात्री समिति के कार्य तथा शक्तियों को और कम तथा नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। आतंकवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस विधेयक में यह कहकर परामर्शदात्री समिति की शक्तियों और क्षेत्र को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि···

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय व्यवस्था का एक प्रश्न है कि पुरःस्थापना स्तर पर अधिक चर्चा नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक संक्षिप्त बयान दीजिए।

श्री शांताराम नायक : आप विधेयक के गुण-अवगुणों की चर्चा कर रहे हैं या कुछ और? इस स्तर पर केवल यही प्रश्न होता है कि सदन सक्षम है या नहीं। लेकिन माननीय सदस्य विधेयक के गुण-अवगुणों की चर्चा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्त जी, कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मालूम नहीं माननीय सदस्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। माननीय सदस्य अगर सदन के पीठासीन अधिकारी बनना चाहते हैं तो उन्हें श्रीमती दीक्षित या किसी और से कहना चाहिए। महोदय, जब तक आप यहां हैं मालूम नहीं किसको।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

हम असंगत चर्चा नहीं कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है··· (व्यवधान) मैं केवल यह बता रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में—जैसा कि यह संशोधन से पूर्व था—उल्लेख है कि :

"उपयुक्त सरकार उसके द्वारा गठित परामर्शदात्री मंडल के समक्ष आदेशानुसार किसी व्यक्ति के नजरबन्द करने के तीन सप्ताह के अन्दर उन कारणों को प्रस्तुत करेगी···जिस आधार पर आदेश दिया गया है···"

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्त जी, विधेयक के गुणावगुणों की चर्चा यहां नहीं की जा सकती है। सदन द्वारा विधान बनाने की क्षमता के बारे में ही यहां चर्चा की जा सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गुणावगुण या सदन की क्षमता का प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार के समय आप अन्य बातों पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह इस देश के नागरिकों की आजादी पर प्रभाव डालने वाला मूल प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। चर्चा के समय आप विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब वह इसे बदलना चाहती हैं। कृपया इसे नोट करिए, महोदय, नजरबन्दी की तारीख से 'तीन सप्ताह' की बजाय वे चार महीने और दो सप्ताह करना चाहते हैं। चार महीने और दो सप्ताह प्रतिस्थापित किए जायेंगे। मैं समझ नहीं सका कि इसमें क्या मुद्दा है। आपने इस परामर्शदात्री बोर्ड का गठन किया है और आप नहीं चाहते कि नजरबन्द व्यक्ति इसके समक्ष पेश हों। उसे प्रत्येक मामले पर विचार और निर्णय कर लेने दीजिए। तभी हम उन लोगों को कुछ बता सकेंगे जो लगातार यह कह रहे हैं कि सभी निर्दोष युवकों को परेशान तथा गिरफ्तार किया जा रहा है। पर आप यहां जो कुछ कह रहे हैं उससे लोगों का विरोध और बढ़ रहा है तथा यह आग में घी का काम कर रहा है। इससे आतंकवादियों को सहायता मिलेगी। यह उनके विरुद्ध नहीं होगा। इसलिए, महोदय मैं इस विधेयक के खिलाफ हूं, क्योंकि यह सिद्ध होता जा रहा है कि स्थिति को नियंत्रित करने में इस तरह के विधेयक निरर्थक होते हैं। उन्हें अपनी गुप्तचर प्रणाली में सुधार करना चाहिए। उन्हें अपने प्रशासन और पुलिस को यह बता लेने दीजिये कि अपेक्षित व्यवहार किस तरह किया जाता है। इसके बिना यह होगा कि आतंकवादी गतिविधियां हमेशा बढ़ती रहेंगी। दिल्ली के लोग आतंक में रह रहे हैं। पहले ऐसी स्थिति पंजाब मे थी। अब दिल्ली में कोई नहीं जानता कि कल किसकी बलि चढ़ जाएगी। और इसके लिए क्या किया गया है ? केवल इस विधेयक को पारित करके वह स्थिति में सुधार नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि यह संशोधनकारी विधेयक इसलिए पारित हो जाएगा क्योंकि उनका बहुमत है। क्योंकि इससे किसी को यह कहकर तसल्ली नहीं होगी कि हरियाणा में चुनाव कराए जाएंगे। हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं ताकि लोग स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन इस पर आतंकवादियों की क्या प्रतिक्रिया हुई ? हम जानते हैं और हमने देखा है कि क्या हुआ है। इसलिए आसान तरीका अपनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे सहायता नहीं मिलेगी। महोदय मेरा तर्क है कि परामर्शदात्री बोर्ड की नजरबन्दियों के मामलों की समीक्षा करने की शक्तियां नियंत्रित करने की बजाय बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हम उग्रवादियों के प्रचार का यह उत्तर दे सकें कि न्यायाधीशों का परामर्शदात्री बोर्ड निष्पक्ष रूप से प्रत्येक मामले की जांच कर रहा है। अगर न्यायाधीशों को तसल्ली हो जाएगी कि उन्हें नजरबन्द किया जाना चाहिए तभी वे उनके नजरबन्दी के आदेशों की पुष्टि करेंगे। नहीं तो वे उन्हें रिहा करने की सिफारिश करेंगे।

पर आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं इसे पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहिए। मैं नहीं चाहता कि आप गुण-अवगुणों की चर्चा करें।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं, क्योंकि मैं अपने साथी श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा उठाये गए मुद्दों से सहमत हूं। मेरा कहना है कि हमारे देश में उग्रवादियों या अपराधियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियमों, कानूनों, विनियमों आदि की कमी नहीं है। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। यह बात बार-बार सिद्ध हो चुकी है। सरकार या प्रशासन की असफलता की स्थिति में वे सदन के समक्ष आ आते हैं। अपने बहुमत से वे कुछ विधेयक रद्द कर देते हैं और कुछ पारित कर देते हैं। वादा किया जाता है कि इस हथियार से हर अवांछनीय स्थिति को समाप्त कर दिया जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।

स्याही अभी सूखी भी नहीं है, इसकी असफलता दिखायी देने लगी है और बहुत बार यह सिद्ध हो चुका है कि यह हमारे अधिनियमों में कमी के कारण नहीं हैं किंतु प्रशासन तथा सरकार में इच्छा के अभाव के कारण है जोकि असफलता का द्योतक है और देश भर में, विशेषकर पंजाब आदि जैसे आतंकवादी पीड़ित स्थानों में यही स्थिति है। अब हमें कहा गया है कि पंजाब में दबाव है अतः यह पंजाब के बाहर फैल रहा है। यह कोई तर्क नहीं हो सकता है। वास्तव में यह आतंकवादी गतिविधियों के आगे आत्म-समर्पण है। प्रतिदिन ऐसा होता रहा है। महोदय, आप भी महानगर परिषद् के पार्षद की भांति जनता के एक निर्वाचित प्रतिनिधि है। वह अपने मकान के आगे बैठे हुए थे और उन्हें मार दिया गया। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी के मकान में जाकर उसको मार सकता है। क्या सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि ऐसे संशोधनों अथवा पहले से विद्यमान कठोर कानूनों से इन घटनाओं में कमी होगी। मूलतः हमारी आपत्ति यह है कि सरकार का रवैया जनता के मूल अधिकारों को निरन्तर समाप्त करने का है और इसने किसी न किसी बहाने सदा ऐसा किया है। इसने हर समय जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीने हैं और उग्रवादी गतिविधियों को रोकने में असफल रही है। हमारा विचार है कि यदि सरकार की आतंकवादी तथा साम्प्रदायिक शक्तियों को समाप्त करने और ऐसी किसी भी शक्ति के साथ समझौता न करने की इच्छा है और पूरी ईमानदारी से इन्हें लागू करने की है तो सरकार पर्याप्त ढंग से उन उपबन्धों से ऐसा कर सकती है जो हमारे कानून में पहले से ही विद्यमान हैं। सरकार की असफलता इस कारण है क्योंकि इसकी राजनीतिक इच्छा नहीं है।

मैंने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मैं इस विधेयक के लाये जाने का विरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक एक नागरिक के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करता है।

जब सातवीं लोक सभा में मूल विधेयक पुरःस्थापित तथा पारित किया गया था, उस समय हमने इसका विरोध किया था। हम देखते हैं कि इस प्रकार के कानूनी उपायों से इन आतंकवादी गतिविधियों में कमी नहीं होगी, बल्कि इसका दुरुपयोग होगा। हमने अनेक बार देखा है कि राज्य सरकार ने मजदूर संघ गतिविधियों को रोकने के लिए भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग किया है जैसा कि वर्ष 1981 में रेल कर्मकारों की हड़ताल को रोकने के लिए किया गया था।

[श्री बसुदेव आचार्य]

सरकार के हाथों में पहले से ही आतंकवादी विरोधी गतिविधि अधिनियम, विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, आवश्यक सेवा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे बहुत से कठोर काले अधिनियम हैं। इन सभी कानूनों के बावजूद सरकार इन गतिविधियों को नहीं रोक सकती बल्कि यह भी स्वीकार किया गया है इन गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से रोकने में कोई सुधार नहीं हुआ है और मुझे विश्वास नहीं है कि इस संशोधन से सरकार उन आतंकवादी गतिविधियों को रोक सकती है जो अब पंजाब के अतिरिक्त दिल्ली तथा अन्य स्थानों में फैल रही हैं। राष्ट्रपति शासन 11 मई को लागू किया गया। अब यह केन्द्रीय सरकार के अधीन है। इसके बावजूद हमने देखा है कि 12 मई से 25 जुलाई तक 23 व्यक्ति (जिसमें 22 पुलिस कार्मिक भी शामिल हैं) मारे गये हैं। अत: पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागून करने से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और मुझे संदेह है कि मुकदमा चलाए बिना, सलाहकार परिषद की सलाह अथवा राय लिए बिना, नजरबन्दी के कारणों के सम्बन्ध में सूचना दिए बिना नजरबन्दी की अवधि 10 दिन से बढ़ाकर 15 दिन करने सम्बन्धी इस विधेयक से इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सरकार को सहायता मिल सकती है। अत: सरकार को यह विधेयक पुर:स्थापित नहीं करना चाहिए बल्कि पंजाब तथा अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद की समस्या को सुलझाने के लिए अन्य प्रशासनिक तथा राजनीतिक उपाय करने चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, अनेक मूल मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है और मैं इस बात से पूर्णरूप से सहमत हूं कि कानून को और अधिक सख्त बनाकर हम प्रभावकारी ढंग से आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकते। माननीय मन्त्री ने इस विधेयक में क्या स्वीकार किया है जबकि उन्होंने इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा, यद्यपि समस्त पंजाब राज्य और चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। सम्बन्धित विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत इस गतिविधि को प्रभावशाली ढंग से रोका नहीं गया है। कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति से पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने के लिए आतंकवादियों को उनकी गतिविधियों से रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करना भी आवश्यक हो गया था। अब यह स्पष्ट हो गया है कि विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम अथवा राष्ट्रपति शासन आतंकवाद को प्रभावशाली ढंग से समाप्त करने में सफल नहीं रहे हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 से है। इसमें 1984 में एक संशोधन किया गया और अब सरकार ने पुन: वह अवधि बढ़ा रही है जब कि किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी तथा सलाहकार निकाय के समक्ष उसे उपस्थित करने का कारण बताया जायेगा। महोदय, यह संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह पूरे संविधान के विरुद्ध है क्योंकि इन वर्षों में संविधान में अनेक संशोधन करके इसे अलोकतांत्रिक धाराओं और अनुच्छेदों से भर दिया गया है। अत: वह कुछ उदाहरण पेश कर सकते हैं। किंतु वह एक अपवाद है और उस अपवाद के लिए कुछ संरक्षण हैं : कि आपको उस व्यक्ति को सलाहकार समिति के समक्ष पेश करना है। अब वह अवधि बढ़ाई जा रही है; कि छ: महीने तक आप उस व्यक्ति को पेश मत करें। श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। आप इस आरोप का उत्तर कैसे देंगे कि उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और अधिकारी पक्षपात नहीं कर रहे हैं? और क्या सरकार हमें बता सकती है कि जो विभिन्न अपराधों के कारण पहले ही हिरासत में रहे हैं उनके लिए किस तरह का अभियोजन आरम्भ किया गया है और उन्हें क्या दण्ड दिया गया है। इस अभियोजन को और मजबूत करने की आवश्यकता है और आप इस निश्चित अवधि के अंदर किसी व्यक्ति को यह सूचित नहीं कर सकते कि क्या कारण है और उसको किस लिए गिरफ्तार किया गया

है। मुझे तो इससे अधिक और कोई अकुशलता नजर नहीं आती है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि 1984 के संशोधन और इस संशोधन में अन्तर यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अनुच्छेद 14क (1) में, इसमें पूर्ववर्ती उपबन्धों में निहित किसी बात के बावजूद, यह मूल और 1984 में किए गए संशोधन में था। अब उन्होंने "अथवा किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकरण का कोई निर्णय, डिगरी अथवा आदेश, जोड़ दिया गया है।" यह अब जोड़ दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति से न्यायालय में अपील करने का अधिकार छीन लिया गया है। हमने अनेक मामलों में देखा है कि जब वे न्यायालयों में चले गये तो न्यायालयों ने उनकी रिहाई के आदेश दिए। उन्होंने अपना यह निर्णय दिया कि गिरफ्तारियां उचित नहीं थीं। अब आप एक व्यक्ति का न्यायालय में अपील करने का अधिकार छीन रहे हैं। इससे अधिक दमनकारी बात और क्या हो सकती है?

हम सब आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं और हमें इस सम्बन्ध में आवश्यक उपाय करने हैं। किंतु इस प्रकार अधिक से अधिक कड़े कानूनों का सहारा लेने से कोई सहायता नहीं मिलेगी। हमें वर्तमान शक्तियों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लाना है और उपबन्धों को उचित ढंग से लागू करना है। अपराधियों को दण्ड देने की हमारी प्रणाली शक्तिशाली बनायी जानी चाहिए और जघन्य अपराध करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। यह समय की मांग है। 'नार्थ ब्लॉक' या 'साउथ ब्लॉक' में बैठकर अधिक से अधिक कड़े कानून पारित करने से कुछ नहीं होगा।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : संवैधानिक कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं, क्योंकि यह विधेयक मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। मेरे मित्रों ने बहुत से मुद्दों का उल्लेख किया है इसलिए मैं केवल इस विषय पर चन्द शब्द ही बोलूंगी कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए किस तरह इस कानून का विस्तार तथा प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको केवल एक उदाहरण देती हूं।

प्रस्तावित धारा 14 (क) के अन्तर्गत मंत्रणा समिति आदि के सम्बन्ध में छूट दी जा रही है। वे उपबंध कौन से हैं जिनके कारण इन्हें लागू किया जा रहा है। उसमें यह उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं और सप्लाई के रख रखाव में किसी प्रकार से बाधक बनने की कार्यवाही करता है तो उसे नजरबन्द किया जा सकता है। 1982 में सरकार ने कुछ आवश्यक सेवाओं की परिभाषा की थी तथा सूची में विभिन्न किस्म की 14 अनिवार्य सेवाओं का उल्लेख किया गया था। और अन्तिम खंड में यह जोड़ा गया है "पूर्ववर्ती श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत न आने वाली संघ या राज्य के मामलों से सम्बन्धित कोई भी सेवा अनिवार्य हो सकती है।" इसका अर्थ है कि इन अनिवार्य सेवाओं की परिभाषा के अन्तर्गत सबकुछ आ सकता है।' अगर यह मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है तो और क्या हो सकता है?

ये सभी उपबन्ध निरर्थक होंगे। पंजाब में इन उपायों से कोई सहायता नहीं मिलेगी। मैं तो यह कहना चाहूंगी कि मंत्री जी और सत्तारूढ़ दल को दूसरे तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारा अपना दल क्या कर रहा है इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगी। यद्यपि पंजाब में हमारा दल छोटा है पर 28 जून से हमने 10 दिनों के लिए 14 यात्राएं कीं जिसके अन्तर्गत पंजाब में 2000 गांवों की यात्राएं की गई। इनमें से कुछ गांवों में आतंकवादियों का गढ़ है। हर तरह की स्थिति का सामना करके हमने इन गांवों की यात्रा की और शांति के लिए आग्रह किया। इस तथ्य के बावजूद कि

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

हमारे कामरेडों, दूसरे लोगों और कई बार तो सारे परिवार की हत्या की जा रही है। हमने यह काम किया। हत्या के प्रयास किए गए पर हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बचे। भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के हमारे मित्रों ने भी बहुत सहायता की। मेरा सत्तारूढ़ दल और अन्य दलों से अनुरोध है कि यह उनका कर्त्तव्य है कि वे देश को छिन्न-भिन्न करने वाले आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लोगों को आगे लायें। आतंकवाद का जवाब यही है न कि इस मूल अधिकारों को कम करना। जैसा कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में प्रस्ताव किया जा रहा है।

इसलिए पुरःस्थापन के समय ही मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी (गोहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी राजनैतिक पहलू की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि विधेयक पर चर्चा के समय हमें चर्चा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन मैं पुरःस्थापन के समय इसका इस आधार पर विरोध करना चाहता हूं कि यह संशोधन संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करता है और संसद की विधायी क्षमता से बाहर है। मैं इन कारणों से विरोध करता हूं क्योंकि इस संशोधनकारी उपबन्ध—धारा 14 क (1)—का संशोधन करने का प्रस्ताव है और 14क में यह उल्लेख है कि :

"इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नजरबन्द किया जा सकता है।" जिसमें सबकुछ आ जाता है। नजरबन्दी के ऐसे मामलों में सलाहकार समिति की राय प्राप्त करना जरूरी नहीं होगा। यह जरूरी नहीं है कि नजरबन्दी की अवधि तीन माह हो या अधिकतम छह माह। अगर मैं सही हूं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अदालतों ने इस उपबन्ध को रद्द कर दिया था, क्योंकि आपके संशोधनकारी विधेयक में धारा 14 क का उल्लेख नहीं है। यह मूल अधिनियम में नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो, इस संशोधन के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि निर्णय में यदि 14 क को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया गया है तो, 14क लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि हम निर्णय देने में न्यायिक कार्य रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के मामले में भी हमने यही करने का प्रयास किया था जबकि हमने एक अधिनियम में संशोधन करके संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया था—और यह कहा था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द किया जाता है और उच्चतम न्यायालय ने संशोधनकारी अधिनियम के उस हिस्से को निरर्थक घोषित कर दिया, क्योंकि संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है लेकिन हमारे पास न्यायपालिका के रूप में कार्य करने की प्रभावी शक्ति नहीं है और न ही यह कह सकते हैं कि न्यायालय का कोई निर्णय लागू नहीं किया जाएगा। अगर हम यह महसूस करते हैं कि न्यायालय की कोई व्याख्या विशेष सही नहीं है तो हम विभिन्न व्याख्याएं करके सारे अधिनियम का रूप बदल सकते हैं।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि अधिनियम द्वारा हम, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। अधिनियम का अगर कोई विशेष उपबन्ध मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण रद्द किया जाता है तो क्या एक अधिनियम पारित करके हम यह कह सकते हैं कि न्यायालय को उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वाला घोषित करने का अधिकार नहीं है और अगर उसे मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण अवैधकारी घोषित किया भी जाता है तो वह प्रभावी नहीं होगा ?

मालूम नहीं है कि यह संसद यह कह कर कि न्यायालयों को भी यह घोषणा करने का अधिकार नहीं है कि एक अधिनियम का एक उपबन्ध विशेष मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, एक

कानून—एक साधारण कानून कैसे पारित कर सकती है। एक साधारण कानून बनाने की शक्ति के कारण यह हमारे पास नहीं है।

मेरी तीसरी आपत्ति यह है कि यह अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन करता है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए! मुझे मालूम नहीं कि इसकी सम्भावना है कि इसके कारण मूल राष्ट्रीयसुरक्षा अधिनियम अधिकारातीत हो जाएगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालय शुरू से ही इन कानूनों द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के हनन करने की अनुमति देने के अनिच्छुक रहे हैं, क्योंकि निवारक निरोध अधिनियम स्वयं कानून रहित कानून है और कानून रहित कानूनों से गैर-कानूनी गतिविधियों को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता। वस्तुत: उच्चतम न्यायालय में श्री पातंजलि शास्त्री ने सर्वप्रथम यह घोषित किया था कि निवारक निरोध अधिनियम एक डरावने नासूर की तरह है कि इस लोक तांत्रिक संविधान में बहुत ही असंगत है जिसने कि निजी स्वतन्त्रता को परम पावनता प्रदान की है। लेकिन अगर आकस्मिकताओं के कारण इन निवारक निरोध अधिनियमों को वैध माना गया, अगर सुरक्षणों के कारण इन सब निर्णयों में न्यायालयों ने इस बात का समर्थन किया कि वैसे मूलत: और सिद्धांतत: निवारक निरोध अनुच्छेद 21 और 22 के खिलाफ हैं या प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के सिद्धांतों के विरुद्ध है और अधिनियम में उल्लिखित इन सुरक्षणों के कारण—अर्थात् सलाहकार समिति द्वारा की जाने वाली जांच और विभिन्न सुरक्षों—के कारण हम अधिनियमों को वैधकारी मानते हैं। पर इस उपबन्ध द्वारा तो साढ़े चार महीने की नजरबन्दी के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है और उस नजरबन्दी को उचित और कानूनी ठहराया जा सकता है। चाहे न्यायालय धारा 14 क के अन्तर्गत इसके विपरीत निर्णय क्यों न दे। मेरा विश्वास है कि हमें इस तरह की धारा पारित करने का अधिकार नहीं है।

1.00 म० प०

इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, धारा 14 क है और सलाहकार बोर्ड के पास भेजने को जो शक्ति प्रदान की गई है उसमें अवधि को बढ़ाकर साढ़े चार महीने कर दिया गया है। या एक व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए नजरबन्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 में यह स्पष्ट उल्लेख है:

> "निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का तीन महीने से अधिक कालावधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि—
>
> (क) ऐसे व्यक्तियों से···मिलकर बनी मंत्रणा मंडली···"

आदि आदि। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि धारा 14 क के अनुसार कोई भी निर्णय लागू नहीं होगा—यहां तक कि ऐसा निर्णय जो एक अधिनियम को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित करता है कि हम कानून, सामान्य कानून पारित नहीं कर सकते। हम एक संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संसद द्वारा पारित सामान्य कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता और न ही वह न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जा सकता है। इसीलिए यह कानून इस संसद की विधायी शक्ति—इसको संशोधन करने की शक्ति—के बाहर है। इसलिए मैं इसके पुर: स्थापित करने का विरोध करता हूं।

जहां तक अन्य भागों का सम्बन्ध है विधि हीन विधि द्वारा विधि विरुद्ध गतिविधियों को रोका नहीं जा सकता और इन उपबन्धों पर मैं उपयुक्त समय पर चर्चा करूंगा जब विधेयक को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मेरा विचार है कि इस समय मुझे केवल उन आपत्तियों का उत्तर देने के लिए बुलाया गया है जिन्हें इस आधार पर उठाया गया है कि विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है और संसद के पास इस प्रकार का विधेयक बनाने की विधायी शक्ति नहीं है।

माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं उन्हें सुनने के बाद मैंने सोचा कि आलोचना इस विधेयक द्वारा पुर:स्थापित की जा रही धारा 14 क के सम्बन्ध में है। अन्य उपबन्धों द्वारा केवल समयावधि को बढ़ाया गया है जिसका उल्लेख बहुत सी धाराओं में है। उदाहरण के लिए अगर आप विधेयक को देखेंगे तो संशोधनकारी विधेयक की धारा 3 महत्वपूर्ण धारा है और आलोचना उस विधेयक के प्रथम भाग की की जा रही है। खंड 2 में, विभिन्न समयावधि को कुछ दिनों के लिए बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए धारा 3 (4) में '10 दिन' के स्थान पर '15' दिन' कर दिया गया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : किसलिए।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं उत्तर देता हूं। आप धैर्य रखिए। आप यहां 'क्यों' पूछने के लिए हैं और मैं 'क्यों' का उत्तर देने के लिए हूं। लेकिन आपको सुनना चाहिए। "15 दिन" को बढ़ाकर 20 दिन कर दिया गया है। "सात दिन" को बढ़ाकर '15 दिन' कर दिया गया है। '10' दिन' को बढ़ाकर '15 दिन' कर दिया गया है। 'तीन सप्ताह' को बढ़ाकर··· (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

श्री सी० माधव रेड्डी : (आदिलाबाद) अगर इसे आप 10 मिनट में खत्म नहीं करते तो इसे भोजनावकाश के बाद ले लीजिएगा।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं सात मिनट में समाप्त कर दूंगा।

आज पंजाब में जो प्रशासनिक कठिनाइयां आ रही हैं उन्हें दूर करने के लिए समयावधि को बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के लिए न्यायालयों का निर्णय है कि इस तरह के कानून का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। अगर नजरबंदी के कारण बताने में हम एक दिन की भी देरी कर देते हैं, अगर सलाहकार मंडल को रिपोर्ट भेजने में एक दिन की भी देरी की जाती है तो नजरबंद नहीं किया जा सकेगा और उसी आधार पर व्यक्ति को दोबारा नजरबंद करना मुश्किल हो जाता है। इस समय पंजाब प्रशासन को अत्यधिक दबाव में काम करना पड़ रहा है इसलिए उन्हें कुछ अधिक समय देने की जरूरत है, ताकि प्रशासनिक आवश्यकतायें पूरी हो सकें। इसलिए मूल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में उल्लिखित समयावधि को थोड़ा बढ़ाया गया है। मैं नहीं समझता कि थोड़ी-सी समयावधि बढ़ाने से असंवैधानिकता या विधायी क्षमता का सवाल उत्पन्न होगा।

हम तर्क दे सकते हैं कि "अगर आप 15 दिन में कर सकते हैं तो 10 दिन में क्यों नहीं किया जा सकता ?" मेरा उत्तर है, "जी हां, हम 10 दिन में करने की कोशिश करेंगे लेकिन गंभीर प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण हम संसद से थोड़ा और समय चाहते हैं।" परन्तु हमारा प्रयास यह होगा कि इसे 15वें दिन न किया जाए, 20वें दिन न किया जाए, बल्कि हमारा प्रयास यह होगा कि जल्दी से जल्दी किया जाए। यह पूरी तरह से एक तो प्रशासनिक समस्या है।"

श्री दिनेश गोस्वामी : आपने तीन महीने कहा।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं इसका उत्तर देता हूं। यह एक अलग तर्क है। मुझे उस पर चर्चा करनी होगी।

श्री गोस्वामी और अन्य सदस्यों के तर्क का मुख्य आधार यह है कि धारा 14 क असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 22(4) का उल्लंघन करती है। देखिये अनुच्छेद 22 क्या है।

अनुच्छेद 22 इस प्रकार है। अनुच्छेद 22, खंड 2 में यह उल्लेख है :

'प्रत्येक व्यक्ति, जो बन्दी बनाया गया है और हवालात में निरुद्ध किया गया है चौबीस घंटे की कालावधि में निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा।"

यह सामान्य नियम है और खंड 2 का अपवाद है। खंड 4 इस प्रकार है :

"निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का तीन महीने से अधिक कालावधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि मंत्रणा मंडली ने उसकी नजरबन्दी की संवीक्षा न कर ली हो।"

इसलिए 24 घंटे का नियम है और खंड 4 में व्यवस्था है कि 24 घंटे के अन्दर उसे पेश करने की जरूरत नहीं है। आप उसे तीन महीने तक नजरबन्द कर सकते हैं; और अगर मंत्रणा मंडली तीन महीने के अन्दर नजरबन्दी पर पुनर्विचार नहीं कर लेती, तो मामला रद्द हो जाएगा। लेकिन माननीय सदस्यों ने यह बात नजरअंदाज कर दी है कि खंड 7, खंड 4 का अपवाद है। (व्यवधान) खंड 7 देखिए। सैफुद्दीन चौधरी जी आपने इसे देखा नहीं है। यह इस प्रकार है :

(7) संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि :—

(क) किन परिस्थितियों के अधीन तथा किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध को उपबन्धित करने वाली किसी विधि के अधीन तीन महीने से अधिक कालावधि के लिए खंड (4) के उप खंड (क) के उपबन्धों के अनुसार मंत्रणा मंडली की राय प्राप्त किये बिना निरुद्ध किया जा सकेगा।

इसलिए खंड 7 खंड 4 का अपवाद है। संसद खंड 7 के अन्तर्गत सरकार को विशेष मामलों में तीन महीने से अधिक अवधि तक नजरबन्द करने और खंड 4 का पालन न करने की शक्ति दे सकती है। अभी अधिकतम सीमा नहीं है। यहां आप धारा 14 (क) को देखिये। हमने यह नहीं कहा है कि मंत्रणा मंडली के समक्ष मामला प्रस्तुत किये बिना या बिना किसी सीमा के तीन महीने के बाद भी नजरबन्द किया जा सकता है। हमने तीन महीने से अधिक की अवधि तक नजरबन्द करने के लिए खंड 7 का सहारा लिया है लेकिन हमने छ: महीने की सीमा निर्धारित कर दी है। यह स्पष्टतया 22 (7) के अन्तर्गत आता है। 22 (7) के अन्तर्गत यह विधान सक्षम है। विधेयक के गुण-अवगुणों पर चर्चा होगी और हम जवाब देंगे। इस समय यह विधेयक 22 (7) के अन्तर्गत पूरी तरह सक्षम है। आप पूछ सकते हैं कि हम यह क्यों कहते हैं कि किसी निर्णय, आदि में निहित किसी बात के होते हुए भी। मुझे इसकी जानकारी है। ऐसा इसलिए है कि पुराने खंड 14 (क) को पंजाब उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आपराधिक रिट याचिका 1985 की 752 में रद्द कर दिया था। उन्होंने निर्णय दिया था कि 14 (क) पूरी तरह से 22 (7) की अपेक्षा को पूरा नहीं करता। वस्तुत: विद्वान न्यायाधीशों का मैं ऐसा बड़े सम्मान से कह रहा हूं—तर्क यह है कि—खंड 14 (क) में केवल (क) से (ङ) तक का उल्लेख करने से 22 (7) की अपेक्षा पूरी नहीं होती। अब यह पूरी तरह से कानूनी मामला है। नि:संदेह हम पंजाब उच्च न्यायालय में मामला हार गये। हमने उच्चतम न्यायालय में अपील की है और उच्चतम न्यायालय ने विशेष "लीव अपील" में 1985 के फौजदारी मुकदमा संख्या 3838 में दिनांक 20-12-1985 के आदेश द्वारा मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री भगवती और न्यायमूर्ति श्री ओझा की खंडपीठ ने 14 (क) को अवैध करार देते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है। अत: मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है विद्यमान धारा 14 (क) 22 (7) के

[श्री पी० चिदम्बरम]

अन्तर्गत आती है या उसके अन्तर्गत नहीं आती है—यह मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। यदि यह पाया गया कि 14 (क) 22 (7) की शर्त को पूरा नहीं करता तो हमें 14 (क) में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन हमें सलाह दी गई है और कानूनी सलाह यह है कि 14 (क) पूरी तरह से 22 (7) के अन्तर्गत है और इसमें कोई असंगति नहीं है और हम इस मामले पर उच्चतम न्यायालय में बहस करेंगे। लेकिन इस समय में कोई विधायी सक्षमता का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि 22 (7) में संसद द्वारा ऐसा कानून बनाये जाने का प्रावधान है जो तीन महीने से अधिक की अवधि का हो और 14 (क) इसी प्रकार का कानून है।

श्री दिनेश गोस्वामी : जहां तक विधायी सक्षमता का सम्बन्ध है, क्या आप कह सकते हैं कि कोई विशेष निर्णय प्रभावी नहीं होगा। यदि ऐसी बात है तो आप ही बड़ी न्यायालय हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : नहीं, यह सही नहीं है। माननीय सदस्य मानते हैं और उन्हें कानूनी सलाह भी मिलती है। संसद को वैधकारी कानून पारित करने की शक्ति प्राप्त है और वैधकारी कानून न्यायालय के फैसले से ऊपर है, सिवाय इसके कि यह त्रुटि को विधि मान्य और ठीक कर सकता है।

श्री दिनेश गोस्वामी : यहां तक कि मूल अधिकार 8 में भी।

श्री पी० चिदम्बरम : अनेक वैधकारी कानून पारित किये गये हैं। भूमि सम्बन्धी विधान रद्द किए गए हैं। हमने वैधकारी कानून पारित किये हैं। वैधकारी कानून एक सर्वविदित संसदीय हथियार है। हम वैधकारी कानून को पारित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रश्न सैद्धांतिक है, क्योंकि हमें किसी भी ऐसे मामले को वैध बनाने की आवश्यकता नहीं है जो पुराने 14 (क) से उत्पन्न हुआ है। अब हम पुन: 14 (क) पेश कर रहे हैं। इससे पहले जो बात हो गई है उसे वैध बनाने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। किसी विशेष मामले में हम विशेष प्रकार की नजरबन्दी कुछ कारणों से रद्द की गई है। जो बात पहले हो गई है उसे वैध बनाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु हमें वैधकारी कानून को पारित करने की पूरी शक्ति प्राप्त है। मैं वैधकारी कानून के सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : आप वैध नहीं कर रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मेरे विचार से आप वैधीकृत नहीं कर सकते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : यह श्री गोस्वामी का जवाब मिला है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मुझे मालूम है।

श्री पी० चिदम्बरम : अत: श्री गोस्वामी की बात का जवाब दे दिया गया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह बुरा कानून है, क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये रोक आदेश को ध्यान में रखते हुए कानून बना रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : यह सही नहीं है। आपका मुद्दा यह है कि हम वास्तव में इसे वैधीकृत नहीं कर रहे हैं—मुझे विश्वास है आप मुझसे सहमत होंगे। हमारे पास वैधकारी कानून को पारित करने का अधिकार है परन्तु यहां पर हम वास्तव में किसी भी चीज को वैधीकृत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैध करार नहीं करना है। अध्यादेश की तारीख से 14 (क) जून, 1988 तक लागू है। परन्तु हमें यह कहने का अधिकार है कि 14 (क) वैध है, क्योंकि 14 (क) संसद द्वारा लागू किया गया है। नि:संदेह 14 (क) पंजाब उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया है परन्तु उस फैसले पर रोक आदेश जारी

कर दिया गया है। अतः 14 (क) के गुण-दोष चाहे यह 22 (7) के अधीन हो, का निर्णय उच्चतम न्यायालय ही करेगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : आप रोक आदेश पर निर्भर हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं रोक आदेश पर निर्भर नहीं हूं। मैं अनुच्छेद 22 (7) के तहत 14(क) नामक कानून बनाये जाने के लिए संसद के अधिकारों पर निर्भर हूं। मैं आपसे 14 (क) कानून को एक वर्ष तक के लिए बनाने की बात कहना चाहता हूं। मैं रोक आदेश पर निर्भर नहीं हूं। मैं तो रोक आदेश का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि यह मसला समाप्त नहीं हुआ है। मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में है। अन्तिम न्यायालय ने यह घोषणा नहीं की है कि 14 (क) वैध नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि 14 (क) वैध नहीं है तो 14 (क) समाप्त हो जाएगा। मैं अपने विधेयक पर···

मुझे खेद है। मैंने दो वर्ष कहा है। यह गलत है। यह सिर्फ एक वर्ष है। जून, 1987 से 1988 दो वर्ष गलत है।

श्री दिनेश गोस्वामी : किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय 14 (क) की जांच करेगा जबकि आपने कहा है कि, "14 (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगी ?" क्योंकि यदि सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि 14 (क) यह दर्शायेगा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावी नहीं है।

श्री पी० चिदम्बरम : "किसी बात आदि के होते हुए" का सम्बन्ध पंजाब उच्च न्यायालय के निर्णय से है।

श्री दिनेश गोस्वामी : कैसे ?

श्री पी० चिदम्बरम : सिर्फ इसी फैसले ने 14 (क) को निरस्त किया है। हम इस विधान के पीछे इतिहास को नहीं भूल सकते। कृपया मेरी बात सुनिये। जब उच्च न्यायालय किसी विशेष उपबन्ध को निरस्त करता है और अब हम कहते हैं, "उस निर्णय में निहित किसी बात के होते हुए भी ··"

श्री दिनेश गोस्वामी : वह निर्णय ?

श्री पी० चिदम्बरम : वह पंजाब उच्च न्यायालय का निर्णय है। 8 जून, 1988 के पूर्व विशेष रूप में जो नजरबन्दी की गई उसे इस फैसले ने निरस्त कर दिया है। हमने कहा है कि "उस निर्णय में निहित किसी बात के होते हुए भी" आप धारा 14 (क) के तहत नजरबन्दी कर सकते हैं। हम इस निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है। हमारे पास वैधकारी कानून बनाने का अधिकार है। निस्सदेह हम वैधकारी शक्ति पर निर्भर नहीं हैं। अधिकार है। हम इस विधेयक को संसद की कानून बनाने की शक्ति के साथ पठित 22 (7) पर छोड़ रहे हैं। हम एक नया कानून बना रहे हैं। पुराने 14 (क) को निरस्त कर दिया गया है परन्तु निर्णय पर रोक आदेश लगा दिया गया है। और नया 14 (क) फिर से जोड़ दिया गया है। चाहे 14 (क) वैध है या नहीं, अन्ततः सर्वोच्च न्यायालय ही इसकी घोषणा करेगा।

महोदय, मेरा विचार पूर्णतया स्पष्ट है और हमारे पास कानूनी सलाह है कि संसद इस कानून को बनाने के लिए सक्षम है। चाहे कानून वैध है या नहीं—न कि सक्षमता—विद्यमान 14 (क) इस समय वैध है या नहीं, इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसलिए वास्तव में प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। अब हम विधेयक के गुण-दोषों पर चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में, जहां तक यह पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में लागू होता है, और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

1-13½ म० प०

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1987 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—4531/87]

1.14 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.20 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.20 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

, उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक

(राज्य सभा द्वारा पारित रूप में)

[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम उपदान अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार करते हैं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, ग्रेच्युटी एण्ड प्राविडेंट फंड दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किसी मजदूर का भविष्य निर्भर करता है। इन दोनों मुद्दों को लेकर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में कितनी मैल-प्रैक्टिसेज होती हैं, कितनी बेईमानी होती है, यह सर्वविदित है। आप कैसा

भी कानून बना लें, उसमें लूप-होल्स या उससे निकलने का कोई रास्ता आदमी ढूंढ ही लेता है और मारा जाता है निर्दोष वर्कर, मजदूर।

इस बिल में आपने प्रोविजन किया है कि जो पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, उसके मुताबिक सर्टेन अमेंडमेंट्स किये जायें। उस एक्ट के मुताबिक जिस एस्टेब्लिशमेंट में 10 से ज्यादा मजदूर हैं, उन्हें ग्रेच्युटी मिलती है। मेरे कहने का अर्थ है, आपको भी पता होगा, आये दिन अखबारों में भी निकलता है कि इस एक्ट से निकल जाने के लिए ऐसा भी कर रहे हैं कि जहां 400, 500 मजदूर काम करते हैं, वहां पर उन्होंने केवल 10 या 9 वर्कर को परमानेन्ट बनाया हुआ है और बाकी को कैजुअल पर रखा है। उनकी दलील यह है कि काम तो कैजुअल ही करते हैं, फिर परमानेन्ट को रखने की आवश्यकता क्या है? ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी इसे इम्पलीमेंट करती है। सरकार की मशीनरी ऐसी नहीं है जो इस मैल-प्रेक्टिस का, इस कुरीति का पता लगा सके कि क्यों इतने मजदूर ही परमानेन्ट रखे जाते हैं और बाकी कैजुअल रखे जाते हैं? होता क्या है? एक मजदूर एक साल तक या 3 महीने तक राम के नाम से काम करता है। वही मजदूर 3 महीने के बाद एक्ट से बचने के लिए श्याम के नाम से काम करने लगता है और अगले 3 महीने के बाद मोहन के नाम से काम करने लगता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि क्या ऐसा कानून नहीं बन सकता है जिसमें यह बन्धन हो न हो कि 10 मजदूर से ज्यादा के लोगों पर हो यह कानून होगा।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि आज के जमाने में इलेक्ट्रानिक इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ गई है कि 5, 7 आदमियों से लाखों का प्रोडक्शन हो जाता है। उन 5, 7 आदमियों की मदद से मालिक को तो लाखों की आमदनी वह करा देते हैं और अपने लिए सारा जीवन वह परेशान रहते हैं, यह कौन-सा न्याय है? नये सन्दर्भ में इस कानून को बदलने की आवश्यकता है। इसे प्रैक्टिकल बनाइये, व्यावहारिक हो कि हर हालत में मजदूरों को इससे लाभ हो।

आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ले लीजिये। दिल्ली में हो बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं आज खड़ी हैं। आज क्वेश्चन आवर में भी इस पर डिस्कशन हो रहा था कि लाखों मजदूर इनमें काम करते हैं चाहे बिहार के हों उत्तर प्रदेश के हों या राजस्थान के हों। दिखाया यह जाता है कि उन्होंने 10 दिन या 5 दिन काम किया। 5 दिन के बाद कोई दूसरे लोग उनके बदले में आ गये। इस तरह से न तो उन्हें प्राविडेंट फंड मिलता है और न ग्रेच्युटी मिलती है। यह एक ऐसी मक्खी है जिसको सभी निगल रहे हैं, देख रहे हैं। उनके श्रम का फायदा उठाकर लोग करोड़पति और अरबपति बन रहे हैं, लेकिन वह बेचारे कंस्ट्रक्शन लेबर, मकानों में काम करने वाले लोग पिसते रहते हैं, उनके लिए न ग्रेच्युटी है और न प्राविडेंट फंड है।

पहले भी मैंने इस सदन में कहा था कि मंत्री महोदय एक कंप्रीहेंसिव बिल लाएं जिसमें लेबर लाज के सारे लाज इन-कार्पोरेट हों, सारे पहलुओं को जिसमें रखा जाए। ऐसा न हो कि किसी को तो बहुत से फायदे मिल जाएं और कोई बिल्कुल ही पिस जाए।

आपने इस अमेंडमेंट में यह कहा है कि 1600 रुपए महीने के बदले में 2500 रुपए महीने वाले तक को यह फायदा दिया जाए। मैं खुद कहता हूं कि एक तरफ आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में जो लोग आ गये हैं उनको मजदूरी अधिक मिल रही है और जो लोग अनआर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में हैं वह पिस रहे हैं। उन्हें न मजदूरी, न प्राविडेंट-फंड और न ही ग्रेच्युटी ही मिलती है। आजकल 2500 रुपए महीना लेने वाले मामूली चपरासी लोग हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इस लिमिट को 2500 रुपए तक ही लगा देना कोई न्यायसंगत बात नहीं है। इस लिमिट को बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपए महीना कर दिया जाए जिससे कि इसमें मिडिल-क्लास मैनेजर भी आ सके। इससे मालिक उनकी तनख्वाह 2500 कर देगा।

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

इसके साथ ही आपने यह कहा है कि सारा पेमेंट एक बार ही किया जाएगा। रिटायरमेंट के समय या जब कोई कम्पनी छोड़ेगा तो 20 महीने की तनख्वाह यानि कि उसे 50 हजार रुपया मिलेगा। रिटायरमेंट के समय जो 50 हजार रुपया मिलता है उसका कोई मूल्य नहीं होता है। जब वह जीवन शुरू करता है तो उस समय उस पैसे की बड़ी कीमत होती है और जब 60 वर्ष की आयु में रिटायर होता है तो उस 50 हजार रुपए की कीमत बहुत कम हो जाती है होना यह चाहिए कि यह लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी जाए और उस एक लाख रुपए को इनकम-टैक्स से बरी कर दिया जाए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। मुझे इसका व्यावहारिक अनुभव भी है। होता यह है कि जब कोई वर्कर या कोई मिडिल-मैन मैनेजर रिटायर होता है तो उसे 50 हजार रुपया मिलने के साथ ही दूसरे कई फायदे भी मिलते हैं। वह सब मिलाकर इतना पैसा हो जाता है कि उसके ऊपर उसको बहुत इनकम-टैक्स देना पड़ता है। उसका 60 परसेंट पैसा इनकम-टैक्स में ही चला जाता है। आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि उसे अधिक फायदा हो। यदि आप मेरी सलाह मानें तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। आप उसकी ग्रेच्युटी का पैसा एक फंड में दे दीजिए और उससे आप यूनिट ट्रस्ट खरीदिए। वह पैसा आप उसके हाथ में मत दीजिए। वह पैसा यूनिट ट्रस्ट में लगा देने से उसको काफी डिविडेंट हर साल उससे मिलेगा। आप कोई हाऊसिंग स्कीम बनाकर भी यूनिट ट्रस्ट बना सकते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसके रहने के लिए मकान हो। ऐसी व्यवस्था कर देने से उसकी मकान की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। जब भी कभी भविष्य में वह हायर-परचेज पर मकान खरीदना चाहे, या कोई फ्लैट खरीदना चाहे तो उस समय इस स्कीम के द्वारा उसकी सहायता की जा सकती है। इसमें मेरा एक सुझाव यह है कि फ्लैट या कोई मकान खरीदते समय भी उस पर कोई इनकम-टैक्स नहीं लगना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि ग्रेच्युटी का पैसा जो वह बड़ी मेहनत से जमा करता है उस पैसे का उसे पूरा फायदा मिलना चाहिए।

इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। आपने कहा है कि इंश्योरेंस केवल ऐसे लोगों के लिए हो जहां 500 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं। मेरा सुझाव है कि यह सारे लोगों के लिए होनी चाहिए।

एक और व्यावहारिक डिफिकल्टी मैंने देखी है। जिस तरह से प्राविडेंट-फंड में दिक्कत होती है, उसी तरह से ग्रेच्युटी के मामले में भी एम्पलायर्स जान-बूझकर नामिनेशन नहीं कराते हैं, उसको गोल-मटोल रखते हैं और 25 — 30 साल के बाद जब आदमी रिटायर होता है, तब उससे कहा जाता है कि तुम्हारा कोई नामिनेशन नहीं है और इस तरह से वह पैसा एम्पलायर के पास ही रह जाता है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने प्राविडेंट-फंड के मामले में एक कानून बनाकर नामिनेशन कम्पलसरी कर दिया है, उसी तरह से ग्रेच्युटी के मामले में भी आप कानून बनाकर नामिनेशन को कम्पलसरी करा दीजिए—चाहे वह उसकी पत्नी के नाम से हो, बेटे के नाम से हो या फिर चाहे वह तीन-चार आदमियों में बंट जाये। मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी न किसी तरह से इसका बेनिफिट परिवार को मिले, एम्पलायर को न मिले।

उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि एक उद्योग है बीड़ी उद्योग, जिसमें लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं लेकिन आप किसी भी बीड़ी कारखाने के मालिक से पूछिए तो वह यही कहेगा कि उसके यहां तो पांच वर्कर्स भी नहीं हैं। तो यह कानून अपने में कितना असंदिग्ध है, इसको आप स्वयं सोच सकते हैं। हम बात तो करते हैं मजदूरों की भलाई के लिए, लेकिन उनकी कमाई का पैसा अन्याय के कारण उनके हाथ से निकल जाता है। इसलिए अब ऐसा समय आ गया है कि हमें इस बारे में बहुत गम्भीरता से सोचना होगा। यहां

पर एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत है जिसमें प्राविडेंट-फंड, कम्पनसरी इंश्योरेंस, हैल्थ स्कीम, ग्रेच्युटी—यह सारी चीजें हों, इस तरह से पीसमील करने से काम नहीं चलेगा।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि ग्रेच्युटी और सारी चीजें जो हैं, हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि उन सभी लोगों को ये मिलें, जो कि इनके हकदार हैं।

[अनुवाद]

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : माननीय मंत्री महोदय ने उपदान संदाय योजना के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : निलम्बन के बाद उनका यह पहला भाषण है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन हर व्यक्ति पहला भाषण ही देता है।

श्री अजय विश्वास : परन्तु मैं समझता हूं कि विधेयक में श्रमिकों के लिए केवल सीमान्त लाभ का ही सुझाव दिया गया है। वास्तव में एक व्यापक विधेयक की आवश्यकता है, विशेषरूप से गैर-सरकारी कर्मकारों को अधिक लाभ मिल सके और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें वित्तीय और अन्य प्रकार की सुरक्षा मिल सके।

सरकारी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के उपदान के अलावा पेंशन भी मिलती है। इस प्रकार सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को मरने तक सुरक्षा प्राप्त होती है। परन्तु निजी क्षेत्र में कर्मकारों को केवल उपदान मिलता है। उपदान की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि मंत्री महोदय को गैर-सरकारी कर्मकारों को उनकी वर्तमान स्थिति से उबारने के लिए उन्हें भूख से मरने से बचाने के लिए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

मूल विधेयक 1972 में पारित किया गया था। यह कहा गया है कि यदि कर्मकार ने 5 वर्ष की लगातार सेवा अवधि पूरी कर ली है तो सेवानिवृत्ति पर अथवा त्यागपत्र देने पर भी उपदान की अदायगी की जायेगी। मैं समझता हूं कि उपदान प्राप्त करने के लिए इस 5 वर्ष की अवधि का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

बोनस और भविष्य निधि के लिए आवश्यक सेवा अवधि एक वर्ष है। यदि बोनस और भविष्य निधि के लिए आवश्यक सेवा अवधि एक वर्ष है तो क्यों न सेवानिवृत्ति, अवकाश प्राप्त होने या त्यागपत्र देने पर उपदान की अदायगी के लिए आवश्यक सेवा अवधि को 5 वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया जाए? इस बात में कोई तर्क नहीं है। महोदय, यह उल्लेख किया गया है कि उपदान प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करना आवश्यक है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस बारे में विचार किया जाए और आवश्यक सेवा अवधि को 5 वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया जाए।

दूसरी बात यह है कि उपदान की अवधारणा में परिवर्तन हुआ है। वर्तमान अधिनियम 1972 में बनाया गया था। 1972 से लेकर आज तक मजदूरी और सेवाओं की अवधारणाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन उपदान का सिद्धान्त 1972 के पुराने आधार पर अभी भी चला आ रहा है। यदि कोई कर्मकार उपदान प्राप्त करना चाहे तो उसे एक वर्ष में 75% अथवा 240 दिन की आवश्यक सेवा पूरी करनी चाहिए: यही समस्या का सार है। क्या एक कर्मकार के लिए एक वर्ष में 240 दिन अथवा एक वर्ष में कुल कार्यदिवसों की 75 प्रतिशत दिनों की सेवा पूरी करना सम्भव है? नियोक्ता सदैव मजदूर की लगातार सेवा के दो-तीन अथवा चार महीने पश्चात इसकी सेवा को भंग करने का प्रयास

[श्री अजय विश्वास]

करते हैं। वे 7 या 8 दिन की लगातार सेवा के बाद भी उनकी सेवा भंग कर देते हैं और फिर उन्हें फिर सेवा में ले लेते हैं। इन परिस्थितियों में वे कभी भी एक वर्ष में 240 दिन की लगातार सेवा अवधि को पूरा नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि बहुत से कर्मकारों ने 8 या 9 वर्ष की सेवा के दौरान भी एक वर्ष में लगातार 240 दिन की सेवा अवधि को पूरा नहीं किया है। यदि माननीय मंत्री कर्मकारों को नियोक्ताओं के चंगुल से बचाना चाहते हैं तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक वर्ष में इस 75 प्रतिशत अथवा 240 दिन की लगातार सेवा अवधि के प्रावधान में भी परिवर्तन करके इसे एक वर्ष में 50% अथवा 160 दिन कर देना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा उपदान की गणना के बारे में है। अब उपदान की गणना 10 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात् प्रति वर्ष 15 दिन की मजदूरी के आधार पर की जाती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है। इसके साथ ही मैं जानता हूं कि आप अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर रहे हैं। परन्तु बहुत से कर्मकारों को उपदान के रूप में केवल दो, तीन अथवा चार हजार रुपया ही मिलता है। अब इस अधिकतम सीमा को बढ़ाने से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि 15 दिन की मजदूरी की बजाय कर्मकारों को उसकी सेवा अवधि के हर वर्ष के लिए एक माह का वेतन मिलना चाहिए। अन्यथा उन मजदूरों को उपदानों की मात्रा में कोई लाभ नहीं होगा, जिन्हें कम मजदूरी मिल रही है। यह मात्रा दो, तीन अथवा चार हजार ही रहेगी। अतः मेरा अनुरोध है कि उपदान की गणना के आधार में परिवर्तन किया जाना चाहिए और इसे प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक माह के वेतन के बराबर होना चाहिए।

मेरा अगला मुद्दा यह है कि आपने उपदान के अधिकार के लिए अधिकतम सीमा को 1600 रु० से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया है। परन्तु महोदय, इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। उपदान की गणना के लिए निर्धारित अधिकतम समय 20 माह का वेतन है। यदि आप 2500 रुपए की नई अधिकतम सीमा को 20 माह के वेतन से गुणा करें तो यह राशि 50,000 रुपए होती है। अतः आपने अधिकतम सीमा को 50,000/- रुपए तक बढ़ा दिया है। परन्तु बहुत से कर्मकार विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में और अन्य उद्योगों में 2500 रुपए से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। प्रावधान के अनुसार यदि एक कर्मकार 2700/- रुपए प्राप्त करता है तो उसे उपदान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः मेरा प्रस्ताव यह है कि अधिकतम उपदान 50,000/- रुपए होना चाहिए। परन्तु उसको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई भी कर्मकार उपदान से वंचित न हो और प्रत्येक कर्मकार को उपदान के रूप में कम से कम 20 माह का वेतन मिल सके। यदि आप यह सुनिश्चित कर लेते हैं तो सभी श्रमिकों को उपदान मिलेगा।

मेरा अन्तिम मुद्दा उपदान की अदायगी न करने के कारण होने वाली परेशानी के बारे में है। भविष्य निधि के मामलों के लिए एक भविष्य निधि आयुक्त होता है और नियोक्ताओं को भविष्य निधि आयुक्त के भविष्य निधि खातों में धन जमा कराना पड़ता है। इसके बावजूद भी बहुत से कर्मकारों को सेवानिवृत्ति के बाद अपनी देय राशि को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब कोई कर्मकार सेवानिवृत्त होता है तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी उसके उपदान की अदायगी की कोई गारन्टी नहीं होती। वर्ष 1987 में सरकारी क्षेत्र की ओर उपदान के रूप में लगभग 50 लाख रुपया देय है। यदि सरकारी क्षेत्र में यह स्थिति है तो निजी क्षेत्र में क्या स्थिति होगी? गरीब कर्मकारों के बारे में यदि नियोक्ता सेवानिवृत्ति के बाद उपदान की अदायगी के इच्छुक नहीं हैं तो गरीब कर्मकारों के लिए न्यायालय में जाना सम्भव नहीं होता है। अतः मेरा सुझाव है कि आपको भविष्य निधि आयुक्त जैसा एक अन्य बोर्ड, एक अन्य संगठन की स्थापना करनी चाहिए और नियोक्ता को

कर्मकारों की उपदान राशि बोर्ड की निधि में जमा करानी चाहिए ताकि कर्मकारों को नियोक्ता की बजाय निधि से उपदान मिल सके। आप उस निधि का उपयोग देश के विकास के लिए कर सकते हैं। 30 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मकार को इस निधि से उपदान मिलेगा। इस प्रकार प्रत्येक कर्मकार को मिलने वाले उपदान की राशि अग्रिम रूप में नियोक्ता से ली जा सके और निधि में जमा की जा सके और उसका उपयोग देश के विकास के लिए किया जा सके। ऐसा करके हम कर्मकारों के लिए समय पर उपदान की अदायगी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। अतः मुझे आशा है कि कर्मकारों को नियोक्ताओं के चंगुल से बचाने के लिए आप निकट भविष्य में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहेदिल से इस उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, माननीय श्रम मन्त्री के लिए यह एक और गौरव की बात होगी। पिछले कुछ महीनों में माननीय श्रम मंत्री ने बहुत से ऐसे स्वागत योग्य विधायी संशोधन प्रस्तुत किए हैं। महोदय वास्तव में यह विधेयक, उपदान संदाय विधेयक 1972 के विभिन्न उपबन्धों में सुधार करने हेतु एक सरल विधेयक है। और मैं समझता हूं कि इन संशोधनों का प्रस्ताव वर्ष 1982 और 1983 में हुए श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। वास्तव में इस दृष्टि से इन्हें पहले ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, परन्तु निश्चित रूप से देर आयद दुरुस्त आयद। वर्ष 1987 में यह विधेयक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है और इसे पारित किया जाने वाला है और इसके लिए मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

महोदय, इस समय उपदान का भुगतान 1600 रुपये प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मचारियों तक सीमित है और इसकी अधिकतम सीमा 20 महीने के वेतन के बराबर है। इस विधेयक के जरिए यह वेतन सीमा 2500 रुपये तक बढ़ाई जा रही है। यदि आपको याद हो तो पहले भी हमने इस प्रकार का एक उपबन्ध पारित किया था। हमने इस प्रकार का प्रावधान बोनस अधिनियम में माननीय मन्त्री के प्रस्ताव पर एक संशोधन द्वारा किया है। जहां तक बोनस की बात है पहले सीमा 1600 रुपये थी और वह 2500 रुपये तक बढ़ा दी गई है। इसलिए अब यह उस उपबन्ध के बराबर है। मैं सुझाव दूंगा कि संगत उपबन्धों वाले इस प्रकार के सभी अधिनियम जहां भी वे लागू हैं, संशोधित किये जाने चाहिए। इसके बारे में चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। निःसंदेह यह एक प्रश्न है कि क्या यह और भी बढ़ाई जा सकती है। इसमें अभी भी वृद्धि की जा सकती है। खैर बोनस अधिनियम में हमने इस सीमा को 2500 रुपये तक बढ़ा दिया है और यह उसके समान हो जायेगी। यह एक स्वागत योग्य बात है।

दूसरे यह राशि अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। बशर्ते कि 20 महीने के वेतन की अधिकतम सीमा—जैसा कि माननीय सदस्य श्री विश्वास ने पहले कहा था—1600 रुपये की दर पर हो। इस प्रकार 20 महीनों के लिए यह राशि कुल 32000 रुपये हो जाती है। अब यह बढ़ी हुई दर है। नई राशि 50,000 रुपये होगी। इसमें कोई अन्तर नहीं होगा। यह अभी भी बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में मैं 20 महीने के वेतन की मौजूदा अधिकतम सीमा के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। किस आधार पर यह निर्णय लिया गया? यह गणना, एक कार्य वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन के आधार पर की गई। इस गणना के आधार पर यदि एक कर्मकार 40 वर्ष की सेवा पूरी करता है तो वह इस सीमा पर पहुंचेगा। अधिकतम सीमा 50,000 रुपये है अर्थात 20 महीने की मजदूरी है। इसे वह 40 वर्ष की लम्बी सेवा करने के पश्चात ही प्राप्त करने का हकदार हो सकेगा। प्रश्न यह है। कितने कर्मचारियों को इतने लम्बे समय तक कार्य करने का मौका मिलता है? महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान बोनस अधिनियम में मौजूद बोनस उपबन्धों की ओर दिलाना चाहूंगा। यह 8.33 प्रतिशत अर्थात् एक माह के

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

वेतन पर निर्धारित किया गया है। न्यूनतम बोनस की अदायगी एक महीने का वेतन है। क्यों न इसे भी उसके बराबर कर दिया जाता है, अर्थात् 15 दिन के वेतन के बराबर और उस स्थिति में यह दुगना हो जायेगा। जहां तक गैर-मौसमी प्रतिष्ठानों का सम्बन्ध है। यह 15 दिनों के लिए है। मौसमी प्रतिष्ठानों के मामले में यह वहां कम से कम सात दिनों के वेतन के बराबर है। स्वाभाविक रूप से यह सात दिनों का वेतन दुगना हो जायेगा। 15 दिनों का वेतन दुगना कर दिया जायेगा। यह तो ऐसी बात है कि जैसे अब हम बोनस अधिनियम के समान चल रहे हैं जिसमें यह सीमा 2500 रुपये है। यह भी उस उपबन्ध के बराबर होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी यह ग्रेच्यूटी ज्यादा से ज्यादा $16\frac{1}{2}$ माह के वेतन तक प्राप्त करता है। इन दोनों के बीच भी विषमता है। इसे ठीक किया जा सकता है। जहां तक सेवा काल की बात है। जब तक एक कर्मचारी लगातार 5 वर्षों का सेवावधि पूरी नहीं कर लेता है तब तक वह ग्रेच्युटी का हकदार नहीं है। यही भी काफी अधिक है। महोदय, आप जानते हैं कि हमारे यहां नैमित्तिक मजदूरों की संख्या काफी अधिक है और उनका कार्य स्थायी किस्म का है। संगठन स्थायी हैं। रेल और विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य स्थायी किस्म का होता है। इस प्रकार के प्रतिष्ठान स्थायी आधार पर कार्य कर रहे हैं। परन्तु श्रमजीवी वर्ग के कर्मचारियों को इन लाभों से वंचित रखने के लिए वे बहुत से मजदूरों को नैमित्तिक मजदूरों के रूप में काम पर लगाते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय के बाद वे उन्हें निकाल देते हैं और कुछ समय के पश्चात् उन्हें पुनः भर्ती कर लेते हैं। इस प्रकार से भी मेरा सुझाव है कि यदि एक मजदूर लगातार एक वर्ष कार्य करता है तो उसे ग्रेच्युटी मिलने का हकदार होना चाहिए।

जहां तक समय सीमा की बात है, एक स्वागत योग्य उपबन्ध किया गया है। परन्तु हम जानते हैं कि उद्यमी विशेष रूप से निजी उद्योगपति भुगतान करने से बचने की पूरी कोशिश करते हैं और इसमें देरी करने के तरीके निकालते रहते हैं। अब इसमें जुर्माना की भी व्यवस्था है। जुर्माना यह है कि यदि इस तरह के भुगतान के देय हो जाने पर वे 30 दिन में उपदान का भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें ब्याज देना पड़ेगा और यह ब्याज केवल, साधारण ब्याज है। यह दण्ड जैसा नहीं लगता है। जैसाकि आप जानते हैं कि इनमें से अनेक उद्योगपति, उद्यमी नियोक्ता इसका भुगतान न करने में सफल हो जाते हैं और जिस राशि का भुगतान मजदूरों को किया जाना है, जिसका भुगतान देय है उसे उनके द्वारा और अधिक लाभकारी कार्यों में लगा दिया जाता है। अतः कड़े अधिक कठोर दण्ड दिये जाने की आवश्यकता है। मैं सुझाव दूंगा कि साधारण ब्याज की बजाय चक्रवृद्धि ब्याज होना चाहिए वास्तव में दर नियत की जानी चाहिए। यह दर बैंकों में सावधि-जमाराशि के लिए दी गई दर के बराबर होनी चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था करने पर विचार करे ताकि उद्योगपति इन लोगों को भुगतान करने से न बच सकें।

अधिनियम के अन्तर्गत उपदान के भुगतान नियोक्ताओं की देयता के अनिवार्य बीमे के लिए या अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उन प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में जहां पांच सौ या इससे अधिक कर्मचारी हैं, विकल्प के रूप में एक उपदान निधि की स्थापना करने का प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रावधान का स्वागत है परन्तु श्रमिकों की संख्या पर यह रोक क्यों है वह भी तब जबकि कार्य बल 500 या इससे अधिक है तथा यह व्यवहार्य होगा? इस संख्या को कम करके क्यों न 100 किया जाये? मैं समझता हूं कि यह संख्या 100 तक कम की जा सकती है। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यह विधेयक हमारे माननीय श्रम मंत्री की कीर्ति को और बढ़ाता है। हमने कई अच्छे और प्रगतिशील कानून बनाये हैं। कई संशोधन जो लम्बे समय से किये जाने थे, को सभा द्वारा स्वीकृत और पारित किया गया है। परन्तु इनके क्रियान्वयन के बारे में क्या किया जा रहा है? इन सभी कानूनों के ठीक क्रियान्वयन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि उनके अपने मन्त्रालय में एक निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए जैसा कि भविष्य निधि के मामले में है जहां इस पर भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निगरानी रखी जाती है। जब तक कि पर्याप्त कर्मचारी पर्याप्त निगरानी व्यवस्था नहीं होती है तब तक हम यहां जो भी कानून पारित करें, हमारे कितने भी उच्च आदर्श न हों, इस देश के श्रमजीवी लोगों को वास्तव में कोई लाभ नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं तहेदिल से अपने माननीय श्रम मंत्री द्वारा पेश किये गये प्रगतिशील विधान का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के इस विषय पर भिन्न-भिन्न मंचों पर बार-बार चर्चा हुई है और माननीय श्रम मंत्री जानते है कि मजदूर संघ हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को सुधारने तथा मजबूत करने के लिए वर्षों से कई सुझाव दे रहे हैं। मुझे यह देखकर खेद है कि इस संशोधनकारी विधेयक में ये बहुत से सुझाव सम्मिलित नहीं किये गये है। शायद माननीय मन्त्री समझते हैं कि हमें सावधानी पूर्वक आगे कार्यवाही करनी चाहिए या ऐसी ही कोई बात है—मैं नहीं जानता कि यह क्या है। परन्तु मैं यहां देखता हूं कि कई माननीय सदस्य अपने राजनीतिक दलों के सम्बन्धों का लिहाज किये बगैर उपदान योजना के सम्बन्ध में कर्मकारों के कल्याण के लिए इसी तरह के सुझाव दे रहे हैं। यह एक स्वागत योग्य बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि कर्मकारों के कल्याण की बात हमारे कई सदस्यों के मन में है और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे, जो कुछ यहां कहा गया है उस पर अधिक सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

यह एक ऐसा देश है जहां सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और उपलब्ध धनराशि दो या तीन कारकों द्वारा बुरी तरह प्रभावित है। एक यह है कि रुपये के मूल्य में काफी गिरावट आयी है। उदाहरण के लिए आप कहते है कि आप उपदान के लिए 50,000 रुपये की अधिकतम सीमा रख रहे है जो कि किसी भी कर्मचारी को देय है। परन्तु, आज वास्तव में इन 50,000 रुपयों का मूल्य लगभग 8000 रुपये है या इसके आसपास है। यदि हम सरकार के आंकड़े देखें तो एक रुपये की कीमत 16 पैसे या इसके आसपास है। इसलिए एक व्यक्ति अपने सेवा काल के अन्त में भले ही वह पूरे 50,000 रुपये का हकदार हो जाये तो आज उसकी वास्तविक कीमत को देखते हुए यह सेवानिवृत्ति के लिए या उसके बुढ़ापे के लिए पर्याप्त रकम नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन 50,000 रुपयों की अधिक प्रासंगिकता नहीं है और अधिकतम सीमा के इस सिद्धांत को हटा दिया जाना चाहिए। अधिकतम सीमा क्यों होना चाहिए मैं नहीं समझ पाता हूं! आप ऐसी दर निर्धारित कर रहे हैं जिस पर उसे उपदान मिलता है। जब तक वह नौकरी में है उसे कमाने दीजिए। अधिकतम सीमा की बिलकुल आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह यह 20 महीने की बात है। 20 महीने और 50,000 रुपये एक ही बात है। इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। परन्तु 50,000 रुपये जोकि अधिकतम धनराशि है के लिए उसे प्रति माह 15 दिन की मजदूरी दर से हकदार होने के लिए — यह गणित की बात है। एक आदमी को 40 वर्षों तक कार्य करना पड़ेगा। यदि वह प्रतिमाह 15 दिन मजदूरी के हिसाब से 40 वर्ष पूरे करता है तो केवल तभी वह 50,000 रुपये कमा सकता है। खैर, 40 वर्ष तक कौन कार्य कर सकता है? कोई भी 40 वर्ष कार्य नहीं करता है। यह बहुत अधिक है। अतः मैं कहूंगा कि कृपया इस पर दुबारा गौर करें। ये दो अधिकतम सीमायें 50,000 रुपये की अधिकतम सीमा और 20 महीने की अधिकतम सीमा वास्तव में अवास्तविक है और

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इसकी आज वास्तविक आर्थिक स्थिति से और वित्तीय स्थिति से कोई संगति नहीं है। इसलिए मेरी राय में इन अधिकतम सीमाओं को हटा दिया जाना चाहिए। इन अधिकतम सीमाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकतम सीमा को हटाने से कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि नियोक्ता, निजी क्षेत्र का नियोक्ता भुगतान करने को अनिच्छुक हो। वे भुगतान नहीं करना चाहते हैं। यही बात है। मुझे यह देखकर खेद होता है कि भुगतान न की गई ग्रेच्युटी भी बढ़ रही है क्योंकि सरकारी क्षेत्र की इकाइयां उसमें भी शामिल हैं। मुझे कुछ आंकड़ों से पता चला है कि भुगतान न की गई 50 लाख रुपये की ग्रेच्युटी अकेले सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को प्रदान की जा सकती है। निजी क्षेत्र के मामले में, इसे कहीं अधिक होना चाहिए। मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। मैं नहीं जानता हूं।

2.59 म०प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

माननीय मंत्री जानते हैं कि भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमे के मामले में नियोक्ताओं द्वारा कई लाख रुपयों का भुगतान नहीं किया गया है। यह कर्मकारों के वेतन में से काट लिया गया था, परन्तु सामाजिक सुरक्षा निधि मे कोई धनराशि जमा नहीं की गई है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या किसी अन्य देश में इतने बड़े पैमाने पर, नियोक्ताओं द्वारा इस प्रकार से भुगतान नहीं किया जाता है। उनके द्वारा ऐसा कदाचार किया जाता है या कर्मकारों के वेतन से प्राप्त धनराशि का प्रयोग नियोक्ताओं द्वारा अपने व्यापार और लाभकारी कार्यों के लिए किया जाता है और कर्मकारों को इससे वंचित रखा जाता है। यह बहुत गंभीर मामला है और चूंकि माननीय मंत्री को भी इस अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठकों और सम्मेलनों में जाना पड़ता है और भाग लेना पड़ता है जहां सामाजिक सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए जाते हैं और हमें उनका पालन करते रहना चाहिए। किसी भी तरह यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार के कदाचारों को कड़ाई से खत्म किया जाये और हमारे विधान में जो भी अच्छी और सकारात्मक चीज है उसका कार्यान्वयन कड़ाई से किया जाये।

3.00 म०प०

उदाहरण के लिए, मैं मंत्री महोदय को बता सकता हूं कि मुझे यहां क्या लगता है और उन्होंने इस विधेयक में स्पष्टीकरण के रूप में क्या सम्मिलित किया है। इसमें कहा गया है कि :

> "मासिक रूप से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के मामले में पन्द्रह दिन की मजदूरी, उसके द्वारा अन्ततः लिये गये मासिक वेतन को 26 से विभाजित करके और भागफल को 15 से गुणा करके निकाली जाती है।"

यह एक छोटा मुद्दा है जिस पर हम काफी समय से आन्दोलन कर रहे हैं प्रश्न यह है कि क्या आप इस मासिक वेतन को 30 या 26 से विभाजित करेंगे। जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया तो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि इसे दैनिक मजदूरी निकालने के लिए 26 से विभाजित किया जाये न कि 30 से और फिर इसे 15 से गुणा किया जाये। परन्तु शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा; आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी व्यक्तिगत रूप से पश्चिम बंगाल में एक सरकारी क्षेत्र की इकाई ब्रेथवेट के बारे में कई पत्र लिखे हैं जो कि एक सुव्यवस्थित तथा एक समय ब्रिटेन के स्वामित्व वाली बड़ी इंजीनियरिंग कम्पनी है और जिसने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को क्रियान्वित करने

से भी इंकार किया है। वे ग्रेच्युटी की गणना मासिक वेतन को 26 से नहीं बल्कि 30 से विभाजित करके कर रहे हैं जबकि अन्य इकाइयां लगभग ठीक गणना कर रही हैं। अब आपने इसे यहां एक खण्ड के रूप में रखा है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

परन्तु आपको अपने क्रियान्वयन तंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका वास्तव में पालन हो रहा है चुस्त करना होगा। क्योंकि होता यह है कि इसमे सबसे अधिक नुकसान उन श्रमिकों के आश्रितों को होता है जो पहले सेवा निवृत हो चुके हैं या मर चुके हैं। मैंने कलकत्ता में ब्रेथवेट कारखाने के गेट के बाहर देखा है कि वेतन मिलने के दिन मृत श्रमिकों की कई विधवायें और आश्रित बूढ़े मां-बाप आते हैं और बेबस से कारखाने के गेट के बाहर बैठे रहते हैं और किसी न किसी प्रकार से ग्रेच्युटी के अपने पूरे हिस्से को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिसकी कानून के अनुसार ठीक प्रकार से गणना की जानी चाहिए लेकिन यह नहीं किया जाता है।

मैं दूसरी बात का समर्थन करता हूं कि कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि आप श्रमिक की ग्रेच्युटी की दर 15 दिन प्रति वर्ष की बजाय वार्षिक वेतन का 8.33 प्रतिशत करने पर विचार क्यों नहीं करते हैं। यह बात हमने पहले ही बोनस के मामले में स्वीकार कर ली है। वार्षिक वेतन का 8.33 प्रतिशत एक महीने के वेतन के बराबर होता है। इसलिए मैं भी महसूस करता हूं कि ग्रेच्युटी की दर 15 दिन के वेतन के बजाय बढ़कर 8.33% दी जाये जो मोटे तौर पर प्रति वर्ष एक महीने के वेतन के बराबर होगी।

अर्हताकारी अवधि अब पांच वर्ष कर दी गई है। मुझे यह भी समझ में नहीं आया है। यदि किसी व्यक्ति ने चार वर्ष या साढ़े चार वर्ष लगातार कार्य किया है तो वह तब तक ग्रेच्युटी पाने का हकदार नहीं है जब तक कि उसने पांच वर्ष पूरे न कर लिए हों। उसे परिवीक्षा पर क्यों रखा जाता है ? मैं यह नहीं समझ पाता हूं। उसने क्या गलती की है ? मैं पांच वर्ष की अर्हताकारी अवधि के पूरी तरह से विरुद्ध हूं। मैं समझता हूं कि उसके नौकरी के पूरे कार्यकाल के लिए, चाहे वह कुछ हो उस कुल कार्यकाल के लिए जिसमें वह एक कर्मचारी रहा है उसे अन्य कारणों की वजह से बगैर किसी कटौती के, ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए कुछ नियोक्ता कुछ श्रमिकों को निलंबित कर देते हैं और उन्हें एक या दो वर्षों तक निलंबित रखते हैं। वे ऐसा अक्सर करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि श्रमिक निलंबित कर दिये जाते हैं और निलंबन आदेश दो या तीन वर्षों तक लागू रहते हैं। नियोक्ताओं से आशा की जाती है कि वे आन्तरिक जांच कम से कम संभव समय में करा ले और या निलंबन हटा लेना चाहिए या उस पर कोई अन्य कार्यवाही करनी चाहिए। परन्तु मैं समझता हूं कि कई मामलों में श्रमिक दो, तीन या चार वर्षों तक निलंबित रहते हैं, और जब उस ग्रेच्युटी की गणना की जाती है जो कि उसे मिलनी है तो पूरी निलंबन अवधि उसकी सेवावधि में से कम कर दी जाती है। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।

मैं मन्त्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उसे उसके वास्तविक नियोग की पूरी अवधि के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।

मैं उस ब्याज की राशि के सम्बन्ध में दूसरे सदस्य के सुझाव का भी समर्थन करता हूं जोकि ग्रेच्युटी के भुगतान में हुई अत्यधिक देरी के लिए नियोक्ता द्वारा देय हो जाती है। यह एक आम शिकायत है। हजारों श्रमिक इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन उन्हें अपनी ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। यह केवल 30 दिनों का सवाल नहीं है। यदि वे इसे 30 दिन में प्राप्त कर लेते हैं तो वे स्वयं को भाग्यशाली समझ सकते हैं। यह अवधि 30 दिनों नहीं 30 महीने भी हो सकती है। क्या

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

नियोक्ताओं को इसके लिए कभी भी दण्डित किया गया है ? वे इस धन को अपने पास रख रहे हैं; वे इसे अपने व्यापारिक प्रयोजनों के लिए पयोग कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयां भी ऐसा कर रही हैं। मैं नहीं जानता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और वे इस धन का क्या करना चाहते हैं। इसलिए दण्ड, साधारण ब्याज का भुगतान नहीं होना चाहिए। बड़े नियोक्ता साधारण ब्याज देना चाहेंगे। वे इसकी परवाह नहीं करते हैं। उनके पास काफी अधिक पैसा है। यह दण्ड साधारण ब्याज की अदायगी नहीं होना चाहिए बल्कि बैंकों में आमतौर पर सावधि ब्याज की दर जमा राशियों पर दी जाने वाली होनी चाहिए। हो सकता है कि नियोक्ता इस धन का उपयोग अपने लाभकारी व्यापार के लिए कर रहा है। इसलिए उसे सावधि जमाराशि की दर का भुगतान करने के लिए विवश क्यों नहीं किया जाना चाहिए ?

अन्त मे मैं यही कहूंगा कि इस नये विधेयक में ग्रेच्युटीन्यास निधि का सुझाव स्वागत योग्य है। परन्तु यह उपबन्ध किया गया है कि यह ग्रेच्युटी न्यास निधि केवल उन्हीं इकाइयों पर लागू होगी, जिनमें 500 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। मैं समझता हूं कि यह एक मनमाना विभेद है। मुझे इस बात का कोई कारण नजर नहीं आता कि यह केवल उन्हीं इकाइयों पर लागू होना चाहिए जिनमें 500 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ हो। मैं समझता हूं कि इसे उन इकाइयों पर भी लागू करना चाहिए जहां 100 श्रमिक कार्यरत हों। आगे, इस धन को किसी भी प्रकार से अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और गरीब श्रमिकों को नुकसान नहीं होने देना चाहिए।

महोदय ये कुछ सुझाव हैं जो मुझे देने थे। मैं समझता हूं कि ये विधेयक, जो कि पहले ही सभा में चर्चा के लिए रखा जा चुका है, में, किसी सुधार की आशा करना सम्भव नहीं है, फिर भी मैं आशा करता हूं कि श्रम मन्त्री जी रखे गए बहुत से रचनात्मक और ठोस सुझावों के बारे में कुछ आश्वासन देंगे। मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी ताकि आगे संशोधन प्रस्तुत किये जा सकें। यह कठिन कार्य नहीं है अन्यथा मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ अगली बैठक में उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा।

डा० फूल रेणु गुहा (कन्टई) : सभापति महोदय, मैं उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं पूरे मन से इस विधेयक का स्वागत करता हूं जो और अधिक श्रमिकों के लिए यह लाभ लाभ-प्रदान करने के लिए है। संशोधन से श्रमिकों को लाभ होगा, यद्यपि मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक में कुछ खामियां हैं।

पहली बात यह है कि ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। दूसरे यदि यह राशि निर्धारित अवधि में नहीं दी जाती तो नियोक्ता को उस राशि के लिए जो कि कर्मचारी को देय है ब्याज देना होगा। तीसरे, ग्रेच्युटी की यह योजना कामगार वर्ग की सहायता करेगी। ग्रेच्युटी की राशि, एक सेवा निवृत सरकारी अधिकारी को दी जाने वाली पेन्शन के बराबर है। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि 15 दिन का वेतन बहुत थोड़ा है। इसे यदि ज्यादा नहीं तो बढ़ाकर कम से कम एक महीने के बराबर कर ही दिया जाना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि यह योजना नैमित्तिक मजदूरों के लिए भी उपयुक्त होगी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में काफी नैमित्तिक श्रमिक है। इसलिए यह आवश्यक है कि श्रम मन्त्रालय यह सुनिश्चित करे कि नैमित्तिक श्रमिकों की नौकरियों को नियमित किया जाये। इसे लम्बे समय तक लम्बित नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उन्होंने पहले ही कई वर्षों तक नुकसान उठाया है।

ग्रेच्युटी 20 महीने के वेतन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन अदा की जाती है। यह अधिकतम सीमा है या वह अधिकतम सीमा थी। 20 महीने के वेतन की सीमा के स्थान पर 5000 रुपये की सीमा करने का प्रस्ताव है। मुझे यह समझ नहीं आता कि इस 20 महीने की अधिकतम सीमा को बदलकर 50,000 रुपये, करने का क्या आधार है। इसके अलावा मैं पुनः कहता हूं कि ग्रेच्युटी कम से कम एक महीने के आधार पर मिलनी चाहिए। एक आदमी को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है और वह बोनस प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। इसलिए एक कर्मचारी एक वर्ष पूरा करने के पश्चात ग्रेच्युटी का हकदार क्यों नहीं हो सकता है? मैं महसूस करता हूं कि ग्रेच्युटी पाने के लिए पांच वर्ष की अवधि काफी अधिक लगती है।

विधेयक में यह उल्लेख है कि ग्रेच्युटी कीराशि पर निलम्बित अवधि के लिए ब्याज दिया जायेगा। अन्य माननीय सदस्यों ने चक्रवृद्धि ब्याज का और ऐसा ही कुछ सुझाव दिया है। परन्तु मैं आपको विधेयक में संशोधन करने या कुछ नियम बनाने का सुझाव देता हूं ताकि यदि नियोक्ता 30 दिन के अन्दर धन की अदायगी न करे तो उसे दण्ड दिया जाये। नियोक्ता के लिए कोई दण्ड नहीं है। यहां तक कि जब वह ब्याज या भुगतान करता है तो वह अपनी जेब से नहीं देता। इसे भी वह श्रमिकों की पसीने की कमाई में से देता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए कुछ दण्ड रखना ही चाहिए ताकि नियोक्ता दण्ड से बच न पाये। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कई श्रमिक अपनी ग्रेच्युटी अपने जीवन काल में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात् ब्याज मिलने से क्या फायदा है? मैं पुनः सुझाव दूंगा कि इसके लिए इस विधेयक में या कुछ नियमों में दण्ड का उपबन्ध जोड़ा जाये। ग्रेच्युटी के भुगतान में 4 से 5 वर्षों की देरी आम बात है। महोदय, आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेंगे कि भले ही मैं मजदूर संघ के क्षेत्र में कार्य नहीं करता। परन्तु मैंने देखा है कि काफी संख्या में ऐसे श्रमिक हैं जो अपने जीवन काल में अपनी ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनकी विधवाओं ने मुझसे शिकायत की है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अधिकांश मजदूर निरक्षर हैं। उनमें से ज्यादातर मजदूरों को यह पता नहीं है कि वे इन सब अधिनियमों से क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे अपने सारे अधिकारों के बारे में जान सकें और उन्हें अनावश्यक रूप से नुकसान न हो। उन्हें इस परेशानी से बचाने के लिए कुछ संरक्षण देने की आवश्यकता है।

महोदय, यह कहा गया है कि 500 कर्मचारियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को ही बीमे का लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं यह सीमा काफी अधिक है। मैं सुझाव दूंगा कि 50 व्यक्तियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को ग्रेच्युटी निधि के लिए बीमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मौसमी श्रमिकों के बारे में कोई नहीं सोचता। उनका मुश्किल से ही कोई रिकार्ड रखा जाता है। प्रत्येक को अस्थायी रूप में पंजीकृत किया जाता है। 15-20 वर्षों तक काम करने के बाद भी एक व्यक्ति अस्थायी श्रमिक ही रहता है। मेरा माननीय मन्त्री जी से नम्र निवेदन है कि इस समस्या पर गौर किया जाये।

अपनी इस सीमित जानकारी के साथ मैंने यह विधेयक कई बार पढ़ा है और मैं देखता हूं कि इसमें एक बात की कमी है और वह यह है कि लघु उद्योग के लिए इसमें कोई उपबंध नहीं है। मैं गलत हूं या ठीक मैं नहीं जानता। परन्तु महोदय, मुद्दा यह है कि हमारे देश में लघु उद्योग काफी संख्या में हैं और वह समय आ रहा है जब हमारे देश में और अधिक लघु उद्योग स्थापित किये जायेंगे। इसलिए लघु उद्योगों के श्रमिकों को यह लाभ मिलना चाहिए। गांवों में या छोटे नगरों में काफी संख्या में ऐसे लघु उद्योग हैं जहां श्रमिकों की संख्या 5 या 6 से लेकर 9 तक सीमित हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से आग्रह

[डा० फूलरेणु गुहा]

करूंगा कि वे इस पर गौर करें और इस ग्रेच्युटी का लाभ उन श्रमिकों को भी दें जो लघु उद्योगों में काम कर रहे हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे द्वारा और मेरे अन्य मित्रों द्वारा उल्लिखित मुद्दों पर विचार करेंगे। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि यदि इन सबको इस विधेयक में शामिल करना सम्भव न हो तो अगले सत्र में वह कुछ अन्य संशोधन लायें और कम से कम कुछ और लाभ उन श्रमिकों को दें जिन्होंने काफी समय तक परेशानी उठायी है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं मोटे तौर पर इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से यह जिस स्थिति में चल रहा है, ठीक है किन्तु सम्भवत: यह अधिक दूरगामी नहीं है। मैं विधेयक के बारे में संक्षेप में कुछ सिफारिश करूंगा जहां मैं यह महसूस करता हूं कि यह विधेयक अपर्याप्त है।

अधिकतम सीमा 1600 प्रति माह से बढ़ाकर 2500 प्रति माह कर दी गई है। किन्तु विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के कथन में उस राशि के लिए कोई औचित्य नहीं बताया गया। यदि हम अधिकतम सीमा 1600 रुपये मानते हैं जो 1972 में निर्धारित की गई थी तो जीवन निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि या तदनुरूप रुपये के अवमूल्यन के हिसाब से अधिकतम सीमा कम से कम 5,000 रुपये निर्धारित की जानी चाहिये क्योंकि 1972 से 1987 के बीच रुपये का मूल्य निश्चित रूप से एक तिहाई या एक चौथाई तक रह गया है।

महोदय, मैं यह देखता हूं कि परिवार की परिभाषा में संशोधन किया गया है ताकि उसमें उसकी पत्नी के आश्रित माता पिता को भी शामिल किया जा सके। अब यह सम्भव है कि माननीय मंत्री महोदय के विचार में कोई ऐसी स्थिति हो जिसमें श्रमिक की ससुराल वाले उस पर आश्रित हों, और इसीलिए, वे उसकी मृत्यु के बाद भी आश्रित ही बने रहेंगे। किन्तु यह कुछ विरोधात्मक स्थिति है, यदि श्रमिक के ससुराल वाले अपने पुत्र या अन्य संतानों पर आश्रित हो सकते हैं, तो वे उस परिवार विशेष पर आश्रित नहीं हो सकते हैं। यह स्थिति इसमें स्पष्ट नहीं की गई है और इसीलिए भाषा में थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, महोदय, '20 माह के वेतन' के स्थान पर '50,000 रुपये' प्रतिस्थापित कर दिया गया है। कोई भी यह प्रश्न कर सकता है कि यह अधिकतम सीमा क्यों रखी गई है। आखिरकार, यदि किसी व्यक्ति ने 20 महीने से अधिक समय तक काम किया है अथवा उसका वेतन 2500 रुपये से अधिक है तो ऐसी स्थिति में उसे कोई आर्थिक नुकसान नहीं होना चाहिये। इस विधेयक में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार उसे जितना मिलना चाहिये उतना उसे मिलना ही चाहिए। मेरे विचार से 50,000 रुपये की अधिकतम सीमा एक अनुचित अधिकतम सीमा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय अधिकतम सीमा की अवधारण को ही समाप्त कर देंगे किन्तु यदि वे ऐसा नहीं करते तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है और मैं पहले वाला सूत्र अर्थात् 20 महीने का वेतन रखना ही बेहतर समझता है।

इस सभा में अभिव्यक्त किये गये इस विचार से, मैं सर्वथा सहमत है कि 500 या 500 से अधिक व्यक्ति नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों में उपदान निधि बनाने की सीमा निर्धारित करना एक मनमानी है। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि यह अवधारणा सभी प्रतिष्ठानों पर, उनके आकार सम्बन्धी पाबंदी के बिना नहीं लागू की जा सकती है क्योंकि हर प्रतिष्ठान की एक निश्चित परिकलन क्षमता होती है।

इसलिये मेरा सुझाव है कि कहीं न कहीं समझौता होना चाहिये और अधिकतम सीमा केवल ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू की जानी चाहिए जहां 100 या 100 से अधिक व्यक्ति नियुक्त हों। 100 की संख्या काफी बड़ी है और यन्त्रीकरण के बढ़ने के साथ ऐसे और अधिक कारखाने बनेंगे जिनमें उत्पादन उतना ही रहने के बावजूद श्रमिकों की संख्या कम हो जायेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि उपदान निधि बनाने के लिए 500 व्यक्ति की संख्या को घटाकर 100 किया जाये।

इस विधेयक की धारा 7 के बारे में भी मुझे कुछ टिप्पणी करनी है। इस धारा में यह कथन कि नियोक्ता को उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को उपदान राशि देय है, देय होने की तारीख से एक महीने के भीतर, उपदान राशि का प्रबन्ध करना होगा यह स्पष्ट नहीं है। समय सीमा निर्धारित करना तो ठीक है। किन्तु मेरा प्रश्न यह है कि चूंकि यह संशोधित विधेयक किसी ऐसी तारीख विशेष से, जो सरकार निर्धारित और प्रकाशित करे, लागू होगी, किन्तु किसी को भी यह नहीं पता कि उपदान के ऐसे दावों के बारे में क्या होगा जो इस विधेयक के प्रभावित होने से पूर्व देय हो गये थे किन्तु उनका भुगतान नहीं किया गया है। इसलिये मेरा सुझाव है कि यदि कोई दावा उस दिन निर्णयाधीन हो, जिस दिन से यह विधेयक या इसका उपबन्ध प्रभावी होता है, तो ऐसे मामले में भी यह उपबन्ध विशेष "कि उसका भुगतान 30 दिन के अन्दर कर दिया जाये और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उस पर ब्याज देय होना चाहिए," ऐसे सभी मामलों पर लागू किया जाना चाहिये।

जहां तक धारा 8 का सम्बन्ध है मैं इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं कि जो नियोक्ता उपदान की अदायगी में दोषी पाया जाये, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसे अपने कर्मचारी के धन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इसके लिए कोई दाण्डिक उपबन्ध होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि सरकार को दर निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि दर किसी समय में विद्यमान बैंक दर से कुछ अधिक उदाहरण के लिए एक प्रतिशत अधिक होनी चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि धारा 8 में 9% वार्षिक की दर से के स्थान पर 'उस दर से जो केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करें' होना चाहिए। मैं सामान्यतः विधेयक का समर्थन करता हूं और यह आशा प्रकट करता हूं कि हम अपने देश में प्रबुद्ध श्रम विधि की परम्पराओं को बनाये रखेंगे और समय बीतने के साथ और अधिक अनुभव प्राप्त के साथ हम अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को परिष्कृत करते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति महोदय मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ माननीय श्रम मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत थोड़े समय में, कमियां हो सकती हैं, सही दिशा में कदम उठाने की कोशिश की है। उन्होंने श्रम कानून को अप-टू-डेट बनाने का प्रयास किया है।

सभापति जी, इन प्रयासों से यह तो सही है कि हमारे श्रमिकों, कर्मचारियों को लाभ पहुंचा है। इनसे सबसे बड़ा लाभ यह पहुंचा है कि हमारे देश में जो इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स हैं, वे पिछले वर्षों के मुकाबले में ज्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं। एक समय था, जब यह सुनते थे कि अगर कहीं पर हड़ताल हुई है, तो ध्यान उस तरफ जाता था कि यह हड़ताल उन मजदूरों ने की है जो ट्रेड यूनियन एक्ट और इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट से कवर होते हैं। लेकिन आज अगर अखबार पढ़ें तो मालूम होगा कि कहीं डाक्टरों की स्ट्राइक होती है, कहीं पर टीचर्स और इंजीनियर्स की स्ट्राइक होती है। इससे यह साबित होता है कि कम से कम जहां पर ट्रेड यूनियन एक्ट और इन्डस्ट्रियल एक्ट लागू हैं, आज वहां का वातावरण और वहां का इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स कह सकते हैं कहीं ज्यादा बेटर है। शासकीय कर्मचारियों ने स्ट्राइक का नोटिस दिया हुआ

[श्री के० एन० प्रधान]

है, यूनिवर्सिटीज के टीचर्स और इंजीनियर्स की स्ट्राइक चल रही है तथा डाक्टरों ने स्ट्राइक अभी खत्म की है। वे ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत में रजिस्टर्ड न हों लेकिन काम उनके सब ट्रेड बैसिस पर हो रहे हैं। तो उनको भी किसी डिस्प्यूट एक्ट के तहत में क्यों नहीं ले लेते। वे श्रम मन्त्री के अन्डर आ जाएं, तो उनके भी इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स अच्छे हो जाएं और उनके मसले भी हल हो जाएं। मैं श्रम मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश में इन्डस्ट्रियल रिलेशन्स को अच्छा बनाने का प्रयास किया है।

श्रीमन्, अभी बहुत सी बातें कही गईं और सभी इस बात पर सहमत हैं कि आपने अच्छा प्रयास किया है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। जितनी हम लोग आशा करते थे, उससे वह दूर रह गया है। पात्रता की बात सभी ने कही है और आपने 1600 से 2500 इसको बढ़ाया है लेकिन मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो 1600 रुपए की लिमिट थी, यह उस वक्त लिमिट थी, जब आप पूरे इस्टाब्लिशमेंट में देख लीजिए, शायद ही कोई इक्का-दुक्का एक्जीक्यूटिव ऐसा होता था, जिसकी तंख्वाह 1600 रु० से ज्यादा होती थी। इसका मतलब यह हुआ कि हर जगह काम करने वाले जितने लोग थे लगभग सभी लोग इस पात्रता में आ जाते थे। अब जैसे-जैसे वेज स्ट्रक्चर बढ़ा, इसकी लिमिट बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। बोनस एक्ट में लिमिट बढ़ाने का सवाल आया, तब भी 2500 रुपए की लिमिट की गई। हमारा जो आधार है, हमारा जो बेसिक कानून है और हमारी जो बेसिक एप्रोच है और हमारा जो 1600 रुपए की लिमिट करने का बेस था, वह बेस हमारा खत्म हो गया है। उस बेस पर बहुत ही ऊंचे एक्जीक्यूटिव इक्का-दुक्का हुआ करते थे और वे छूट जाते थे लेकिन बाकी जो थे उन सबको यह मिलता था। मेरा कहना यह है कि वही लिमिट आप कर दीजिए या लिमिट खत्म कर दीजिए। अगर आप 1600 की बेसिस पर देखेंगे, तो किसी फैक्ट्री में शायद ही दो, चार लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसी तरीके से 20 माह और 50 हजार रुपए के सवाल पर लोग बोले हैं लेकिन उसकी असल बात को कोई नहीं समझ पाया। मुझे ताज्जुब है कि हमारे श्रम मंत्री जी कैपिटेलिस्टों के चकमे में आ गये। वे क्यों आ गये। यह बार्गेनिंग होता है मजदूरों और मालिकों के बीच में। आज 15 दिन की ग्रेच्युटी हम देते हैं एक वर्ष में। कल बार्गेनिंग में एक महीना भी हो सकती है और हो सकता है कि अभी आप स्वीकार कर लें या अगली जो हमारी कान्फ्रेंस हो, उसमें यह स्वीकार हो जाए लेकिन उनके हाथ में आपने एक हैंडिल दे दिया कि अपर लिमिट बढ़ाने के लिए हम उनसे बात करने के लिए मजबूर हों। अगर आप 20 महीने की तंख्वाह रहने देते हैं, तो इससे मतलब हल नहीं होगा। आप अपने जवाब में कह सकते हैं कि जब 40 साल की सर्विस नहीं कर पाते हैं, तो अपर लिमिट की कोई कीमत नहीं रहती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब 18 साल से कम उम्र में कोई एम्प्लायमेंट में नहीं आता है। 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाए और 18 साल से शुरू करें, तब जाकर 40 साल का उसको मिलता है। पहले 16 साल की उम्र में लोग नौकर हो जाते थे, 15 साल की उम्र में लोग नौकर हो जाते थे लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है और इत्तिफाक से दो, तीन और चार लोग ही ऐसे निकलेंगे जिनकी सर्विस, 41, 42 और 45 साल की हो। तो उन्होंने क्या पाप किया है और दो, चार साल का जो उनका पैसा है, उस ग्रेच्युटी का हक उनका क्यों मारते हो। मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से भी यह लिमिट न्यायसंगत नहीं है और इस पर आपको विचार करना पड़ेगा।

साथ ही साथ यह जो 15 दिन वाली बात है, पूरे हाऊस के जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, वे इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से आज के जमाने में 15 दिन के हिसाब से एक वर्ष में ग्रेच्यूटी देना न्यायसंगत नहीं होगा और निश्चित रूप से इसको एक महीना करने पर आपको विचार करना चाहिए। इसी तरीके से समय पर भुगतान न करने की बात सभी ने कही है और अगर वे समय पर

भुगतान नहीं करते हैं, तो आप उनसे इन्ट्रेस्ट ले लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रोविजन का उद्देश्य डेटरेन्ट होना चाहिए ताकि उसको वैसा करने से आप रोक सकें। अगर हम उनको नहीं रोक पाए और एक आदमी रिटायर हो जाए और वह मर जाए, उनके बच्चे मारे-मारे फिरें और उनको ग्रेच्युटी न मिल पाए तो फिर इसका क्या लाभ। पहले आपने इंट्रेस्ट का प्रोविजन नहीं रखा हुआ था, अब इंट्रेस्ट का प्रोविजन रखने के बाद भी अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो इस प्रोविजन का हमारे मजदूरों को क्या लाभ होने वाला है ? हमारे बहुत से कंसर्न हैं जिनमें बहुत से मजदूर हैं ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रधान, आप अगली बार बोल सकते हैं।

———

3.30 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम 'गैर-सरकारी सदस्यों' के कार्य लेते हैं।

श्री जंगा रेड्डी

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 29 जुलाई, 1987 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 जुलाई, 1987 को सभा में प्रस्तुत और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

सभापति महोदय : अब विधेयक पुरःस्थापित किये जाएंगे—श्रीमती बसवराजेश्वरी।

कृषि कर्मकार (न्यूनतम मजदूरी तथा कल्याण) विधेयक*

[अनुवाद]

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का संदाय तथा उनके कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहती हूं।

*दिनांक 31-7-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

समापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का संदाय तथा उनके कल्याण के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक*

(धारा 2 में संशोधन आदि)

[अनुवाद]

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति (विशाखापटनम) : मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

समापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

लोक नियोजन (चयन का क्षेत्र, अधिवासिक अपेक्षा और स्थानांतरणीयता) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक नियोजन के लिए अधिवासिक अपेक्षा और स्थानांतरणीयता का अवधारण करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"लोक नियोजन के लिए अधिवासिक अपेक्षा और स्थानांतरणीयता का अवधारण करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*दिनांक 31-7-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

निराश्रित तथा निर्धन (भरण-पोषण पुनर्वास) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निराश्रितों तथा निर्धनों के भरण-पोषण तथा पुनर्वास के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निराश्रितों तथा निर्धनों के भरण-पोषण तथा पुनर्वास के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय विश्वास : मैं विधेयक पुरःस्थापित@ करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 263 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 31-7-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

@राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(सातवीं अनुसूची में संशोधन)

[अनुवाद]

डा० सी० एस० वर्मा (खगरिया) : मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० सी० एस० वर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 333क का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

चौधरी लच्छीराम (जालौन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[हिन्दी]

चौधरी लच्छी राम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.34 म० प०

गोवा, दमन और दीव राज्य विधेयक

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं गोवा, दमन और दीव राज्य की स्थापना और उससे संबंधित

*दिनांक 31-7-1987 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गोवा, दमन और द्वीव राज्य की स्थापना और उससे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शांताराम नायक : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

3.35 म० प०

श्री जी० एम० बनातवाला का

बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 10 अप्रैल, 1987 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि देश से बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए एक योजना का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता महोदय, 1980 में लगभग 16 करोड़ से ऊपर हमारे देश के अन्दर किसी न किसी रूप में ऐसे लोग हैं जिनके पास पूर्ण रोजगार नहीं है या बिल्कुल रोजगार नहीं है। यदि आज हम अपने एंप्लायमेंट एक्सचेन्जिज के रजिस्टर्स को लें तो उनके अनुसार भी करीब 16 मिलियन लोग 1980 में बेरोजगार लोग दर्ज हैं, यह संख्या बढ़कर 1986 में करीब 28 मिलियन के करीब हो गई है। इससे जाहिर होता है कि हमारे सारे कार्यक्रमों और कोशिशों के बावजूद बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह भी हकीकत है कि कुल बेरोजगारों में से बहुत कम लोग अपना नाम इन कार्यालयों में दर्ज कराने जाते हैं, क्योंकि गांवों में लोगों के पास ऐसी सुविधा नहीं है और न इतना पैसा होता है कि वे शहरों में आकर अपना नाम बेरोजगार कार्यालय में दर्ज करा सकें।

बेरोजगारों की समस्या के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समस्या धीरे-धीरे हमारे सामाजिक राजनीतिक और लोकतांत्रिक परिवेश के लिए एक प्रकार का खतरा बनती जा रही है और इसके निदान के उपाय हमको और सरकार को समय पर करने चाहिए। अगर इसका उपाय समय पर नहीं करेंगे तो इसके दुष्प्रभाव हम सबको भुगतने पड़ेंगे। अगर लोगों को कोई न कोई रोजगार नहीं मिला तो यह समाज के लिए और सरकार के लिए हानिकारक होगा। इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। इस बारे में मेरा निवेदन है कि जितने भी लोगों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं उन सबको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। यह भी देखने में आता है कि जिन लोगों को नौकरी के लिए इन्टरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसमें भी लोगों का काफी खर्चा हो जाता है। को 10-10, 15-15 बार इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, एक बार जाने से तो नौकरी मिल नहीं जाती। इसलिए जिस तरह से हरियाणा

[श्री हरीश रावत]

सरकार ने आदेश दिए हैं उसी तरह से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को भी वह खर्च वहन करना चाहिए, या वह संस्थान वह खर्च वहन करे जो इन्टरव्यू के लिए बुलाता है। इसके लिए राष्ट्रीय कोष की भी स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास तो सीमित साधन हैं, इसलिए इस तरह का कोष स्थापित करना चाहिए और जो लोग अंशदान दे सकते हैं, उनको अंशदान देने के लिए बाध्य करना चाहिए। जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उनको बाध्य करना चाहिए।

बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यह है कि कहीं न कहीं त्रुटि है। एक तरफ हम दावा करते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है, दूसरी तरफ उसी के अनुपात में बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि उस पर नियन्त्रण होना चाहिए था, लेकिन उससे उल्टा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं पर हमारी योजनाओं में त्रुटि है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। या तो हमारी औद्योगिक नीति में कुछ त्रुटि है कि हम ऐसे सैक्टर्स खड़े नहीं कर पा रहे हैं जिनमें हम लोगों को काम दे सकें। हमने माडर्नाइजेशन के नाम पर, टैक्नोलाजी के अपग्रेडेशन के नाम पर औद्योगिक घरानों को बहुत छूटें दी हैं। इन छूटों का लाभ लेकर वे इस तरीके से काम कर रहे हैं जिसके दुष्प्रभाव से हर साल लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस पर प्रतिबन्ध होना चाहिए। जिन लोगों को बड़े-बड़े कर्जे दिये जा रहे हैं, उनके ऊपर यह बाध्यकारी नियम होना चाहिए कि वे लोग उन लोगों की छटनी न करें बल्कि जितना धन उनको सरकार या वित्तीय संस्थाएं देती हैं, उसी एवज में वहां लोगों को रोजगार में लगायें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि माडर्नाइजेशन के नाम पर, नई टैक्नोलाजी के लगाए जाने के नाम पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की छंटनी करेंगे तो बेरोजगारी की समस्या और ज्यादा भयावह हो जायेगी। नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार लगभग अस्सी प्रतिशत लोग गांवों में बेरोजगार हैं। गांवों में जो सीमान्त कृषक हैं, उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। जब तक उनकी हालत नहीं सुधारेंगे, कृषि को सही स्वरूप प्रदान नहीं करेंगे, जिससे छोटे और साधारण किसान के लिए लाभकारी बन सके। गांवों में ग्रामीण ऋण व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं करेंगे, भूमि सुधार कानूनों को कड़ाई से लागू नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में जो ग्रामीण बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने का दूसरा उपाय नहीं सोच सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए और भूमि सुधार कानूनों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि जो सीमान्त और लघु कृषक हैं, उनकी भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम बनें, ज्यादा से ज्यादा नीतियां बनें। आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० या ट्राइसेम जैसी जितनी योजनाएं हैं, उनमें हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, बेरोजगार लोगों को काम देने का वह पूरा नहीं हो पा रहा है। उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिस मशीनरी को हमने सौंपी है, वह मशीनरी अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित नहीं है। हमें यह देखना पड़ेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली जो मशीनरी है वह समर्पित भावना से काम करे और यह देखे कि जो ऋण दिया जा रहा है, उस ऋण की पूरी राशि मिले और उसका सदुपयोग ठीक तरीके से हो और वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लायक बन सके। जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको बैंक से ऋण देने की व्यवस्था की गई है। इतना कम पैसा दिया जाता है, इतनी कम सहायता दी जाती है, मैं नहीं समझता कि वह उनके लिए लाभकारी हो रही है। बहुधा यह देखने में आया है कि शिक्षित बेरोजगारों के परिवारों की स्थिति सुधरने के बजाय और दयनीय हुई है। वित्तीय संस्थाओं को कहा जाना चाहिए कि ऋण देने की जो पालिसी है चाहे ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में हो, उसको इस प्रकार से संशोधित करें कि वह लोगों के लिए फायदेमन्द हो सके, तभी हम बेरोजगारों की समस्या का समाधान कर पायेंगे। मैं इन शब्दों के साथ बनातवाला जी के विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : माननीय सभापति जी, जहां मैं माननीय श्रम मन्त्री तथा श्रम विभाग को इस महत्वपूर्ण बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं वहीं देश में नियोजन की समस्या, एम्पलायमेंट की समस्या जिस प्रकार से उग्र रूप धारण करती जा रही है, उस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समस्या की ओर वैसे तो कई माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट कराया है और यह बात सत्य है कि जिस प्रकार हमारे यहां लगातार एक के बाद बड़े कारखाने/संस्थान बन्द होते जा रहे हैं, उनमें काम करने वाले मजदूरों, उन मजदूरों पर आश्रित परिवारों और उस टाउनशिप एरिया के दुकानदारों सहित अनेक व्यक्तियों के सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी होती जा रही है। यह समस्या दिन-प्रति-दिन भयंकर और जटिल होती जा रही है।

उदाहरण,के लिए मैं सदन का ध्यान डालमिया नगर फैक्टरी की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां 15-20 हजार मजदूर काम करते थे, आज उस फैक्टरी के बन्द हो जाने के कारण लाखों लोगों के सामने नियोजन की और रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। उसी तरह जपला सीमेंट फैक्टरी में भी लगभग साढ़े चार हजार मजदूर काम करते थे और उस फैक्टरी के बन्द हो जाने से भी, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जो उस फैक्टरी के सहारे अपना जीवन निर्वाह करते थे। इतना ही नहीं, बिहार की अन्य बहुत-सी फैक्टरियां किसी-न-किसी उपेक्षा का शिकार होकर बन्द हो गई हैं और होती जा रही हैं। यहां मैं सदन का ध्यान भैली रिफ्रैक्टरी की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें लगभग 1500 मजदूर काम करते हैं और उनके द्वारा ट्रेड यूनियन का अधिकार मांगे जाने पर उस रिफ्रैक्टरी के प्रबन्धकों ने उन लोगों को काम से हटाना शुरू कर दिया। नतीजे के तौर पर वहां स्ट्राइक हो गई। न केवल मजदूर काम से हटाये गये बल्कि प्रबन्धकों द्वारा उन्हें गुण्डों से पिटवाया गया, उनके विरुद्ध पुलिस केस बनाए गए और नाना प्रकार के जुल्म ढहाये गये। इतना ही नहीं, श्रम विभाग का भी उन मजदूरों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा जिससे उनकी समस्या निरंतर उग्र रूप धारण करती गई। हाल ही में जब प्रबन्धकों ने चाहा तो वहां "लॉक आउट" कर दिया और सरकार ने भी उसकी मंजूरी दे दी। प्रबन्धकों ने चाहा कि स्ट्राइक को इल्लीगल घोषित करके बैन कर दिया जाए तो सरकार ने उसकी भी अनुमति प्रदान कर दी। सभी ओर से परेशान होकर, जब मजदूर काम पर वापस आये तो प्रबन्धकों को फिर असुविधा होने लगी और उन्होंने छांटने की नीयत से उनको काम से हटाना शुरू कर दिया। आज स्थिति यह है मालिक लोग अपने मन से फैक्टरी को बन्द किये बैठे हैं, उसका कारण यह भी है कि वे उस टैक्स को बचाना चाहते हैं जो काले धन पर उन्हें देना पड़ेगा जो धन उन्होंने गुण्डों पर खर्च किया, पुलिस केस बनाने में लगाया, या दूसरे भ्रष्ट हथकण्डे अपनाने में व्यय किया। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार उस फैक्टरी के मालिकों के व्यवहार की निष्पक्ष जांच कराये ताकि मजदूरों को उनका हक मिल सके। यदि इसी प्रकार से मजदूरों के हकों को नजरअंदाज किया जाता रहेगा तो हमारे यहां नियोजन की समस्या लगातार उग्र रूप धारण करती जाएगी।

हमारे सामने आज जो रूरल अनएम्पलायमेंट की समस्या है उसको काफी हद तक सुलझाया जा सकता है, आर्टिसन इंडस्ट्रीज, पैतृक या परम्परागत उद्योगों के माध्यम से इस समस्या को हल किया जा सकता है। हमारे यहां छोटा नागपुर जैसे आदिवासी और हरिजन बाहुल्य क्षेत्रों में विशाल खनिज के भण्डार उपलब्ध हैं, जिन पर आधारित कई छोटे-बड़े उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि उन स्थानों पर परम्परागत उद्योगों को विकसित किया जाए, उससे हमें एम्पलायमेंट की समस्या के समाधान में काफी सहायता मिलेगी। वैसे ही हमारी कोयला खदानों और अन्य खदानों में केन बास्केट्स का उपयोग बहुतायत से होता है और वे करोड़ों की संख्या में काम आती हैं। इसको बनाने में किसी विशेष कारीगरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि इन केन बास्केट्स को बनाने के काम में हम कुछ लोगों को नियोजन दे

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

दें तो उससे भी हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है और उनकी समस्या दूर हो सकती है।

खासकर कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों का मुझे मालूम है, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस इन्डस्ट्री में काम करने के लिए बैम्बू मैटिंग की आवश्यकता पड़ती है और करोड़ों रुपये की बैम्बू मैटिंग की व्यवस्था करनी होती है। वह भी कोई कारीगरी नहीं है। खदान में काम करने के लिए बांस की बनी चटाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इस काम में अगर लोगों को नियोजित करने की कोशिश करें तो जो भूमिहीन हैं, भूमिपुत्र हैं उनको बड़ी संख्या में नियोजित कर सकते हैं और रूरल अन-एम्पलायमेंट की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

टूल हैंडिल बनाने के लिए भी करोड़ों रुपये के सामान खरीदे जाते हैं। इस काम में अगर वहां के रूरल अन-एम्पलायड नौजवानों को लगायें जो कि बढ़ई का काम करते हैं जो बेलचा बनाने का काम कर सकते हैं, जो कुदाल के बेस बनाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग लग सकते हैं। इसी तरह कारपेट का काम है, दर्जी का काम है। जो बड़े-बड़े संस्थान हैं, जैसे सिन्दरी है, हटिया है, भारत कोकिंग कोल है, या दूसरे हैं उनमें करोड़ों रुपये की यूनिफार्म वगैरह की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोगों को दर्जी का काम देकर नियोजित करें तो बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं इस बारे में आपका ध्यान आकर्षित कर सका।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं जानता हूं कि बेरोजगारी कोई नई समस्या नहीं है। इस सभा में बेरोजगारी के सम्बन्ध में कई बार चर्चा की गई है। ऐसा नहीं है कि श्री बनातवाला द्वारा यह विधेयक पुरःस्थापित करने से या इस समस्या के बारे में मेरे कुछ कहने मात्र से इसका समाधान हो जाएगा। यह समस्या बहुत बड़ी है और हमारे अथक प्रयासों के बावजूद कई वर्षों तक इसका समाधान नहीं हो सकता। यह एक कड़वा सच है जिसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते।

जब कभी कोई सदस्य गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पुरःस्थापित करता है, उसके पीछे उसका इरादा सरकार को नए कानून का ढांचा या वर्तमान कानून में संशोधन करने का तथा यह बताना होता है कि इसमें कहां कमी है। ऐसे कुछ विधेयक हैं जो वर्तमान कानून में संशोधन करने या नया विधायी विचार देने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन जब कभी विधायी प्रस्तावों के साथ वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं तो मामला गम्भीर हो जाता है। जब तक श्री बनातवाला जी स्पष्ट रूप से और पूरी जिम्मेदारी से यह नहीं बताते कि विधान किस तरह हर दृष्टिकोण से प्रभावी हो सकता है, पैसा कहां से आएगा, बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आम आदमी तथा सभी वर्गों के लोगों पर कितना अतिरिक्त कर लगाया जाएगा तब तक विधेयक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक विधेयक बनाया जा सकता है अथवा विचार प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है। लेकिन इस विधेयक से अधिक महत्व उसके वित्तीय पहलू का है। और इस सम्बन्ध में विधेयक में कमियां हैं।

यदि आप विधेयक के खंडों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इस विधेयक के मुख्य पहलुओं नियम बनाने के आसरे छोड़ दिया गया है। खंड 7 को देखने से पता चलता है कि इसमें धारा 6 के

अन्तर्गत बेरोजगारी बीमा योजना के लिए अंशदान की दर के सम्बन्ध में तथा धारा 4 में उल्लिखित बेरोजगारी भत्ते की दर के सम्बन्ध में नियम बनाने का उपबन्ध है तथा योग्यता और कुशलता के आधार पर विभिन्न दरें निर्धारित की जा सकती हैं।

अतः प्रत्येक बात नियम बनाने की परवर्ती शक्ति द्वारा तय की जाती है। इसलिए प्रस्तावक का उद्देश्य क्या है ? इस विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि योजना की रूपरेखा कैसे बनाई जाएगी, धन कहां से आएगा और इस विधान के जरिए हम बेरोजगारी का उन्मूलन कैसे कर पाएंगे। इसलिए इस दृष्टि से यह विधेयक अधूरा है। दूसरे, आज आवश्यकता इस बात की नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाए क्योंकि यह देश इसका भार वहन नहीं कर सकता। हम नहीं चाहेंगे कि एक बेरोजगार व्यक्ति के पास बिल्कुल पैसा न हो, हम चाहते हैं कि उसके पास कुछ पैसा होना चाहिए किन्तु हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत जैसे विशाल देश के लिए ऐसा सम्भव नहीं है। अतः हमें अपनी वर्तमान रोजगार प्रणाली में सुधार करना होगा। उदाहरण के लिए हमने नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे क्या तर्काधार है। मैंने इस बारे में पहले भी बताया है। इस समय प्रत्येक विभाग को व्यक्तिगत मामलों से वह प्रतिबन्ध हटाने के लिए सरकार को आवेदन करना पड़ता है। अपवादात्मक परिस्थितियों में प्रतिबन्ध हटा दिया जाता है। अतः मैं तो यही कहूंगा कि जब तक किसी विभाग विशेष में जहां कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, कोई खास वजह न हो हमें सब जगह प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। दूसरे जरूरत इस बात की है हमें यह देखना होगा कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सभी रोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार कम हो। मैं यह नहीं कहूंगा कि सभी रोजगार कार्यालयों में विद्यमान हर तरह का भ्रष्टाचार दूर किया जाना चाहिए क्योंकि व्यवहारिक रूप से ऐसा करना कठिन है। उस बारे में वक्तव्य देना बहुत आसान है। किन्तु मैं कहूंगा कि रोजगार कार्यालयों में जितना भी भ्रष्टाचार है उसे कम किया जाए ताकि जो भी व्यक्ति रोजगार पाना चाहता है उसे पता हो कि रजिस्टर में उसकी स्थिति/नम्बर क्या है, उसका नाम साक्षात्कार के लिए सम्बन्धित विभाग को कब तक भेजे जाने की सम्भावना है। जिससे जनता को विश्वास में लिया जा सके। तीसरे, हमारे यहां सभी खंडों या सभी विभागों में भर्ती के अपने नियम हैं। हमारे भर्ती सम्बन्धी कानूनों के दोषपूर्ण होने के कारण ही कई मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। यदि भर्ती सम्बन्धी नियम स्पष्ट हों तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह चपरासी के पद पर रोजगार पाना चाहता है या उच्च पद पर जाना चाहता हो, उसको पता होता है कि उसे किस तरह से रोजगार मिलेगा। तब हम अपनी जनता को शिक्षित कर सकते हैं। तब उस बारे में असंतोष बहुत कम हो जाएगा। ऐसा करने से हम जनता को रोजगार के इस पहलू के बारे में बता पाएंगे। इसमें संदेह नहीं कि यह सब चीजें अल्पकालिक हैं किंतु यदि हम इनका कार्यान्वयन करें तो इसका अर्थ होगा कि हम उन लोगों को विश्वास में ले रहे हैं जो रोजगार की तलाश में हैं, जिनका नाम प्रतीक्षा सूची में है। इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। अभी भी दो सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इस विधेयक के बारे में बोलने की इच्छा व्यक्त की है। मंत्री महोदय को भी बोलना है और विधेयक के प्रस्तावक को भी उत्तर देना है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इसका समय एक घंटा और बढ़ा देना चाहिए। हम पहले ही सात घंटे लगा चुके हैं। क्या सभा इससे सहमत है कि समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : अतः समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है। अब श्री टी० बशीर बोलेंगे।

4.00 म० प०

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, मैं श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा प्रस्तुत किए गए बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक का समर्थन करता हूं। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। प्रत्येक सत्र में हम बहुत-सी समस्याओं पर तत्काल चर्चा करते हैं—देश में साम्प्रदायिक दंगे और हिंसा आदि। परन्तु मैं समझता हूं कि हम बेरोजगारी की समस्या को उतना महत्व नहीं देते जितना कि देना चाहिए। हम देश में इस समस्या के परिमाण को जानते हैं। योजना आयोग के सदस्य इस समय आठवीं पंचवर्षीय योजना के विस्तृत मापदण्ड तैयार कर रहे हैं। मेरी आशा है कि आठवीं योजना की विकास नीति में बेरोजगारी को भी उचित महत्व दिया जाएगा।

मैं युवा आन्दोलन में, निस्संदेह युवा कांग्रेस और इससे सम्बद्ध विंग आदि में, कार्यकर्ता रहा हूं। मैं देश के युवाओं, शिक्षित एवं अशिक्षित ग्रामीण युवाओं के विचारों को जानता हूं। वे अपनी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेरोजगारी के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 123 लाख शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति थे। इस समय देश में 300 लाख से अधिक बेरोजगार व्यक्ति हैं। प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों की इसमें वृद्धि हो जाती है। अल्प बेरोजगारी की समस्या भी हमारे यहां है। यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे यहां काफी ज्यादा बेरोजगारी है। सभी व्यक्ति जानते हैं कि अत्यधिक बेरोजगारी देश की शांति के लिए खतरा है। अत्यधिक बेरोजगारी देश के सामाजिक-आर्थिक कार्यों में रुकावट डाल सकती है। अतः इस समस्या का परिमाण एकदम स्पष्ट है।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि यदि हम इस समस्या पर तुरन्त ध्यान नहीं देंगे तो निश्चय ही देश का भविष्य अन्धकारमय है। हमारे युवा लोग बहुत ही परेशान हैं। हम जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों में कुछ ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जो परेशान करने वाली हैं। इनका एक कारण बेरोजगारी की स्थिति भी है।

महोदय, इस संदर्भ में, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारे जैसे देश में, जिसका उद्देश्य समाजवाद लाना है, काम करने के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने का उत्तरदायित्व भी ले। मैंने कहा है कि इस तरह की 'बेरोजगारी' को 'सामूहिक बेरोजगारी" भी कहा जा सकता है। सामूहिक बेरोजगारी को सामूहिक स्तर पर परियोजनाएं एवं योजनाएं लागू करके हल किया जा सकता है ताकि सामूहिक रोजगार दिलाया जा सके। महोदय, हमने शिक्षित युवाओं के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं ग्रामीण निर्धनों को रोजगार दिलाने में मदद करती हैं। परन्तु इन योजनाओं से स्थायी रूप में समस्या हल नहीं हो सकती। इससे अस्थायी तौर पर तो स्थिति में सुधार होगा परन्तु यह कोई स्थायी हल नहीं होगा।

महोदय, स्व:रोजगार योजना में बैंकों की खराब सेवा सभी के लिए चिन्ता की बात है। आप इस बात पर मुझसे सहमत होंगे कि शिक्षित युवाओं में उद्यमी भावना पैदा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली से सहायता एवं मदद दी जानी आवश्यक है। बैंकों का रवैया बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। यह बहुत ही निराशाजनक है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए तथा देश के बेरोजगार युवाओं को बैंक की मदद एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

महोदय, मैं उस राज्य का हूं जहां पर बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है। मैं केरल राज्य से हूं। महोदय, केरल में रोजगार कार्यालय में दिसम्बर, 1984 तक 24,58,000 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इनमें से सिर्फ 11,500 व्यक्तियों को ही रोजगार

कार्यालय के माध्यम से एक वर्ष में रोजगार दिलाया गया। महोदय मैं कहूंगा कि हमारे राज्य में नौकरी के अवसर बहुत ही कम हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस राज्य में खेती के क्षेत्र में रोजगार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। केरल में समस्या सुलझाने का तरीका है, राज्य का शीघ्रता से औद्योगिकीकरण करना। अतः मैं चाहूंगा कि मंत्री जी केरल के बारे में इस मुद्दे को ध्यान में रखें।

महोदय, विधेयक में सुझाव दिया गया है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिये। मैं बता सकता हूं कि केरल राज्य बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देता है। इसी प्रकार से, कुछ और राज्य भी बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। इस संदर्भ में, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कराये जाने तक बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की योजना को लाये।

महोदय, इन शब्दों के साथ इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं अपने सहयोगियों का समर्थन करता हूं।

हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : सभापति जी, यह बिल जो बनातवाला जी ने प्रस्तुत किया है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे देश में अनएम्प्लायड लोगों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और 1980 में एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज में जो लोगों ने अपने नाम रजिस्टर करवाए थे, उनकी संख्या 16.2 मिलियन थी जबकि 1985 में यह बढ़कर 25.2 मिलियन हो गई है। इस प्रकार से 62 प्रतिशत की दर से बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन सही बात यह है कि इतने बड़े देश में मुश्किल से 25, 30 परसेंट लोग ही ऐसे हैं, जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज में अपने नाम दर्ज कराते हैं बाकी करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग पड़े हुए हैं, जिनके नाम रोजगार दफतरों में नहीं हैं लेकिन वे बेरोजगार हैं। इस बिल में यह मुद्दा उठाया गया है कि प्रत्येक परिवार में जो अनएम्प्लायड है, उसको एलाउन्स दिया जाए। मेरे ख्याल से बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, या जो कदम सरकार उठा रही है, उनसे काफी हद तक लोगों को रोजगार मिल रहा है लेकिन एलाउन्स देने का मतलब यह होगा कि सरकार के एक्सचैकर पर ऐसा बोझ पड़ेगा जिससे इस देश में इंफ्लेशन बढ़ेगा, वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे और महंगाई बढ़ेगी और कुल मिलाकर जितनी राहत बेरोजगारों को देंगे उससे कई गुना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा और महंगाई का बोझ हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। इसलिए मैं बिल के इस प्रोविजन से सहमत नहीं हूं। इससे समस्या के सुलझने के बजाए और दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और इसका भार देश के सारे लोगों के कंधों पर पड़ेगा। अलबत्ता एम्प्लायमेंट को दूर करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनमे जहां-जहां खामियां हैं, उन्हें दूर किया जाये और इसे और उपयोगी बनाया जाए। जहां तक बेरोजगारी से समाज में सोशल और एकोनामिक टेंशन बढ़ने का सवाल है, इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे-जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी, समाज में कानून व व्यवस्था को चुनौती देने वाली अपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ेगी और इसलिए अनएम्प्लायमेंट की प्राब्लम को सोल्व करने में जितनी तेजी से हम कार्य कर सकें, वह हमें करना चाहिए। अभी देखा गया है कि सरकार ने जो बेरोजगारी दूर करने के कार्यक्रम हाथ में लिये हैं, उनमें निश्चित अनुपात नहीं है प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव सर्विसेज का और समाज कल्याण के नाम पर और काफी हद तक कानून और व्यवस्था के नाम पर अनप्रोडक्टिव सर्विसेज में वृद्धि की गई है और प्रोडक्टिव सर्विसेज का जो क्षेत्र है, जो दायरा है, उसको सीमित कर दिया गया है।

मैं माननीय बनातवाला जी से इस बात पर रजामंद नहीं हूं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए जो

[डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी]

माडर्न टेक्नोलोजी इम्पोर्ट की जा रही है, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। यह बात सही इसलिए नहीं है कि दुनिया की मार्केट के लिए जिस वस्तु का भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसे कम्पीटीटिव होना होगा, इकोनोमिकल होना होगा। तभी हम दुनिया की मार्केट में उस सामान को भेजकर देश के फारेन एक्सचेंज के क्राइसिस को दूर कर सकेंगे। इसलिए माडर्न टेक्नोलोजी देश के विकास के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बेलेंस करने के लिए, दुनिया के बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ हमें करोड़ों की तादाद में लोगों को रोजगार देने के लिए अपने कुटीर उद्योगों को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए।

मेरा ख्याल है कि सरकार ने ट्वन्टी प्वाएंट प्रोग्राम के तहत, खादी ग्रामोद्योग के तहत और अन्य तमाम योजनाओं के तहत इस बात की पूरी कोशिश की है और वह कोशिश करती जायेगी जिससे कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले तमाम लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हों।

मैं इसी संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि बेरोजगारी दूर करने के क्रम में, भारत के तमाम कल-कारखाने, चाहे वे स्माल स्केल में हों, लार्ज स्केल में हों, चाहे वे हैवी इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज हों, पावर शार्टेज की प्राब्लम फेस कर रहे हैं। चाहे किसी भी राज्य के उद्योगों को हम ले लें जिनमें कि करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिनमें हजारों की तादाद में मजदूर लगे हैं, वे कारखाने जिन्हें तीन शिफ्ट में चलना चाहिए था वे पावर शार्टेज की वजह से दो शिफ्ट में चल रहे हैं, जिन्हें दो शिफ्ट में चलना चाहिए था वे एक शिफ्ट में चल रहे हैं। इसलिए सरकार को इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि पावर शार्टेज की वजह से इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर नियन्त्रण पाया जाए और देश में इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए। मेरा पक्का विचार है कि इससे देश की बेरोजगारी की समस्या पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं।

यह सही है कि हमारे देश में एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा उद्योग है। लेकिन गांवों से शहरों की ओर जो पापुलेशन का माइग्रेशन हो रहा है जिसकी वजह से बनातवाला साहब ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसका कारण यही है कि अरबन एरियाज की तुलना में रूरल एरियाज में अनएम्प्लायमेंट ज्यादा है। ग्रामीण अंचलों में उतना विकास नहीं हुआ है, वहां वे सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो शहर के लोगों को मिलती हैं। अगर वे सारी सुविधाएं वहां मिल जाएं और जितनी मजदूरी शहरों में मिलती है, अगर उससे कुछ ही कम गांवों में भी मिल जाए तो भारी संख्या में लेबर गांवों से शहरों में एम्प्लायमेंट की तलाश में आने से वहीं रुक जाए। इससे ग्रामीण अंचलों का विकास भी काफी हद तक होगा और शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ भी कम होगा।

मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को माडर्न विलेज डवलप करने चाहिएं और 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे बिन्दु बनाये जाने चाहिएं जहां, शिक्षा, चिकित्सा, छोटे उद्योग स्थापित करने, संचार के साधनों की, यातायात के साधनों की, एन्टरटेनमेंट की सुविधाएं हों। इससे सरकार उस माइग्रेटिड पापुलेशन को रोक सकती है जो कि रोजगार की तलाश में शहरों में आ रही है। इस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या तो हल होगी ही, गांवों का विकास भी होगा और देश की तरक्की भी होगी।

सरकार ने छोटी तहसीलों में, छोटे जिलों में विकास अधिकरण और हाउसिंग बोर्ड बनाये हैं और अन्य योजनाओं को शुरू किया है। इससे ग्रामीण अंचलों में लोगों की आवासीय समस्या का समाधान होगा और साथ ही साथ लोगों को काफी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। लेकिन मैं एक निवेदन

करना चाहूंगा। ये जो हमारी आई०आर०डी०, एन०आर०ई०पी०, आर०एल०ई०जी०पी० जैसी योजनाएं हैं, हमारे सारे क्रेश प्रोग्राम हैं, ये सब ग्रामीण अंचलों में छोटे, गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए हैं जिससे कि वे काम कर दैनिक मजदूरी पाएं और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाएं तथा अपने खर्च को चलाएं। मान्यवर, ये सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन जो इनकी मंशा है कि ग्रामीण अंचलों में ट्रेन, सड़क बना दी जाए, प्राइमरी स्कूल, चिकित्सा सेन्टर बना दिए जाएं तथा बांध बनाकर, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, खाद-बीज के गोदाम बनाकर दैनिक मजदूरी पर मस्टर रोल बनाकर मजदूरों को काम दिया जाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका सारे देश में बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। बजाए मस्टर रोल पर मजदूरों को काम देने के इन योजनाओं में कांट्रेक्टर्स काफी संख्या में घुसे हुए हैं और ये बिचौलिए उन मजदूरों की मजदूरी, बेरोजगारों का रोजगार छीन रहे हैं। सरकार को इस ओर तवज्जह देनी चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए कि जो योजना बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बनाई गई है, उसका सही उपयोग हो सके।

इस संदर्भ में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतःरोजगार योजना खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत 25 हजार रुपए की लिमिट रखी गई है, अभी बताया गया है कि इसको 35 हजार रुपए कर दिया गया है, लेकिन इतने से भी बिल्डिंग बनाना मशीनें लाना, प्रोडक्शन करना, इतने काम सम्भव नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस लिमिट को और बढ़ाया जाए ताकि बेरोजगार स्नातकों को सैल्फ एम्प्लायमेंट स्कीम के तहत रोजगार मिल सके। इसी तरह से जो संस्थाएं बेरोजगारों को कर्ज देती हैं, उनमें भी सुधार होना चाहिए, ताकि ऋण जल्दी प्राप्त हों।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि बेरोजगारी की समस्या किसी कानून या किसी भाषण से हल नहीं होगी जब तक इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर हम लोग रोक नहीं लगा देंगे। जितने भी कार्यक्रम पापूलेशन कंट्रोल के चलाए गए हैं वे इनइफैक्टिव हैं, तमाम फर्जी रिपोर्टें पेश करके इस देश को गुमराह किया जा रहा है, इस प्रोग्राम की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और तभी इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकेगा।

[अनुवाद]

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, बनातवाला जी द्वारा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये जो विधेयक रखा गया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं इसके द्वारा सदन में बेरोजगारी की समस्या पर लगभग 8 घन्टे की चर्चा करने का अवसर मिला। बेरोजगारी हमारे लिए एक विशाल समस्या है, यह राष्ट्रीय समस्या है। मेरा श्री बनातवाला जी से इस बात पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है कि हमें देश से बेरोजगारी दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। यह हम सब की इच्छा है। लेकिन मेरा मतभेद बनातवाला जी से एक ही मुद्दे पर है, वह तरीका जिससे हम देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में समर्थ हो सकेंगे।

सदन में चर्चा के दौरान यह तथ्य उजागर हुए कि देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 31 दिसम्बर, 1986 तक 301 लाख व्यक्ति पंजीकृत थे। मैं सदन में यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत नामों को सही नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि उनमें दर्ज सभी व्यक्ति बेरोजगार हों। और ऐसा सरकार द्वारा किए गये सर्वेक्षण से पता चला है। ऐसा इस लिए है क्योंकि रोजगार कार्यालय के रजिस्टरों की समीक्षा प्रत्येक तीन वर्ष बाद की जाती है और इस तीन वर्ष की अवधि में बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाता है। हमने यह भी पाया कि बहुत से विद्यार्थी जो कि कालिजों या स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं और अपना पंजीकरण भी करा देते हैं और अध्ययन जारी रखते हैं। इसलिए हमें रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों को प्रमाणिक नहीं मानना चाहिए।

[श्री पी० ए० संगमा]

हमें योजना दस्तावेज के आंकड़े को ही लेना चाहिये। योजना दस्तावेजके अनुसार, जो कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 38 वें दौर पर आधारित हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 92 लाख थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 393.8 लाख व्यक्तियों की इसमें वृद्धि हो जाएगी। इससे सातवीं पंच वर्षीय योजना में देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या लगभग 485.8 लाख मोटे तौर पर 480 लाख हो जायेगी। योजना दस्तावेज में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 403.6 लाख मानक व्यक्ति वर्ष के लिए रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था है। यदि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 403.6 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो बहुत ही कम बेरोजगार व्यक्ति बचे रहेंगे। अतः देश में बेरोजगारी की यह स्थिति है।

जब हम देश में रोजगार की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिये कि बेरोजगारी की समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं है। यह तो सम्पूर्ण विश्व में है चाहे विकसित देश हों या विकासशील सभी बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त हैं।

एक माननीय सदस्य : साम्यवादी देशों में क्या स्थिति है ?

श्री पी० ए० संगमा : जी हां, चीन में भी यह काफी बड़ी समस्या है। पत्रिका में काफी बड़ा लेख आया है। मैं उसे नहीं लूंगा।

यदि हम अब देश के कुल श्रम बल के मुकाबले बेरोजगारी की समस्या को लें, तो हमारी स्थिति ज्यादा खराब नहीं है। बाकी विश्व के मुकाबले संतोषजनक है। परन्तु देश की आबादी को देखते हुए जब हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो यह काफी ज्यादा है। मेरे पास एक दस्तावेज है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने तैयार किया है जिसमें सम्पूर्ण विश्व में बेरोजगारी की समस्या के बारे में बताया गया है। मैं यह सभी बातें नहीं बताऊंगा। स्पेन में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है यह कुल श्रम बल का 22 प्रतिशत है। इटली में 10 6 %, कनाडा में 10.5%, डेनमार्क में 9.2%, जापान में 2.6% फिलिपीन्स में 6.1%, आस्ट्रेलिया में 8.3%, संयुक्त राज्य अमरीका में 7 2% तथा भारत में 3.04 प्रतिशत है। इसलिए यदि आप आबादी की प्रतिशतता में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को लें तो... [व्यवधान]

श्री उत्तम राठोड़ (हिंगोली) : महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहिए। क्या भारत की तुलना में आप उन सभी देशों में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय बता सकते हैं जिनका आपने जिक्र किया है।

श्री पी० ए० संगमा : मैं इस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। (व्यवधान)

सभापति महोदय : इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करिये।

श्री पी० ए० संगमा : मैं इसको स्पष्ट करूंगा।

मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित सभी दस्तावेजों को अभी पढ़ता हूं। "अनइम्पलाए-मेंट" (बेरोजगारी) शब्द का विभिन्न देशों में अलग-अलग अर्थ है।

उदाहरणतः हमारे योजना प्रलेख में लिखा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 480 लाख के

आसपास वे लोग बेरोजगार हैं जो पांच वर्ष से अधिक आयु के हैं। हमने ऐसे ही माना है। ऐसे देश भी हैं जो दस वर्ष के अथवा इससे कम आयु के लोगों को बेरोजगार नहीं समझते है क्योंकि उन्हें रोजगार में बिल्कुल नहीं माना जाता है। कुछ लोग दस वर्ष से अधिक वालों को बेरोजगार मानते हैं और कुछ पन्द्रह से अधिक वालों को। हमने आपने यहां 5 वर्ष से अधिक वालों को मान लिया है। अतः इसमें अधिक तुलना नहीं हो सकती है। यह एक दूसरे से भिन्न है। मैं यह आंकड़े इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको इस बारे में कुछ जानकारी रहे।

मैं पूरी तरह मानता हूं कि हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह बेरोजगारी की है। माननीय सदस्य ने इस समस्या का सामना करने के लिए जो फारमूले बताये हैं वे इस प्रकार हैं; पहला, बेरोजगारी भत्ता देकर, दूसरा अनिवार्य बीमा योजना और तीसरा बेरोजगारी भत्ता निधि। माननीय सदस्य ने अपने विधेयक में इन तीन समाधानों का सुझाव दिया है। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि भारत सरकार ने इन सभी सुझावों पर पूर्ण रूप से विचार लिया है।

4.32 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

जहां तक बेरोजगारी भत्ते का संबंध है, इस प्रश्न पर 1970-1973 में विचार किया गया था जब भारत सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया था जिसे भगवती समिति कहा जाता है। भगवती समिति ने 1970-73 में इस प्रश्न पर विचार किया। मैं उनके प्रतिवेदन के क्रियात्मक भाग से उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा है :

"बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भारी संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता होगी और बहुत कठिन प्रश्न भी उठ खड़े होंगे जैसे कि यह राहत देने के लिए क्या कसौटी हो, कितनी राहत दी जाए, कितने समय तक दी जाए, ऐसी योजना को सन्तोषजनक ढंग से चलाने के लिए किस प्रकार की संगठनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए और ऐसी योजना को क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप कितना मुद्रा-स्फीति दबाव बढ़ने की संभावना है।"

यह भगवती समिति का निष्कर्ष है जो भारत सरकार द्वारा 1970 में नियुक्त की गई थी।

श्री बनातवाला ने अपने वित्तीय ज्ञापन में कहा है कि यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो वित्तीय जिम्मेवारी 100 करोड़ रुपये की होगी। मैं अत्यन्त आदर से यह निवेदन करता हूं कि मैं माननीय सदस्य से असहमत हूं। रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या देखे बिना, जैसे मैंने कहा है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, और यदि आप केवल तर्क के लिए उन 30 लाख लोगों को ही बेरोजगार मान लें जिनके नाम 31.12 1986 तक रोजगार केन्द्रों में बेरोजगार के तौर पर पंजीकृत थे, और यदि आप इन बेरोजगार लोगों को 100 रुपये प्रति मास एकमुश्त राशि दे तो इससे ही 3612 करोड़ रु० की कुल वित्तीय जिम्मेवारी होगी। श्री बनातवाला ने यही प्रस्ताव किया है। अतः यह राशि केवल 100 करोड़ रुपये नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि कोई भी 100 रु० प्रति मास स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप सभी रोजगार केन्द्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को अकुशल कार्य देना चाहते हैं और यदि अकुशल कार्य के एक दिन की लागत 15 रुपये है तो एक वर्ष में 300 दिनों के लिए 15 रु० प्रति दिन के हिसाब से, देश के रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार लोगों की संख्या को हमारे देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या मानते हुए एक वर्ष में कुल वित्तीय व्यय 13545 करोड़ रु० के बराबर होगा। मैं सभा से आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि सरकार इस समय इसे व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं मानती है।

[श्री पी० ए० संगमा]

भारत सरकार की नीति यह है कि जो भी संसाधन हमारे पास हैं उन्हें उत्पादक रोजगार में लगा दिया जाए। हमारा लक्ष्य रोजगार उत्पन्न करना होना चाहिये और जो भी हमारे देश के अन्दर संसाधन उपलब्ध हैं उन्हें उत्पादक रोजगार में लगाना चाहिए और 13 हजार करोड़ बेरोजगारी भत्ते के रूप में अनुत्पादक ढंग से खर्च नहीं करने चाहिए। मैं वैसे इस योजना की सफलता अथवा असफलता में नहीं जाना चाहता हूं। केरल और महाराष्ट्र को अनुभव है। मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। किन्तु विश्व में बहुत से देश हैं जिनमें विकसित देश भी हैं जिन्होंने यह बेरोजगारी भत्ता आरम्भ किया है जिनमें अमेरिका, आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन और ब्रिटेन आते हैं। इस मामले पर इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में भी चर्चा हुई थी और उनके अनुभव सुखद अनुभव नहीं हैं क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई काम मिलता है तो वह व्यक्ति वह काम, इसलिए स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसको वह काम किए बिना ही पैसा मिलने वाला है। इसमें यह कठिनाई हैं। अतः ऐसे अन्य देशों का अनुभव जिन्होंने इस योजना को अपना लिया है सुखद नहीं है। मुझसे तो यही कहा गया है। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि मैंने पूरी तरह इस योजना का कार्यचालन नहीं देखा है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की चर्चा में यही बात सामने आई है। मैं स्वयं उसमें नहीं गया था। हमारे कुछ अधिकारियों ने हमारा प्रतिनिधित्व किया था।

माननीय सदस्य ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है वह बेरोजगार बीमा योजना से सम्बन्धित है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर भी विचार किया था कि क्या यह व्यवहारिक है अथवा नहीं।

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षरण के लिए संवैधानिक प्रावधान है। क्या मुझे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में रोजगार की कुल प्रतिशतता के आंकड़े मिल सकते हैं?

श्री पी० ए० संगमा : मेरे विचार में मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप में इस विधेयक से सम्बद्ध नहीं हैं। यह आंकड़े कार्मिक विभाग तथा कल्याण मंत्रालय में होंगे। (व्यवधान) मैं जानकारी इकट्ठी करके आपके पास भेज दूंगा। (व्यवधान)

महोदय, अनिवार्य बीमे के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया था। बेरोजगार बीमा योजना आरम्भ करने के प्रश्न पर आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा गठित कार्य दल द्वारा विचार किया गया था और उन्होंने अपना प्रतिवेदन जून, 1984 में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह कहा है :—

> "इस समस्या के आकार और स्वरूप को देखते हुए व्यापक बेरोजगारी बीमा भारत की वर्तमान विकास की स्थिति में व्यवहार्य नहीं पाया गया यद्यपि इस मामले की सिद्धांततः उपेक्षा नहीं की जा सकती है।"

इस प्रकार इस प्रश्न पर स्वयं आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग ने विचार किया है। वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी आर्थिक प्रगति के इस चरण पर यह व्यवहार्य नहीं है।

माननीय सदस्य का तीसरा सुझाव बेरोजगारी भत्ता कोष बनाने के बारे में था। इस पर भी सरकार ने विचार किया है। ऐसे ही एक प्रस्ताव पर हाल ही में वित्त मंत्रालय ने विचार किया और यह समझा गया कि इस प्रस्ताव को लागू करने का अर्थ होगा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त प्रभार या शुल्क लगाना जिसमें इस प्रभार के आकार, स्तर से सम्बन्धित मसले तथा जिन वर्गों पर जिन

वस्तुओं पर और जिन आर्थिक गतिविधियों पर यह लगाया जाना है उससे सम्बन्धित मसले उठ खड़े होंगे। इस प्रकार बनाए गए कोष से विभिन्न जटिल समस्यायें, जैसे कि इसका प्रशासन, इसका वितरण, इसकी निगरानी आदि उठ खड़ी होंगी। अतः बेरोजगारी भत्ता निधि बनाने के प्रस्ताव को उचित नहीं पाया गया। अतः मैं केवल यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखे हैं भारत सरकार ने उनकी जांच की है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारे आर्थिक विकास के इस चरण पर हम इसे उचित नहीं समझते हैं। किन्तु मैं माननीय सदस्य को केवल इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार वास्तव में इस समस्या से चिन्तित है। वास्तव में सारा सातवां पंचवर्षीय योजना प्रलेख खाद्य सामग्री, काम और उत्पादकता पर आधारित है। प्रधान मंत्री स्वयं इन मुद्दों पर बोल रहे हैं। मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि पहली मई को जब प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु में सेलम में कर्मकारों को सम्बोधित किया था तब उन्होंने घोषणा की थी कि अधिक से अधिक रोजगार पैदा करना इस सरकार का प्रयास होगा। वास्तव में उन्होंने एक नारा दिया है, "बेकारी हटाओ" भारत सरकार का एक नारा होगा। जब भारत सरकार इस सम्बन्ध में इतनी चिन्तित है और उत्पादकता पर आधारित रोजगार उत्पन्न करने के लिए इतनी पूंजी लगाई जा रही है, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : महोदय, मेरा एक संशोधन है।

सभापति महोदय : संशोधन ?

श्री अनादि चरण दास : जी, हां।

सभापति महोदय : मेरे विचार में तो इसे निपटा दिया गया था।

श्री अनादि चरण दास : वह अलग बात है। किन्तु मैं चाहता हूं…

सभापति महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं उन सदस्यों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया है। भारी संख्या में सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है। मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री के प्रति उनके द्वारा जानकारी देने के लिए सच्चे मन से आभारी हूं। उन्होंने अनेक प्रश्न उठाये हैं और यह आश्वासन भी दिया है कि बेरोजगारी की समस्या की ओर सरकार गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे रही है।

महोदय, वास्तव में किसी व्यक्ति को अभाव में मरने नहीं दिया जा सकता। बेरोजगारी के इस प्रश्न की ओर हमें गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इसके प्रभाव से गम्भीर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं।

महोदय, स्वतंत्रता के 40 वर्ष पश्चात् क्या स्थिति है? भारत के एक स्वतंत्र नागरिक को वह अधिकार भी प्राप्त नहीं है जो एक कैदी को प्राप्त हैं। जेल के एक दोषी को भी उचित आहार, वस्त्र, रहन-सहन तथा चिकित्सा सुविधाओं का अधिकार है। एक कैदी और दोषी को भी यह अधिकार प्राप्त है, किंतु स्वतंत्र नागरिक को यह प्राप्त नहीं है। उसको अभाव में पड़ा रहने दिया जाता है। यह है स्थिति। आपने सुना कि माननीय मंत्री ने इस सदन में बहुत सी कठिनाइयों का उल्लेख किया जो अत्यन्त भारी दिखाई देती हैं किन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद जनता की विपत्ति बनी हुई है और उनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। महोदय, मुझे इस बात पर बल देना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने की अपनी नीतियों के प्रति सचेत हो जाएगी। आज आप बेरोजगारी के अत्यधिक आंकड़ों से घबरा उठते हैं, किन्तु साथ ही सरकार पर भी यह कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भत्ते के रूप में

[श्री जी० एम० बनातवाला]

कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए। अत: मुझे कहना चाहिए कि इस कारण हम अफसरों के कार्यकरण में ढीलापन देखते हैं। महोदय, हमें कहा जाता है कि संसाधनों का अभाव है। एक ओर हमें कहा जाता है कि संसाधनों का अभाव है दूसरी ओर हैरानी की बात है सरकार योजना आवंटन की पूरी राशि प्रयोग में लाने में असफल हुई है। इस स्थिति को मैं विशेषरूप से कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये बढ़ते आंकड़ों पर मैं क्या टिप्पणी करूं जब हम देखते हैं कि श्रम और श्रम कल्याण के लिए योजना आवंटन को कई वर्षों से पूरी तरह से प्रयोग में नहीं लाया गया है। मैं कुछ आंकड़े यहां प्रस्तुत करता हूं :

	योजना आवंटन	वास्तविक उपयोग
1981-82	11.50 करोड़ रुपये	6.22 करोड़ रुपये
1982-83	10.00 करोड़ रुपये	6.61 करोड़ रुपये
1983-84	15.00 करोड़ रुपये	8.38 करोड़ रुपये
1984-85	16.50 करोड़ रुपये	13.23 करोड़ रुपये
1985-86	18.30 करोड़ रुपये	14.03 करोड़ रुपये

यह स्थिति है। एक ओर तो हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी की समस्या को गम्भीरता से ले रहे और दूसरी ओर हमारे पास ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं जिनसे पता चलता है कि आवंटन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति है। मैं अन्य आंकड़े भी प्रस्तुत करूंगा। यह स्थिति न केवल केन्द्रीय सरकार में है अपितु राज्य सरकारों की भी यही स्थिति है चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्धित हों। यदि हम केन्द्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल योजना, आवंटन और उपयोग को लें तो भी यही प्रवृत्ति दिखाई देगी। मैं यहां उन सभी आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं जो मेरे पास हैं, मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं। महोदय, मैं देखता हूं कि माननीय मंत्री कुछ अधीर हो रहे हैं। मेरे पास अन्य आंकड़े भी उपलब्ध हैं। केन्द्र द्वारा केवल रोजगार सेवाओं के लिए स्वीकृत परिव्यय और वास्तविक खर्चे की बात को ही लें। रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के स्वीकृत परिव्यय और वास्तविक खर्चे की क्या स्थिति है ? इससे वास्तविक स्थिति का पता चलता हैं। वहां भी यही स्थिति है।

वर्ष 1984-85 में रोजगार सेवाओं के लिए स्वीकृत परिव्यय 112 लाख रुपये था जबकि वास्तविक खर्च केवल 70.87 लाख ही किया गया। 1984-85 में बेरोजगार सेवाओं के लिए 112 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे परन्तु सरकार द्वारा केवल 70-80 लाख का ही वास्तविक उपयोग किया गया था।

वर्ष 1985-86 में एक बार फिर एक करोड़ रुपये निर्धारित किये गये और अनुमानित खर्च केवल 52 लाख रुपये था। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि मै यहां विरोध करने के लिए नहीं हूं अपितु यह एक ऐसा विषय है जिससे प्रत्येक व्यक्ति गम्भीरतापूर्वक सम्बन्धित है। इसलिए मेरा पहला सुझाव यही है कि कम से कम योजना आवंटन का पूर्ण उपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए हमें अपने विभागों के कार्य को तेज करना चाहिए।

हमारी नीतियों में भी परस्पर विरोध है। हम एक ओर तो रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने

की बात करते हैं और दूसरी ओर भर्ती पर पूर्णतः रोक लगा रखी है। भर्ती पर इस पूर्णतः रोक पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। मुझे देश के विभिन्न भागों से अनेक पत्र मिले हैं जिनमें यह उल्लेख है कि विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के बाद भी उन्हें नियुक्त नहीं किया जा रहा है। पिछले सत्र से अब तक मुझे अनेक पत्र मिल चुके हैं परन्तु अब मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहता। मैं उन्हें यहां लाया हूं और वे मेरे ब्रीफकेश में हैं। इस स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

और भी अनेक छोटी-छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हमें सेवाओं के लिए प्रार्थनापत्रों के साथ पोस्टल आर्डर के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। यह एक सामाजिक संवृत्ति है और आपको जहां तक सम्भव हो राहत देनी चाहिए। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

हमें एक दोहरी नीति की आवश्यकता है। मैं यह जानता हूं और मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमें एक दोहरी नीति की आवश्यकता है। केवल एक नीति से काम नहीं चलेगा। योजना कार्यक्रमों और नीतियों को पूर्ण रोजगारोन्मुख बनाये बिना काम के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार रोजगारोन्मुख बनाने के लिए चर्चा के दौरान जो विभिन्न सुझाव दिए गए हैं और अपने भाषण के प्रारम्भ में मैंने जो सुझाव दिया है उसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। नीतियों को रोजगारोन्मुख बनाने के मामले को ही लीजिए। निस्संदेह, इसका जिक्र करने से पहले मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मंत्री ने बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी बीमा कार्यक्रम या बेरोजगारी निधि बनाने के कार्य में अनेक कठिनाइयों का जिक्र किया है। परन्तु जहां चाह वहां राह। हमारे देश में ही महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल जैसे अनेक राज्य हैं जहां शिक्षित बेरोजगारों को जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में तीन वर्ष या पांच वर्ष से अधिक समय से दर्ज हैं आर्थिक सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में जिन शिक्षित बेरोजगारों के नाम कुछ वर्षों से रोजगार कार्यालय में दर्ज हैं और जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिला है उनके लाभ के लिए इन राज्यों में कोई न कोई योजना उपलब्ध है।

एक माननीय सदस्य : कर्नाटक में इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरा कथन मेरे पास उपलब्ध सरकारी साहित्य पर आधारित है। यह कथन हमें सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साहित्य पर आधारित है। यदि एक परिवार की आय एक निश्चित राशि से अधिक नहीं है और उस परिवार के एक सदस्य का नाम एक अवधि विशेष से जैसे तीन या पांच वर्षों से रोजगार कार्यालय में दर्ज है तो उस स्थिति के लिए केरल राज्य में हमारी एक योजना है। पश्चिम बंगाल में भी एक योजना है। केरल में 18 वर्ष से 40 वर्ष के आयु वर्ग के उन लोगों के लिए बेरोजगारी सहायता योजना है जिनके नाम तीन वर्ष से अधिक समय से रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय चार हजार रुपये से अधिक नहीं है।

केरल में बेरोजगारी की समस्या बहुत विकट है। परन्तु इस सरकार की नीतियों पर ध्यान दीजिए। मैं जो कुछ उद्धृत कर रहा हूं वह उस राज्य का एक उदाहरण है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। केरल में यद्यपि बेरोजगारी बहुत अधिक है परन्तु केरल में केन्द्रीय निवेश की प्रतिशतता लगभग पिछले 10 वर्षों से कम हो रही है। यह बहुत दुःख की बात है कि जिस क्षेत्र में विभिन्न कारणों से बेरोजगारी की प्रतिशतता बहुत अधिक है वहां कुछ ऐसे कारणों से जिनका उल्लेख मैं यहां करना चाहता हूं, उस क्षेत्र के लिए केन्द्रीय निवेश घट रहा है। हम देखते हैं कि पिछले एक दशक से अधिक समय से केरल में केन्द्रीय निवेश समग्र अखिल भारतीय निवेश की तुलना में लगातार घट रहा है। इन क्षेत्रों में सुधार किया जाना चाहिए।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

मैं यह कह सकता हूं कि हमें विभिन्न मामलों में अपनी नीतियों के प्रश्न को उठाना चाहिए। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने में उत्पादन उद्योगों की स्थिति निराशाजनक और असंतोषजनक है। सूती वस्त्र उद्योग, जूट, लकड़ी, लकड़ी उत्पाद उद्योग और गैस और इस्पात उद्योग का कार्य-निष्पादन सबसे खराब रहा है। इनमें से कोई उद्योग एक प्रतिशत से अधिक वार्षिक दर से श्रमिकों को रोजगार नहीं दे सका। इस प्रकार इन उद्योगों में क्या कमी है? हमें इसका अध्ययन करना होगा और तभी हम उनमें सुधारात्मक कार्यवाही कर पायेंगे। लघु उद्योगों के ही प्रश्न को लीजिए और उनमें रोजगार वृद्धि की प्रतिशतता को देखिए। उनकी स्थिति बहुत ही निराशाजनक है।

खाद्य उत्पादों के बारे में, रोजगार वृद्धि की प्रतिशतता 7.8 है, सूती वस्त्र उद्योग में 0.9 प्रतिशत है। ऊनी और कृत्रिम वस्त्रों में 0.9 प्रतिशत है, जूट वस्त्र उद्योग में 0.4 प्रतिशत है, इलैक्ट्रिकल्स को छोड़कर मशीनरी में 0.3 प्रतिशत है, लकड़ी और लकड़ी उत्पादों में 0.4 प्रतिशत है और मरम्मत और सेवाओं में 1.9 प्रतिशत है। यह स्थिति उन लघु उद्योगों की है जिन पर हमने अधिक बल दिया है। इसलिए मुझे यह कहना है कि ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि लघु उद्योगों पर हमने पर्याप्त बल नहीं दिया है। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए लघु उद्योगों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

5.00 म०प०

इसलिए यह समय बहाने ढूंढने का नहीं है। कहीं से तो शुरूआत करनी होगी, सरकार को इस बारे में कुछ कार्यक्रम आरम्भ करने चाहिए। पूर्ण रोजगार की अवधारणा की ओर अग्रसर होने के लिए कुछ चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। शिक्षित बेरोजगारों को लीजिए प्रत्येक परिवार में से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किए जा सकते हैं और अपने विधेयक में मैंने यह कहा है कि नियमों के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता है परन्तु अब स्थिति गम्भीर है और समय की आवश्यकता यह है कि आत्म-विश्वास से भगवान पर भरोसा करके कदम उठाने होंगे। विभिन्न स्थानों पर आवश्यक सुधार भी करने होंगे। योजना आवंटन का वस्तुतः और पूर्णतः उपयोग करना होगा और मुझे विश्वास है कि अपने कार्यक्रमों में उचित परिवर्तन करके हम अपने देश में बेरोजगारी की समस्या का सामना कर सकेंगे।

विधेयक में प्रस्तुत योजनाओं के बारे में सरकार ने बहुत सारी समस्याएं रखी हैं। परन्तु मुझे विश्वास है कि इस बारे में अधिक विचार किया जायेगा और यदि सम्पूर्ण आबादी में नहीं तो कम से कम उन क्षेत्रों में जहां समस्या अधिक गम्भीर है इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास किया जायेगा और उसके बाद एक चरणबद्ध रूप में देश के बाकी भागों में इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा।

सरकार ने वास्तव में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। मैं भी जानता हूं कि प्रधान मंत्री महोदय ने बेकारी हटाओ का नारा दिया है। परन्तु हमें केवल नारों से ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। नारों को वास्तविकता में बदल देना चाहिए।

इसी आशा के साथ, मैं विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करते हुए— यद्यपि कुछ सदस्यों ने सकारण रवैया अपनाया है और चर्चा में उदारता से भाग नहीं लिया है —और साथ ही ज्ञानवर्द्धक भाषण देने के लिए माननीय मंत्री का धन्यवाद करते हुए मैं विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में बेरोजगारी का उन्मूलन करने की योजना के लिए उपलब्ध करने

वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में बेरोजगारी का उन्मूलन करने की योजना के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

5.04 मध्याह्न

राजनीतिक दलों के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, प्रादेशिक और क्षेत्रीय नामों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध और धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग का निवारण विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्रीमती बसवराजेश्वरी।

श्रीमती बसवराजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि राजनीतिक दलों के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, प्रादेशिक और क्षेत्रीय नामों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने और धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग का निवारण करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*सभापति महोदय, मैं इस सभा में राजनीतिक दलों के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक प्रादेशिक और क्षेत्रीय नामों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने और धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग का निवारण करने हेतु इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाई हूं। विशेष रूप से वर्तमान समय में जबकि साम्प्रदायिक दंगे बहुत अधिक बढ़ गये हैं, इस विधेयक का महत्व और भी बढ़ जाता है ऐसे दंगों के कारणों का पता लगाने के लिए इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। सरकार को इन कारणों का पता लगाकर देश में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाने चाहिए। हमारे राष्ट्र की एकता और अखण्डता के हित में यह बहुत ही अनिवार्य हो गया है।

हमारा बहुत बड़ा राष्ट्र है। इसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है। इसका अपना इतिहास और परम्परा है। हमारे राष्ट्रपिता ने शान्ति और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। हमें इस मार्ग का अनुकरण करना है और अपने प्रजातंत्र की रक्षा करनी है।

हमारे देश में प्रचुर राष्ट्रीय संसाधन हैं। यहां उर्वरक भूमि का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सिंचाई

---

*मूलत: कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

सुविधाएं प्रचुर हैं और यहां कच्ची धातुओं के समृद्ध भण्डार हैं। देश के चहुंमुखी विकास के लिए इन संसाधनों को अधिक से अधिक दोहन करना होगा इससे प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में प्रसन्नता महसूस कर सकता है और यह राष्ट्र विश्व के लिए एक आदर्श बन जायेगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। इसके विपरीत हम रोज साम्प्रदायिक दंगे होते देखते हैं। इसका अन्त होना चाहिए।

हमारे देश में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग हैं। हमारे देश में अंग्रेजों ने क्षेत्रीय मतभेदों से फायदा उठाया और उनका दुरुपयोग किया और अन्तत: हमारे देश पर लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे देश में भाषायी धार्मिक, सामुदायिक जैसे कई मतभेदों के बावजूद देश में एकता थी। आजादी के समय भिन्न दलों के लोग खालिस्तान, पाकिस्तान आदि अलग राष्ट्रों की मांग कर रहे थे और हरिजनों के लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। आजादी के बाद हमने दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ीं। इन लड़ाइयों पर विजय से एक बार फिर विश्व को हमारी एकता की शक्ति का पता चला। देश की रक्षा और उसकी उन्नति के लिए सदा कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का हमारा इतिहास रहा है। वास्तव में हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेकता में एकता है। हमारा देश समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहां बहुत से धर्म हैं। यहां सभी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 से 30 में सभी धर्मावलम्बियों को अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन हम समुदाय या धर्म के आधार पर राष्ट्र को सुदृढ़ नहीं बना सकते। इसी प्रकार राजनीतिक दल भी धर्म समुदाय आदि का सहारा नहीं ले सकती। धर्म और राजनीति को कभी भी मिलाया नहीं जा सकता। अगर इन दोनो को मिला दिया गया तो देश को बहुत बड़ा खतरा हो जायेगा।

5.10 म०प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

अगर हम साम्प्रदायिक दंगों के कारणों का विश्लेषण करें तो हम निम्न महत्वपूर्ण कारणों पर पहुंचते हैं:

(1) निहित स्वार्थ;

(2) विदेशी हस्तक्षेप;

(3) अल्पसंख्यकों के बीच अलगाव और पृथक्करण;

(4) भाषाधार राज्य;

(5) धार्मिक परम्परागत विचार;

(6) आर्थिक पिछड़ापन;

(7) हिन्दू कट्टरवाद।

बहुत से राजनैतिक नेता अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य भूल जाते हैं। वे लोगों से वोट प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के हथकण्डे अपनाने लगते हैं। चुनावों के समय वे धर्म का नाम लेकर भड़काने वाले भाषण देते हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थ लोगों के मस्तिष्कों में खलबली पैदा कर देते हैं।

समाचार पत्र प्रतिदिन हमारे देश के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में विस्तृत विवरण दे रहे

हैं। कुछ अन्य देश हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। जबकि वे अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते। कुछ देश हमारे देश के अल्पसंख्यकों को हमारे देश के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य देशों द्वारा गुमराह करने वाले इस प्रकार के प्रयास की भर्त्सना की जानी चाहिए तथा इसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए।

. हमारे कुछ धार्मिक नेता भी अल्पसंख्यकों को अलग-थलग कर विदेशी हस्तक्षेप की प्रक्रिया में योगदान कर रहे हैं। उनमें से कुछ इस मत के हैं कि केवल उनका धर्म बना रहे। वे अल्पसंख्यकों से आशा करते हैं कि वे बहुसंख्यकों के जीने के ढंग का अनुसरण करें। इससे हमारे देश के अल्पसंख्यकों के मन में तनाव की भावना उत्पन्न हो गई है : उनके अपने धार्मिक संस्थान हैं जिनको दिन प्रतिदिन मजबूत बनाया जा रहा है। यह आर्य समाज या हिन्दू महासभा या जनसंघ या शिव सेना हो सकती है। हमने इन धार्मिक नेताओं की दलीलों और भाषणों को सुना है। वास्तव में उनमें से कुछ ने तो यहां तक कहा है कि हमें पाकिस्तान वापिस मिलना चाहिए और इसका विशाल हिन्दुस्तान में विलय होना चाहिए। देश के हित में अल्पसंख्यकों के साथ इस प्रकार के व्यवहार की आज्ञा नहीं दी जा सकती जो विश्व में सबसे बड़ा प्रजातन्त्र है।

बहुसंख्यक समुदायों का यह कर्तव्य है कि वह उनके धर्म और उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करे। इसके साथ ही साथ वे अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए। देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोगों को मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्हें देश की प्रगति के लिए मिलकर परिश्रम करना चाहिए। हमारे देश में किसी भी समुदाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

मैं हैदराबाद कर्नाटक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से हूं। वहां हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और अन्य सब मिलकर रमजान, मुहर्रम आदि मुसलमानों के त्यौहार मनाते हैं। इसी तरह सभी मुसलमान और ईसाई भाई भी हिन्दुओं के दशहरा, महानवमी, बगदी आदि त्यौहारों को मिलकर मनाते हैं। हम सब जगह शांति और मैत्री देखते हैं। उस क्षेत्र के सभी धर्मों के लोग धार्मिक त्यौहारों के जुलूसों में भाग लेते हैं। वहां साम्प्रदायिक दंगों के लिए कोई स्थान नहीं है।

कोई इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि केवल बहुसंख्यक समुदाय में पैदा हुए लोग अच्छे और बुद्धिमान होते हैं। इसी तरह छोटे समुदाय में पैदा होने वाला व्यक्ति कम बुद्धिमान नहीं हो सकता। जन्म से इस प्रकार की ऊंच नीच को समाप्त किया जाना चाहिए। सभी धर्मों और समुदायों में अच्छे और बुद्धिमान लोग होते हैं। राजनीतिक नेताओं को ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए और समाज में शान्ति का वातावरण बनाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। यह प्रयास मिलकर करना चाहिए। इसे केवल एक समुदाय या एक धर्म से सम्बन्धित लोगों द्वारा नहीं किया जा सकता।

हम केवल धर्म के आधार पर शैक्षणिक या राजनीतिक संस्थाएं नहीं बना सकते। यह जमाते-ए-इस्लाम, मुसलिम लीग या मजलिस हो सकती है। ये संस्थाएं अल्पसंख्यकों के मन में उत्साह पैदा करने की बजाए डर की भावना उत्पन्न करती है। इससे साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है। 20वीं शताब्दी में हमने सबसे अधिक साम्प्रदायिक दंगे देखे हैं। बिहार, गुजरात, मेरठ तथा अन्य कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगों से कई मौतें हुई हैं और सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। इस प्रवृति को समाप्त करना पड़ेगा। अगर किसी स्थान पर साम्प्रदायिक दंगा होता है तो सभी समुदायों के नेताओं को उस स्थान का दौरा

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

करना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए और उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करनी चाहिए। इस जिम्मेदारी को केवल उस समुदायों के नेताओं पर नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने इस दंगे में हिस्सा लिया हो। मिल-जुलकर रहने और भाई चारे को बढ़ावा देना चाहिए। इससे समाज के सभी वर्गों के बीच सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। राजनीतिक नेताओं को इस मुख्य जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए।

कर्नाटक एक शान्तिप्रिय राज्य है। कई भागों में दंगे या फसाद कैसे होते हैं, लोग नहीं जानते। यहां तक कि ऐसे शान्तिप्रिय राज्य में भी पांच से छः महीने के थोड़े से समय में 20 मौतें हुई। ये मौतें बंगलौर, रामनगरम और मैसूर में हुई हैं। यह न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि शर्मनाक भी। कुछ नेता एक तरफ यह कहते हैं कि इन दंगों के लिए राजनीतिक नेता उत्तरदायी हैं और दूसरी तरफ वे कहते हैं कि राजनीतिक नेताओं को ऐसे नृशंस साम्प्रदायिक हत्याओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी हमें ऐसे दंगों को रोकना है और कारणों का पता लगाने की पहल करनी है।

धर्म के नाम पर राजनीतिक दलों को नामों के प्रयोग की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। वे पूजा स्थलों पर राजनीतिक भाषण नहीं दे सकते। भड़काने वाले भाषण साम्प्रदायिक दंगों के मुख्य कारण हैं। इसलिए चुनाव आयोग को धार्मिक स्थानों पर चुनाव भाषण देने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह कानून के अधीन करना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि धार्मिक स्थानों पर मत प्राप्त करने के लिए भाषण देने वालों को सजा दी जाये। हमारी सरकार को राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक स्थलों और नामों के दुरुपयोग को समाप्त करने के बारे में रुचि लेनी चाहिए इस संबंध में तत्काल एक संशोधन लाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता परिषद की समय-समय पर बैठकें होती हैं। इस सम्मेलनों में अधिकतर मुख्य-मंत्रियों और माननीय गृह मंत्री ने हिस्सा लिया। उन्होंने 1976 में पंजाब में हुई घटनाओं की निन्दा की है। धार्मिक स्थान अपराधियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए नहीं है। संकीर्ण क्षेत्रीय भावनाएं चुनावों द्वारा राष्ट्र के भाग्य निर्णय करते समय लोगों के ठीक मत और न्याय जानने में बाधक बनती हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करनी होगी। प्रभुसत्ता, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष तथा प्रजातन्त्र के नियमों का सम्मान तथा अनुसरण करना होगा।

सभी धर्मों का उद्देश्य एक है। यह बुद्धवाद, हिन्दूवाद, ईसाइयत या इस्लाम हो सकता है लेकिन सबका सार एक ही है। कोई भी धर्म आतंकवाद और लूटपाट के पक्ष में नहीं है। सभी धर्मों का उद्देश्य मानवता को परमानंद की ओर ले जाना है। यह इसी प्रकार है जैसे विभिन्न नदियां एक समुद्र में मिल जाती हैं।

बहुत से वरिष्ठ नेताओं जैसे श्री बहुगुणा, श्री ज्योति बसु ने अमृतसर में हुई हिंसा की निन्दा की है। समितियां स्थापित की गई हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी हैं। केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से साम्प्रदायिक दंगे समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाने के लिए कहा है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जिले में एक शान्ति समिति स्थापित की जाये। इस समिति में सभी धर्मों के सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। समिति को साम्प्रदायिक दंगाग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए। सभी प्रकार के दंगों को रोकने के लिए लोगों की राय लेनी चाहिए।

जैसे अभी-अभी मेरे सहयोगी श्री बनातवाला मेरठ में हुए दंगों के बारे में बोल रहे थे ? हमारे

देश में निरक्षरता, बेरोजगारी मादक पदार्थों के सेवन की समस्याएं हैं। महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। दहेज के कारण हर रोज कितनी ही मौतें हो रही हैं। हर रोज इनकी संख्या बढ़ रही है। कुछ अन्धविश्वासी परम्परा, कई युवा और अबोध लड़कियों को वेश्याकर्म करने के लिए बाध्य करती हैं। वास्तव में कुछ लोग लड़की पैदा होते ही उसे मार देना चाहते हैं। वे केवल लड़का ही चाहते हैं। इसी प्रकार की अन्धविश्वासी परम्पराओं के बीच हमारा देश कैसे प्रगति कर सकता है। इसलिए इसकी अधिक जिम्मेदारी न केवल सरकार पर है बल्कि धार्मिक नेताओं की भी है। सभी धर्मों के नेताओं को इस चुनौती का सामना करना चाहिए। प्रत्येक नेता एक समस्या को चुन सकता है। कानून इन झगड़ों को नहीं सुलझा सकता। लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। नेताओं को जनसमुदाय को सचेत करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। कर्नाटक में कई धार्मिक संस्थाएं हैं (एम०यू०टी०टी०एस०) जो मानवता की सच्ची सेवा कर रही है। इन धार्मिक संस्थाओं ने इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, शिक्षक प्रशिक्षण कालेज आदि स्थापित किये हैं। इन शिक्षा संस्थाओं को कारगर ढंग से चलाने के अलावा वे लाखों विद्यार्थियों को मुफ्त में भोजन भी देती हैं। धार्मिक संस्थाएं सरकार से सहायता भी ले सकती है लेकिन उन्हें समाज में शान्ति और शिक्षा फैलानी चाहिए।

युवा पीढ़ी को उचित तरीके से मार्गदर्शन करना होगा। उन्हें मतभेद की बातें नहीं सिखानी चाहिए। उन्हें प्यार सिखाना चाहिए नफरत नहीं। यह सभी शिक्षण संस्थाओं और सभी धर्मों का उद्देश्य होना चाहिए। वास्तव में इसे माता को ही सिखाना चाहिए क्योंकि माता ही पहली शिक्षक होती है।

बासवाना कर्नाटक के सबसे बड़े समाज सुधारक थे जिन्होंने 8वीं शताब्दी में लोगों के बीच के सभी बंधनों को तोड़ दिया। उन्होंने न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे भारत में भाई चारे की भावना को फैलाया और मतभेद समाप्त किये उन्होंने ब्राह्मण और हरिजनों के बीच अन्तर्जातीय विवाह भी करवाये और समाज में समानता लाने का संकल्प किया।

अगर हम उचित तरीके से अपनी युवा पीढ़ी का नेतृत्व नहीं करेंगे तो हम अपने प्रजातन्त्र की रक्षा नहीं कर सकते।

हमारे प्रधान मंत्री युवा हैं लेकिन उनका अनुभव विस्तृत है। वह देश में अमन चैन लाने के लिए गांधी जी द्वारा दिखाये गये अहिंसा के तरीके से सभी संभव प्रयास कर रहे हैं। वह रात दिन राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। वे हमारे राष्ट्र को प्रगति और खुशहाली के नये युग में ले जाना चाहते हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उनके प्रति ओछे आरोप लगाकर उनका ध्यान नहीं बटाना चाहिए।

दुर्भाग्यवश साम्प्रदायिक झगड़े गांधी जी के जन्म स्थान अहमदाबाद में हुए थे। ये नहीं होने चाहिए थे। आज गांधी हमारे बीच नहीं हैं। किन्तु उनकी आत्मा हमसे यह आशा कर रही होगी कि हम शांति और भाईचारा बनाये रखें। हमारे कुछ मुसलमान मित्र कल इस सभा में मेरठ का मामला उठा रहे थे। इन मुसलमान भाइयों की सुरक्षा कौन करेगा? हमारी सरकार को तथा हम सभी को यह उत्तरदायित्व उठाना चाहिये। हम रामायण की कहानी देखते और पढ़ते हैं। कैकई राम को 14 वर्ष का बनवास दे देती है। इसके बावजूद राम कैकई का देवी की तरह आदर करते हैं। रामायण में एक तरफ कौशल्या, सुमित्रा, सीता, आदि जैसे विशिष्ट चरित्र हैं और दूसरी ओर जनक, दशरथ, राम और भरत जैसे विशिष्ट चरित्र हैं—प्रत्येक चरित्र निःस्वार्थभाव, सहनशीलता, आत्मोत्सर्ग, प्रेम और स्नेह में एक से

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

बढ़कर एक है।

ये चरित्र हमारे नागरिकों के लिए आदर्श होने चाहिये। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी धार्मिक नेताओं को मिलकर काम करना चाहिये। ईश्वर की दृष्टि में सभी धर्म एक से हैं।

विज्ञान, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग इस देश की भलाई के लिए करना होगा। समाज में अंध विश्वास और परम्पराओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। हमें राष्ट्रीय हित की सर्वाधिक चिन्ता होनी चाहिये। मेरा भी अपना धर्म है किन्तु मैं इसका पालन अपने घर में ही करती हूं। दया सभी धर्मों का सार है। जैसा कि बसवाना ने कहा है, दया के बिना कोई धर्म है ही नहीं। हमें केवल मानव के प्रति ही नहीं, अपितु पशुओं, पक्षियों और अन्य जीवधारियों के प्रति दयालु होना चाहिये। समाज तभी शांति और सुख की राह में प्रगति कर सकता है और तभी साम्प्रदायिक दंगे समाप्त हो सकते हैं।

मुझे आशा तथा विश्वास है कि मैंने जो मुद्दे यहां उठाये हैं, माननीय मंत्री महोदय, उन सभी पर ध्यान देने की कृपा करेंगे और राजनैतिक दलों द्वारा धार्मिक और साम्प्रदायिक नामों तथा धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल कदम उठायेंगे। इस महत्वपूर्ण मामले पर मैं अपने साथियों से और अधिक सहयोग की आशा करती हूं।

महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं तथा इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्रीमती बसवराजेश्वरी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि राजनीतिक दलों के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, प्रादेशिक और क्षेत्रीय नामों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध और धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोका जाए। यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। हमारे देश का जो संविधान बना है, उसमें भी इस बात पर विशेष तौर से जोर दिया गया है कि हम प्रजातंत्रीय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करेंगे।

धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करने के लिए यह बहुत आवश्यक और जरूरी है कि सभी सम्प्रदायों के लोग, सभी धर्मों के लोग, एक-दूसरे के धर्म का आदर करें। अगर आदर की भावना सभी धर्मों के प्रति नहीं होगी, एक-दूसरे के धर्म के प्रति नहीं होगी, तब तक हम अपने धर्मनिरपेक्ष राज्य को सुचारू रूप से स्थापित नहीं कर सकते और न ही मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारा राजनीतिक ढांचा भी इस प्रकार का होना चाहिए जो किसी सम्प्रदाय और धर्म पर आधारित न हो। अगर कोई भी राजनीतिक ढांचा धर्म और सम्प्रदाय पर आधारित हुआ तो हम अपने संविधान की अवहेलना करेंगे और वह धर्म-निरपेक्ष राज्य नहीं हो सकता।

धर्म-निरपेक्षता में यह जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियां भी इस प्रकार की बननी चाहियें जो धर्म, जाति पर आधारित न हों और यहां तक कि क्षेत्र पर भी आधारित न हों। अगर कोई राजनीतिक पार्टी धर्म, क्षेत्र या जाति पर आधारित होगी तो हमारे देश का, राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम नहीं हो सकती और इनका खतरा बना रहेगा। हमारे देश में इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं। कुछ तो राजनीतिक पार्टियों के नाम से ही पता पड़ जाता है कि वह क्षेत्रीय, धार्मिक पार्टियां हैं। मैंने पार्टी के नाम का कुछ जिक्र किया है कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे हमारे देश में तेलुगुदेशम है जो कि क्षेत्रीय पार्टी है। इसी

तरह द्रविण मुनेत्र कड़घम है। जो अकाली पार्टी है वह धार्मिक पार्टी है और इसी प्रकार मुस्लिम लीग भी धार्मिक पार्टी है। इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह समुदाय विशेष और धर्म की पार्टी हैं। यहां के संविधान को हमने धर्म-निरपेक्ष माना है, उसमें क्षेत्रीय पार्टियों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिये, उन पर रोक लगानी चाहिये।

हम धर्म-निरपेक्ष होते हुए भी इस प्रकार की पार्टियों को बर्दाश्त कर रहे हैं और बराबर बर्दाश्त करते आ रहे हैं। इन पर अगर हम प्रतिबन्ध लगाने की बात सोचते हैं तो हमारे सामने बहुत कठिनाइयां आती हैं। इसका बड़ा भारी विरोध होता है। विरोध इसलिए होता है कि अभी तक हमारे दिमागों में जातिवाद, क्षेत्रवाद कूट-कूटकर भरा हुआ है। हमारा इस प्रकार का दृष्टिकोण है कि हमारा धर्म अच्छा है और दूसरों का अच्छा नहीं है। यह भावना हम में घुसी हुई है। यह भावना जब तक हमारे दिमाग में घुसी हुई है तब तक इस प्रकार की पार्टियों पर हम प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। यह हमारे सामने एक कठिनाई उपस्थित हो रही है।

अगर हम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने देश को महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू का देश बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। उनका जो कुछ विरोध होगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। हमारा जो कांस्टिट्यूशन का ढांचा है, जो वास्तव में हमारे महान नेताओं ने बनाया है, उसको मजबूत करने के लिए हमें यह कदम उठाना पड़ेगा।

आज वास्तव में जो साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ये साम्प्रदायिक दंगे कभी नहीं मिट सकते जब तक इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, जब तक राजनीति में धार्मिक पार्टियां और सम्प्रदायवाद रहेगा तब तक यह सब खत्म नहीं हो सकता। कितनी भी आप कोशिश करें, किसी न किसी हिस्से में संघर्ष चलता रहेगा और धार्मिक भावनाएं भड़काई जाएगी। इसलिए यह जरूरी है कि अगर इस प्रकार के कोमुनल डिस्टर्बेन्सेज होते हैं और उनको मिटाना है तो हमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा और इसके लिए हमें जो राजनीतिक और धार्मिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक कार्य करती हैं, उन पर रोक के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा और उसके लिए आवश्यक है कि हमारे जितने भी नेता हैं, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जितने भी नेता और विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं वह सब मिलकर इसके बारे में सोच-विचार कर कोई न कोई ठोस कदम उठायें। ऐसी व्यवस्था होने के बाद ही देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखा जा सकता है और साम्प्रदायिक दंगों को होने से रोका जा सकता है।

आज देश में इस प्रकार की स्थिति पैदा होती जा रही है कि विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां बनती जा रही हैं। मेरा विचार है कि ये क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय एकता कायम नहीं कर सकती हैं। हम किसी कानून के द्वारा इन क्षेत्रीय पार्टियों को बनने से रोक नहीं सकते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों को भविष्य में बनने से रोका जाए और राजनीतिक ढांचे को और मजबूत किया जाये। इसके लिए अगर हमें किसी प्रकार के विरोध का भी सामना करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा न करने से हमारे संविधान को बहुत भारी धक्का लगेगा। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में खूब सोच-विचार किया जाय।

देखने में यह आया है कि मंदिरों, मस्जिदों और यहां तक कि अमृतसर के गोल्डन टैम्पल में पूरी तरह से ही राजनीति चलती है। उनके वहां से होने वाली आमदनी से ही राजनीतिक दल सुदृढ़ होते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिससे कि इन सब को होने से रोका जा सके। देखने में यह आया है

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

कि जब मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में भाषण होते हैं तो एक ही समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश होती है। इन भाषणों के द्वारा वह लोगों के अन्दर साम्प्रदायिक भावना कूट-कूटकर भर देते हैं। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाने से राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी नहीं रह सकती है। आप इस सम्बन्ध में एक यह व्यवस्था कर सकते हैं कि जिन दिनों चुनाव आदि हो रहे हों तो उस दौरान कोई भी राजनीतिक दल मंदिरों, मस्जिदों आदि में भाषण न दे। आप इस सम्बन्ध में कोई न कोई ठोस कदम अवश्य उठायें।

मेरे इस बारे में यही कुछ विचार हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बारे में केन्द्र सरकार सभी पार्टियों से मिलकर विचार करे। आज कोई भी राजनीतिक दल इन साम्प्रदायिक दंगों को पसन्द नहीं करता है। अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम किया जाए।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : (कोपरगांव) : सभापति महोदय, श्रीमती बसवराजश्वरी द्वारा यह जो बिल लाया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। यही कारण है कि आज हम सब इस हाऊस में इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज पूरा देश इस बारे में चिंतित है। हम एकता और अखंडता की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन एकता कही नजर नहीं आ रही है। हमारे प्रधान मंत्री जी भी इस बारे में बहुत चिंतित हैं। आज हर कोई धर्म और जात-पात का सहारा लेकर राजनीति चलाना चाहता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम धर्म और राजनीति को अलग-अलग करें। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो समाजवादी देश हैं। वहां राजनीति और धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है और दूसरे भी देश हैं। इंग्लैंड को ही देख लें। वहां भी धर्म और राजनीति अलग है। अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत लम्बे समय तक राज्य किया और कई ऐसे काम किये और धर्म के नाम पर झगड़े के बीज बोये हैं। उसके कारण ही यहां जातीय दंगे फैल रहे हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम केवल धर्म के बारे में सोचें, देश के हित के बारे में न सोचें। धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग-अलग होना चाहिए। लेकिन जब चुनाव का समय आता है, तब सब लोग धर्म की बात करते हैं। पार्टियां भी धर्म के नाम पर बन जाती हैं, जाति के नाम पर बन जाती हैं, पन्थ के नाम पर बन जाती हैं। इसका अर्थ क्या है? हमारा जो संविधान है, वह कहता है कि हम सैक्युलर हैं। संविधान कुछ भी कहे, लेकिन हमारा दिल नहीं कहता है कि हम सैक्युलर हैं। खाली कहने से ही काम नहीं चलेगा, यह सिखाना भी जरूरी है। सिर्फ सिखाने से भी काम नहीं चलेगा, हमें अपने कार्यक्रमों से बताना भी बहुत जरूरी है कि हम सैक्युलर हैं। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। अपने घर में बैठकर कोई किसी धर्म की पूजा करता है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रास्ते में आकर प्रदर्शन करते हैं और जो कन्वर्जन करना चाहते हैं, उसके हम खिलाफ हैं। क्योंकि कन्वर्जन करने की इसमें क्या बात है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं, जहां कन्वर्जन की बातें नहीं चलती हैं। हिन्दुस्तान में बुद्ध का जन्म क्यों हुआ? इसका कारण क्या था? आज तो धर्म की बात यह हो गई है कि हम धर्म के नाम पर शोषण करने लगे हैं। पहले पूंजीवादी आर्थिक नीति ऐसी थी कि हम शोषण करते थे, लेकिन अब धर्म के कारण शोषण कर रहे हैं। गरीब कौन से धर्म में नहीं है। गरीब की एक जमात है, एक जाति है, एक पन्थ है, एक धर्म है। किसी भी धर्म का वह आदमी हो, वह गरीब है। उसका कोई अलग धर्म नहीं है। ऐसा कोई ईश्वर बाहर नहीं आया, ऐसा कोई धर्म नहीं, जिसमें कोई गरीब न हो और जिसमें सभी अमीर हों।

अभी अनएम्पलायमेंट बिल के बारे में बात चल रही थी, काफी कठिनाई देश में लोग इस बारे में महसूस कर रहे हैं। खाने की रोटी मंहगी हो गई है। हमारे देश के जो बुनियादी सवाल हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वह है देश की गरीबी को हल करना। जो हमारे कार्यक्रम हैं उनके द्वारा हमें देश को समाजवाद की ओर ले जाना है। लेकिन हम समाजवादी ढांचे की ओर देश को नहीं ले जा पा रहे हैं। क्योंकि धर्म का हमारे देश में प्रमुख स्थान बन गया है। जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मन्दिर हो, उनको हम किस बात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? पढ़ाई के लिए तो हम कुछ हद तक सही समझा सकते हैं। हमने तो मानव धर्म सीखा है, बन्धुभाव सीखा है। कोई भी धर्म हो, हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिक्ख हो या जैन धर्म हो, इन धर्मों ने हमें क्या सिखाया है? यही सिखाई है कि हम इकट्ठे होकर रहें, बन्धु होकर रहें। लेकिन कोई आदमी, आदमी का शोषण करे इन्सान इन्सान, का शोषण करें और धर्म के नाम पर झगड़े पैदा करे, और नेशनल इन्टीग्रेशन की जगह विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिले यह कोई भी धर्म सिखाता नहीं, इसके बारे में हमारा देश बहुत चिंतित है। इसका सबसे अधिक नुकसान गरीब लोगों को पहुंचता है। सबसे बड़ी चोट गरीब लोगों को ही लगती है। आज वही बेचारे सबसे ज्यादा परेशान हैं। आज दुनिया में ये सब झगड़े चल रहे हैं। सब धर्म के लिए सोचते हैं, अमीर गरीब के लिए सोचता है, पार्टी राजनीति के लिए सोचती है, लेकिन उन गरीब आदमियों के बारे में कौन सोच रहा है और क्या सोच रहा है। उनके लिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं। जैसे बीस सूत्रीय कार्यक्रम हैं, आई० आर० डी० पी० का कार्यक्रम हो या कोई भी कार्यक्रम हो, वह कैसे गरीब लोगों के लिए अमल में आयेंगे, इस बारे में विचार किया जाना चाहिए। जो धार्मिक स्थल हैं, वे इस काम के लिए नहीं हैं। धर्म तो मनुष्य का उत्थान करने के लिए हैं। लेकिन इंसान इंसान न रहे, यही काम इस देश में धार्मिक स्थानों में ज्यादा चल रहा है, जो कि एक बड़ी चिन्ता की बात है और एक गम्भीर समस्या है। मैं चाहूंगा, सैक्युलर के नाम पर जो संविधान में संशोधन किया है हमारी नेता स्व० श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, मैं चाहूंगा कि हमारे इलेक्शन ला में सुधार हो कि इस देश में जाति-धर्म के नाम पर कोई भी पार्टी न बने। हमारे यहां हिन्दू धर्म में चतु वर्ण हैं, मुसलमानों में शिया और सुन्नी हैं, ईसाइयों में भी कैथलिक और प्रोटैस्टेंट है—कहने का मतलब यह है कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें मानव विकास की बात नहीं कही गई हो। सभी धर्मों में मानव के विकास की बात कही गई है। मानव को मानव का विकास करना चाहिए, ताकि कोई गरीब न रहे। मीन्स आफ प्रोडक्शन देश के कुछ लोगों के हाथ में अधिक है। इस देश में जो पैसे वाले हैं, वे लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। दहेज के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, इस देश में लोग क्यों बहक रहे हैं, यह पता लग रहा है, इस बारे में ज्यादा गहराई से सोचना पड़ेगा। कई पार्टियां ऐसी हैं, जो बिलकुल धर्म नहीं चाहती हैं। धर्म जो चाहती हैं, वे अपने घर में चाहती हैं और सैक्युलर हिन्दुस्तान चाहती हैं। सभी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, एक विचार धारा के लोग इकट्ठे हो जायें और विचार करें कि मानव का शोषण नहीं होना चाहिए। सब मानव एक है। किसी धर्म में नहीं है कि यह धर्म अच्छा है, यह धर्म बुरा है। हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे का ठीक नहीं है। जब सब आदमी समान हैं, तो झगड़ा किस लिए है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए। हम 37 साल की आजादी के बाद भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्डट्राइब्स को जनरल नहीं कह सके हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि जब ये आदमी जनरल सीट पर खड़े होते हैं, तो वोट नहीं देते हैं। यदि मुस्लिम मोहल्ला है, यदि वहां से हिन्दू खड़ा होता है, तो वह चुन कर नहीं आता है। इसका क्या कारण है? जाट है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिक्ख है और मोहल्ला समझकर उम्मीदवार को तय करें, मैं समझता हूं कि इस विचार धारा में समान विचार धारा के पार्टी के नेताओं को बैठकर परिवर्तन करना चाहिए।

[श्री बाला साहिब विखे पाटिल]

क्षेत्रीय पार्टियां बहुत बढ़ रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियां भाषा के नाम पर बढ़ती हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के नाम पर क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ना इस देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। एक डिसैन्ट्रलाइजेशन की बात हो रही है, राज्यों को ज्यादा अधिकार दे दो और केन्द्र को और कमजोर करो। आज हिन्दुस्तान मजबूत है, एक है और हिम्मत के साथ खड़ा हुआ है। पैसा केन्द्र को देना है और राज्यों का कहना है कि यह हमारा पैसा है और इसलिए डिसेन्ट्रलाइजेशन की बात हो रही है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसके कारण क्षेत्रीय लोगों को और क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जब क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा बढ़ेंगी, तो साम्प्रदायिकता को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इस बारे में भी थोड़ा सोचकर कदम उठाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सब लोग इस बात से सहमत हैं कि धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए, लेकिन जब अमल की बात आती है, इस पर चलने की बात आती है, इस बारे में सोचने की बात आती है, तो कोई कदम नहीं उठाया जाता है। इसका मतलब कहने की बात अलग, सोचने की बात अलग और करने की बात तो उससे भी अलग होती है। इसलिए इस बारे में लोगों का विश्वास कम होते जा रहा है। लोग सोचते हैं कि इस देश में साम्प्रदायिक दंगे, कब बन्द होंगे, कब कम होंगे। मैं इस सदन के माध्यम से सब सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो साम्प्रदायिकता के खिलाफ काम करने वाले हैं, जो मानव समाज की निर्मिति करना चाहते हैं, धर्म को गौण स्थान देना चाहते हैं और मानव को प्रमुख स्थान देना चाहते हैं, ये सब लोग इकट्ठे हो जायें, तो दुनिया में हिंदुस्तान ताकतवर और बलवान हो जाएगा। नहीं तो धर्म और क्षेत्रीयता का नारा विदेशी ताकतें लगाकर इस देश को कमजोर बना देंगी। इस लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम विघटनकारी शक्तियों के शिकार न बन पायें।

सभापति महोदय, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। कोई धर्म-स्थल राजनीति के कारण नहीं चलना चाहिए, यदि कोई चलाएगा तो उसको कानूनी सजा दी जाएगी। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगांव) : महोदय, इस देश में राजनीति और धर्म की अलग पहचान बनाने तथा अलग करने का बहुत कठिन है क्योंकि हमें चिर काल से नेतृत्व ही इस प्रकार का मिला है। स्थिर समाज में इसकी व्याप्ति सीमित होती है और गतिशील समाज में इसकी व्याप्ति असीमित होती है और धार्मिक स्थान राजनैतिक गतिविधियों के केन्द्र बन गये हैं। हम निरन्तर उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए, राजनीति भी धर्म और अन्य बातों से बनी है। यदि कोई भी दल एक सुधार वाली दल के रूप में उस पथ से अलग हटकर चलेगा तो वह दल चुनाव जीतने में असफल रहेगा और वह दल फलफूल नहीं पायेगा। आजकल पूरे देश में यह धारणा व्याप्त है। हमसे प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि धर्म निरपेक्षता का पालन किया जाये। सभी विश्व को धर्म निरपेक्षता का उपदेश देते हैं। हमसे हर व्यक्ति यह आशा करता है कि दूसरे लोग धर्म निरपेक्ष हों और वह स्वयं साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रवाद का अनुसरण करें। इसलिए, इन बातों से निपटना बहुत कठिन है ··

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार चालू रखेंगे।

अब सभा सोमवार, 3 अगस्त, 1987 के 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 3 अगस्त, 1987/12 श्रावण, 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53

पी० एल० एस०—48/29/55/87 (एन०)
185

© 1987 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स,
दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित